

वार्षिक रिपोर्ट

(2003-04 से 2011-12)

nidm

आपदा मुक्त भारत की ओर.....

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
गृह मंत्रालय, भारत सरकार

एनआईडीएम की वार्षिक रिपोर्ट 2003-04 से 2011-12

© एनआईडीएम, नई दिल्ली

प्रकाशक

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम)

गृह मंत्रालय, भारत सरकार

नई दिल्ली – 110 002

विषय सूची

क्र.सं.	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
1.	एक सिंहावलोकन	1-9
2.	क्रियाएँ 2003-04	11-14
	अनुबंध - i प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची	
3.	गतिविधियां 2004-05	15-30
	अनुबंध - i प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची	
4.	गतिविधियां 2005-06	31-58
	अनुबंध - i प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची	
5.	गतिविधियों 2006-07	59-74
	अनुबंध - i प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची	
6.	गतिविधियां 2007-08	75-96
	अनुबंध - i प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची	
7.	गतिविधियां 2008-09	97-120
	अनुबंध - i प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची	
8.	गतिविधियां 2009-10	121-142
	अनुबंध - i प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची	
9.	गतिविधियां 2010-11	143-158
	अनुबंध - i प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची	
10.	गतिविधियां 2011-12	159-180
	अनुबंध - i प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची	
11.	अनुबंध - ii वित्तीय और लेखा व्यय (2003-2004)	181-182
12.	अनुबंध - ii वित्तीय और लेखा व्यय (2004-2005)	183-185
13.	अनुबंध - ii वित्तीय और लेखा व्यय (2005-2006)	186-198
14.	अनुबंध - ii वित्तीय और लेखा व्यय (2006-2007)	199-210
15.	अनुबंध - ii वित्तीय और लेखा व्यय (2007-2008)	211-223
16.	अनुबंध - ii वित्तीय और लेखा व्यय (2008-2009)	224-238
17.	अनुबंध - ii वित्तीय और लेखा व्यय (2009-2010)	239-252
18.	अनुबंध - ii वित्तीय और लेखा व्यय (2010-2011)	253-273
19.	अनुबंध - ii वित्तीय और लेखा व्यय (2011-2012)	274-282

सिंहावलोकन

सिंहावलोकन

फरवरी, 2002 में सर्वदलीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति की सिफारिश पर, भारत सरकार (कारोबार का आबंटन) नियम, 1961 को संशोधित किया गया तथा सूखे को छोड़कर आपदा प्रबंधन से संबंधित कार्य जून, 2002 में कृषि और सहकारिता मंत्रालय से गृह मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया। इस विषय अर्थात् आपदा प्रबंधन को कृषि और सहकारिता मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिए जाने के पश्चात् आपदा-उपरांत प्रतिक्रिया और राहत से ध्यान हटाते हुए आपदा के व्यावहारिक प्रबंधन की ओर ध्यान संकेन्द्रित करते हुए इस दिशा में सतर्क और सतत् प्रयास किए गए जिनमें बहुआयामी, बहुविषयक और बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाते हुए आपदा निवारण, न्यूनीकरण, तैयारी प्रतिक्रिया और राहत संबंधी कार्यवाहियों को शामिल किया गया था जिसके अंतर्गत विविध वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग, सामाजिक और वित्तीय प्रक्रियाएं भी सम्मिलित थीं। नया दृष्टिकोण इस धारणा से उत्पन्न हुआ है कि विकास को तब तक संपोषित नहीं किया जा सकता है, जब तक आपदा प्रबंधन को विकास प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दशक (आईडीएनडीआर) की पृष्ठभूमि में, कृषि और सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 1995 में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए), नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केन्द्र की स्थापना की गई। गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अक्टूबर, 2003 में इस केन्द्र का उन्नयन किया गया तथा इसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) के रूप में अभिहित किया गया। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत इसे एक सांविधिक निकाय स्टैचूरी बोडी बनाते हुए इसे अपेक्षित

विधायी शक्तियां प्रदान की गई। एनआईडीएम को आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण माड्यूल तैयार करने, अनुसंधान और प्रलेखीकरण संचालित करने और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने; आपदा प्रबंधन के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए एक व्यापक मानव संसाधन विकास योजना तैयार और क्रियान्वित करने; राष्ट्रीय स्तर की नीति तैयार करने में सहयोग प्रदान करने; सरकारी पदधारियों सहित अन्य हितधारकों के लिए प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रमों के विकास के लिए प्रशिक्षण संचालित करने; राज्य सरकारों और राज्य प्रशिक्षण संस्थानों को राज्य स्तरीय नीतियां, कार्यनीतियां, आपदा प्रबंधन ढांचा तैयार करने में सहायता करने तथा कोई अन्य सहायता देने, जैसी कि हितधारकों, सरकारी पदधारियों, सिविल सोसाइटी सदस्यों, कारपोरेट क्षेत्र और लोक प्रतिनिधियों के क्षमता निर्माण के लिए राज्य सरकारों अथवा राज्य प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा अपेक्षित हो, शैक्षणिक और वृत्तिक पाठ्यक्रमों सहित आपदा प्रबंधन के लिए सामग्रियां तैयार करने; कॉलेज और विद्यालय के शिक्षकों, तकनीकी कार्मिकों तथा बहु-आपदा के न्यूनीकरण, उसकी तैयारियों और प्रतिक्रिया उपायों से सहयोजित अन्य व्यक्तियों सहित हितधारकों के मध्य जागरूकता का संवर्धन करने; आपदा प्रबंधन को प्रोत्साहित और संस्थागत करने के लिए अध्ययन पाठ्यक्रमों, सम्मेलनों, व्याख्यानो और संगोष्ठियों का आयोजन करने तथा पत्रिकाओं, शोध पत्रों और पुस्तकों का प्रकाशन कराने और उसकी व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

एनआईडीएम की अधिदेश और संगठनात्मक संरचना

एक राष्ट्रीय केन्द्र तथा एक राष्ट्रीय संस्थान होने के नाते, एनआईडीएम का अधिदेश आपदा जोखिम न्यूनीकरण को हमारे राष्ट्रीय एजेंडा की मुख्यधारा

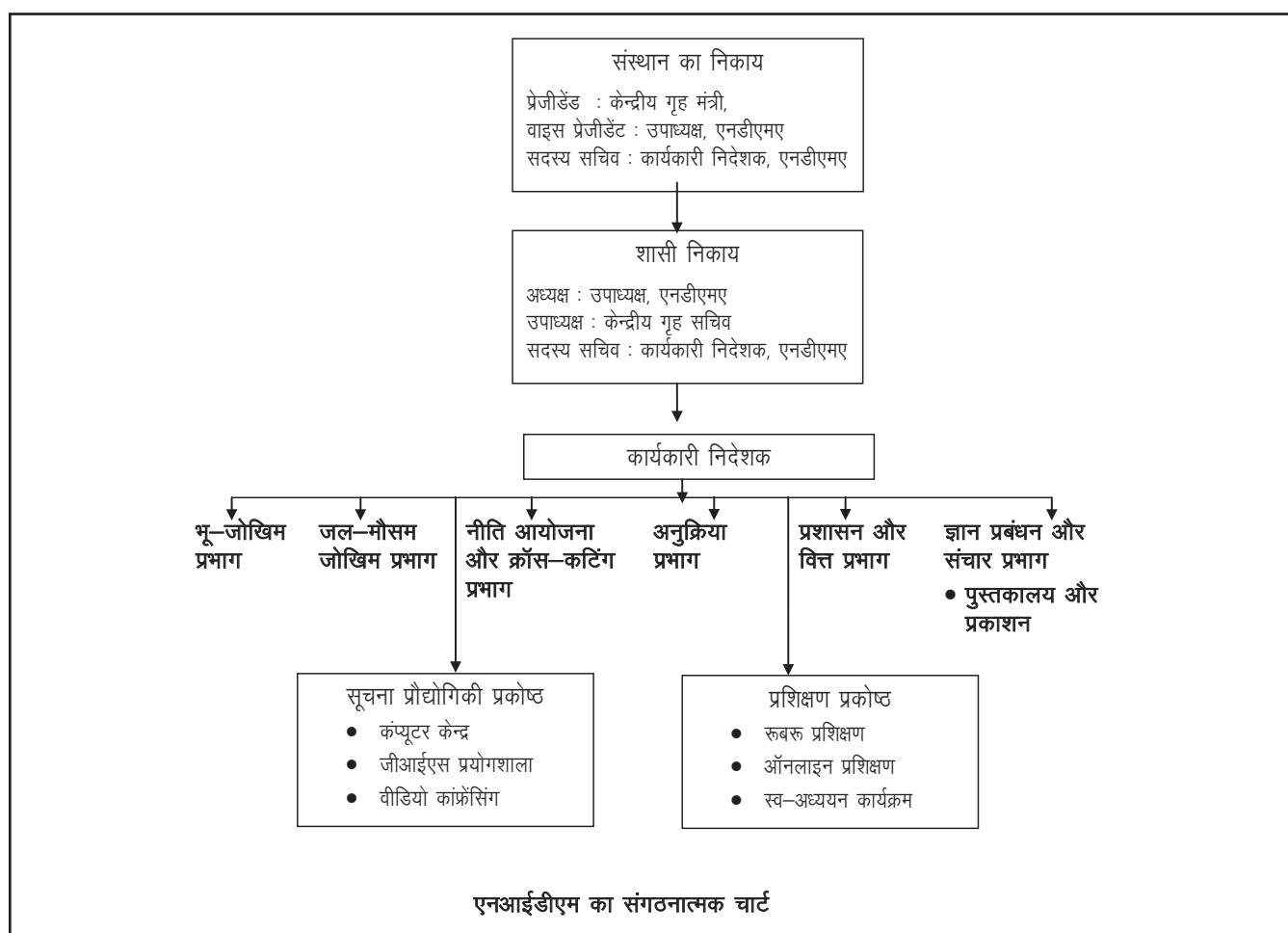
में लाने के लिए एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन करना है। यह मानना है कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण केवल “निवारण की संस्कृति” के संवर्धन के माध्यम से ही संभव है जिनमें समस्त हितधारकों को शामिल किया जाना चाहिए। हम केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के साथ, भारत और विदेश में स्थित शैक्षणिक, अनुसंधान और तकनीकी संस्थाओं के साथ तथा अन्य द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ रणनीतिक भागीदारियों के माध्यम से कार्य करते हैं। अनुभव साझे करने तथा सीखने के लिए एक राष्ट्रीय केन्द्र का निर्माण करने और संस्थाओं, प्रशिक्षकों और प्रशिक्षित व्यवसायियों के महत्वपूर्ण समूह का सृजन करने के लिए संस्थान के अधिदेश के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं :-

- आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना और उनका प्रलेखीकरण करना तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना;
- आपदा प्रबंधन के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए एक व्यापक मानव संसाधन विकास योजना तैयार करना और उसे क्रियान्वित करना;
- राष्ट्रीय स्तर की नीति तैयार करने में सहायता प्रदान करना;
- विभिन्न हितधारकों के लिए प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रमों के विकास के लिए प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थाओं को अपेक्षित सहायता प्रदान करना;
- राज्य स्तरीय नीतियां, कार्यनीतियां, आपदा प्रबंधन ढांचा तैयार करने में राज्य सरकार तथा राज्य प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता प्रदान करना तथा कोई अन्य सहायता उपलब्ध कराना जो क्षमता निर्माण के लिए अपेक्षित हो;
- शैक्षणिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के सहित आपदा प्रबंधन के लिए शैक्षणिक सामग्रियां तैयार करना;

- कॉलेज अथवा विद्यालय शिक्षकों और छात्रों, तकनीकी कार्मिकों तथा बहु-आपदा न्यूनीकरण, उसके लिए तैयार और प्रतिक्रिया उपायों से सहयोजित अन्य व्यक्तियों सहित समस्त हितधारकों के मध्य जागरूकता का संवर्धन करना;
- उपर्युक्त उद्देश्यों को संवर्धित करने के लिए देश के भीतर तथा बाहर अध्ययन पाठ्यक्रमों, सम्मेलनों, व्याख्यानों, संगोष्ठियों को संचालित, आयोजित करना तथा उनके आयोजन को साकार बनाना;
- पत्रिकाओं, शोध-पत्रों और पुस्तकों के प्रकाशन को संचालित करना तथा उसके लिए सहयोग प्रदान करना और पुस्तकालयों आदि की स्थापना और उनका अनुरक्षण करना।

संगठनात्मक संरचना

- केन्द्रीय गृह मंत्री संस्थान के प्रेजीडेंट हैं तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के उपाध्यक्ष इसके वाईस प्रेजीडेंट हैं। इनके अलावा, संस्थान के निकाय में 42 अन्य सदस्य हैं जिनमें भारत सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न नोडल मंत्रालयों और विभागों के सचिव तथा राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक, शोध और तकनीकी संगठनों के अध्यक्ष तथा साथ ही प्रतिष्ठित शिक्षाविद्, वैज्ञानिक और व्यवसायी शामिल हैं।
- संस्थान के शासी निकाय में 16 सदस्य हैं जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है। केन्द्रीय गृह सचिव संस्थान के शासी निकाय के उपाध्यक्ष है
- संस्थान में प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के अलावा पांच प्रभाग हैं। संस्था के कार्यकारी निदेशक, जो संस्थान और इसके शासी निकाय के सदस्य-सचिव भी हैं, संस्थान के दैनिक



प्रशासन का संचालन करते हैं।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005

सरकार ने आपदा प्रबंधन योजनाओं के क्रियान्वयन की रूपरेखा तैयार करने और उसकी निगरानी करने के लिए एक सांस्थानिक तंत्र स्थापित करने, आपदा के प्रभावों का निवारण करने और उनका न्यूनीकरण करने के लिए सरकार के विभिन्न स्कंधों द्वारा अपेक्षित उपाय सुनिश्चित करने तथा किसी भी आपदा की स्थिति को समन्वित करने तथा उस पर तत्काल प्रतिक्रिया का उपबंध करने के लिए 26 दिसम्बर, 2005 को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 अधिनियमित और अधिसूचित किया था। इस अधिनियम में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), मुख्य मंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) तथा

जिला मजिस्ट्रेटों की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (डीडीएमए) की स्थापना का उपबंध किया गया है। अधिनियम में राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एनईसी), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की स्थापना का उपबंध भी किया गया है। यह संबंधित मंत्रालयों और विभागों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना के अनुसार विभागवार योजनाएं तैयार करने का उपबंध भी करता है। इसके अलावा, अधिनियम में राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण निधि का तथा राज्य और जिला स्तरों पर भी इसी के समान निधियों की स्थापना करने के उपबंध भी अंतर्विष्ट हैं। अधिनियम पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) तथा शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) सहित स्थानीय निकायों के लिए आपदा

प्रबंधन में विनिर्दिष्ट भूमिका का उपबंध भी करता है। भारत सरकार द्वारा एनडीएमए, एनईसी, एनआईडीएम, एनडीआरएफ की वार्षिक रिपोर्टों को संसद के समक्ष रखने तथा कथित अपराध के नोटिस के बारे में नियम भी अधिसूचित किए गए हैं।

एनडीएमए की स्थापना गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत अक्टूबर, 2003 में एक स्वतंत्र संस्थान के रूप में की गई थी। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अधिनियमन के पश्चात् एनआईडीएम को अधिनियम के अंतर्गत 30 अक्टूबर, 2006 से एक सांविधिक निकाय के रूप में अधिसूचित किया गया है। संस्थान की प्रथम बैठक केन्द्रीय गृह मंत्री, जो संस्थान के अध्यक्ष भी हैं, की अध्यक्षता में 19 अप्रैल, 2007 को आयोजित की गई थी। संस्थान के शासी निकाय की प्रथम बैठक एनडीएमए के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में 20 जून, 2007 को आयोजित की गई थी। अधिनियम की धारा 42(8) संस्थान को 'आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान की आयोजना करने तथा उसका संवर्धन करने, आपदा प्रबंधन नीतियों से संबंधित राष्ट्रीय स्तर का सूचना-आधार विकसित करने, निवारण तंत्र और आपदा न्यूनीकरण उपाय करने' के लिए उत्तरदायी बनाती है। अधिनियम की धारा 42(9) ने संस्थान को निम्नलिखित विशिष्ट कृत्य को निर्दिष्ट किए गए हैं:-

- आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण मानदंडों का विकास, अनुसंधान और प्रलेखीकरण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर सकेगा;
- ऐसी व्यापक मानव संसाधन विकास योजना तैयार कर सकेगा और उसे कार्यान्वित कर सकेगा जिसके अंतर्गत आपदा प्रबंधन के सभी पहलू आते हैं;
- राष्ट्रीय स्तर की नीति विरचना में सहायता प्रदान कर सकेगा;
- सरकारी कृत्यकारियों सहित अंशधारकों के लिए प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रमों के विकास के लिए प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थानों की अपेक्षित

सहायता कर सकेगा और राज्य स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों के संकाय सदस्यों को प्रशिक्षण दे सकेगा;

- राज्य स्तर की नीतियों, रणनीतियों, आपदा प्रबंधन ढांचे में राज्य सरकारों और राज्य प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता तथा अपने कृत्यकारियों, सिविल सोसाइटी के सदस्यों, कारपोरेट सेक्टर और जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों सहित अंशधारियों और सरकार के क्षमता निर्माण के लिए राज्य सरकारों या राज्य प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा यथापेक्षित सहायता दे सकेगा;
- आपदा प्रबंधन के लिए शैक्षिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित शैक्षिक सामग्री का विकास कर सकेगा;
- बहुविपत्ति के शमन, कार्य योजना और उसका मुकाबला करने के उपायों से सहबद्ध महाविद्यालय या स्कूल अध्यापकों और छात्रों, तकनीकी कार्मिकों और अन्य व्यक्तियों सहित अंशधारकों के बीच जागरूकता पैदा कर सकेगा;
- पूर्वोक्त उद्देश्यों का संवर्धन करने के लिए देश के भीतर या देश से बाहर अध्ययन, पाठ्यक्रमों, सम्मेलनों, व्याख्यानों, सेमिनारों का आयोजन कर सकेगा और उन्हें साकार बना सकेगा;
- पत्रिकाओं, अनुसंधान पेपर और पुस्तकों का प्रकाशन और उन्हें उपलब्ध करवाना तथा पुस्तकालयों कि स्थापना और उपरोक्त वस्तुओं की बढोतरी।
- ऐसे सभी अन्य विधिपूर्ण कार्य कर सकेगा जो उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक या आनुशंगिक हों; और
- ऐसे कोई अन्य कृत्य भी कर सकेगा जो उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा समनुदेशित किए जाएं।

प्रशिक्षण

आपदा प्रबंधन पदाधिकारियों द्वारा क्षमता निर्माण पर प्रदान किया गया मुख्य बल संस्थान के प्रधान प्रयासों में से एक है। अपने इस प्रयास के भाग के रूप में, एनआईडीएम प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्य रूप से आपदा

जोखिम न्यूनीकरण के संबंध में आयोजित किए गए जिनमें विभिन्न क्षमता निर्माण मुद्दों का निवारण भी किया गया था।

उद्देश्य

आपदा प्रबंधन पदाधिकारियों तथा आपदा और विकास क्रियाकलापों के क्षेत्र में कार्यरत अन्य वृत्तियों को उपयुक्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एनआईडीएम के प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए जाते हैं:

- कार्यक्रम की प्रभावशाली आयोजन और क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता का सृजन, कौशलों का संवर्धन तथा विकास पदाधिकारियों के ज्ञान में संवृद्धि;
- कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और परामर्शों के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर आपदा प्रबंधन की उभरती हुई आवश्यकताओं के लिए केन्द्र और राज्यों के विकास विभागों के वरिष्ठ कार्यपालकों को जागरूकता प्रदान करना; और
- अनुभवजन्य दौरो, सफल मामलों के प्रलेखीकरण तथा विकासात्मक हस्तक्षेपों के माध्यम से विकास कार्मिकों के मध्य अभिवृत्ति संबंधी परिवर्तनों को सुकर बनाना।

प्रतिभागियों का प्रोफाइल

चूंकि एनआईडीएम कार्यक्रम आपदा प्रबंधन में शामिल विभिन्न प्रतिभागी समूहों के मध्य पक्ष-प्रचार करते हैं, प्रशिक्षुओं के प्रोफाइल प्रतिभागियों की निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित हैं:

- सरकारी कर्मचारी (केन्द्रीय, राज्य और जिला स्तरीय कर्मचारी);
- सिविल सोसाइटी संगठन (आपदा प्रबंधन व्यवसायी);
- सरकारी क्षेत्र की उपक्रम (पीएसयू);
- शिक्षाविद् (शोधकर्ता, वैज्ञानिक, विद्यालयी शिक्षक और

विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर); और

- अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी (सरकारी विभाग, यूएन, आईएनजीओ)।

प्रशिक्षण पद्धतियां

प्रदान किए गए प्रशिक्षण की विविधतापूर्ण प्रकृति तथा साथ ही कार्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न प्रशिक्षण पद्धतियों का प्रयोग किया जा रहा है। प्रशिक्षण की पद्धतियों में शामिल हैं :-

- व्याख्यान-सह-चर्चा
- मामला अध्ययन प्रस्तुतीकरण
- भागीदारीपूर्ण पद्धतियां
- समूह चर्चा
- अभ्यास/प्रयोगात्मक सत्र
- क्षेत्रीय अनुभवजन्य अध्ययन दौरे
- पैनल चर्चा
- उत्प्रेरक खेल
- टेबल टॉप अभ्यास

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रकार

एनआईडीएम प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालन के प्रकार, लक्ष्य समूह तथा साथ ही शीर्षक के आधार पर वर्गीकृत किया गया है।

संचालन के प्रकार के आधार पर कार्यक्रमों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है:

- रुबरु प्रशिक्षण
- ऑनलाइन प्रशिक्षण
- उपग्रह आधारित प्रशिक्षण

(i) रुबरु प्रशिक्षण कार्यक्रम

रुबरु प्रशिक्षण कार्यक्रम एनआईडीएम का एक प्रमुख कार्यक्रम है। संस्थान एनआईडीएम में अथवा राज्य प्रशासक प्रशिक्षण संस्थान (एटीआई) के आपदा

प्रबंधन केन्द्रों (डीएमसी) में रूबरू प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षण की एक विस्तृत परिधि उपलब्ध कराता है। विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से आपदा प्रबंधन के लगभग सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है।

लक्ष्य समूह पर निर्भर करते हुए, दो प्रकार के रूबरू प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, अर्थात् हितधारक प्रशिक्षण और प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अधिदेश को ध्यान में रखते हुए, एनआईडीएम प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान-केन्द्रित कर रहा है।

(ii) ऑनलाइन प्रशिक्षण

विश्व बैंक (जीएफडीआरआर) वाशिंगटन के साथ भागीदारी करते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान आपदा जोखिम प्रबंधन पर ई-शिक्षण कार्यक्रमों की एक व्यापक श्रृंखला उपलब्ध कराता है। ये पाठ्यक्रम दूर बैठे प्रतिभागियों को पेशेवर मार्गदर्शन के अंतर्गत आपदा जोखिमों के प्रबंधन और न्यूनीकरण के बारे में सीखने का उत्कृष्ट अवसर प्रदान करते हैं। सीडी के रूप में प्रशिक्षण सामग्री डाक द्वारा भेजी जाती है, जिसकी ऑनलाइन एक्सेस प्राप्त की जा सकती है और पाठ्यक्रम की समाप्ति के पश्चात् कभी भी उसका प्रयोग किया जा सकता है। पंजीकृत प्रतिभागियों द्वारा ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्लेटफार्म के माध्यम से सभी माड्यूलों की ऑनलाइन एक्सेस हासिल की जा सकती है। कार्यक्रम में शामिल है – प्रस्तुतीकरण और श्रव्य सामग्री, चर्चा मंच, प्रश्न करना, स्पष्टीकरण, दत्त-कार्य और पाठ्यक्रम उपरांत परियोजनाएं जिनका मूल्यांकन अनुभवी पाठ्यक्रम संचालकों द्वारा किया जाता है। सफल उम्मीदवारों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाते हैं, जिन्हें एनआईडीएम और विश्व बैंक (जीएफडीआरआर) द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है।

(iii) उपग्रह आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम

संस्थान आईएसआरओ समुदाय केन्द्रों के माध्यम से उपग्रह आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करने के लिए जिनमें उपग्रह आधारित वन-वे वीडियो और टू-वे ऑडियो संचार प्रणाली होती है, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थाओं के साथ सहयोग करता है, जैसे एटीआई, मैसूर; आरसीवीपी नोरोन्हा एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट (आरसीवीपीएनएएम), भोपाल, मध्य प्रदेश; विज्ञान प्रसार (वीपी); विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। उपग्रह कार्यक्रम का लाभ यह है कि ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से समुदाय स्तर पर बड़ी संख्या में व्यक्तियों तक पहुंच बनाई जा सकती है। उपग्रह आधारित समाधान राष्ट्रव्यापी पहुंच भी प्रदान कर सकते हैं, जिससे आप किसी भी प्राधिकृत और सज्जित साइट से किफायती रूप से अपने संदेश का आदान-प्रदान कर सकते हैं।

प्रकाशन/प्रलेखीकरण

(i) सूचना संसाधन

पुस्तकें : एनआईडीएम के पुस्तकालय का विस्तार हो रहा है। संस्थान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, दोनों ही स्तरों पर सरकार, अनुसंधान और प्रशिक्षण संगठनों द्वारा आपदा और विकास तथा संबद्ध पहलुओं पर प्रकाशित हुए साहित्य को तथा साथ ही वाणिज्यिक रूप से प्रकाशित किए गए साहित्य को भी संग्रहित करने के विशेष प्रयास करता है।

(ii) जानकारी का प्रचार-प्रसार

संस्थान को आपदा और विकास कार्यों के विषय में जानकारी का प्रचार-प्रसार करने का अधिदेश दिया गया है। इस अधिदेश की पूर्ति के लिए, संस्थान नियमित रूप से एक द्विवार्षिक जर्नल, तिमाही व न्यूजलेटर, अनुसंधान की मुख्य विशेषताओं, पाठ्यक्रम माँड्यूलों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं की सिफारिशों, तथा अपादा विकास संबंधी आंकड़ों का प्रकाशन

करता है। ये प्रकाशन नीति निर्माताओं को विद्यमान वास्तविकताओं की अद्यतन जानकारी प्रदान करने, आपदा और विकास कार्यक्रमों की बेहतर आयोजन और प्रबंधन करने के लिए सुझाव और दिशा-निर्देश जारी करने में सहायता प्रदान करते हैं।

(iii) एनआईडीएम जागरूकता सूचना शिक्षा और संप्रेषण (आईईसी) सामग्रियां

संस्थान को आपदा और विकास कार्यों के विषय में जानकारी का प्रचार-प्रसार करने का अधिदेश दिया गया है। इस अधिदेश की पूर्ति के लिए, संस्थान नियमित रूप से एक द्विवार्षिक जर्नल, तिमाही न्यूजलैटर, अनुसंधान की मुख्य विशेषताओं, पाठ्यक्रम मॉड्यूलों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं की सिफारिशों, अपादा विकास संबंधी आंकड़ों तथा विभिन्न जानकारी और शिक्षा सामग्री का प्रकाशन करता है। ये प्रकाशन नीति निर्माताओं को विद्यमान वास्तविकताओं की अद्यतन जानकारी प्रदान करने, आपदा और विकास कार्यक्रमों की बेहतर आयोजना और प्रबंधन करने के लिए सुझाव और दिशा-निर्देश जारी करने में सहायता प्रदान करते हैं। विभिन्न आपदाओं और उनके प्रबंधन पर जानकारी और जागरूकता का सृजन करने के लिए एनआईडीएम विभिन्न जागरूकता सृजन क्रियाकलापों और कार्यक्रमों के आयोजन के साथ-साथ नियमित रूप से आईईसी सामग्री प्रकाशित करता है। यह सभी सामग्री एनआईडीएम की वेबसाइट पर उपलब्ध है तथा इसे <http://indian.gov.in/iec.asp> से प्राप्त किया जा सकता है। एनआईडीएम द्वारा तैयार की गई आईईसी सामग्री का प्रयोग आपदा प्रबंध के क्षेत्र में कार्य कर रहे विभिन्न हितधारकों द्वारा किसी भी समय किया जा सकता है तथा इसके व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए इसे विभिन्न भाषाओं में अनुवाद भी किया जा सकता है।



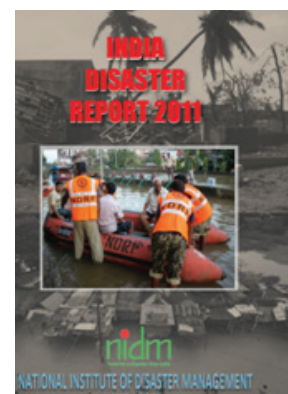
(iv) एनआईडीएम पत्रिकाएं जर्नल आपदा और विकास

संस्थान 'आपदा और विकास' नामक एक द्विवार्षिक जर्नल प्रकाशित करता है। इस जर्नल के प्रथम अंक का विमोचन भारत के माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह द्वारा 29 नवम्बर, 2006 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित प्रथम भारत प्रबंधन कांग्रेस के उद्घाटन समारोह के दौरान किया गया था। इसके बाद से, यह जर्नल एनआईडीएम के अग्रणी शैक्षणिक प्रकाशनों में से एक है। इसके आठ अंक प्रकाशित किए जा चुके हैं जिनमें भारत तथा अन्य देशों के आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है।



समाचार पत्रिका 'टाइडिंग्स'

एनआईडीएम का न्यूजलैटर 'टाइडिंग्स' एक तिमाही प्रकाशन है जिसका प्रथम अंक भारत अगस्त, - 2004 अक्टूबर, 2004 में प्रकाशित होना आरंभ हुआ था। इसमें एनआईडीएम द्वारा नियमित रूप से संचालित किए जाने वाले विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं की सिफारिशों को प्रकाशित किया जाता है। आगामी तीन माहों के लिए निर्धारित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अग्रिम रूप में प्रचार-प्रसार करने के अलावा इस न्यूजलैटर में संकाय विकास, सफलता गाथाओं, विभिन्न दौरों तथा शिष्टमंडलों के बारे में समाचार भी शामिल किए जाते हैं। आज की तारीख तक इसके 31 अंक प्रकाशित किए जा चुके हैं।



भारत आपदा रिपोर्ट

भारत आपदा रिपोर्ट – वर्ष 2012 से एनआईडीएम ने विभिन्न प्रमुख आपदाओं, उनके परिणामों तथा उन पर प्रतिक्रियाओं को एक वार्षिक प्रकाशन अर्थात् 'भारत आपदा रिपोर्ट' के रूप में प्रलेखीकृत करना आरंभ किया। इस प्रकाशन में आपदाओं के कारणों, प्रभावों तथा उनसे सीखे गए सबकों का गहन विश्लेषण प्रदान किया जाता है।

क्षेत्रीय दौरे तथा प्रलेखीकरण

एनआईडीएम के अधिकारियों के दल प्रभावित क्षेत्रों के क्षेत्रीय दौरे करते हैं तथा संबंधित आपदा की गंभीरता, उसके प्रभावों, प्रतिक्रिया, सीखे गए सबकों आदि के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए जिला तथा राज्य अधिकारियों के साथ बैठकें/विचार-विमर्श करते हैं ताकि उस जानकारी का प्रलेखीकरण किया जा सके।

क्रियाकलाप

2003–04

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केन्द्र (एनसीडीएम) / राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम)

1. वर्ष 2003-04 के दौरान, संस्थान ने 12 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें 272 प्रतिभागियों ने भाग लिया। एनसीडीएम का 16 अक्टूबर, 2003 को एनआईडीएम में उन्नयन होने से पूर्व, एनसीडीएम ने 09 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया (अनुबंध-I)।
2. एनसीडीएम ने निम्नलिखित संगोष्ठियां, सम्मेलन और कार्यशालाएं आयोजित कीं:
 - I. आपदा प्रबंधन कार्यकारी ग्रुप के तत्वावधान में 3-4 अप्रैल, 2003 के दौरान वासुदेव के कोर ग्रुप एनजीओ का राष्ट्रीय स्तर परामर्श,
 - II. 7-8 अप्रैल, 2003 के दौरान प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए आपदा प्रबंधन में अखिल भारतीय सम्मेलन,

- III. 12-13 मई, 2003 के दौरान आईएस, आईपीएस और आईएफएस से संबंधित अधिकारियों के लिए 'आपदा प्रबंधन' को प्रवेश उपरांत और सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में एक विषय के रूप में शामिल करने के लिए कार्यशाला।

वित्त और लेखे

संस्थान के वित्त और लेखा प्रभाग के कार्यों में शामिल है – बजट बनाना, लेखाकरण, प्राप्तियों और भुगतानों का प्रबंध, वार्षिक लेखे तैयार करना और उनका संकलन, मंत्रालय को लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे प्रस्तुत करना। इसके अलावा, प्रभाग परामर्श भी प्रदान करता है। तुलना-पत्र के साथ संस्थान की वर्ष 2003-04 की वार्षिक रिपोर्ट अनुबंध- II में दी गई है।

अनुबंध - I

तत्कालीन एनआईडीएम द्वारा वर्ष 2003-04 में संचालित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं

1. प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	तारीख	प्रतिभागियों की संख्या
1.	एनजीओ के लिए आपदा प्रबंधन पर चेन्नई में प्रशिक्षण कार्यक्रम	5-9 मई, 2003	35
2.	सूखा प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	2-6 जून, 2003	20
3.	बाढ़ आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	16-20 जून, 2003	21
4.	आईएस अधिकारियों के आपदा प्रबंधन पर सेवाकालीन प्रशिक्षण (डीओपी एंड टी द्वारा प्रायोजित)	23-27 जून, 2003	19
5.	उत्तरांचल, गुजरात, उड़ीसा, बिहार, मेघालय राज्यों के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम (यूएनडीपी-जीओआई कार्यक्रम के अंतर्गत)	28 जुलाई - 1 अगस्त, 2003	23
6.	आपदा प्रबंधन के प्रति क्षमता निर्माण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	4-6 अगस्त, 2003	18
7.	दूरसंचार के अधिकारियों के लिए एएलटी केन्द्र, गाजियाबाद में प्रशिक्षण कार्यशाला	6-8 अगस्त, 2003	24
8.	चक्रवात की तैयारियों तथा उसके न्यूनीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	22-28 सितम्बर, 2003	27
9.	आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम (यूएनडीपी - जीओआई कार्यक्रम के अंतर्गत)	सितम्बर, 2003	20
10.	सूचना प्रौद्योगिकी तथा आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	11-15 नवम्बर, 2003	22
11.	पोर्ट ब्लेयर में आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम (अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह की सरकार के सहयोग से)	22-27 दिसम्बर, 2003	37
12.	आईपीएस अधिकारियों के लिए 'मानव उत्प्रेरित आपदाओं पर प्रतिक्रिया' पर उर्ध्वस्थ संपर्क पाठ्यक्रम	15-20 मार्च, 2007	06

2. कार्यशालाएं/संगोष्ठियां/सम्मेलन

एनआईडीएम ने निम्नलिखित संगोष्ठियों/सम्मेलनों और कार्यशालाओं का आयोजन किया :

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	तारीख
1.	आपदा प्रबंधन कार्यकारी ग्रुप के तत्वावधान में वासुदेव के कोर ग्रुप एनजीओ का राष्ट्रीय स्तर परामर्श,	3-4 अप्रैल, 2003
2.	प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए आपदा प्रबंधन में अखिल भारतीय सम्मेलन	7-8 अप्रैल, 2003
3.	आईएस, आईपीएस और आईएफएस से संबंधित अधिकारियों के लिए 'आपदा प्रबंधन' को प्रवेश उपरांत और सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के रूप में शामिल करने के लिए कार्यशाला।	12-13 मई, 2003

क्रियाकलाप 2004-05

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम)

1. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केन्द्र, जिसकी स्थापना 1995 में की गई थी, का उन्नयन किया गया था तथा इसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) के रूप में अभिहित किया गया। एनआईडीएम को एशिया में क्षेत्रीय उत्कृष्टता के केन्द्र के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव किया गया है। एनआईडीएम विभिन्न स्तरों पर सरकारी पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण माड्यूलों का विकास करने, प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण संचालित करने तथा योजनाकारों, प्रशासकों और कमान पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने का दायित्व निभा रहा है। संस्थान को आपदा प्रबंधन नीतियों, निवारण तंत्र, न्यूनीकरण उपायों के बारे में राष्ट्रीय स्तर के सूचना-आधार का विकास करने तथा राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थानों को उनकी आपदा प्रबंधन सुविधाओं और सक्षमताओं को सुदृढ़ बनाने के लिए सलाह और परामर्श प्रदान करने; संकट न्यूनीकरण और आपदा प्रतिक्रिया के लिए विभिन्न स्तरों पर पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन करने तथा उनके लिए प्रशिक्षक कैप्सूलों का विकास करने का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया है। संस्थान आपदा न्यूनीकरण, उसके लिए तैयारी, प्रतिक्रिया और राहत संबंधी एक व्यापक मानव संसाधन विकास योजना भी तैयार कर रहा है।

2. 28 राज्यों में स्थित राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थानों में आपदा प्रबंधन सुविधाएं सृजित की गई हैं। इन सुविधाओं को सीधे गृह मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहयोग प्रदान किया जा रहा है। राज्य प्रशिक्षण संस्थान राज्य के भीतर विभिन्न लक्ष्य समूहों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करते हैं। प्रशिक्षण कैप्सूलों को तैयार किया गया है तथा उन्हें अखिल

भारतीय सेवाओं (आईएस, आईपीएस और भारतीय वन सेवा) की पाठ्यचर्या के साथ एकीकृत किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर अन्य सेवाओं के लिए भी प्रशिक्षण माड्यूल तैयार किए जा रहे हैं।

उद्घाटन

3. गृह मंत्रालय के दिनांक 16.10.2003 के आदेश द्वारा तत्कालीन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) के रूप में पुनः नामकरण किया गया। एनआईडीएम ने 16 अक्टूबर, 2003 से एक पृथक संगठन के रूप में कार्य करना आरंभ किया।



एनआईडीएम का उद्घाटन केन्द्रीय गृह मंत्री श्री शिवराज पाटिल द्वारा 11 अगस्त, 2004 को किया गया था। उद्घाटन समारोह में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों तथा संयुक्त राष्ट्र (यूएन) एजेंसियों और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के विभिन्न पदाधिकारियों ने भाग लिया। उद्घाटन समारोह के दौरान, श्री पाटिल ने एनआईडीएम न्यूजलेटर तथा उसके वेबसाइट का भी विमोचन किया। उसके उपरांत उन्हें एनआईडीएम द्वारा संचालित किए जा रहे विभिन्न क्रियाकलापों तथा प्रस्तावित परिसर की स्थिति के बारे में अवगत कराया गया। उन्हें नए एनआईडीएम परिसर का मॉडल देखा तथा उन्हें संस्थान की विविध

सुविधाएं दिखाई गईं जैसे पुस्तकालय, कंप्यूटर केन्द्र और प्रशिक्षण सभागार। अतिथियों को एनआईडीएम पर एक लघु फिल्म दिखाई गई।

वेबसाइट और न्यूजलैटर



4. एनआईडीएम की वेबसाइट 11 अगस्त, 2004 को प्रारंभ की गई थी। इस साइट में एनआईडीएम, योजनाबद्ध भावी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान की गई है। इसके साथ ही, यह आपदा प्रबंधन पर एक पूर्णतः ज्ञान प्रदाता साइट है।

एनआईडीएम द्वारा 11 अगस्त, 2004 को एक तिमाही न्यूजलैटर 'टाइडिंग्स' भी जारी किया गया। इस न्यूजलैटर में संस्थान के बारे में तथा आपदा प्रबंधन के



क्षेत्र में अन्य घटनाक्रमों के बारे में जानकारी निहित है।

राज्य मंत्री (गृह) का दौरा

5. 5 अक्टूबर, 2004 को, श्री एस. रघुपति, राज्य मंत्री (गृह) भारत सरकार ने एनआईडीएम का दौरा किया तथा उन्हें इसके विभिन्न क्रियाकलापों से अवगत कराया गया। उन्होंने नए परिसर के मॉडल में गहन रुचि दर्शाई।

क्रियाकलाप

प्रशिक्षण माड्यूलों का विकास

6. एनआईडीएम का केन्द्रीय व्यावसायिक दल विभिन्न संबद्ध विभागों के लिए प्रशिक्षण माड्यूलों को तैयार करता है, जिसमें उनके कार्य के उत्तरदायित्वों को भी ध्यान में रखा जाता है। एनआईडीएम के कार्मिकों द्वारा क्षेत्र के विशेषज्ञों के सहयोग से निम्नलिखित क्षेत्रों के डिजाइन ब्रीफ तैयार किए गए हैं:

- शिक्षा
- वन
- महिला और बाल विकास
- डाक सेवा
- लोक स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग

क्षेत्रीय प्रशिक्षण विशेषज्ञों, एनआईडीएम के कार्मिकों तथा माड्यूल लेखन विशेषज्ञों को शामिल करते हुए इन विभागों के माड्यूल विकसित किए गए हैं।

एनआईडीएम द्वारा जिला आपदा प्रबंधन योजना पर माड्यूल तैयार किया गया तथा 6-8 अक्टूबर, 2004 के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला के दौरान उसका प्रयोग किया गया।

प्रकाशन

7. विभिन्न आपदाओं पर नियमावलियां संस्थान में ही तैयार की जाती हैं। एनआईडीएम ने हाल ही में प्रशिक्षण संस्थाओं की निर्देशिका प्रकाशित की है तथा यह आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करने वाले संसाधन विशेषज्ञों तथा एनजीओ की निर्देशिका भी तैयार कर रहा है। इसने गृह मंत्रालय द्वारा तैयार की गई स्थिति रिपोर्ट को भी पुनः मुद्रित किया है। प्रशिक्षकों की नियमावली की वर्तमान में संकलित की जा रही है तो प्रशिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी।

मानव संसाधन विकास योजना

8. एनआईडीएम वर्तमान में देश के लिए मानव संसाधन विकास योजना तैयार करने का कार्य कर रहा है। यह योजना आपदाओं का सामना करने के लिए राष्ट्र को अपनी क्षमता का निर्माण करने और उसमें संवृद्धि करने का निर्देश देगी।

एक सुदृढ़ आपदा प्रबंधन प्रणाली का निर्माण करने के लिए मानव संसाधन विकास एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवयव है। आपदाओं की स्थिति में प्रभावी हस्तक्षेप करने के लिए प्रशिक्षित वृत्तिकों के संवर्ग तथा साथ ही पूरी तरह से जागरूक और तैयार समुदाय का निर्माण करने के लिए पहचाने गए क्षेत्रों तथा कार्यवाही योजना के साथ एक राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास योजना तैयार करना आवश्यक है।

राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास योजना के माध्यम से क्षमता निर्माण की विभिन्न पद्धतियों, संपूर्ण ब्रह्मांड और उसके अंतर्गत आपात प्रबंधन के ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों, जिनके लिए तत्काल हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता

है तथा पद्धति सहित प्रत्येक क्षमता निर्माण के लिए लक्ष्य समूहों की पहचान करने के प्रयास किए गए हैं। मानव संसाधन विकास योजना आपदाओं का प्रभावी ढंग से निपटान करने के लिए क्रियाविधि का सुझाव प्रदान करेगी।

आपदा प्रबंधन संहिता/नियमावली

9. राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए सांस्थानिक प्रबंधन तंत्र राहत संविदाओं/न्यूनता संविदाओं/राहत नियमावलियों, आदि पर आधारित है जो आपदा प्रबंधन के राहत संबंधी पहलू पर ध्यान केन्द्रित करता है। अधिकांश दस्तावेजों को समय की आवश्यकता के अनुसार अद्यतन नहीं बनाया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों को विद्यमान राहत संहिताओं/नियमावलियों को संशोधित करते हुए उन्हें व्यापक आपदा प्रबंधन संहिताओं/नियमावलियों में परिवर्तित करने का सुझाव दिया गया था जिसमें सभी स्तरों पर आपदा के लिए तैयारियों, उसके न्यूनीकरण तथा आयोजनों उपायों के पहलुओं को भी शामिल किया गया हो। आपदा प्रबंधन संहिता तैयार करने के लिए दिशा-निर्देश एनआईडीएम द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। इन दिशा-निर्देशों में आपदा-प्रबंधन और हितधारकों के सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा तथा ये इन्हें एकीकृत करते हुए एक संस्थागत तंत्र का सृजन करने का एक प्रयास है।

प्रशिक्षण मॉड्यूल

10. राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास योजना तैयार करने के अलावा, एनआईडीएम सरकारी पदाधिकारियों के विभिन्न स्तरों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करने की कार्यवाही भी कर रहा है। प्रथम चरण के लिए

राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य, कृषि निर्माण (राज-मिस्त्री) के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल किया गया है तथा इन क्षेत्रों के प्रत्येक स्तर के लिए मॉड्यूल तैयार किए जा रहे हैं। आधारभूत मॉड्यूल तैयार करने के लिए एनआईडीएम के संकाय तथा यूएनडीपी सहित विभिन्न संगठनों के विशेषज्ञों के 'लेखकों की कार्यशाला' 12-17 मई, 2004 तक आयोजित की गई थी। एनआईडीएम में इन मॉड्यूलों को अंतिम रूप प्रदान किया जा रहा है।

संसाधन विशेषज्ञों/एनजीओ की निर्देशिका

11. एनआईडीएम वर्तमान में ऐसे संसाधन विशेषज्ञों की निर्देशिका तैयार कर रहा है जिन्होंने आपदा प्रबंध के विभिन्न पहलुओं में विशेषज्ञता हासिल की है। इस निर्देशिका का उद्देश्य अंत्य-प्रयोक्ताओं को इस क्षेत्र में कार्य करने वाले संसाधन विशेषज्ञों के विषय में जानकारी प्रदान करना है जिनसे विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञों के रूप में संपर्क किया जा सकता है।

वर्ष 2004-05 के दौरान, संस्थान ने 13 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। अनुबंध-1.

प्रशिक्षण और कार्यशाला

12. वर्ष 2004-05 के लिए एक प्रशिक्षण एवं कार्यशाला कैलेंडर तैयार किया गया है। यह मुख्य रूप से विभिन्न राज्य सरकारों के वरिष्ठ तथा मध्य-स्तरीय अधिकारियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। एनआईडीएम द्वारा 1 अगस्त, 2004 के बाद से संचालित किए गए कार्यक्रम इस प्रकार हैं :

आपदा न्यूनीकरण में एनजीओ की भागीदारी पर जागरूकता

13. यह कार्यक्रम एनआईडीएम द्वारा 24

सितम्बर, 2004 को आयोजित किया गया तथा इसमें आपदा न्यूनीकरण क्रियाकलापों के समन्वय के लिए कार्य-योजना पर चर्चा की गई। विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

कारपोरेट क्षेत्र के लिए कार्यक्रम

14. 30 सितम्बर से 1 अक्टूबर, 2004 तक एफआ. ईसीसीआई के सहयोग आपदा प्रबंधन पर दो-दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था। विभिन्न कारपोरेट घरानों, सरकारी एजेंसियों तथा समाज के अन्य क्षेत्रों से लगभग 300 प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इसका उद्घाटन श्री एस. रघुनाथन, मुख्य सचिव दिल्ली द्वारा किया गया था।

जिला आपदा प्रबंधन योजना

15. अक्टूबर, 2004 के दौरान जिला आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करने की प्रक्रिया का प्रबंधन करने के लिए जिला-स्तर के अधिकारियों के कौशलों का विकास करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें आपदा न्यूनीकरण तथा उसकी तैयारियों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया था।

बैंक अधिकारियों के लिए आपदा से निपटने की तैयारियों पर कार्यक्रम

16. आपदा से निपटने की तैयारियों पर एक तीन-दिवसीय कार्यक्रम 13-15 अक्टूबर, 2004 के दौरान यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से आयोजित किया गया था। विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों का कार्यभार देखने वाले लगभग 30 प्रबंधकों और सुरक्षा कार्मिकों ने इसमें भाग लिया।

उप-अधीक्षकों (एसआई), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के लिए आपदा प्रबंधन पर कार्यक्रम 17. 17-18 अक्टूबर, 2004 के दौरान बीएसएफ के एसआई के लिए उनके प्रशिक्षण केन्द्र और विद्यालय, हजारीबाग में आपदा प्रबंधन पर दो-दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कुल 141 प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

विदेशी शिष्टमंडल

18. डा. इयान डेविस, क्रेनफील्ड यूनीवर्सिटी; यूनाइटेड किंगडम तथा सुश्री जेनेडा डेलिसिया, पूर्व संकाय सदस्य एशियाई आपदा तैयारी केन्द्र, बैंकाक, थाइलैंड ने 26 अगस्त, 2004 को एनआईडीएम का दौरा किया। उन्होंने एनआईडीएम के कर्मियों के साथ समुदाय-आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में अपने अनुभवों को साझा किया। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के अधिकारियों ने सूखा न्यूनीकरण अध्ययनों के लिए कार्य-नीतियों पर चर्चा करने के लिए 31 अगस्त, 2004 को एनआईडीएम का दौरा किया।

कुंबाकोनम अग्निकांड, तमिलनाडू : 93 बच्चे आग की लपटों में झुलस गए



कुंबाकोनम त्रासदी का दृश्य

19. 16 जुलाई, 2004 को कुंबाकोनम, तमिलनाडु के एक प्राइवेट स्कूल में भीषण आग लग गई थी। इस त्रासदी में 93 बच्चे मारे गए जिससे सारा राष्ट्र स्तब्ध रह गया। इस हृदय विदारक घटना को मीडिया ने प्रमुखता से स्थान दिया तथा प्राधिकारी भारत में स्कूलों की गुणवत्ता तथा क्रियान्वित की जा रही शैक्षणिक प्रणाली की समीक्षा करने के लिए बाध्य हो गए। कुंबाकोनम का यह विद्यालय एक तंग गली में तीन मंजिला भवन में स्थित था, जो ऐसी आपदा के लिए अत्यंत प्रवण था। वहां सुरक्षा मानदण्डों का उल्लंघन किया गया था जिसके फलस्वरूप निर्दोष बालकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। यह त्रासदी निसंदेह ही भारी लापरवाही का परिणाम थी। इस प्रकार की प्रवृत्ति से हमारी पहले से ही अपर्याप्त शिक्षा प्रणाली का धीरे-धीरे हास हो रहा है तथा ऐसे प्राइवेट विद्यालयों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है जो असुरक्षित भवनों में प्रायः अत्यधिक भीड़-भाड़ वाले होते हैं तथा मुख्यतः गैर-विनियमित होते हैं। ऐसे मामलों में, व्यावसायिक हित विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने पर हावी रहते हैं।

एनआईडीएम दल की टिप्पणियां

एनआईडीएम ने दो वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारियों अर्थात् डा. सुजाता सत्पथी और डा. अजिंदर वालिया के दल को कुंबाकोनम भेजा। दल ने विद्यालय का दौरा किया



मृतक छात्रों की बहनें चित्रकला के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए

तथा प्रशासन और जिला कलक्टर के साथ चर्चा की जो पहले से ही आपदा के प्रबंधन में सक्रिय रूप से संलग्न थे। उन्होंने पीड़ितों को परामर्श प्रदान करने तथा उन्हें त्रासदी के बारे में अपनी बात कहने के लिए विभिन्न क्रियाकलाप संचालित किए।

शिक्षा विभाग, विद्यालय के कार्मिकों, स्थानीय समुदाय और प्रभावित परिवारों के साथ की गई विस्तृत चर्चा से ऐसे अनेक मुद्दे उभरकर सामने आए जिन पर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इस दल ने उन सदस्यों की पहचान करने का प्रयास भी किया जो इस त्रासदी से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे तथा इसके उपरान्त उन्हें विभिन्न मनोवैज्ञानिक समस्याएं पेश आ रही थीं।

अपनी जांच के दौरान एनआईडीएम के दल ने यह पाया कि :

- नकद के रूप में राहत का वितरण प्रभावी, त्वरित और पारदर्शी रूप से किया गया था।
- पीड़ितों के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जा रहा था। सरकार तथा अमेरिकन रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यकर्ता त्रासदी द्वारा प्रभावित परिवारों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में सक्रिय रूप से कार्यरत थे।
- कॉर्पोरेट क्षेत्र ने भी इस अवसर पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की तथा अपनी सेवाओं की पेशकश की। विभिन्न अस्पतालों में घायल बच्चों का उनके द्वारा प्रायोजित किया गया उपचार अभी तक जारी है।
- जिला कलक्टर अपने दल के साथ प्रभावित परिवारों के पास साप्ताहिक दौरे संचालित करते हैं तथा उनकी समस्याओं पर चर्चा करते हैं तथा उनके स्वास्थ्य-लाभ और पुनर्वास की प्रगति की निगरानी करते हैं।
- इसे ध्यान में रखते हुए कि ऐसी घटनाओं

का सबसे दुःखद भाग प्रभावित परिवारों द्वारा झेला गया सदमा होता है, छह सदस्यीय आयोग में एक क्लीनिकल मनोवैज्ञानिक को शामिल किया जाना अत्यधिक संवेदनशीलता के साथ आपदा को प्रबंधित करने के लिए एक प्रमुख कदम है; और

- नाथम गांव में लोकरंजन की सुविधाएं विकसित किए जाने की आवश्यकता है ताकि पीड़ितों का ध्यान उस त्रासदीपूर्ण घटना से हटाया जा सके। दल ने इस प्रयोजन के लिए जिला कलक्टर से एक टीवी स्थापित करने की अनुशंसा की। एनआईडीएम कलक्टर द्वारा इस सिफारिश को तुरंत स्वीकार कर लिए जाने का स्वागत करता है।

हस्तक्षेप के क्षेत्र

- कुंबाकोनम में अग्निकांड की त्रासदी के बाद अब तीन से अधिक माह से अधिक माह बीत चुके हैं। इस घटना ने किशोरों और माताओं के मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। अधिकांश माताओं, जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, का अभी भी उपचार चल रहा है। उनके उपचार का फॉलोअप किए जाने की आवश्यकता है।
- परामर्श के लिए विशेष रूप से उन माताओं और बच्चों को लक्ष्य बनाया गया था जिन्होंने इस त्रासदी को देखा था। यह पाया गया कि बच्चों के पिताओं, भाई-बहनों और दादा-दादी को पर्याप्त परामर्श नहीं दिया गया, हालांकि दौरे के दौरान ऐसा किए जाने की आवश्यकता वस्तुतः महसूस हुई थी। ऐसे भी कतिपय मामले थे, जहां पीड़ितों के पिताओं द्वारा उनके मद्यपान की मात्रा में वृद्धि कर दी गई थी तथा उन्होंने अपना रोजमर्रा के व्यवसाय भी आरंभ नहीं किया था।
- अनेक परिवारों में परिवार के सदस्यों के मध्य विद्यमान संबंधों की गुणवत्ता में भी गिरावट आई थी। पारिवारिक संबंधों को यथासंभव शीघ्र सामान्य बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि समुदाय को इस सदमे

से पूरी तरह से उबरने में सहायता मिल सके।

- घटना में जीवित बचे छात्र अभी भी भय और तनाव से ग्रस्त हैं तथा इस दबाव का निवारण किए जाने की आवश्यकता है।
- एनआईडीएम के दल ने कुंबाकोनम में स्थित अन्य विद्यालयों का भी दौरा किया और पाया कि अधिकांश विद्यालय अभी भी पुराने भवनों, तंग सीढ़ियों और प्रवेश/निर्गम द्वारा की समस्याओं से ग्रस्त हैं जिससे भावी आपदाओं को निमंत्रण मिल सकता है।

भावी मार्ग

शैक्षणिक संस्थाओं के लिए भवन सुरक्षा नियमों को कड़ाई से प्रवृत्त करने की अनुशंसा की जाती है। इसके अलावा उस नीति की समीक्षा करना भी महत्वपूर्ण है जिसे 1950 से पूर्व विद्यालयों को मान्यता प्रदान की थी। विद्यालय में आपदा प्रशिक्षण शिक्षक और अन्य कर्मी नियुक्त करना, पाठ्यचर्या के माध्यम से बालकों में जागरूकता का सृजन करना तथा ऐसी आपदाओं पर सम्यक बल प्रदान करते हुए एक जिला आपदा प्रबंध योजना तैयार करना भविष्य में ऐसे हृदय विदारक त्रासदियों की पुनरावृत्ति को रोकने में पर्याप्त महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।

जिला आपदा प्रबंधन योजना के लिए ढांचा

20. किसी आपदा के समय प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आपदापूर्व आयोजना महत्वपूर्ण है। एक सुनियोजित तथा बेहतर रूप से अभ्यास की गई प्रतिक्रिया प्रणाली आपदाओं की आपात् स्थितियों का भली-भांति निपटान कर सकती है तथा यह लचीला आपदा निवारण तंत्र भी स्थापित कर सकती है।

आपदा प्रबंध में जिला प्रशासन की नोडल भूमिका को ध्यान में रखते हुए, एनआईडीएम ने जिला आपदा

प्रबंधन योजना (डीडीएमपी) तैयार करने के लिए एक ढांचा विकसित करने के प्रयोजनार्थ एक कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें जिला और राज्य प्रशासन, गृह मंत्रालय, एनआईडीएस तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के अधिकारियों ने भाग लिया। उपलब्ध डीडीएमपी की पर्याप्त समीक्षा की गई तथा उनके लिए अंतिम ढांचा तैयार किया गया।

डीडीएमपी ढांचे को एनआईडीएम द्वारा प्रकाशित किया गया है तथा इसका विमोचन माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री श्री शिवराज पाटिल द्वारा 22 फरवरी, 2005 को किया गया था। इसे वर्तमान में राज्य राहत आयुक्तों को प्रेषित किया जा रहा है, इसे बाद में सभी जिलों को भी भेजा जाएगा।

कुंबाकोनम विद्यालय अग्निकांड त्रासदी पर अध्ययन रिपोर्ट

21. इस संस्थान के अनुसंधानकर्ताओं द्वारा तैयार की गई कुंबाकोनम विद्यालय अग्निकांड त्रासदी की क्षेत्रीय अध्ययन रिपोर्ट का विमोचन माननीय गृह मंत्री द्वारा किया गया था। यह रिपोर्ट स्थिति का विश्लेषण करती है तथा इसमें घटना के विवरणों की व्यापक कवरेज पर ध्यान-केन्द्रित किया गया है तथा साथ ही उन कारकों, जिनके फलस्वरूप यह घटना घटित हुई, हितधारकों की प्रतिक्रिया, प्रभावित परिवारों के पुनर्वास तथा स्थापित किए गए विभिन्न विनियामक तंत्रों की जांच को भी शामिल किया गया है। इसमें प्रभावित बच्चों तथा उनके परिवारों की आवश्यकताओं का आकलन भी शामिल है। एनआईडीएम द्वारा इस रिपोर्ट को सभी राज्य सरकारों को प्रेषित किया जाएगा।

संचालित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम

- आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम जिसे 29 नवम्बर से 3 दिसम्बर, 2004 तक

प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, कोहिमा में आयोजित किया गया था तथा जिसमें भूकंप और भूस्खलन पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया था। एनआईडीएम संकाय : ब्रिगेडियर बी.के. खन्ना, परामर्शक तथा श्री आमिर अली खान, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी।

- आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम जिसे 6-10 दिसम्बर, 2004 तक असम प्रशासनिक संस्थान, गुवाहाटी में आयोजित किया गया था तथा जिसमें आपदा प्रतिरोध तकनीकों पर ध्यान केन्द्रित किया गया था। एनआईडीएम संकाय : ब्रिगेडियर बी.के. खन्ना, परामर्शक तथा श्री आमिर अली खान, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी।

- आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम जिसे 31 जनवरी - 4 फरवरी, 2005 तक प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, कोलकाता में आयोजित किया गया था तथा जिसमें भूकंप, सुनामी, चक्रवातों और बाढ़ पर ध्यान केन्द्रित किया गया था। एनआईडीएम संकाय : संतोष कुमार, प्रोफेसर, चन्द्रणी बंद्योपाध्याय, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी।

- हैदराबाद में 17-18 फरवरी, 2005 को फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफआईसीसीसी) के सहयोग से कारपोरेट क्षेत्र के लिए आपदा प्रबंधन पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम।

एनआईडीएम दल के दौरे (तमिलनाडु और पुडुचेरी)

एनआईडीएम के एक अध्ययन दल ने (प्रों संतोष कुमार, ब्रिगे. वी. के. खन्ना, शेखर चतुर्वेदी एवं श्री आमीर अली खान) तमिलनाडु और पुडुचेरी के सुनामी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दल में संरचनात्मक इंजीनियरी अनुसंधान केन्द्र (एसईआसी) चेन्नई तथा अन्न प्रबंध संस्थान, चेन्नई के सदस्य भी शामिल थे। दल ने तमिलनाडु और पांडिचेरी के अंतर्गत नागापट्टिनम, कुड्डालोर,

चेन्नई और कांचीपुरम जिलों तथा पुडुचेरी के कराइकल डिवीजनों के सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया।

क्षति के बारे में सामान्य प्रेक्षण

- सुनामी की लहरों से तटों पर निर्मित भवन, घर तथा आहतों की दीवारों सहित अनेक संरचनाएं बह गईं।

- समुद्र-तट पर रहने वाला मछुआरा समुदाय अपनी जान गंवाने से लेकर अपने घरों, नौकाओं और मत्स्य उपकरणों की हानि तक के संदर्भ में सुनामी की लहरों की विभीषिका से सबसे अधिक प्रभावित हुआ।

- अवसरंचना की क्षति के संदर्भ में नागापट्टिनम जिला (तमिलनाडु) सबसे अधिक प्रभाव हुआ जहां समुद्र-तट पर स्थित रेलवे लाइन, दूरसंचार टावर और नियंत्रण पैन कक्ष आदि क्षतिग्रस्त हुए। सरकारी गोदाम भी काफी क्षतिग्रस्त हुआ।

- पत्तनों और बंदरगाहों में, वहां खड़े जलयानों को अत्यधिक क्षति पहुंची। ये जलयान आपस में ही टकरा गए तथा उनके सपोर्ट के टूट जाने के बाद उन्होंने काफी क्षति हुई। छोटी नौकाएं और पोत विशाल लहरों के साथ जमीन से टकरा गए तथा उन्हें काफी क्षति हुई।

- पृष्ठजल ने इससे काफी बचाव प्रदान किया तथा आस-पास के क्षेत्रों में बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने से बचा लिया।

- समुद्रतट पर विद्यमान घनी वनस्पति ने सुनामी लहरों के कहर से पर्याप्त बचाव प्रदान किया।

जहां प्रणाली ने कार्य किया

- ऐसे गांवों को कम क्षति पहुंची जो ऊंचे स्थानों पर स्थित थे, भले ही वे तट से 100-200 मीटर की दूरी पर ही क्यों न हों। ऐसे सभी गांवों में क्षति केवल समुद्रतट के साथ-साथ बनाई गई झोपड़ियों तक ही सीमित थी। इसी प्रकार, ट्रांकीबार में डैनिश किले को कोई संरचनात्मक क्षति नहीं पहुंची जो समुद्रतट से मात्र

100-200 मीटर दूर है, परंतु समुद्रतट से लगभग 20 फीट की ऊंचाई पर स्थित हैं।

- कच्छ-वनस्पति तथा तटीय वनस्पति के पीछे बसे गांवों/बस्तियों पर सुनामी का प्रभाव न्यूनतम था।
- पृष्ठ-जल के साथ लगे गांवों/संरचनाएं अधिक संरक्षित रहीं तथा उन्हें कम क्षति पहुंची।

प्रणाली में खामियां

- सुनामी के बारे में पूर्व तट पर बसे लोगों को कोई चेतावनी नहीं दी गई थी, हालांकि अंडमान और निकोबार में भारतीय मौसम विज्ञान-विभाग (आईएमडी) ने प्रातः लगभग 7 बजे कथित रूप से भूकंप को रिकार्ड किया था (लोगों द्वारा इस संबंध में आईएमडी की चुप्पी पर प्रश्न उठाए गए हैं)।
- समुद्र तट से लगभग 400-500 मीटर पर स्थित सभी घास-फूस की झोपड़ियों, ईंटों से बनी संरचनाएं जैसे आहतों की दीवारें, एक मंजिला ईंटों से बने घर, आदि बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए परंतु आरसीसी से बनी अधिकांश संरचनाएं सुनामी के प्रकोप को झेल गईं।

भारत में सुनामी प्रबंधन की पुनः समीक्षा

- आपदा के तत्काल बाद लगभग सभी स्थानों पर समुदाय द्वारा खोज और बचाव अभियान आरंभ कर दिए गए थे।
- प्रशासन ने आपदा के परिमाण के संदर्भ में संघटित होने तथा उसके प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने में 2-3 दिन का समय लिया। प्रारंभिक विलंब के उपरांत राज्य सरकारों द्वारा आपातकालीन प्रबंधन की गति में तेजी लाई गई तथा उन्होंने 4-5 दिन के बाद स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण पा लिया; इसके उपरांत राहत और पुनर्वास कार्य की गति और भी तेज हो गई।
- अर्द्धसैनिक बलों से गठित किए गए केन्द्रीय अन्वेषण और बचाव (एसएआर) दल तथा राज्य एसएआर दल तमिलनाडु और पुडुचेरी में अध्ययन दल को दौरा

किए गए क्षेत्रों में दिखाई नहीं दिए।

- सेना को बुलाए जाने के उपरांत, उसने 4-5 घंटों के भीतर राहत कार्य आरंभ कर दिया; तथापि प्रभावित जिलों में सेना 2-3 दिन विलंब से पहुंची जिसके परिणामस्वरूप बचाव के लिए महत्वपूर्ण 48 घंटों की हानि हुई।
- नागापट्टिनम जिले में कुछ गांवों जैसे कीचनपुरम में पहुंचा ही नहीं जा सका क्योंकि उस गांव को जोड़ने वाला एकमात्र पुल 100 नौकाओं से अवरुद्ध हो गया था। वहां मदद दो दिन बाद ही तब पहुंच सकी, जब सेना सैपरों ने पुल से उन नौकाओं को हटा दिया।
- नागापट्टिनम में 11 दिन के बाद भी शव बरामद हो रहे थे। सेना ने एनजीओ जैसे गुजरात के एकता ट्रस्ट के साथ शवों को बरामद करने के संबंध में उल्लेखनीय कार्य किया।
- भारतीय सेना यूनिटों (मद्रास रेजिमेंटल सेंटर, वे. लिंगटन तथा मद्रास इंजीनियरी ग्रुप, बेंगलूर) ने सामान्य स्थिति बहाल करने में प्रशासन की सहायता की जिसमें शामिल था - मलबे, टूटी नौकाओं को हटाना, नौकाओं की मरम्मत, अस्थायी पुलों का निर्माण तथा राहत सामग्री का वितरण।
- एनजीओ क्षेत्र से भी व्यापक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई जिसने तत्काल ही कार्रवाई की। केवल नागापट्टिनम जिले में ही समन्वय समिति की बैठकों में 150 एनजीओ की प्रतिभागिता पाई गई।
- पड़ोसी जिलों से सतत अधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई तथा राज्य सरकार के आठ पड़ोसी जिलों के सचिवालयों, कलक्टरों/उप-कलक्टरों/सहायक कल. कटरों, तहसीलदारों, बीडीओ और ग्राम स्तर तक अन्य राजस्व अधिकारियों ने जिला प्रशासन की सहायता की। राज्य के संबद्ध विभागों के प्रमुखों से कहा गया था कि वे प्रभावित जिलों के अपने अधीनस्थ कार्यालयों से स्वयं सहायता प्राप्त करें। प्रभावित जिलों में अन्वेषण और बचाव, राहत और पुनर्वास तथा अस्थायी पुनर्निर्माण कार्य

की निगरानी करने के लिए लगभग 10,000-12,000 अधिकारियों, जिनमें 30 आईएस अधिकारी भी शामिल थे, को संघटित किया गया था।

- स्थानीय पुलिस एसएआर, संपत्ति की सुरक्षा तथा राहत सामग्री के व्यवस्थित रूप से वितरण के कार्य में शामिल थी। प्रारंभिक चरण में लूटपाट की घटनाएं भी प्रकाश में आई थीं।

- एक बीमा कंपनी स्विस्-रे ने सूचित किया कि सुनामी की पूर्व-संध्या से ही 2,80,000 लोग या तो मारे गए थे अथवा लापता थे। और फिर भी, यूनाइटेड स्टेट्स और इसके पड़ोसी क्षेत्रों में आया हरीकेन तथा जापान में आए रिकार्ड इस टाइफून बीमाकर्ताओं के लिए अधिक मंहगे थे, जिनमें 38 बिलियन डॉलर की लागत आई थी। 1992 में आया हरीकेन एंड्रयू सबसे हानिप्रद बीमा रहा था, जिसकी लागत 21.5 बिलियन डॉलर थी (दि इकॉनॉमिस्ट, 26 मार्च – 1 अप्रैल, 2005)।

- भारत में इस क्षति की पूर्ति की लागत 1.2 बिलियन डॉलर अनुमानित की गई थी (बीबीसी, 7 जनवरी, 2005)।

- अब समय आ गया है कि हम आपदा के न्यूनीकरण में जोखिम अंतरण तंत्रों की स्थापना के विषय में विचार करें।

दल ने अंडमान और निकोबार का दौरा किया।

22. टीआईएसएस और एनआईडीएम के बीच सहयोगी अनुसंधान प्रयासों के भाग के रूप में, एनआईडीएम के डा सुजाता एंवम डा अजिंदर वालिया ने अंडमान जिले में द्वीपों का दौरा किया। दल ने पोर्ट ब्लेयर में सभी राहत शिविरों तथा हट बे (लिटिक अंडमान) में कुछ शिविरों का व्यापक दौरा किया। शिविरों में विद्यमान लोगों की सक्रिय प्रतिभागिता के साथ एक संरचित साक्षात्कार संचालित किया गया था जिसमें कुटुंबों को हुई क्षति के आकलन के साथ-साथ आजीविका पुनर्स्थापन

मानदण्डों को भी शामिल किया गया था। दल ने प्रभावित समुदायों को राहत प्रदान करने का कार्य कर रहे सरकारी अधिकारियों तथा लोगों के साथ भी गहन वार्तालाप किया। चूंकि आजीविका संसाधन और विकल्प हर द्वीप में तथा एक सामाजिक श्रेणियों में भिन्न-भिन्न थे, अतः यह महसूस किया गया कि किसी भी आजीविका पुनर्स्थापन/पुनर्वास कार्यक्रम को क्रियान्वित किए जाने से पूर्व इन आधारभूत मापदण्डों को अवश्य ही ध्यान में रखा जाए।

प्रकाशन

1. कच्छ भूकंप 2001 : स्मृतियां, सबक और अंतर्दृष्टि



पुस्तक विमोचन

23. एनआईडीएम ने डा. पी.के. मिश्रा द्वारा लिखी पुस्तक 'कच्छ भूकंप 2001 : स्मृतियां, सबक और अंत.

दृष्टि' का प्रकाशन किया। डा. मिश्रा ने गुजरात सरकार के प्रधान सचिव तथा उसके उपरांत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गुजरात राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण (जीएसडीएमए) के रूप में आपदा के उपरांत प्रतिक्रिया, राहत और पुनर्निर्माण को प्रबंधित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

पुस्तक का विमोचन माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री श्री शिवराज पाटिल द्वारा 22 फरवरी, 2005 को एनआईड. ीएम के दो अन्य प्रकाशकों के साथ इंडिया इंटरनेशनल एनेक्सी में संस्थान द्वारा आयोजित एक समारोह के दौरान किया गया था।

वित्त और लेखे

संस्थान के वित्त और लेखा प्रभाग के कार्यों में शामिल हैं — बजट तैयार करना, लेखाकरण, प्राप्तियों और भुगतानों को प्रबंधित करना, वार्षिक लेखाओं को तैयार करना तथा उनका संकलन, मंत्रालय को लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा प्रस्तुत करना। इसके अलावा, प्रभाग प्रशासन से संबंधित विभिन्न मामलों पर वित्तीय सलाह भी प्रदान करता है। संस्थान के वर्ष 2004-05 के तुलना-पत्र के साथ लेखापरीक्षित लेखे अनुबंध-II में दिए गए हैं।

फोटो गैलरी सुनामी – 2004

एनआईडीएम दल द्वारा लिए गए फोटोग्राफ



कुड्डालोर जिले में तटीय क्षेत्र को पहुंची क्षति



कुड्डालोर में क्षति



नागापट्टिनम में नौकाओं को हुई क्षति



कुड्डालोर में राहत वितरण



सुनामी के तत्काल उपरांत मरीना समुद्र तट



चेन्नई में मछुआरों की क्षतिग्रस्त कॉलोनी

एनआईडीएम द्वारा वर्ष 2004-05 में संचालित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रम सं.	पाठ्यक्रम का शीर्षक	स्थान	तारीख	संकाय
मई, 04				
1.	मॉड्यूल लेखकों की कार्यशाला	एनआईडीएम	12-17 मई, 04	प्रो. संतोष कुमार श्री प्रभाकर
2.	आपदा न्यूनीकरण एवं उत्तरवर्ती प्रबंधन कार्यक्रम	एनआईडीएम	24-28 मई, 04	प्रो. संतोष कुमार ब्रिगे. (डा.) बी.के. खन्ना डा. अजिंदर वालिया श्री शेखर चतुर्वेदी
अगस्त, 04				
3.	मॉड्यूल लेखकों की कार्यशाला	एनआईडीएम	19-21 अगस्त, 04	प्रो. संतोष कुमार श्री प्रभाकर श्री शेखर चतुर्वेदी
सितम्बर, 04				
4.	मॉड्यूल लेखकों की कार्यशाला	एनआईडीएम	22-25 सितम्बर	प्रो. संतोष कुमार श्री प्रभाकर श्री शेखर चतुर्वेदी
5.	आपदा न्यूनीकरण में एनजीओ प्रतिभागिता पर जागरूकता सत्र	एनआईडीएम	24 सितम्बर	ईडी, एनआईडीएम प्रो. संतोष कुमार, सुश्री चन्द्राणी बंधोपाध्याय
6.	एफआईसीसीआई के साथ आपदा प्रबंधन पर कार्यशाला	एफआईसीसीआई सभागार, दिल्ली	30 सितम्बर एवं 1 अक्टूबर, 04	प्रो. संतोष कुमार ब्रिगे. (डा.) बी.के. खन्ना डा. अजिंदर वालिया श्री शेखर चतुर्वेदी
अक्टूबर, 04				
7.	जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने पर प्रशिक्षण कार्यशाला	एनआईडीएम	6-8 अक्टूबर, 04	प्रो. संतोष कुमार ब्रिगे. (डा.) बी.के. खन्ना श्री आमिर अली खान श्री शेखर चतुर्वेदी
8.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ आपदा के संबंध में तैयारियों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	यूबीआई स्टाफ कॉलेज, गुडगांव	13-15 अक्टूबर, 05	ब्रिगे. (डा.) बी.के. खन्ना सुश्री चन्द्राणी बंधोपाध्याय श्री अहमद कमाल

9.	आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	टीसी एंड एस, हजारीबाग	18-19 अक्टूबर, 05	ब्रिगे. (डा.) बी.के. खन्ना श्री आमिर अली खान
नवम्बर, 04				
10.	भूकंप और भूस्खलन की तैयारियों तथा न्यूनीकरण पर बल देते हुए आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	एटीआई कोहिमा	29 नवम्बर से 3 दिसम्बर, 04	प्रो. संतोष कुमार ब्रिगे. (डा.) बी.के. खन्ना श्री आमिर अली खान
दिसम्बर, 04				
11.	घरों और भूकंप के लिए आपदा प्रतिरोधी तकनीकों का प्रशिक्षण	एएससी गुवाहाटी	6 से 9 दिसम्बर, 04	ब्रिगे. (डा.) बी.के. खन्ना श्री आमिर अली खान
12.	आपदा प्रबंधन संकाय के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	एटीआई कोलकाता	6 से 9 दिसम्बर, 04	सुश्री चन्द्राणी बंधोपाध्याय
मार्च, 2005				
13.	मीडिया कार्यशाला	एनआईडीएम	22-23 मार्च, 05	ईडी, एनआईडीएम प्रो. संतोष कुमार, सुश्री चन्द्राणी बंधोपाध्याय श्री शेखर चतुर्वेदी

क्रियाकलाप 2005–06

प्रशिक्षण

1. अप्रैल 2005 से फरवरी 2006 की अवधि के दौरान, एनआईडीएम ने आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर 36 प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का आयोजन किया। इन कार्यक्रमों में कुल 1350 प्रतिभागियों ने भाग लिया अनुबन्ध-2 कुछ महत्वपूर्ण सेमिनार/कार्यशालाएं राष्ट्रीय चक्रवात और जोखिम प्रबंधन परियोजना पर आयोजित की गईं, सुनामी के बाद में किए जाने वाली पुनर्निर्माण गतिविधियों, आपदा प्रबंधन में मीडिया की भूमिका, पुलिस और केन्द्रीय संगठनों के अधिकारियों के लिए आपदा प्रबंधन, एक नजर आपदा को कम करने के लिए, जोखिम पर वित्त व्यवस्था और जोखिम हस्तांतरण पर राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) की भूमिका और आपदा प्रबंधन में नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) की भूमिका, भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) की भूमिका भू सूचना और आपदा परिणाम प्रबंधन आदि विषय शामिल रहे। एनआईडीएम ने कृषि मंत्रालय के लिए सूखे के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए एक अध्ययन भी किया है। यह वर्तमान में कृषि मंत्रालय के लिए ड्राउट (सूखा) मैनुअल, नोएडा के लिए आपदा प्रबंधन योजना और असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मेघालय और राजस्थान के लिए आपदा प्रबंधन ढांचे के विकास में लगे हुए हैं।

2. एनआईडीएम को एशिया में श्रेष्ठ संस्थान के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) देशों के लिए एनआईडीएम में एक क्षेत्रीय आपदा निवारण और प्रबंधन केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

राज्यों में प्रशिक्षण संस्थान

3. 28 राज्यों में स्थित 29 राज्य स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों में मंत्रालय द्वारा आपदा प्रबंधन संकाय (फैकल्टी) वित्तीय रूप से समर्थित हैं। राज्य प्रशिक्षण संस्थान राज्य के भीतर विभिन्न लक्ष्य समूहों के लिए केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम करते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण कैप्सूल तैयार और एकीकृत किए गए हैं। केंद्रीय पुलिस बलों के प्रारंभिक प्रशिक्षण के लिए आपदा प्रबंधन को एक आवश्यक घटक बना दिया गया है। राज्य स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों में आपदा प्रबंधन संकाय (फैकल्टी) को प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करने और राज्य और जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है।

आपदा प्रबंधन में जोखिम वित्त व्यवस्था और जोखिम हस्तांतरण पर कार्यशाला

4. आपदा प्रबंधन में जोखिम वित्त व्यवस्था और जोखिम हस्तांतरण पर एक सलाहकार कार्यशाला का आयोजन 26-27 अप्रैल, 2005 को एनआईडीएम में किया गया था। विश्व बैंक, भारत सरकार, बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों और एनजीओ से जोखिम वित्त व्यवस्था और बीमा के क्षेत्र में 25 विशेषज्ञों ने इस कार्यक्रम में योगदान दिया। कार्यशाला ने विभिन्न मुद्दों को उठाया गया और वित्त प्रबंधन पर सिफारिशों को सुझाया गया।

5.1 एनआईडीएम और भारत आवास केंद्र (आईएचसी), नई दिल्ली, ने एकत्र होकर एक पहल की है जिसमें आपदा को कम करने और टालने के लिए प्रमुख

व्यक्तियों, समाज के लोगों, प्रशासनिक लोगों और दानी व्यक्तियों के साथ सांवाद किया जाये। संवाद को कार्यान्वित करने के लिए नई दिल्ली, चेन्नई, पुणे और जम्मू और कश्मीर में कई कार्यशालाएँ की गईं।



प्रकृति के उथल-पुथल पर बैठक : आपदाओं और उनके प्रबंधन पर समग्र विचार – एनआईडीएम और आईएचसी की एक सहयोगी पहल

21-22 अप्रैल, 2005 को इंडिया हेबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में पहली कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम के विभिन्न कॉर्पोरेट घरानों, सरकारी एजेंसियों और समाज के अन्य वर्गों से लगभग 200 प्रतिभागियों ने भाग लिया। अपने मुख्य भाषण में, आईएचसी अध्यक्ष डॉ आर के पचौरी, ने आपदाओं की प्रक्रियाओं की निगरानी और प्रबंधन की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके लिए, उन्होंने आपदा प्रबंधन के संबंध में एक सकारात्मक बदलाव की आवश्यकता पर बल दिया जिसमें सम्बंधित व्यक्तियों और जोखिम उठाने वाले लोगों का एकत्र होने को कहा गया। उन्होंने आम आदमी के सुरक्षा के प्रति सावधानियों में निरशाजनक रवैये पर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने महसूस किया कि अपनी सुरक्षा

के प्रति रवैये का बदला जाये और उन्होंने आशा जताई कि कार्यशाला में एक प्रभावी योजना लाई जायेगी जिससे एक विशाल सुधार आएगा उन्होंने कहा हम विचार करें देखें और प्रबंधन करें जिससे आपदा हमें ज्यादा नुकसान न पहुंचा सकें।

दो दिनों में आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर जीवंत और मनोरंजक चर्चाएं हुईं जिनमें भारत में खतरे, भेद्यता की स्थिति, विभिन्न आपदाओं के लिए न्युणीकरण रणनीतियों और भूकंप, सुनामी, भूस्खलन और चक्रवातों के संदर्भ में विभिन्न हितधारकों की भूमिका शामिल थी। अपने समापन भाषण में आईएचसी के निदेशक श्री राज लिबरहान ने कहा, कि दो दिवसीय चर्चा से यह सामने आया कि जब हम किसी स्थिति के परिणामों को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों को जुटते हैं तो हम अक्सर उसे सही अकार नहीं दें पाते जबकि वो स्वयं ही हो जाता है। यह भी देखा गया कि आम तौर पर प्रकृति के उथल-पुथल से प्रभावित लोगों को पता नहीं है कि किस तरह से सहायता प्राप्त करनी है। इसलिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि सवालों की आवश्यकता होती है ताकि अच्छी तरह से सुसज्जित और व्यक्तिगत योजना से संपत्ति के नुकसान को कम कर सकें। उन्होंने आशा जताई कि ऐसा वातावरण बनाया जाये जिसमें लोग जिम्मेवार हो ओर रचनात्मक रूप से योगदान करने में गौरवन्वित महसूस करें तथा कार्यशालाओं में सुझाये गये सुझावों, निर्माण और स्थिरता पर कार्य करें।

महिला एवं बाल विकास विभाग में प्रमुख आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण पर कार्यशालाएं

6. संस्थान में 9-10 मई, 2005 को युनिसेफ, नई दिल्ली के सहयोग से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

महिला एवं बाल विकास विभाग में आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण पर मॉड्यूल को अंतिम रूप देने के लिए इस कार्यशाला में लगभग 15 विशेषज्ञ व्यक्तियों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम विभाग में आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण को शामिल करने पर केंद्रित था।

आपदा प्रबंधन में जीआईएस की भूमिका और भू-सूचना पर कार्यशाला

7. यह कार्यक्रम 19 -20, 2005 को संस्थान में आयोजित किया गया था जिसमें आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में निर्णय लेने और नियोजन उपकरण के रूप में भू-सूचना पर ध्यान केंद्रित किया गया। जब एक आपदा होती है तब यह माध्यम भू-सूचना (अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जीपीएस, आईटी और संचार प्रौद्योगिकी) की घटना की निगरानी करने का सूचना संग्रह, संगलन, विश्लेषण और प्रसार की सबसे तेज तरीका है। यह मानचित्र बनाने, जानकारी को एकीकृत करने, परिदृश्यों को देखने, जटिल समस्याएं हल करने और आपदा प्रबंधन में प्रभावी समाधान विकसित करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान करता है। कार्यशाला प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए इस तरह के उपकरणों को चलाने के लिए अनुभवी व्यक्तियों पर केंद्रित की गयी।

अंडमान में सुनामी का कहर

8. 26.12.04 को, सुनामी ने छोटे अंडमान द्वीप पर प्रहार किया, हट वे 6.29 से 6.40 प्रात था। टीम की फील्ड यात्रा के दौरान सुनामी पीड़ितों द्वारा सुनाई गई कुछ टिप्पणियां इस प्रकार हैं :

इस द्वीप में चार से पांच बार लहरों ने प्रहार किया पहली दो लहरें बहुत अधिक प्रभावित नहीं थी। जब पहली लहरे आई तो वह किनारों से आधा किलोमीटर दूर तक गई। दूसरी लहर ने सड़कों पर पानी फेंक दिया। पहली और दूसरी लहरों के बीच 10-15 मिनट का अन्तर था। इसने लोगों को अपने जीवन को बचाने के लिए ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए समय दिया क्योंकि पानी में बिजली सी तेजी थी इससे कई बिजली लाइनें और बिजली के टॉवर भी बह गए थे। तीसरी और चौथी लहरों (जो सबसे विनाशकारी थी) के पहुँचने से पहले काफी लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुँच चुके थे इसलिए लोगों कि जिन्दगी का नुकसान कम था।

यद्यपि केवल 58 लोग मारे गए थे परन्तु भूकंप की वजह से संपत्ति और बुनियादी ढांचे का नुकसान बहुत बड़ा था। पुराने भवनों में से अधिकांश पूरी तरह से ढह गये थे। जो इमारतें बच गई थी उनमें से ज्यादातर नव निर्मित थी। आश्चर्यजनक तरीके से मंदिर सुनामी के क्रोध से बच गए थे।

स्थानीय जल संसाधन खारे हो गये और मिट्टी की लवणता जाती रही और बड़ी मात्रा में वनस्पति और वृक्ष तबाह हो गये थे।

हट बे में वनस्पति और वृक्षों को भारी नुकसान

सुनामी के बाद में कोई महामारी नहीं फैली सरकार और साथ ही विभिन्न एनजीओ नियमित रूप से बुखार और पेट से संबंधित समस्याओं के मामलों की निगरानी कर रहे थे।

लगभग 5 प्रतिशत लोग पहले से ही किसी प्रकार की आजीविका शुरू कर चुके थे। बाकी प्रभावित आबादी जितनी जल्दी हो सके अपनी आजीविका को फिर से शुरू करना चाहती थी और अधिकतर लोग अपना पिछला व्यवसाय जारी रखना चाहते थे।

कई राहत शिविरों में पानी की कमी का सामना करना पड़ा जिसका प्रमुख कारण था कि समुद्री जल के कारण पानी के स्थानीय संसाधन दूषित हो चुके थे।

सरकार और एनजीओ सहयोग पर निगरानी

टीम ने हट बे और छोटे अंडमान के दौरे के दौरान देखा कि कई गैर सरकारी संगठन राहत शिविरों में और बाहर काम कर रहे थे। हट बे में काम करने वाले कुछ गैर-सरकारी संगठन, यूनिसेफ, सीड, वीएचएआई, खालसा ऐड (यूके), एसओएस ओर गांव के लोग आदि थे। एनजीओ ने राहत शिविरों में पीड़ितों की जरूरतों का आकलन करने की कोशिश की और उन जरूरतों को पूरा करने का प्रयास किया। उन्होंने वास्तव में सरकार द्वारा किए गए राहत कार्य को सार्थक और सफल बनाया। हालांकि यह दृढ़ता से महसूस किया गया कि एनजीओ के बीच कोई समंजस नहीं था, क्योंकि राहत शिविरों में कुछ सामग्रियों को बिना सोचे समझे और भेदभावपूर्ण तरीके से बांटा गया।

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह पायी गयी कि इनमें से कई एनजीओ भी आजीविका पुनर्स्थापन के क्षेत्र में काम कर रहे थे और उनमें से कुछ पहले से ही सिलाई मशीनें और बढ़ई का समान प्रदान कर रहे थे। परन्तु एनजीओ और सरकार के बीच का रिश्ता मजबूत होना चाहिये जिससे भविष्य में

यह अधिक प्रभावशाली और कुशलता से कार्य कर सकें।

पहचान की जरूरत

द्वीप पर जा रही टीम और राहत शिविरों में रहने वाले सुनामी पीड़ितों के बीच एक मजबूत सवादपूर्ण सभा का आयोजन किया गया इन परस्पर चर्चाओं और इंटरैक्टिव सत्रों के दौरान निम्नलिखित आवश्यकताओं की पहचान की गई

- अधिकांश लोग अस्थायी आश्रय और उनकी रचना से संतुष्ट नहीं थे लोग सरकार द्वारा दिए गए धन और सामग्री के साथ घरों को स्वयं बनाना चाहते थे।
- सुनामी से पीड़ित लोग स्थायी निवास के लिए भूमि आंबटन चाहते थे, वे अपने स्थायी निवास स्वयं बनाना चाहते थे। हालांकि उन्होंने सरकार से वित्तीय और साजोसमान की सहायता की आवश्यकता व्यक्त की।
- गैर आदिवासी अपने भविष्य और आजीविका के बारे में बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे थे क्योंकि सरकार उन्हें निकोबार द्वीप में प्रवेश न करने देने की अनुमति की योजना बना रही थी। वे लोग अवैध तरीके से वहा चले गये थे। और अधिकांश इलाकों में काफी पहले बस गये थे।
- जहां तक सरकार की राहत का सवाल है, पीड़ितों को कपड़ों के लिए केवल साड़ियां और धोती दी गई। सरकारी तंत्र द्वारा इस तरह के आरोपों को दूर करने की आवश्यकता थी एनजीओ ने एक आवश्यक विश्लेषण किया और पेटीकोटों का वितरण किया, उन्हें ब्लाउज, सफाई संबंधित और शौच सम्बंधित वस्तुएं दी गई।
- यह देखा गया कि ज्यादातर राहत शिविरों में

महिलाएं अधिक सक्रिय थीं और कई तरह के काम में लगी हुई थीं और पुरुष निश्चिंत होकर घूम रहे थे। आदिवासियों के मामले में यह विशेष रूप से सच था। आने वाले दिनों में जब वे द्वीपों में लौट जाते और वहां पर आने वाले जीवन की शुरुवात करते तो इसमें एक बड़ा सामाजिक और मनोवैज्ञानिक महत्व होता।

- पीड़ित राहत सामग्री के अनुचित वितरण पर असन्तुष्ट थे।। कुछ परिवारों को राहत सामग्री प्राप्त हुई थी, जबकि कुछ ऐसे परिवार ऐसे थे जो जीवन जीने योग्य सम्रागी भी एकत्रित नहीं कर पा रहे थे।
- हट बे में कई राहत शिविर पानी की गंभीर कमी का सामना कर रहे थे। इन शिविरों में पुरुषों और महिलाओं को अपने पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए दूर दूर का सफर करना पड़ा रहा था।
- शिक्षकों को उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों से अधिक बोझ लग रहा था। उन्हें शाम को 3 बजे तक पढ़ाना और फिर राहत शिविरों में अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ता था।
- अनुग्रह राशि के रूप में 50,000 रुपये किसी परिजन की मृत्यु पर वितरित किये गये, हालांकि प्रारंभिक क्षति मूल्यांकन एक लाख रुपये किया गया था।
- नारियल के बागानों और मिट्टी की गुणवत्ता का विनाश, लोगों की आर्थिक आजीविका के प्रति प्रतिरोधी के रूप में कार्य करेगा। कृषि उद्देश्यों के लिए वृक्षारोपण को बहाल करने और मिट्टी की गुणवत्ता को पुनः प्राप्त करने के प्रयास किए जाने चाहिए। समाज को इन दो प्रक्रियाओं को पूरा करने में शामिल होना चाहिये क्योंकि इस प्रक्रिया में ही कई सुनामी पीड़ितों के लिए आजीविका के साधन बनेंगे
- पानी के स्थानीय स्रोतों की पहचान की जानी चाहिए और पानी की कमी को दूर करने के लिए उन्हें

विकसित करना चाहिये।

- कई लोगों ने सूनामी के बाद उनके सहेजे गए सामानों की चोरी की शिकायत की। उन्होंने कहा कि अमीर लोग गरीब हो गए, जबकि इस क्षेत्र में सूनामी की घटनाओं के बाद गरीब लोग अचानक से अमीर बन गये। जब भी लोग अपने घर वापस जाने की कोशिश करते थे, तो चोर चिल्लाते थे कि सुनामी फिर से तेजी से आ रही है। मालिक घबरा जाते और अपने घरों से भाग जाते तभी चोर आते और सभी बचाया गया समान ले जाते। इसलिए एक आपदा में कानून और व्यवस्था की स्थिति की जांच के लिए एक तंत्र विकसित और मजबूत किया जाना चाहिए।

सफल प्रयास

- ज्यादातर शिविरों में लोग प्रशासन द्वारा किए गए भोजन और स्वच्छता व्यवस्था से संतुष्ट और खुश थे।

कथित तौर पर किसी भी प्रभावित द्वीपों में रोग फैलने का कोई कारण नहीं था। इस संबंध में सरकार और गैर सरकारी संगठनों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की जानी चाहिए।

राहत शिवारों में शिक्षा पुनर्वास सफलतापूर्वक लगाया गया था और बोर्ड की परीक्षाओं में आने वाले छात्रों को लंबे समय तक सूनामी अभिशाप को झेलना नहीं पड़ा। कुछ शिविरों में दिये जाने वाला व्यावसायिक प्रशिक्षण सभी शिविरों और सभी किशोरों तक बढ़ाया जाना चाहिए। व्य्ण मुक्ति, पारिवारिक परामर्श, महिला पीड़ितों के लिए परामर्श, योगा सत्र आदि के क्षेत्र में

किए गए पहल, समाज कल्याण विभाग, अन्य सरकारी विभागों और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा विशेष रूप से उल्लेखनीय थे। हालांकि, गतिविधियों में किशोरों और वयस्कों दोनों के लिए कैरियर और आजीविका परामर्श भी शामिल करना चाहिए था।

यह देखा गया कि महिलाओं ने खाने के लिए काम जैसे कार्यक्रमों में पहल की, अभी भी किसी भी प्रकार की आजीविका को फिर से शुरू करने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण लेने के लिए पुरुषों को प्रेरित करने के लिए लंबा रास्ता तय करना था। महिलाओं के लिए विशिष्ट और संवेदनशील राहत सामग्रियों की अनुपस्थिति थी इसके अलावा उन्हें विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षित होने के लिए लक्षित किया गया। भोजन के लिए काम जैसे कार्यक्रमों में सभी को समान भुगतान किया जा रहा था। कई सरकारी विभाग परामर्श देने और अन्य महिला विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने में सक्रिय पाए गए थे।

अनुशंसाएं और सुझाव

छोटे अंडमान के राहत कैंप में जीवन स्थिति के विश्लेषण से उभरी निम्नलिखित सुझाव एवं सिफारिशें

- राहत शिविरों में पानी की भारी कमी को दूर करने के लिए पानी के स्थानीय स्रोतों का पता लगाया जाना चाहिए और जल्द से जल्द लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। जल एकत्र करने में लगाये जाने वाले समय को आजीविका शुरू करने के लिए कौशल प्राप्त करने में लगाया जाना चाहिये।
- सभी राहत शिविरों में महिला संवेदनशील राहत सामग्री वितरित की जानी चाहिए। राहत सामग्री के वितरण में दो से तीन महिलाएं शामिल की

जानी चाहिये ताकि महिलाओं की संवेदनशील और आवश्यक जरूरतों का ध्यान रखा जा सके।

- एक तंत्र विकसित किया जाना चाहिए ताकि प्रभावित परिवारों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार राहत सामग्री का उचित वितरण हो सके।
- अस्थायी आश्रय की अवधारणा और उनके डिजाइन से 95 प्रतिशत से अधिक लोग खुश नहीं थे जिनके साथ टीम ने बातचीत की (लगभग 200)। वे सरकार की सहायता से अपने दम पर गांव वालों के साथ मिलकर घर बनाना चाहते थे
- प्रारंभिक क्षति मूल्यांकन पर ज्ञापन में दिए रूप्यों में और वास्तविक वितरण में फर्क था वितरण ठीक ढग से नहीं किया गया 2000 रुपये कि राशि सर. कार से रखरखाव के खर्चों के लिए दी अधिकांश पीड़ित इससे असंतुष्ट थे। राहत शिविरों में रहने की अवधि तीन महीने से अधिक की थी और इस अल्प राशि के साथ जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो सकता है।
- आदिवासी संरक्षित द्वीपों में रहने वाले, गैर-आदिवासियों के बीच असुरक्षा और अनिश्चितता महसूस न करे इस मुद्दे पर सही और उपयुक्त विचारों और योजना के आधार पर सरकार को काम करना चाहिए।
- जैसे ही लोगों को शिविरों में ले जाया जाता है, वैसे ही कई शिविरों में चोरी की सूचना आ रही होती है, सभी राहत शिविरों में सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था तुरंत दी जानी चाहिए। यह कदम प्रतिक्रिया और राहत चरण के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने में भी सुविधा प्रदान करेगा।
- प्रशासन को गैर-सरकारी संगठनों की एक सूची बननी चाहिये जिसमें उनके काम, सामग्री, और उनके द्वारा दिये बिताये जाने वाले समय का ब्योरा

हो जिससे वे संबंधित द्वीपों में प्रभावित परिवारों के साथ समन्वय के साथ काम कर सकते हैं। प्रभावित द्वीपों में काम करने के लिए एनजीओ की इच्छा के लिए मापदंड स्पष्ट रूप से इस सूची के आधार पर निर्दिष्ट होना चाहिए। यह एक ही राहत सामग्री को एक ही केम्प में दोबारा दोबारा न बटाने में मदद करेगा। यह राहत में तेजी लाएगा। पुनर्वास और आजीविका पुनर्स्थापना कार्य में जीओ-एनजीओ सहयोग से तेजी और मजबूती आएगी।

- शिक्षकों द्वारा सामान्य पढ़ाने के कार्य के साथ साथ राहत शिविरों में ज्यादा काम लेने की शिकायतें थी। यह याद रखना चाहिए कि वे सूनामी से भी समान रूप से प्रभावित हैं और पहले से ही पीड़ित हैं। इसलिए उन्हें अतिरिक्त कार्यभार के लिए और और मानसिक रूप से स्थिर होने के लिए समय की आवश्यकता होती है

संक्षेप में ए एंड एन प्रशासन द्वारा उठाए गए प्रतिक्रिया और राहत कदम सूनामी पीड़ितों द्वारा संतोषजनक माना जाता था। पुनर्निर्माण और पुनर्वास की राशि पहले ही शुरू हो चुकी है और अस्थायी आश्रय दिये गये हैं। हालांकि, टिकाऊ विकास और आजीविका बहाल करने के अतिशिक्षित और विशाल कार्य को अब भी अत्यधिक सावधानी से पूरा करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि इस द्वीप पर सभी विकास कार्यों को आपदा निवारण योजना को तहत करना चाहिए।

संस्था समाचार

- आपदा प्रबंधन में मीडिया पर कार्यशाला 22-23

मार्च, 2005

- एटीआई, शिमला के सहयोग से आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम 28 मार्च, 2005
- एनआईएसए, हैदराबाद के सहयोग से आपदा प्रबंधन पर एनआईएसए कैम्पस में प्रशिक्षण कार्यक्रम, 11-15 अप्रैल, 2005
- प्रकृति के उथल-पुथल पर सेमिनार : आईएचसी में 21-22 अप्रैल, 2005 को इंडिया हेबीटेट सेटर के सहयोग से आपदा निवारण पर एक समग्र दृष्टि।
- आपदा प्रबंधन में जोखिम वित्त व्यवस्था और जोखिम हस्तांतरण पर कार्यशाला, एनआईडीएम, 26-27 अप्रैल 2005
- एनएसएस समन्वयकों के साथ आपदा प्रबंधन पर कार्यशाला, 5-6 मई, 2005
- एनआईडीएम में लिंग एवं आपदाओं पर कार्यशाला 9-10 मई, 2005

एनआईडीएम का दौरा

8. जापान के एडीआरसी के नेतृत्व में एक बहुराष्ट्रीय मिशन ने सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में जाने के लिए देश का दौरा किया। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में इस मिशन को सुविधाजनक बनाने के लिए एमआईए, गोल द्वारा इस मिशन के साथ एनआईडीएम के दो संकाय (फैकल्टी) सदस्यों को नियुक्त किया गया। सहयोग के संभावित तरीकों को खोजने के लिए इस मिशन ने एनआईडीएम का भी दौरा किया।

9. कुछ सुनामी प्रभावित राज्यों ने एनआईडीएम से अनुरोध किया है कि वे जिलों के लिए विस्तृत आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने में सहयोग करें।

आपदा प्रबंधन पर मीडिया को संवेदनशील बनाने के लिए प्रेस कोसिल कार्यशाला

10. 4 अगस्त 2005 को आपदा प्रबंधन में मीडिया की भूमिका पर कार्यशाला को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के सहयोग से प्रेस काउंसिल द्वारा आयोजित किया गया। माननीय श्री न्यायमूर्ति जीएनराय अध्यक्ष प्रेस कोसिल आफ इंडिया ने इसकी अध्यक्षता की। इस कार्यशाला में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के कई प्रतिष्ठित पत्रकारों ने भाग लिया। वर्कशॉप को संयुक्त रूप से एनआईडीएम के प्रो संतोश कुमार और प्रेस कोसिल आफ इंडिया के सचिव सुश्री विभेद भार्गव, ने समंविता किया।

सुनामी आपदा पर फिल्मों : नुकसान और सबक सीखने में मुकाबला

11. एनआईडीएम ने सुनामी आपदा त्रासदी पर दो फिल्मों तैयार की हैं। इन फिल्मों में से एक देश के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में त्रासदी के प्रभाव को दिखाती है जबकि दूसरी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पुनर्निर्माण गतिविधियों में किए गए कार्यों को। इन फिल्मों को एक प्रशिक्षण उपकरण के रूप में उपयोग किया जाएगा

आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर अंतराष्ट्रीय कार्यशाला : 14 -15 अक्टूबर 2005 को सुनामी रिकवरी के लिए माइक्रो फाइनेंस की संभावना,

12. एनआईडीएम ने इस कार्यशाला का आयोजन अंतराष्ट्रीय ऋण वर्ष को मनाने के लिए किया था। इस कार्यशाला का आयोजन यूएन इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन (यूएनआईएसडीआर), जिनेवा और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टैस्टर मिटिगेशन इंस्टीट्यूट

(एआईडीएमआई), अहमदाबाद ने साथ मिलकर, अक्टूबर 14-15, 2005 को भारत के इंडिया हेबीटेड सेंटर, नई दिल्ली में किया था। माइक्रो फाइनेंस और सुनामी रिकवरी से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर इस कार्यशाला में विचार विमर्श किया गया। जिसका उद्घाटन माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री शिवराज पाटिल ने किया। बांग्लादेश, श्रीलंका, जापान और फिलीपींस के अंतराष्ट्रीय विशेषज्ञों ने भारतीय प्रतिनिधियों के साथ अपने अनुभव साझा किये। आईएसडीआर ने एनआईडीएम को एक फाइल लाइब्रेरी का सहयोग भी दिया और कमजोर जिलों में प्रसार के लिए 20 अतिरिक्त सेट का वादा किया। माननीय गृह मंत्री ने फील्ड लाइब्रेरी में गहरी दिलचस्पी दिखाई और भारत में आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए सभी समर्थन का वादा किया।



मुंबई बाढ़ - 2005, विकास के लिए मुद्दे

13. दो साल के लिए खराब मानसून और सूखे की स्थिति के बाद, वर्ष 2005 में सभी सूखा-प्रभावित राज्यों, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में अप्रत्याशित बाढ़ देखी गई। तथापि वर्ष 2005 अत्यधिक भारी बारिश के कारण

अलग था और बाद में बाढ़ ने पूरे क्षेत्र को अलग थलग कर दिया, जून के अंत में गुजरात, जुलाई के अंत में महाराष्ट्र और अगस्त के आरम्भ में कर्नाटक इसकी चपेट में आये। 2005 के महाराष्ट्र के बाढ़ ने इस तरह की परिस्थितियों से कुछ सिखाने और इस तरह कि परिस्थितियों से निपटने के लिए बहुत कुछ सिखाया।

26-27 जुलाई 2005 को, असामान्य रूप से भारी बारिश ने उपनगरीय मुंबई और ठाणे को तहस नहस कर दिया, जिससे राज्य के इतिहास में सबसे बुरी बाढ़ पैदा हो गई। यह मुंबई इतिहास की सबसे भयानक बाढ़ थी यह 24 घण्टें में रिकार्ड की गई सबसे भारी बारिश थी। 26 जुलाई को 944 मिमी की वर्षा रिकार्ड की गई जो अगले



बाढ़ ग्रसित ब्रांद्रा कुर्ला कोम्प्लेक्स

दिन भी जारी रही। 24 घण्टें में सबसे अधिक वर्षा का पुराना रिकार्ड 1974 में 575 मिमी का था।

सांता क्रूज स्टेशन के आस पास 26 जुलाई, 0830 बजे से 27 जुलाई तक लगभग 18 घण्टों में 944 मिमी वर्षा रिकार्ड की गई जो पहले कभी नहीं हुआ था। सवार्षिक वर्षा 26 जुलाई को 380.8 मिमी 1430-1730 बजे के बीच रिकार्ड कि गई।

मुंबई में, यह शहरी फ्लैश बाढ़ का मामला था। जल स्तर 3 से 4 घंटों के भीतर तेजी से बढ़ा सड़कें और रेलवे पटरियां पानी में डुब गईं। एक तिहाई शहर में बाढ़ आ गई थी महानगर देश के अन्य हिस्सों से कट गया था

राज्य में 1100 लोग मारे गए जिनमें से अधिकतम संख्या मुंबई और ठाणे से थी। महाराष्ट्र सरकार के अनुसार, मुंबई में 447 और ठाणे में 180 मौतें हुईं। रेल सेवाएं पूरी तरह से कई दिनों के लिए बाधित हो गईं। कोंकण रेलवे ट्रैक पूरी तरह से जलमग्न था और भारी क्षतिग्रस्त था। और सभी तीन लाइनें पहली बार 18 घंटे से ज्यादा के लिए बंद हो गईं। ऑल इंडिया रेडियो ने बताया कि मुंबई उपनगरीय रेलवे स्टेशनों में 150,000 लोग फंसे हुए थे, जो सेवाएं 36 घंटे के बाद आंशिक रूप से शुरू हो पायीं।

विकास के लिए कुछ मुद्दे

पिछले कुछ दशकों में, आबादी के दबाव और अचल संपत्ति की मांग बढ़ने से रियल इस्टेट सेक्टर में बिना योजना और बिना नियन्त्रण के निर्माण किया गया जिसमें सरकारी एजेंसियां भी शामिल हो गईं।

प्रारंभिक चेतावनी

मौसम विभाग ने 26 जुलाई को बहुत भारी बारिश होने का अनुमान लगाया था। और 80-160 मिमी के बीच बारिश की आशंका थी परन्तु वास्तविक वर्षा 944.2 मिमी थी। वर्षा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग थी। विहार क्षेत्र में 105 सेमी और तंसा झील में 5 सेमी रिकार्ड की गई।

पुराना ड्रेनेज सिस्टम

शहर ब्रिटिश काल के दौरान निर्मित एक सदी पुरानी जल निकासी प्रणाली पर आधारित है। वर्तमान प्रणाली में तूफानी जल निकासी प्रणाली प्रति घंटे केवल 25 एमएम पानी निकालने में सक्षम है। इसमें 105 नाले शामिल हैं। इनमें से केवल 3 गेट वाले हैं, इसलिए हाई टाईड का पानी शहर में घूसने से रोकने का कोई प्रभावी सिस्टम मौजूद नहीं था। वर्तमान बाढ़ में देखा गया कि यह प्रभावी रूप से बाढ़ के पानी को समुद्र में जाने से बाधित करता है।

अनियंत्रित और अनियोजित उपनगरीय विकास

पिछले दो दशकों में, व्यापक नियोजन के बिना उत्तरी उपनगरों में विशाल अचल संपत्ति विकास परियोजनाएं बनाई गई हैं। बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स के लिए 730 एकड़ मैंग्रोव्स भरे गये थे। पर्यावरण और जलवायु जीवन रेखा प्रदान करने वाले ये मैंग्रोव्स बाढ़ में काफी प्रभावशाली हैं।

प्राकृतिक ड्रेनेज सिस्टम के विघटन

मुंबई की प्राकृतिक जल निकासी तीन मुख्य नदियां प्रदान करती हैं जैसे मीठी नदी, ओशिवरा (पोइसर) और दहिसर नदी। नदियों, मैंग्रोव्स और झीलों की एकीकृत प्रणाली पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा थी और भारी बारिश और उच्च ज्वार के लिए प्राकृतिक कुशन प्रदान करती है। मीठी नदी की सारी लंबाई में अतिक्रमण कर दिया गया है और कई जगहों पर इसका मार्ग बदल दिया गया है। यह घरेलू निर्वहन, कूड़ा और सीवेज से दूषित होती

है। मीठी नदी के प्रवाह को बहुत प्रभावित किया है। ऐयरपोर्ट एथोरिटी ने रनवे (हवाई पट्टी) और दीवार बनाने के लिए लगभग इसका मार्ग बदल दिया एमएमआरडीए ने जोगेश्वरी-विक्रोली रोड के निर्माण के लिए इसमें काफी परिवर्तन किये। फिल्टरपादा, भण्डुप में निजी डेवलपर्स द्वारा पानी के बहाव को मोड़ा गया है। हमें अपने प्रत्येक कार्य को गंभीर रूप से जांचने की जरूरत है जिसने दुर्घटनाओं को बढ़ने में एक अहम भूमिका निभाई है। सड़कों पर कूड़ेदान, नालियों में रुकावट नदियों का रास्ता बदलाना और उन पर दिवारें बनाना इस आपदा का प्रमुख कारण रहें। अनियोजित, अनियंत्रित और बिना सोचे समझे किया गया विकास कार्य आपदा के मुख्य कारण है।

कोलकाता में आपदा प्रबंधन पर एनएसएस मीटिंग

14. पश्चिम बंगाल के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के एनएसएस अधिकारियों के लिए एक दिन की मीटिंग 3 सितम्बर 2005 को जादवपुर विश्वविद्यालय के परिसर में आयोजित की गई थी। उच्च शिक्षा मंत्री, पश्चिम बंगाल प्रोफेसर सत्य सदन चक्रवर्ती, मुख्य अतिथि थे, जबकि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ। एन.ए.बसू ने इसकी अध्यक्षता की।

अपने उद्घाटन संबोधन में माननीय मंत्री ने महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए अधिक सक्रिय और समर्पित सहभागिता के लिए कहा ताकि समाज में आपदा में क्या करना है और क्या नहीं इस पर जागरूकता फैलाई जा सके।

अपने अध्यक्षीय भाषण में वाइस चांसलर ने आपदा

प्रबंधन के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को अधिक प्रभावी तरीके से इस्तेमाल पर बल दिया उन्होंने बताया कि जादवपुर विश्वविद्यालय ने पीने के पानी के लिए बाढ़ का पानी उपयोग करने के लिए एक कम लागत वाली तकनीक विकसित की है।

श्री पी जी धर चक्रवर्ती कार्यकारी निदेशक एनआईडीएम ने अपने मुख्य भाषण में भारत में उभरते हुए आपदा प्रबंधन ढांचा पर विस्तृत विचार प्रस्तुत किये और आपदा प्रबंधन में एनएसएस को शामिल करने के लिए चार रणनीतियों को रेखांकित किया। जो हैं (ए) आपदा तैयारी, न्यूनीकरण और तत्परता के लिए मानसिकता बनाना (बी) आपदा तैयारियों के लिए समाज की क्षमता को मजबूत करना, (सी) स्कूलों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में आपदा की तैयारी को बढ़ावा देना और (डी) आपदा में तेजी से प्रभावी प्रक्रिया के लिए प्रशासन की मदद

उन्होंने एनएसएस यूनिट को अपने संबंधित कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विकसित के लिए एक एक्शन प्लान दिया। इस तरह की कार्य योजना में स्थानीय क्षेत्र के खतरे की प्रोफाइल का अध्ययन करना और समाज की जरूरतों की पहचान करना, समाज में आपदा प्रबंधन योजनाओं के विकास की सुविधा, समाज में क्षमता को बढ़ाना, आपातकालीन स्थितियों में प्रबंधन करना, समाजिक स्तर पर आपदा प्रबंधन दल बनाना और टीम के सदस्यों को प्रशिक्षण देना। मोक झिल के लिए विशेष शिविरों का आयोजन करना आदि पर जोर दिया।

आपदा प्रबंधन पर एएसएसओसीएचएएम सेमिनार

15. एसोसिएटेड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचौम) ने 15 सितंबर को राष्ट्रीय आपदा

प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) के सहयोग से नई दिल्ली में आपदा प्रबंधन पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी, समारोह में मुख्य अतिथि थे, उन्होंने कहा, सरकार मानसून सत्र में आपदा प्रबंधन विधेयक को पारित करना चाहते थी, लेकिन स्थायी समिति की सिफारिशों का इंतजार करने का फैसला किया गया, जिससे बिल में सुधार और संशोधन होंगे। पैनल की सिफारिशों को सरकार को सौंप दिया गया है और अंतिम मसौदा भी शीतकालीन सत्र में संसद में प्रस्तुति के लिए तैयार है। प्रस्तावित नीति का विवरण देते हुए प्रणव मुखर्जी ने कहा, हर साल, सरकार प्राकृतिक आपदाओं के कारण सकल घरेलू उत्पाद का 2 प्रतिशत खो देती है जो वास्तव में एक नुकसान है। इसलिए, नीति के द्वारा भविष्य की आपदाओं को उचित चेतावनी और अन्य न्युनीकरण उपायों के जरिए कैसे रोका जा सकता है पर जोर दिया। इस अवसर पर बोलते हुए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के कार्यकारी निदेशक पी.जी.धर चक्रवर्ती ने कहा कि भारत दुनिया के सबसे अधिक आपदा अशांकित देशों में से एक है, जिसकी 58 प्रतिशत भूमि भूकंपी क्षेत्रों में स्थित है, 8 प्रतिशत में बाढ़ से खतरा है, 68 प्रतिशत सूखे के लिए अतिसंवेदनशील है। और 8000 किलोमीटर कि तट रेखा चक्रवातों के प्रति संवेदनशील हैं। इनमें से ज्यादातर आपदाएं जिनसे जीवन और संपत्ति को भारी नुकसान है उचित रोकथाम, तैयारी और न्युनीकरण उपायों से रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन चक्र के हर पहलू को कवर करने के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार किया गया है और देश में आपदाओं के समुचित प्रबंधन के लिए एक कानूनी और संस्थागत तंत्र तैयार किया जा रहा है।

आपदा न्यूनीकरण पर एशियाई सम्मेलन, बीजिंग 27-29 सितंबर 2005 : क्षेत्रीय सहयोग की दिशा में एक कदम

16. आपदा न्यूनीकरण पर एशियाई सम्मेलन 27-29 सितंबर 2005 को बीजिंग, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में कुल 385 प्रतिभागियों ने भाग लिया जिसमें 42 एशियाई और दक्षिण प्रशांत देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे, जिनमें से 33 का प्रतिनिधित्व मंत्री स्तर के लोगों ने किया और 13 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबधित थे। यह मिटिंग वर्ल्ड कोनफेरेंस ओन डिस्स्टर रिडेक्शन (डब्लुसीडीआर) की तैयारियों को कार्यान्वित करने पर थी जो ह्यूगो फरेमवार्क फोर एकशन 2005-2015 के परिणाम और आपदा में राष्ट्रों और समाज में समन्वय लाने पर आधारित थी। (एचएफए)



कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान साथ में मि. जीआ जेहीबेंग, नागरिक मामलों के उपमंत्री, चाईना 28.09.2005 को बेजिंग में

आपदा न्यूनीकरण पर एशियाई सम्मेलन ने एशियाई देशों के लिए एक मंच उपलब्ध कराया और आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए अपने अनुभव और शिक्षाएं आपस में बांटी तथा एचएफए के तहत विस्तृत कार्रवाई पर जोर दिया और एशिया में आपदा जोखिम में कमी के लिए क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया।

सम्मेलन में जिन सुधारों को प्राथमिक रूप से एशिया में लागू करने के लिए नामांकित किया गया वे निम्नानुसार थे

- आपदा जोखिम में कमी को सुनिश्चित करने के लिए उसे राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर प्राथमिकता दी जाये और मजबूत संस्थागत आधार प्रदान किया जाये।
- आपदा जोखिम को पहचानें, मूल्यांकन करें निगरानी रखें और आरंभिक चेतावनी को बढ़ावा दिया जाये।
- अपने ज्ञान का इस्तेमाल करें, नई चीजें खोजें और सभी स्तर पर सुरक्षा के लिये लोगों को शिक्षित किया जाये।
- आपदा के आधारभूत कारणों को कम किया जायें।
- सभी स्तरों पर आपदा तैयारियों को मजबूत बनाया जाये।

एनआईडीएम को आपदा तैयारी और प्रबंधन के लिए सार्क केंद्र के रूप में नामित किया गया

17. कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम ने 12 मार्च से 13 नवंबर, 2005 को ढाका, बांग्लादेश में भारत के माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाले उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में सार्क शिखर सम्मेलन में भाग लिया। सभी राज्यों के प्रमुखों और सार्क देशों की

सरकारों ने आपदा तैयारी करने एवं प्रबंधन के लिए सार्क केंद्र को एनआईडीएम, नई दिल्ली में स्थापित करने पर अपनी सहमति जातई।

आपदा प्रबंधन बिल 2005 : एक व्यापक प्रबंधन प्रणाली की ओर

18. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, 26 दिसंबर, 2005 को राजपत्र अधिसूचना के साथ, 2004 की विनाशकारी सूनामी की वर्षगांठ पर जिसमें भारत में लगभग 13,000 लोग मारे गए थे और 18 मिलियन लोगों को प्रभावित किया था, पर पेश किया गया। यह अधिनियम आपदाओं में प्रभावी प्रबंधन और इसके साथ जुड़े मामलों के लिए कानूनी और संस्थागत रूपरेखा प्रदान करता है।

यह अधिनियम आपदा को किसी भी क्षेत्र में तबाही, दुर्घटना, विपत्ति और गंभीर घटना के रूप में परिभाषित करता है। वह चाहे प्राकृतिक हो या मानव निर्मित चाहे दुर्घटना से हो या लापरवाही से जिसमें जीवन का नुकसान हो, लोगों को परेशानी हो या क्षति हो, सम्पत्ति का विनाश या नुकसान या वातावरण का पतन यह प्रभावित क्षेत्र में समाज की आपदा से मुकाबला करने की क्षमता पर निर्भर है। 'आपदा प्रबंधन' एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें योजना बनाना, आयोजन करना, समन्वय करना और उसे ठीक से कार्यान्वित करना शामिल है जो आपदा के खतरे को रोकने, कम करने में सहयोग दे तथा आपदा में जल्द प्रतिक्रिया, सहायता, राहत, बचाव, पुनर्वास और पुनर्निर्माण पर आधारित है।

यह अधिनियम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के लिए संविधान के रूप में है जिसे आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों, योजनाओं और दिशानिर्देशों को

बनाने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है ताकि आपदाओं में समय पर और प्रभावी तरीके से बचाव किया जा सके। एनडीएमए अधिकृत है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करने और राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन तथा विभिन्न पहलुओं के लिए उपाय सुझाने और सिफारिशें करने के लिए। इस अधिनियम में गृह सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के गठन के लिए प्राधिकरण को अधिकार है। इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कृषि, रक्षा, पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण और वन, वित्त (व्यय), स्वास्थ्य, बिजली, ग्रामीण विकास, दूरसंचार, अंतरिक्ष, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शहरी विकास मंत्रालयों और विभागों के सचिव शामिल होंगे। इस समिति के पास उप-समितियों का गठन करने और विशेषज्ञों को नामांकित करने का अधिकार है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति को अपने कार्यों के वितरण में प्राधिकरण की सहायता करने, एनडीएमए की नीतियों और योजनाओं को लागू करने और देश में आपदा प्रबंधन के उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए अधिकार प्राप्त है।

राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा, राष्ट्रीय प्राधिकरण के सहयोग से एक राष्ट्रीय नीति बनानी है। जिसमें राज्य सरकारों और अन्य विशेषज्ञ निकायों/संगठनों के साथ परामर्श करके आपदा प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय योजना तैयार की जाएगी। राष्ट्रीय योजना में अन्य बातों के साथ-साथ रोकथाम और न्युनीकरण उपायों, विकास योजनाओं में तैयारी और क्षमता निर्माण के उपायों, विभिन्न आपदाओं में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए उपाय शामिल होंगे। नेशनल अथॉरिटी को उम्मीद है कि इसमें राहत के न्यूनतम मानक, विधवाओं और अनाथों के लिए विशेष प्रावधान तथा मरम्मत के

कार्यों के लिए सहायता शामिल होंगे।

यह अधिनियम मुख्यमंत्री कि अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय कमेटी का गठन है जो राज्यो के लिए आपदा प्रबंधन योजनाओं और नीतियों का निर्माण करें उन्हें लागु करवाये, दिशानिर्देश निधारित करे, आपदा न्युनीकरण और तैयारियों के लिए वित्त व्यवस्था करें तथा आपदा प्रबंधन के लिए उठाये गये कदमों कि समीक्षा करें। राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह मुख्य सचिव और सम्बंधित विभागों के सचिवों कि देखरेख में कमेटी का गठन करें। इस कमेटी का काम राज्य मे राष्ट्रीय और राज्य स्तर की योजना को क्रियावित करवाना और देखरेख करना होगा। यह कमेटी राष्ट्रीय प्रधिकारियों की देख रेख में स्थानीय आधिकारियों, विभागों और लोगों के सहयोग से एक राज्य आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण करेगी हर राज्य डिस्टीक मजिस्ट्रेट और जिला परिषद् के अध्यक्ष के सहयोग से जिला आपदा प्रबंधन प्रधिकारण का गठन करेगी। जिला आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण जिला प्रधिकरण करेगी।

यह अधिनियम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) को एक सवैधानिक निकाय बनता है जिसे आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां, योजनाएं और दिशानिर्देशों को बनाने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है ताकि आपदाओं को समय पर और प्रभावी तारिके से रोका जा सके। एनआईडीएम को एक प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाने कि आवश्यकता है जो अध्ययन करें, मानव संसाधन विकास पर योजना बना सके और उसे लागु कर सके, राष्ट्रीय स्तर की योजना बनाने मे सहयोग कर सके, अन्य अनुसंधानों और प्रशिक्षण संस्थानों कि मदद कर सकें, सरकार और अन्य संगठनों को उनकी जिम्मेदारी बता सकें, शैक्षिक सामग्री

बना उसका प्रसार कर सके, लोगों के बीच जागरूकता फैला सकें इन सबकी रूपरेखा बना उसे केन्द्रीय सरकार को सौपना होगा।

इस अधिनियम में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के गठन के लिए सामान्य पर्यवेक्षण, राष्ट्रीय प्राधिकरण का नियंत्रण और निर्देशन तथा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि और राष्ट्रीय आपदा निवारण निधि के निर्माण के लिए भी प्रावधान है।

प्रशासनिक सुधार: उन्नत तैयारी और जल्द (त्वरित) प्रतिक्रिया के लिए

19. भारत सरकार ने श्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में दूसरी प्रशासनिक सुधार आयोग को सार्वजनिक प्रशासन प्रणाली में सुधार के लिए एक विस्तृत ब्लुप्रिंट तैयार करने के लिए एक आयोग का गठन किया है। आयोग के पास सरकार के सभी स्तरों पर देश के लिए एक सक्रिय, उत्तरदायी, जवाबदेह, स्थायी और कुशल प्रशासन देने के लिए परामर्श देने का अधिकार है।

आयोग के विशिष्ट नियम में संकट प्रबंधन शामिल हैं जिसके लिए परामर्श (ए) प्रशासन द्वारा जल्द और आप. तत्कालीन प्रतिक्रिया (बी) संकट की स्थिति से निपटने के लिए मशीनरी को प्रभावशीली बनाना तथा संकट तैयारियों में वृद्धि।

आयोग ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान से प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के विभिन्न पहलुओं के बारे में अध्ययन करने और निम्नलिखित छह तत्वों पर इसके विश्लेषण, निष्कर्ष और सिफारिशें देने को कहा है :

- 1) संकट की संभावना वाले क्षेत्रों की पहचान
- 2) रोकथाम और तैयारियों के उपाय
- 3) प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली
- 4) न्यूनीकरण उपाय
- 5) आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली
- 6) राहत और पुनर्वास उपाय

संस्थान ने इस विषय पर संस्थानों, संगठनों, व्यक्तियों के विचारों, टिप्पणियों, सुझावों, दृष्टिकोणों को जानने के लिए एक विचार पत्र और एक प्रश्नावली तैयार की है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला में भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के साथ विचार पत्र पर चर्चा की गई। चर्चा के आधार पर, जम्मू, चेन्नई और मुंबई में तीन क्षेत्रीय कार्यशालाओं के लिए एक आधार पत्र तैयार किया गया था। प्रत्येक कार्यशाला ने विशिष्ट विषयों पर ध्यान केंद्रित किया और राज्य और जिला स्तरों पर आपदा परिस्थितियों का निपटारा कैसे किया जाये, इस मामले पर अध्ययन किया। संस्थान को मार्च 2006 के अंत तक अपने अध्ययन को पूरा करने की उम्मीद है

ह्यूगो पर अमल की प्रगति को मापने के लिए प्रग. तिशील मापदण्ड : एक भारतीय संभावना

20. 18-22 जनवरी 2005 को आपदा में कमी के लिए विश्व सम्मेलन में कोबे तथा जापान ने ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, 2005-2015 को अपनाया था : आपदाओं के लिए राष्ट्रों और समाज में तत्परता का निर्माण। एचएफए ने कार्य के लिए 5 प्राथमिकताएं निर्धारित की (पीएफए) जो आगे चलकर 11 गतिविधियों और 51 उप-गतिविधियों में विभाजित हो गई और कम से कम 148 कार्य क्षेत्र बन गये।

एचएफए के पास इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फोर डिसास्टर रिडेकशन (आईएसडीआर) के लिए समर्थन था। जो विकसित करें समान्य, याथर्थवादी और मापने योग्य संकेतक। जिससे एक खास राज्य के संसाधनों के साथ वहां के ढांचे को विकसित किया जाये एक बार यह पहला चरण पूरा हो जाने के बाद, राज्यों को सामान्य स्तर पर प्रोत्साहित किया जाएगा कि वह उनके व्यक्तिगत संसाधनों को आपदा जोखिम को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल करें।

1990 के दशक के दौरान विश्व समुदाय द्वारा इंटरनेशनल डीकेड फोर नेचरल डिसास्टर रिडेकशन (आईडीएनडीआर) के अन्त पर आईएसडीआर को स्थापित किया गया था, ताकि आपदा न्यूनीकरण के लिए एक आपदा जागरूक समाज को बनाने के लिए समाज में जागरूकता फैलाई जा सके और एक लक्ष्य के तहत प्राकृतिक खतरों, तकनीकी और पर्यावरण से होने वाली आपदाओं में मानव, समाज, आर्थिक और पर्यावरण सम्बंधित हानि को कम किया जा सके।

इंटर-एजेंसी टास्क फोर्स (आईएटीएफ), में शामिल है 16 एजेंसियां, कई संगठन और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि, 9 क्षेत्रीय संस्थाएं और 8 सिविल सोसायटी और पेशेवर संगठनों के प्रतिनिधि। जो आईएसडीआर सचिवालय को अपनी योजनाओं के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

आईएसडीआर की वर्किंग कमेटी ने विकास पर एक मसौदा पत्र तैयार किया, जिस पर 25 मई, 2005 को 11 आईएटीएफ मीटिंग में चर्चा हुई थी। इस मसौदा पत्र से जांच के नये बैचमार्क और संकेतक तक किये कि कैसे डेटा एकत्रित और संकलित किया जाये। और यह निर्णय

लिया गया कि मसौदा पत्र पर विचार और टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए एक ऑन लाइन वार्ता आयोजित की जा सकती है। श्री फिलिप बकले और श्री ग्राहम मार्श, जिन्होंने इस वार्ता की मध्यस्था की और मसौदे के सामान्य अनुमोदन प्रस्तुत किए।

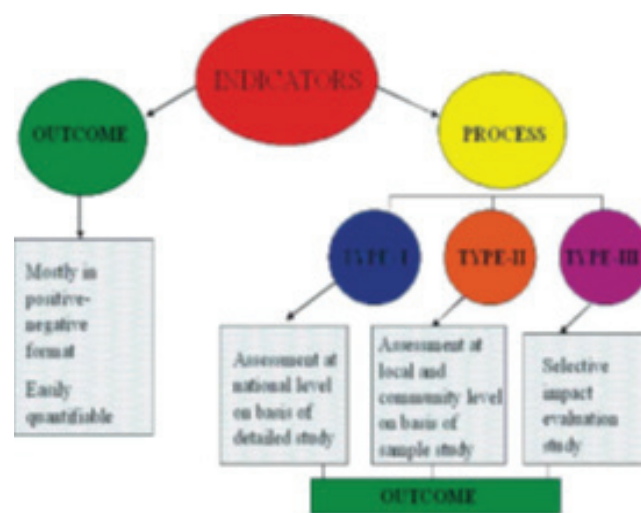
आईएटीएफ का एक तकनीकी सत्र 21 नवंबर, 2005 को आयोजित किया गया था, जिसमें कुछ राष्ट्रीय दृष्टिकोणों पर चर्चा के लिए 12 बैठकें हुईं। ईडी, एनआईडीएम द्वारा भारतीय परिवेश पर एक प्रस्तुति दी गई जिसमें उन्होंने बातचीत और विकास को जारी रखने के संकेत दिये। इस पर जोर दिया गया था कि पीएफए की अधिकांश गतिविधियां और उप गतिविधियों में रखें गये उद्देश्य सभी सदस्य देशों द्वारा कार्यान्वित किया जाने चाहिये। और इस बात पर जोर दिया गया कि विकासशील देशों के अधिकांश राज्यों में आपदा न्यूनीकरण तंत्र अभी भी शुरुआती दौर में है आपदाओं पर राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली अभी अच्छी तरह से विकसित नहीं हैं। वर्तमान आपदाओं पर कुछ बुनियादी आंकड़े उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन आपदाओं और प्रक्रियाओं संबंधी आंकड़ों हासिल कर पाना अभी भी आसान नहीं है।

एचएफए द्वारा निर्धारित अधिकांश गतिविधियां और उप-गतिविधियां प्रक्रियों पर आधारित है। और ऐसी प्रक्रियाओं पर जानकारी ज्यादातर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं हैं एमजीडी और डब्ल्यूएसएसडी के द्वारा निर्धारित विकास लक्ष्य इन्हें और प्रभावित करते हैं और इन्हें जटिल बनाते हैं जिससे इनके प्रदर्शन की तूलना और अधिक कठिन हो जाती है।

इस कार्य को 'सामान्य, यथार्थवादी और मापने योग्य'

बनाने के लिए, भारतीय प्रस्तुति में सुझाव दिया कि संकेतकों को दो अलग तरह से बांटना चाहिये : परिणाम सम्बंधित और प्रक्रिया सम्बंधित संकेतक, परिणाम संकेतकों को सकारात्मक-नकारात्मक रूप पर आसानी से बदला जा सकता है और सांख्यिकीय रूप से मापा भी जाता है, लेकिन देश व्यापी ढांचे पर प्रक्रिया संकेतक शायद ही उपलब्ध है और न ही इस तरह के डेटा को आसानी से जुटाया जा सकता है। इसलिए इनोवेटिव मथोलोजिकल टुल्स को अपनाना ही होगा।

एचएफए संकेतकों को मापने की : सुझावित पद्धति



21. एचएफए का विश्लेषण बताता है कि 51 उप-क्रियाकलापों में से, अधिकतम 14 को आउटकोड संकेतक के माध्यम से मूल्यांकित किया जा सकता है, लेकिन शेष 31 अनिवार्य रूप से प्रक्रिया से निकले हैं। प्रक्रिया संकेतकों को मोटे तौर पर तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। टाइप 1 में ज्यादातर राष्ट्रीय स्तर से संबंधित, टाइप 2 में प्रक्रियाओं को स्थानीय और सामुदायिक स्तर पर इकठा किया जाता है, जबकि टाइप 3 प्रक्रिया अनिवार्य रूप से मूल्यांकन की प्रकृति

और कुछ प्रक्रियाओं के प्रभाव में होती है टाइप 1 प्रक्रिया संख्या में 12 है जो राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न विवरणों के आधार पर एकत्र किये जाते हैं। इन विवरणों के आधार पर परिणाम संकेतक भी विकसित किए जा सकते हैं। टाइप 2 प्रक्रियाएं संख्या में 9 हैं जिन्हें व्यापक रूप से मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है और इसलिए, प्रतिनिधि समुदायों में चुने गये क्षेत्रों में अध्ययन एकमात्र यथार्थवादी पद्धति होगा, जबकि शेष 10 प्रक्रिया संकेतक केवल कुछ चुने हुये क्षेत्रों में गुणात्मक मूल्यांकन पर किए जा सकते हैं। इन आकलनों और मूल्यांकनों पर अध्ययन के आधार पर, प्रक्रिया संकेतक को आउटकोड संकेतक में परिवर्तित करने के लिए मात्रात्मक उपकरण विकसित किए जा सकते हैं, जिन्हें मात्रात्मक रूप में सुधारा जा सकता है।

एनआईडीएम में एचएफए की सालगिरह पर हितधारकों की कार्यशाला

22. कोबे, जापान में 18-22 जनवरी 2005 को हुए आपदा न्यूनीकरण पर विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें ह्यूगो फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन 2005:2015 को अपनाया गया। जिसमें आपदाओं के लिए राष्ट्रों और समुदायों में तत्परता का निर्माण पर जोर दिया गया। एचएफए ने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर सभी हितधारकों द्वारा कार्रवाई के लिए पांच प्रमुख प्राथमिकताओं और ग्यारह प्रमुख गतिविधियों को चुना और देशों में हितधारकों के एक राष्ट्रीय मंच को बनाने और मजबूत करने का आह्वान किया है ताकि सुनिश्चित हो सके कि आपदा जोखिम में कटौती एक राष्ट्रीय के साथ एक स्थानीय प्राथमिकता भी है जिनेवा में यूएनआईएसडीआर सचिव ने एचएफए को लागू करने में सभी राष्ट्रों से सहयोग की आपिल की।

एचएफए की पहली वर्षगांठ पर, एनआईडीएम और युनआईएसडीआर ने संयुक्त रूप से एचएफए के तौर तरीकों को अपनाने के लिए हितधारकों की एक कार्यशाला का आयोजन 23 जनवरी 2006 को एनआईडीएम में किया। युनआईएसडीआर के निदेशक श्री सल्वानो ब्रासीनो और वरिष्ठ सलाहकार श्री प्रवीण परदेसी ने कार्यशाला में भाग लिया और प्रतिभागियों को एचएफए की भविष्य में होने वाली कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर एक डेक्युमेंटरी फिल्म "एवरीबोडिस बिजनेस" जारी की गई।

कार्यशाला में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), गृह मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों, राज्य सरकारों, अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थानों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठनों जैसे आईएसआरओ, आईएमडी, सीडब्ल्यूसी, कॉर्पोरेट क्षेत्र और प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों ने भाग लिया।



चर्चा एचएफए में उल्लिखित कार्रवाई को प्राथमिकता देने पर केंद्रित थी। मुख्य मुद्दे जिन पर चर्चा

हुई उनमें आपदा न्यूनीकरण के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचा, विकास में आपदा निवारण, पूर्व चेतावनी प्रणाली, ज्ञान का उपयोग, नई खोज और शिक्षा, सभी स्तरों पर सुरक्षा और तत्परता की संस्कृति का निर्माण और आपदा की तैयारी को मजबूत करना प्रमुख थे। इस संदर्भ में प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, क्षमता निर्माण, आपातकालीन प्रतिक्रिया और कॉर्पोरेट क्षेत्र और नागरिक समाज के दृष्टिकोण पर भारत द्वारा उठाए गए कदमों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए चर्चा की गई थी। श्री साल्वानो ने हाल के वर्षों में भारत द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों पर उनकी गहरी संतुष्टि व्यक्त की।

प्रारंभिक चेतावनी पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

23. प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (ईडब्ल्यूसी 3) 27-29 मार्च 2006 को संयुक्त रूप से यूएनआईएसडीआर और यूएनईएससीओ द्वारा आयोजित किया तथा जर्मन सरकार द्वारा बॉन शहर में इसकी मेजबानी की गई। ईडब्ल्यूसी 3 को इंटरनेशनल कांग्रेसजेंट्रम बुन्देशेशस में जो संघीय गणराज्य जर्मनी की संसद भवन है में आयोजित किया गया।

ईडब्ल्यूसी III में पूरे विश्व के 1250 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिसमें 136 देशों के वैज्ञानिक और विशेषज्ञ जो पूर्ववर्ती चेतावनी प्रणाली पर कार्य कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संगठन, विश्व बैंक और अन्य पक्षीय वित्तीय संस्थान शामिल थे विभिन्न संगठनों के मंत्री और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने भी इसमें हिस्सा लिया – राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, क्षेत्रीय प्रतिनिधि और दानी संगठन भी सम्मेलन में शामिल हुये। सम्मेलन को दो विस्तृत सत्रों, दो विषयगत सत्रों, एक गोल मेज सत्र और दो प्रदर्शनियों में बांटा गया।

सम्मेलन का मुख्य आकर्षण राष्ट्रपति क्लिंटन का भाषण और गोल मेज पर सूनामी प्रभावित देशों के चुने हुये प्रतिनिधियों के साथ बैठक थी। सम्मेलन का अन्त प्रारंभिक चेतावनी परियोजना पर जुटाये गये ज्ञान से हुआ जो विश्व भर से जांच प्रक्रिया से एकत्र किये गये थे। इस योजना के लिए सहयोग की पेशकाश भी हुई। इस अवसर पर प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली पर एक विश्व स्तरीय सर्वेक्षण भी जारी किया गया।

एनआईडीएम ने द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग पर रिपोर्ट प्रस्तुत की।

24. भारत सरकार ने श्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया है जिसमें सरकार के सभी स्तरों पर देश के लिए सक्रिय, उत्तरदायी, जवाबदेह, स्थायी और कुशल प्रशासन हासिल करने के उपाय सुझाए गए हैं। आयोग के संदर्भ के विशिष्ट नियम में शामिल हैं संकट प्रबंधन (ए) के तरीके को सलाह देने के लिए प्रशासन की आपातकालीन प्रतिक्रियाएं, और (बी) संकट की स्थिति में तैयारी को बढ़ाने के लिए मशीनरी की प्रभावशीलता में वृद्धि



आयोग ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान से प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के विभिन्न पहलुओं के बारे में एक अध्ययन करने और इसके विश्लेषण, निष्कर्ष और सिफारिशें देने के लिए कहा था (ए) संकट से ग्रस्त क्षेत्रों की पहचान, (बी) निवारक और तैयारियों के उपाय, (सी) पूर्व चेतावनी प्रणाली, (डी) न्युनीकरण उपाय, (ई) आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली और (एफ) राहत और पुनर्वास उपाय, एनआईडीएम ने इस विषय पर विचारों, टिप्पणियों, सुझावों, दृष्टिकोणों, संस्थानों, संगठनों और व्यक्तियों के विचारों को एकत्र करने के लिए एक संकल्पना पत्र और एक प्रश्नावली तैयार की।

टिप्पणियों के आधार पर एक बेस पेपर विकसित किया गया था जिसे दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यशाला और जम्मू, चेन्नई, मुंबई और जयपुर में आयोजित चार क्षेत्रीय कार्यशालाओं में चर्चा की गई थी।

सभी क्षेत्रीय कार्यशालाएं, प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के मुख्य पहलुओं पर केंद्रित थीं। कार्यशालाओं में वरिष्ठ नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों, क्षेत्र प्रशासकों, गैर सरकारी संगठनों, समाज के नेताओं और अन्य समाजिक संगठनों ने भाग लिया।

पांच भागों में कार्यशाला की कार्यवाही हुई और एनआईडीएम की अध्ययन रिपोर्ट 17 मई 2006 को आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई। आयोग ने एनआईडीएम द्वारा किए गए कार्य पर संतोष व्यक्त किया।

यूएन-ओसीएचए टीम का एनआईडीएम दौरा

25. श्री ईट्सूई, डारेक्टर आफ दा युनाइटेड नेशन ओफिस फोर दा कोडिनेशन ओफ हुमेनटेरियन आफेयर

(यूएनओसीएचए) और श्री डेरिक डारेक्टर आफ दा एशिया पेसिफिक रिजन्ल ओफिस ओफ ओसीएचए ने 28 मार्च 2006 को एनआईडीएम का दौरा किया और आपदा प्रबंधन पर सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा की। श्री ईट्सूई ने उल्लेख किया कि आपदा तैयारियों के लिए टिकाऊ समाधानों को कार्यान्वित करने के लिए भारत को ओसीएचए की गतिविधियों में प्रमुख भागीदार के माना जाता है। ओसीएचए को अधिकृत किया गया है। लामबंद, संगठित और मानवीय प्रतिक्रिया करने के लिए जो 6 क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ 30 देशों में मौजूद है। दा एशिया पेसिफिक रिजन्ल ओफिस को अधिकृत किया गया है प्रादेशिक और राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्र के दुखों को दूर करने के लिए। यह जटिल आपात स्थिति, नागरिकों और सेना में तालमेल और समर्थन के लिए काम करता है एनआईडीएम के साथ बातचीत में, आपदाओं में प्रतिक्रिया पर योजना बनाने और एचएफए को लागू करने के लिए साझेदारी पर एनआईडीएम और यूएनओसीएचए के बीच चर्चा हुई।

एनआईडीएम की प्रमुख गतिविधियां

- अगस्त 11-12, 2005 को एटीआई, मैसूर और कर्नाटक सरकार के सहयोग से आपदा प्रबंधन पर उपग्रह आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम
- 21 सितंबर, 2005 को एटीआई, जम्मू एंड कश्मीर और ऑक्सफैम के सहयोग से भूकंप एवं जिला आपदा प्रबंधन योजना पर कार्यशाला
- 1 अक्टूबर, 2005 को सोशल पोलिसी रिसर्च इस्टीट्यूट, जयपुर के सहयोग से “आपदा प्रबंधन पर मुंबई से जयपुर को सबक” पर कार्यशाला
- 6-7 अक्टूबर, 2005 को आईसीएआर के सहयोग से मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर में आपदा प्रबंधन पर

सलाहकार कार्यशाला

- 24-26 अक्टूबर, 2005 को मुंबई में एफआईसीसीआई के सहयोग से आपदा प्रबंधन में स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर और इसकी भूमिका पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

एनआईडीएम ने निम्न गतिविधियों में भाग लिया।

26. एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक और फकेल्टी सदस्यों ने विभिन्न सेमिनारों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भाग लिया और उन पर अपने विचार प्रदान किए। प्रमुख घटनाएं निम्न थी।
- 12-13 सितम्बर 2005 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल सर्च एण्ड रिसक्यू एडेव्यूसरी ग्रुप (आईएनएसएआरएजी) और एशिया पेसीफिक रिजन ग्रुप की बैठक।
- 21-22 सितंबर, 2005 को नई दिल्ली में कोनफीडरेशन आफ इंडियन इंडरस्टी (सीआईआई) द्वारा आयोजित 11 वी टेकनोलोजी सबमिट एण्ड टेकनोलोजी प्लेटफार्म। इस कार्यक्रम में एक कनाडाई प्रतिनिधिमंडल ने भी भाग लिया और आपदा प्रबंधन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।
- 23-24 सितंबर, 2005 को आईआईटी रुड़की में भूकंपी खतरे का विश्लेषण और माइक्रोजोनेशन पर संगोष्ठी
- 5 अक्टूबर 2005 को नई दिल्ली में आपदा प्रबंधन पर निदेशक जनरल और महानिरीक्षक पुलिस के बीच विचार विमर्श

एनआईडीएम में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल का दौरा

27. एशियाई आपदा न्यूनीकरण केन्द्र (एडीआरसी) के कार्यकारी निदेशक श्री मसाउकी कि. टमोटो, जापान ने एनआईडीएम का दौरा किया और एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक और फकेल्टी सदस्यों के साथ चर्चा की। एनआईडीएम और एडीआरसी के बीच सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा हुई।

28. भारत सरकार द्वारा किये गये कार्यों के बारे में जानने के लिए। मालदीव, ओमान और थाईलैंड से तीन तटीय चक्रवात पूर्वानुमानकर्ता 21 अक्टूबर, 2005 को एनआईडीएम गए।

29. उप गृह मंत्री के नेतृत्व में ईरान के प्रतिनिधिमंडल ने बेम भूकंप तथा गुजरात भूकंप के अनुभवों को साझा करने के लिए संस्थान का दौरा किया। इस बैठक में सभी ने अपने अनुभव साझा किए।

30. बैंकाक और थाईलैंड एशियान डिसस्टर प्रीपेरडनेस सेन्टर (एडीपीसी) के कार्यकारी निदेशकों ने सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा करने के लिए संस्थान का दौरा किया।

अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के लिए एनआईडीएम फकेल्टी का दौरा

31. जून, 6-10, 2005 से हवाई में होनोलूलू में एक अंतर्राष्ट्रीय सुनामी प्रतिक्रिया और आपदा तत्परता पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। प्रो। संतोष कुमार ने

एनआईडीएम का प्रतिनिधित्व किया।

32. 27-29 सितम्बर, 2005 से चीन में आपदा न्यूनीकरण पर एशियाई सम्मेलन के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम ने किया।

33. 12-13 नवंबर 2005 को ढाका, बांग्लादेश में आयोजित तेरहवीं सार्क शिखर सम्मेलन में कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में भाग लिया।

34. 17-27 अक्टूबर, 2005 से जापान के नरीता में यूएनएचसीआर द्वारा आयोजित "इंटरनेशनल मानवतावादी प्रतिक्रिया की मूल बातें" पर एक प्रशिक्षण कार्यशाला में श्रीमती चंद्रारणी बंद्योपाध्याय, सहायक प्रोफेसर, एनआईडीएम ने भाग लिया।

35. 14-25 नवंबर 2005 को वियतनाम के हनोई में सीएसआईटीए (कैपसीटी बिल्डींग इन एशिया युसीग आई टी ऐपलिकेशनस इन डी एम) के अर्न्तगत आयोजित रीफरेश कोर्स फेस 2 में श्री बिनोद डोले, सहायक प्रोफेसर ने भाग लिया।

36. 7-9 फरवरी, 2006 को कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम ने आपदा प्रबंधन पर व्यापक फ्रेमवर्क के गठन पर सार्क एक्सपर्ट ग्रुप के एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए ढाका का दौरा किया।

37. 13-15 फरवरी 2006 को जिनेवा में आयोजित "आपदा जोखिम न्यूनीकरण क्षमता अभियान विकास पर पुनर्विचार" पर तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला के लिए प्रोफेसर संतोश कुमार को आमंत्रित किया गया।

38. 27-29 मार्च 2006 को बॉन, जर्मनी में पूर्व चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूसी III) पर आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ईडी, एनआईडीएम ने भाग लिया।

प्रकाशन

सीचनुशेल एनालईस ऑफ द कुम्बकोनम स्कूल फायर ट्रेजेडी



लेखक और संपादक
सुजाता सतपथी और अजिंदर वा.
लिया

आपदा प्रबंधन के जेंडर आयाम : दक्षिण एशिया के लिए मार्गदर्शिका



लेखक/संपादक
माधवी मलालगोडा आरियाबंदु,
मैथी विक्रमसिंघे

आपदा सम्प्रेषण : संचार माध्यमों हेतु संसाधन संग्रह



लेखक/संपादक
अमजद भट्टी, माधवी मलालगोडा
आरियाबंदु

पत्रिकाएं आपदा और विकास



एनआईडीएम ने जर्नलस आपदा और विकास खंड 1 न. 1, मई 2006 में 14 शोध पत्र प्रकाशित किये।

वित्तीय और खाते

संस्थान के वित्त और लेखा विभाग के कार्यों में बजट, लेखांकन, रसीदों के प्रबंधन और भुगतान, वार्षिक खातों के संकलन, मंत्रालय को लेखापरीक्षित वार्षिक खातों जमा करवाना शामिल है। इसके अलावा विभाग प्रशासन को विभिन्न मामलों पर वित्तीय सलाह प्रदान करता है। वर्ष 2005-06 के लिए संस्थान की बैलेंस शीट के साथ लेखापरीक्षित रिपोर्ट अनुबंध -2 में दी गई है।

फोटो गैलरी – भागीदारी में एनआईडीएम

आपदा प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे अन्य संस्थानों के साथ सहयोगी संबंधों के विकास को ध्यान में रखते हुए, एनआईडीएम राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर विभिन्न संगठनों के साथ नेटवर्किंग कर रहा है। पिछले महीने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमीनस्ट्रेशन (आईआईपीए), ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट (एआईआ. ईएलएसजी), मुंबई, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (वीआईटी) और नेशनल सेफ्टी काउंसिल (एनएससी) के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।



आईआईपीए



एनएससी



एआईआईएलएसजी



वीआईटी

अनुबंध-1

वर्ष 2005 – 2006 में एनआईडीएम द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र.	पाठ्यक्रम शीर्षक	प्रतिभागी	स्थान	तिथि	जिम्मेदार फ़ैकल्टी	प्रतिभागियों की संख्या
अप्रैल से अगस्त 2005						
1.	एनसीआरएम परियोजना के तहत परियोजना तैयार करने की कार्यशाला	तटीय राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के अधिकारी	एनआईडीएम	11-13 अप्रैल, 2005	प्रो संतोष कुमार	16
2.	आपदा प्रबंधन	पुलिस और सीपीओ	एनआईएसए, हैदराबाद	अप्रैल 11-15 2005	ब्रिगे.बीके खन्ना	22
3.	प्राकृतिक उथल पुथल के साथ समन्वय – आपदा न्युनीकरण पर एक दिष्टीकोण इंडिया हेबीटेट सेंटर, नई दिल्ली के सहयोग से	सजाज के सभी वर्ग	आईएचसी दिल्ली	21-22 अप्रैल, 2005	प्रो संतोष कुमार श्री आमीर अली खान	246
4.	आपदा में जोखिम वित्तपोषण और जोखिम स्थानांतरण पर कार्यशाला	राज्य, बैंकिंग और वित्त क्षेत्र के अधिकारी	एनआईडीएम	26-27 अप्रैल, 2005	प्रो संतोष कुमार सुश्री सी बंदोपाध्याय	23
5.	आपदा प्रबंधन में एनएसएसएस के मुख्य लक्ष्यों पर प्रशिक्षण कार्यशाला	एनएसएस कार्यकर्ता	एनआईडीएम	5-6 मई, 2005	श्रीमती सी बंदोपाध्याय	17
6.	संस्थागत आपदा प्रबंधन में महिलाओं और बच्चों का विकास पर यूनिसेफ (भारत) के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यशाला।	महिलाओं और बाल विकास विभागों से राज्यों के अधिकारी	एनआईडीएम	9-10 मई, 2005	डॉ अजिंदर वालिया	16
7.	आपदा प्रबंधन में भू सूचना की भूमिका	राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के वरिष्ठ और मध्य स्तर के अधिकारी	एनआईडीएम	मई 19 -20, 2005	श्री बिनोद डोले	29
8.	बाढ़ प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के वरिष्ठ और मध्य स्तर के अधिकारी	एनआईडीएम	25-26 मई, 2005	श्री बिनोद डोले डॉ ए.डी. कौशिक	25
9.	प्राकृतिक उथल पुथल के साथ समन्वय – आपदा न्युनीकरण पर एक दिष्टीकोण इंडिया हेबीटेट सेंटर, नई दिल्ली के सहयोग से चेन्नई में आयोजित	सभी वर्गों के कार्यकर्ता	चेन्नई	जून 20-21, 2005	प्रो संतोष कुमार सुश्री सी बंदोपाध्याय	165
10.	आपदा परिणाम प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के वरिष्ठ और मध्य स्तर के अधिकारी	एनआईडीएम	27 जून-1 जुलाई 2005	डॉ सुजाता सतपथी श्री शेखर चतुर्वेदी	22
11.	सामान्य आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के वरिष्ठ और मध्य स्तर के अधिकारी	एनआईडीएम	11-15 जुलाई, 2005	डॉ अजींदर वालिया डॉ ए.डी. कौशिक	16
12.	मीडिया कार्यशाला : प्रेस कॉंसिल ऑफ इंडिया के साथ गोल मेज चर्चा	मीडिया कर्मि	पीसीआई, दिल्ली	4 अगस्त	प्रो संतोष कुमार श्री शेखर चतुर्वेदी	21

13.	आपदा प्रबंधन पर सैटेलाइट आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम	कर्नाटक राज्य से जिला स्तर के वरिष्ठ और मध्य स्तर के अधिकारी	एटीआई, मैसूर	11-12 अगस्त	प्रो संतोष कुमार	123
14.	भूकंप जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के वरिष्ठ और मध्य स्तर के अधिकारी	एनआईडीएम	22-26 अगस्त	श्री आमीर अली खान	28
15.	आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	मेघालय राज्य से वरिष्ठ और मध्य स्तर के अधिकारी	एटीआई मेघालय	29-31 अगस्त	श्री आमीर अली खान श्री बिनोद डोले	33
सितंबर, 2005						
16.	आपदा निवारण और प्रबंधन में भू-सूचना की भूमिका पर प्रशिक्षण	एटीआई फैकल्टी, में कार्यरत वरिष्ठ और मध्यम स्तर के अधिकारी	एनआईडीएम	6-8 सितंबर	श्री बिनोद डोले	33
17.	चक्रवात न्यूनीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	वरिष्ठ और मध्य स्तर के अधिकारी राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों के एटीआई फैकल्टी तथा एनजीओ	एआईडीए	12-16 सितंबर	चंद्राणी बंदोपाध्याय डॉ ए.डी. कौशिक	21
18.	एटीआई, जे. एंड के. और ऑक्सफाम के सहयोग से भूकंप एवं जिला आपदा प्रबंधन योजना पर कार्यशाला	जिले के नोडल अधिकारी	जे. एंड के.	21 सितंबर	प्रो संतोष कुमार श्री आमीर अली खान	36
19.	भूकंप एवं बाढ़ प्रबंधन पर कार्यशाला	पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्य सरकारों के वरिष्ठ और मध्य स्तर के अधिकारी, एटीआई के डीएम फैकल्टी और एनजीओ	एटीआई, पटना	27 सितंबर	प्रो संतोष कुमार	66
अक्टूबर, 2005						
20.	“आपदा प्रबंधन योजना-जयपुर को मुम्बई से सिखना चाहिये” विषय पर सोशल पोलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट-जयपुर में कार्यशाला,	राजस्थान राज्य सरकार के अधिकारी डीएम फैकल्टी तथा एनजीओ	एसपीआरआई, जयपुर	1 अक्टूबर	प्रो संतोष कुमार सुश्री सी. बंदोपाध्याय श्री एस चतुर्वेदी	23
21.	मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर में आपदा प्रबंधन पर आईसीएआर के सहयोग से परामर्श कार्यशाला	राज्य के मत्स्य संस्थानों की फैकल्टी और डीएम विशेषज्ञ	एनआईडीएम	6-7 अक्टूबर	प्रो संतोष कुमार सुश्री सी. बंदोपाध्याय	23
22.	आपदा जोखिम न्यूनीकरण : सुनामी बहाली में सुक्ष्म वित्त की क्षमता पर युएनआईएसडीआर, जिनेवा और एआईडीएमआई, अहमराबाद के सहयोग से अन्तराष्ट्रीय कार्यशाला	राज्य और केन्द्र शासित राज्यों के उच्च और मध्यम स्तर के अधिकारी, केन्द्रीय मंत्री वित्त संस्थान और अन्तराष्ट्रीय प्रतिनिधि	आईएचसी, नई दिल्ली	14-15 अक्टूबर	श्री पीजी धर चक्रवर्ती प्रो संतोष कुमार श्री शेखर चतुर्वेदी	34

23.	स्थानिक डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर और आपदा प्रबंधन में इसकी भूमिका पर फिक्की के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	केन्द्रीय मंत्रालयों के अधिकारी राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश एनजीओ और सिविल सोसायटी	चेन्नई	24-26 अक्टूबर	श्री पीजी धर चक्रवर्ती प्रो संतोष कुमार	18
नवंबर, 2005						
24.	समाज के लिए आपदा प्रबंधन पर वेब आधारित लर्निंग पर कार्यशाला	एनआईसी, इग्नू, एनसीईआरटी, आईटी प्रोफेशनल, आदि	एनआईडीएम	11 नवंबर	प्रो संतोष कुमार श्री बिनोद डोले	16
25.	एशिया (पीआरआईए), नई दिल्ली के सहयोग से आपदा प्रबंधन में स्थानीय स्वशासन सरकार की भूमिका		एनआईडीएम	21 नवंबर	श्री पीजी धर चक्रवर्ती डॉ अजिंदर वालिया	22
26.	आपदा और लिंग मुद्दों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	उच्च और मध्य स्तर के सरकारी अधिकारी/एटीआई फैकल्टी	एटीआई, मैसूर	28 नवंबर- 2 दिसंबर,	डॉ अजिंदर वालिया	27
दिसंबर, 2005						
27.	2006-07 के लिए एनआईडीएम के प्रशिक्षण कार्यक्रम का कलेन्डर बनने की तैयारी करना और वार्षिक प्रशिक्षण सम्मेलन	एटीआई प्रमुख/डीएमसी फैकल्टी, प्रशिक्षण संस्थान	एनआईडीएम	12-13 दिसम्बर	प्रो संतोष कुमार श्री शेखर चतुर्वेदी डॉ ए डी कौशिक	15
28.	जिला आपदा प्रबंधन योजना पर कार्यशाला	उप उपायुक्त, अतिरिक्त उप उपायुक्त उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, सहायक आयुक्त, आदि	एटीआई गुवाहाटी	15-17 दिसम्बर	श्री बिनोद दोली श्री शेखर चतुर्वेदी	23
जनवरी, 2006						
29.	आपदा और लिंग मुद्दे पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	उच्च और मध्यम स्तर के सरकारी अधिकारी, एटीआई फैकल्टी	एनआईडीएम	4-6 जनवरी	डॉ अजिंदर वालिया	18
30.	“प्राकृतिक उथल पुथल— आपदा प्रबंधन पर एक समग्र दिष्टीकोण (पुनर्निर्माण पर विषय समीक्षा) इंडिया हेबीटेड सेन्टर, नई दिल्ली के सहयोग से कार्यशाला	विभिन्न क्षेत्रों से विशेषज्ञ	यशदा, पुणे	20-21 जनवरी	प्रो संतोष कुमार श्री आमीर अली खान	22
31.	ज्ञान प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति कार्यशाला		एनआईडीएम	27 जनवरी	श्री पीजी धर चक्रवर्ती प्रो संतोष कुमार	21
32.	मत्स्य एवं एक्वाकल्चर में आपदा प्रबंधन पर आईसीएआर के सहयोग से कार्यशाला	राज्य के मत्स्य संस्थानों की फैकल्टी और डीएम विशेषज्ञ	एनआईडीएम	30 जनवरी -3 फरवरी	प्रोफेसर संतोष कुमार सुश्री सी. बंदोपाध्याय	28
फरवरी, 2006						
33.	आपदा निवारण और प्रबंधन में भू-सूचना पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एटीआई संकाय और उच्च एवं मध्य स्तर के अधिकारी	एनआईडीएम	1-3	श्री बिनोद डोले	21
34.	भूकंप निवारण और प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	उच्च एवं मध्य स्तर के अधिकारी, पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों के एटीआई फैकल्टी	एटीआई पटना	6-10 फरवरी	श्री आमीर अली खान डॉ ए.डी. कौशिक	32

35.	जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के कार्यशाला,	उप उपायुक्त, अतिरिक्त उप उपायुक्त उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, सहायक आयुक्त, आदि	एटीआई पंजाब	20-22 फरवरी	डॉ. अजिंदर वालिया श्री आमीर अली खान	23
36.	एनवाईकेएस के राष्ट्रीय क्षेत्रीय अधिकारियों के लिए आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यशाला	एनवाईकेएस अधिकारी	एनआईडीएम	23-24 फरवरी	प्रो संतोष कुमार डॉ सुजाता सतपथी सुश्री सी. बंदोपाध्याय	26

क्रियाकलाप

2006–07

प्रशिक्षण

1. एनआईडीएम ने पिछले वर्ष में आयोजित 16 प्रशिक्षण कार्यक्रमों की तुलना में अप्रैल 2006 से मार्च 2007 के दौरान आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर 55 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है। इन कार्यक्रमों में से 32 प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों (एटीआई) के सहयोग से राज्य की राजधानियों में आयोजित किए गए हैं। संस्थान ने श्रीलंका के अधिकारियों के लिए दो सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया है अनुबन्ध-1. 2006-07 के दौरान एनआईडीएम द्वारा दो ऑनलाइन कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे।

2. आपदा प्रबंधन के विभिन्न उभरते मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कई बुद्धिशीलता कार्यशालाएं आयोजित की गईं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अगस्त 21-22, 2006 को आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन पर दक्षिण एशियाई नीति वार्ता हुई, जिसमें दक्षिण एशिया भर के 125 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। सम्मेलन ने दक्षिण एशिया में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन पर क्षेत्रीय मंच की स्थापना के लिए 'दिल्ली घोषणा पत्र' को अपनाया। एनआईडीएम ने 30 से 31 अक्टूबर, 2006 को बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (बिआईएमएसटेक) देशों के लिए बंगाल के प्रतिनिधियों की पहल पर आपदा प्रबंधन पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया था। बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और नेपाल के प्रतिनिधियों ने उपरोक्त कार्यशाला में भाग लिया

3. एनआईडीएम ने जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार की है और राज्यों के लिए आपदा प्रबंधन मैनुअल तैयार करने का काम हाथ में लिया है। एनआईडीएम ने राष्ट्रीय सूखा प्रबंधन मैनुअल की तैयारी भी की है।

4. संस्थान नई ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

(नोएडा) और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार कर रही है।

5. एनआईडीएम ने विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तर के प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थानों जो आपदा प्रबंधन के एक या एक से अधिक क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं, के साथ रणनीतिक गठजोड़ किया तथा छह संगठनों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं और पूरे देश में 47 संगठनों के साथ सहयोग करने को सहमत हुए हैं।

6. एनआईडीएम ने राजस्थान, कर्नाटक और उड़ीसा राज्यों में कृषि मंत्रालय द्वारा चालू किये गये सूखा राहत कार्य के मूल्यांकन का कार्य पूरा किया। एनआईडीएम ने एमएचएयुएनडीपी आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम के पहले चरण का मूल्यांकन भी पूरा कर लिया है।

7. मुंबई बाढ़ पर एनआईडीएम की रिपोर्ट दक्षिण एशिया आपदा रिपोर्ट 2006 में प्रकाशित हुई है।

8. संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक को हाल ही में गठित केंद्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया निधि पर सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नामांकित किया है।

9. दक्षिण एशिया में आपदा जोखिम में कमी और प्रबंधन में एनआईडीएम की अग्रणी भूमिका और गतिविधियों को मनाते हुये, एनआईडीएम को सार्क प्रमुखों के नवम्बर, 2005 में हुये 13 वें शिखर सम्मेलन में आपदा प्रबंधन के लिए क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई सहयोग (सार्क) केंद्र घोषित किया गया है। केंद्र की गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक नई दिल्ली में 9-10 अक्टूबर, 2006 को आयोजित की गई थी जिसमें वर्ष 2007 के लिए केन्द्र की गतिविधियों के बजट और कार्यक्रम को मंजूरी दी थी। संस्थान का औपचारिक रूप से उद्घाटन 10 अक्टूबर, 2006 को गृह मंत्री द्वारा

सभी सार्क देशों और अफगानिस्तान के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हुआ।



केंद्रीय गृह मंत्री सार्क आपदा प्रबंधन केन्द्र का उद्घाटन करते हुये

10. एनआईडीएम ने गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मार्गदर्शन के तहत 29-30 नवम्बर, 2006 को नई दिल्ली में प्रथम भारतीय आपदा प्रबंधन का आयोजन किया था। कांग्रेस ने आपदा प्रबंधन से संबंधित विषयों, पर विचार-विमर्श किया था। प्रधान मंत्री और अध्यक्ष महोदय द्वारा उद्घाटन किया गया। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के प्रधान ने महत्वपूर्ण मुख्य भाषण दिया। उद्घाटन सत्र के दौरान, आपदा निवारण पुरस्कार प्रो. मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता और प्रो ए.एस. आर्य, राष्ट्रीय भूकंपी सलाहकार को दिया गया।



प्रधानमंत्री प्रथम भारत आपदा प्रबंधन सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुये

दक्षिण एशिया में विकास के लिए प्राकृतिक, जोखिम और विकास के अवसरों पर क्षेत्रीय सम्मेलन



श्री अजय छिब्र अध्यक्ष आईईजी विश्व बैंक उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुये

11. एनआईडीएम ने प्राकृतिक खतरों और विकास के अवसरों पर विश्व बैंक के साथ मिलकर दक्षिण एशियाई देशों में विकास पर 29-30 नवंबर, 2006 को नई दिल्ली के ताजमहल होटल सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में वॉशिंगटन से विश्व बैंक और भारत के वरिष्ठ अधिकारियों बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे दक्षिण एशियाई देशों के सरकार और गैर सरकारी विशेषज्ञों और पेशेवरों ने भाग लिया। इसके अलावा टोक्यो और जापान के विशेषज्ञों ने अपने संबंधित देशों में भूकंप के पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापन पर अपने समृद्ध अनुभवों को सबके समाने रखा।

सम्मेलन का शुभारंभ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वाईस चैयरमैन जनरल एन.सी. विज ने किया, श्री एस. रघुपति गृह राज्य मंत्री ने इसकी अध्यक्षता की वही श्री अजय छिब्र अध्यक्ष इनडीपेंडेंट इवलुशन ग्रुप (आईईसी) ने मुख्य भाषण दिया।

आईईजी ने पिछले 20 वर्षों से आपदा तैयारियों और प्रतिक्रियाओं पर विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं का मूल्यांकन किया था। इस अध्ययन

के निष्कर्ष श्री रायन पार्कर ने प्रस्तुत किए थे। इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, तुर्की और जापान में पुनर्निर्माण और पुनर्प्राप्ति परियोजनाओं के अनुभव पेश किए गए थे। खतरों में जोखिम प्रबंधन के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय समन्वयक, श्री क्रिस्टोफ पच ने दक्षिण एशिया में विश्व बैंक के परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत किया, जबकि जीएफडीआरआर के श्री सरोज झा ने आपदा न्युनीकरण और पुर्णनिर्माण पर हाल ही में शुरू हुई विश्व स्तरीय सुविधा के उद्देश्यों और रणनीति को रेखांकित किया। यह एक पैनल चर्चा द्वारा प्रवाहित हुआ था।

श्री पी.जी.धर चक्रवर्ती, कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम ने कार्यशाला के निष्कर्ष प्रस्तुत किए। यूएनआईएसडीआर के निदेशक श्री सत्वानो बिसर्नो ने विशेष भाषण दिया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माननीय सदस्य, श्री एम शशिधर रेड्डी द्वारा विदाई भाषण दिया गया। प्रो. संतोष कुमार ने इसका संचालन किया।

फोकस इंटरनेशनल के साथ बैठक

12. आगा खान फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित एक मानवीय एजेंसी, फोकस इंटरनेशनल की एक टीम ने 3 अप्रैल 2006 को एनआईडीएम का दौरा किया और प्रथम मेडिकल उत्तरदाताओं को प्रशिक्षण देने में संभावित साझेदारी पर चर्चा की। दौरा करने वाली टीम ने ईडी और एनआईडीएम के शिक्षकों के साथ प्रथम मेडिकल उत्तरदाताओं पर उनके द्वारा तैयार मॉड्यूल पर भी चर्चा की।

यूएनएचसीआर मिशन के चीफ के साथ बैठक

13. सहयोग के संभावित अवसरों पर चर्चा करने के लिए 13 अप्रैल 2006 को कुमारी कैरोल बेचलर, यूएनएचसीआर मिशन की चीफ, ईडी एनआईडीएम से मिली। नवंबर 2006 में एनआईडीएम के सहयोग से यूएनएचसीआर द्वारा सार्क देशों पर ध्यान केंद्रित किए जाने वाले आपदा तैयारियों पर एक क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी।

भागीदारी में एनआईडीएम

14. एनआईडीएम ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस) के साथ आपदा प्रबंधन में व्यावहारिक अनुसंधान और प्रलेखन में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन पर 6 मई 2006 को भारत के माननीय प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए जमशेदजी टाटा सेंटर के उद्घाटन के अवसर पर हस्ताक्षर किए गये।

15. एनआईडीएम ने आईपी विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के साथ छात्रों में आपदा रोकथाम की संस्कृति पैदा करने के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में साझेदारी के लिए एक समझौता ज्ञापन किया।



(श्रीमती शीला दीक्षित, दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री ने एनआईडीएम और आईपी विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन की अध्यक्षता की।)

कार्यकारी निदेशक एनआईडीएम केंद्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया निधि के सलाहकार समूह के सदस्य मनोनीत किये गये।

16. संयुक्त राष्ट्र सचिव-जनरल कोफी अन्नान ने सेंट्रल इमरजेंसी रिस्पांस फंड (सीईआरएफ) के लिए 12 सदस्यीय सलाहकार समूह नियुक्त किया है। सलाहकार समूह का कार्य, सीईआरएफ के आवंटन और प्रबंधन की समयबद्धता और अनुशासन सहित निधि के उपयोग और

प्रभाव के बारे में समय-समय पर सचिव-जनरल को नीतिगत मार्गदर्शन और विशेषज्ञ-सलाह प्रदान करना होगा। सलाहकार समूह महासभा द्वारा निर्धारित उद्देश्यों के लिये फंड की उपयोगिता की समीक्षा करेगा और धन के स्तर का आकलन करेगा और पुनःपूर्ति के संबंध में सिफारिशें करेगा।

श्री पीजीधर चक्रवर्ती, एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक, को अपनी व्यक्तिगत क्षमता के बल पर इस सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। इस समूह के अन्य सदस्य निम्नलिखित हैं।

सुश्री मारीका फहलेन, स्वीडिश मंत्रालय के विदेश मामलों के लिए अफ्रीका के विशेष दूत/सलाहकार, श्री ग्रेगरी सी. गोटलिब, अंतराष्ट्रीय विकास एजेंसी (यूएसएआईडी) संयुक्त राज्य के विदेशी आपदा सहायता के कार्यालय के निदेशक, यूनाइटेड किंगडम में अंतरराष्ट्रीय विकास विभाग के मानवतावादी और सुरक्षा विभाग, संघर्ष के प्रमुख श्री माइकल मोस्सेलमेनसय, सुश्री एलिजाबेथ क्रैकास रासमुसोन, नॉर्वेजियन रेफ्यूजी काउंसिल की प्रतिनिधि (जिनेवा, स्विट्जरलैंड में), श्री पार्क सू-गिल, कोरिया गणराज्य के संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष श्री रुड ट्रेफर्स, नीदरलैंड के विदेश मामलों के मंत्रालय के विकास सहयोग के लिए महानिदेशक, सुश्री बारबरा कार्बी, आपदा की तैयारी और जमैका के आपातकालीन प्रबंधन कार्यालय की महानिदेशक, श्री अहमद एल-खोलेयी, मिस्र में मेनोलिया विश्वविद्यालय के आर्किटेक्चर विभाग में शहरी नियोजन के प्रोफेसर मलेशियाई मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की अध्यक्ष श्रीमती जेमिला महमूद, और श्री सिफो जॉर्ज नेने, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मामलों के विभाग के बहुपक्षीय शाखा के उप महानिदेशक।

दक्षिण एशिया नीति वार्ता

17. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली, दुर्योग

निवारण-पाकिस्तान और इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ग्रुप- श्रीलंका ने संयुक्त रूप से 21-22 अगस्त 2006 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में दक्षिण एशिया में आपदा जोखिम में कमी और प्रबंधन नीति वार्ता पर दो दिवसीय दक्षिण एशिया नीति वार्ता का आयोजन किया था। सरकार, अनुसंधान और वैज्ञानिक संस्थानों, सामुदायिक आधारित संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और मीडिया क्षेत्र से 125 वरिष्ठ अधिकारियों, जो कि दक्षिण एशिया के सभी आठ देशों अर्थात् भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के आपदा जोखिम से बचाव और प्रबंधन के क्षेत्र में काम कर रहे थे ने भाग लिया।

नीति वार्ता का उद्घाटन भारत के माननीय गृह मंत्री श्री शिवराज पाटील ने किया। आईपीसीसी के अध्यक्ष डॉ आर.के. पचौरी ने मुख्य भाषण दिया। भारत के केंद्रीय गृह सचिव श्री वी.के.दुग्गल और भारत में यूएनडीपी के प्रतिनिधि सुश्री मैक्सिन ओल्सन प्रतिनिधि उद्घाटन समारोह में शामिल अन्य गणमान्य व्यक्ति थे। इस अवसर पर एक दक्षिण एशिया आपदा रिपोर्ट जारी की गई।



(भारत के गृह मंत्री ने दक्षिण एशिया आपदा रिपोर्ट को जारी किया)

विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर 5 विषयगत सत्रों में चर्चा की गई। (1) देश की आपदा जोखिम न्यूनीकरण और आपदा प्रबंधन के लिए दृष्टिकोण, (2) आपदा जोखिम में कमी के लिए मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण, (3) समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन – सीखे गये पाठ और आगे की चुनौतियां, (4) आपदा जोखिम कम

करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का इस्तेमाल— अंतर क्षेत्र और क्षेत्रीय सहयोग के लिए और रोड मैप और (5) आपदा की घटनाओं, पुनप्राप्ति और शमन की मीडिया कवरेज। इस दो दिवसीय बातचीत का नतीजा नई दिल्ली घोषणापत्र तैयार करना था।

नई दिल्ली घोषणापत्र

18. नई दिल्ली घोषणापत्र ने सार्क के विशेषज्ञ समूह द्वारा दक्षिण एशिया में आपदा प्रबंधन : 2006-2015 की कार्रवाई के लिए एक फ्रेमवर्क को जल्दी लागू करने का आह्वान किया, जो कि नई दिल्ली में सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र के संचालन, सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र को क्रियाशील करना, देशों और क्षेत्र सरकारों के भीतर और बाहर सार्क आपदा प्रबंधन केन्द्र की अगुवाई में संस्थान की श्रृंखला बनाना, प्रत्येक देश में आपदा जोखिम में कमी और प्रबंधन, संस्थाओं और संगठनों के नेटवर्किंग से जुड़ी मौजूदा सार्क संस्थाएं, विभिन्न देशों के संचालन के लिए प्रत्येक देश में पर्याप्त जगह बनाने के लिए इस क्षेत्र के देशों द्वारा अपनाई गई वैश्विक और क्षेत्रीय सम्मेलनों के अनुसार आपदा जोखिम में कमी और प्रबंधन के लिए विभिन्न क्षेत्रों पर नए क्षेत्रीय संगठन, और सरकार सहित क्षेत्र के सभी हितधारकों के लिए एक क्षेत्रीय मंच स्थापित करना, जो प्रोत्साहित होगा, उत्पीड़न और आपदा जोखिम कम करने पर क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना तथा दक्षिण एशिया में आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रबंधन करना। क्षेत्रीय प्लेटफॉर्म हितधारकों के वार्षिक सम्मेलन का आयोजन करेगा और प्लेटफॉर्म के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त स्थान पर एक सचिवालय स्थापित करेगा।

सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र

19. नई दिल्ली में सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र की स्थापना के लिए रूपरेखाओं पर संकल्पना नोट पर चर्चा के लिए दक्षिण एशियाई देशों के एक विशेषज्ञ समूह ने 1-2 जून 2006 को दिल्ली में बैठक की। सभी सार्क



(सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र, नई दिल्ली को स्थापित करने को अंतिम रूप देने के लिए सार्क विशेषज्ञ समूह की बैठक)

सदस्य देशों के विशेषज्ञ और काठमांडू के सार्क सचिवालय के निदेशक ने बैठक में भाग लिया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के कार्यकारी निदेशक श्री पी.जी.धर चक्रवर्ती जिन्होंने संकल्पना नोट विकसित किया था, ने केंद्र की प्रस्तावित विजन, मिशन, कार्य और रणनीति पर एक प्रस्तुति दी। दो दिन के लंबे विचार-विमर्श के बाद विशेषज्ञ समूह ने अपनी रिपोर्ट बनाई, जिसे मंजूरी के लिए सार्क मंत्रिपरिषद को प्रस्तुत किया जाएगा।

बाढ़मेर बाढ़ 2006

20. अगस्त 2006 के दूसरे सप्ताह से राजस्थान के पश्चिमी राज्य में भारी बारिश से बाढ़ शुरू हो गई और बाढ़मेर जिले में व्यापक विनाश हुआ। राजस्थान में एक रेगिस्तानी राज्य होने के नाते सूखे की संभावना रहती है। बाढ़ अभूतपूर्व और 200 वर्षों में सबसे भीषण थी। दक्षिण पश्चिम मानसून ने जून 2006 के अंत में राजस्थान में प्रवेश किया। इसके बाद राजस्थान के कई जिलों में अगस्त के तीसरे सप्ताह में अभूतपूर्व वर्षा हुई। इसमें 625 मिमी और 565 मिमी की सामान्य वर्षा के मुकाबले 1025 मिमी और 723 मिमी की वर्षा दर्ज की गई है। जोधपुर डिवीजन के बाढ़मेर और जैसलमेर जिले में, वर्षा की औसत सामान्य वर्षा 119 मिमी के मुकाबले

बारिश 548 मिमी हुई। सिरौही ने 672 मिमी की सामान्य वर्षा की जगह 1334 मिमी की भारी बारिश दर्ज की। बाड़मेर जिले में 19 से 23 अगस्त के बीच तीव्र बारिश हुई, जिसमें बाड़मेर तहसील में 426 मिमी, रामसर में 392 मिमी, गदररोड में 383 मिमी, बैतु में 364 मिमी, शीयो में 311 मिमी और गीदा में 306 मिमी। इस विपत्तिपूर्ण बाढ़ से फसल क्षेत्र का एक विशाल भाग नष्ट हुआ, कई परिवारों को बेघर कर दिया गया और संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा। जैसलमेर में भारी बारिश और बारिश के पानी के बहाव के कारण दुर्घटना हुई।

यद्यपि लोगों को भारी बारिश और बाढ़ की संभावना के बारे में अग्रिम चेतावनी में दी गई थी, ग्रामीणों ने एक रेगिस्तान में बाढ़ की संभावना पर विश्वास नहीं किया और पानी की अचानक वृद्धि और तेज प्रवाह के कारण प्रभावी निर्णय नहीं ले सके और बहुत ऐसे लोग पानी में बह गये या डूब गये या खाली भवनों और गांवों में फंस गये। जमीनी स्तर से पानी का स्तर 25-27 फीट ऊपर चला गया। सड़क, रेल, फोन और बिजली के बिना 60 किमी के दायरे में गांव पानी के नीचे थे। सौ से अधिक लोग मारे गए और 500 से अधिक लोग लापता हो गए। वही पशुधन का भी भारी नुकसान हुआ था जो स्थानीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। हेलीकॉप्टर, सेना, नौसेना, आरएसी और अन्य पैरा-मिलिटरी फोर्स के माध्यम से लोगों को निकाल कर सुरक्षित जगह ले जाने के लिए तुरंत बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू किया गया, जिससे कई जीवन बचाए गए। कई गैर सरकारी संगठन और स्वयंसेवक राहत कार्य के लिए आगे आए। जिला प्रशासन द्वारा राहत सामग्री वितरण का समन्वय किया गया।

कावास और मालवा के गांव, जो बाढ़ में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे, पालेओ-चौनल पर स्थित हैं और प्राकृतिक अवसाद पर हैं। इन क्षेत्रों में खनन गतिविधियों ने अवसाद क्षेत्रों में रहने के लिए अन्य क्षेत्रों के लोगों को आकर्षित किया, जो पारंपरिक रूप से पूर्वजों द्वारा खोले गये थे। जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित हुए बस्तियों के विकास के कारण वे प्राचीन

ज्ञान भूल गए थे आपदा से सीखा सबक यह है कि प्राकृतिक जल निकासी प्रणाली को छेड़छाड़ नहीं किया जाना चाहिए, भले ही इस तरह के सिस्टम वर्षों तक निष्क्रिय रहे। हालांकि, आपदा के सकारात्मक प्रभावशाली भूजल की सतह का बढ़ना थे, प्राकृतिक जल निकायों से रिचार्जिंग और मिट्टी की उर्वरता बढ़ गई थी। दुर्भाग्य से इन छोटे लाभों के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी।

आपदा में बच्चों पर राष्ट्रीय कार्यशाला

21. युनिसेफ के सहयोग से आपदा में बच्चों पर राष्ट्रीय कार्यशाला 14-15 दिसंबर 2006 को इंडिया हैबीटेट सेंटर में आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्देश्य आपदा में बच्चों से संबंधित विषय, भारत और विदेश में वर्तमान पहलकदमियां, कमजोर क्षेत्रों की पहचान और इस क्षेत्र में बच्चों के हितों की रक्षा और इस को बढ़ावा देने के लिए दिशा निर्देश तैयार करना था।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माननीय सदस्य श्रीमती ज्योति राव ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। यूनिसेफ के उप निदेशक सुश्री एन हस्ताब्ल्व ने समारोह की अध्यक्षता की। अपने उद्घाटन भाषण में श्रीमती राव ने बताया कि एनडीएमए आपदा प्रबंधन चक्र के सभी चरणों में बच्चों के हित के विभिन्न मुद्दों पर विचार करेगा और इसके लिए दिशानिर्देश तैयार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि एनडीएमए कार्यशाला के विचार-विमर्श और



परिणाम के लिए इंतजार करेगा।

कार्यशाला में 50 से अधिक संगठनों व व्यक्तिगत लोगों ने भाग लिया जो बच्चों के आपदा के पहले और बाद में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, रक्षा और अन्य विषयों पर काम कर रहे हैं। जिनमें बाल व स्त्री कल्याण मंत्रालय यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ, यूएनएचसीआर, आईसीआर, सेव दा चाइल्ड, एनआईपीसीसीडी, आईएपी, सीड, ईफाकोर, एसीआरटी, सीएआरए, वीएचआई, प्रयास, बाल कल्याण केन्द्र आदि शामिल थे।

लाइफलाइन संरचनाओं के भूकंपीय रिट्रोफेटींग में नीतियां और मुद्दे

22. एनआईडीएम ने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जिओहर्जाडस इंटरनेशनल यूएसए के सहयोग से, 1 फरवरी, 2007 को दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली के सम्मेलन हॉल में नीतियां और जीवन रेखा संरचनाओं के भूकंपीय रिट्रोफेटींग के विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। दिल्ली सरकार की डिवीजनल कमिश्नर सुश्री नैनी जयसीलम ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और श्री पी जी धर चक्रवर्ती, ईडी, एनआईडीएम ने कार्यशाला के संदर्भ, पृष्ठभूमि और अपेक्षित परिणाम के बारे में बताया। उद्घाटन के संबोधन में श्री आर नारायणस्वामी, मुख्य सचिव, एनसीटी दिल्ली सरकार ने खतरों के बारे में बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा करने और भूकंप के जोखिम और आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए आवश्यक विभिन्न संरचनात्मक और



श्री नारायणस्वामी, मुख्य सचिव दिल्ली कार्यशाला को सम्बोधित करते हुये

गैर-संरचनात्मक उपायों के लिए कहा। प्रो ए एस आर्य, राष्ट्रीय भूकंपी सलाहकार ने दिल्ली के निर्मित पर्यावरण के लिये भूकंप के जोखिमों पर विशेष व्याख्यान दिया। जिओहर्जाडस इंटरनेशनल के थॉमस टोबिन ने धन्यवाद भाषण दिया।

कार्यशाला में आईआईटी, एसआईआरसी, सीपीडब्ल्यूडी, डीडीए, एमसीडी, एनडीएमसी, डीएसआईडीसी, डीटीटीडीसी, एनबीसीसी से आए 100 से अधिक इंजीनियरों, इस क्षेत्र में काम करने वाले प्रतिष्ठित निजी बिल्डरों, शिक्षाविदों और अन्य पेशेवरों से संरचनात्मक इंजीनियरों और इंजीनियरों ने भाग लिया,

एनआईडीएम के वार्षिक प्रशिक्षण सम्मेलन

23. एनआईडीएम का वार्षिक प्रशिक्षण सम्मेलन 5-6 फरवरी, 2007 को सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र, एनआईडीएम भवन, नई दिल्ली के सम्मेलन हॉल में आयोजित किया गया। राज्य सरकारों के प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों के महानिदेशक, एटीआई के आपदा प्रबंधन केंद्रों के मुखिया, राहत आयुक्त, केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के प्रतिनिधियों और एनआईडीएम के संकाय सदस्यों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन का उद्घाटन प्रोफेसर एन विनोद चंद्र मेनन, माननीय सदस्य, एनडीएमए द्वारा किया गया।



श्री एन.वी.सी.मेनन, सदस्य एनडीएमए वार्षिक प्रशिक्षण सम्मेलन को सम्बोधित करते हुये

राज्यों में प्रशिक्षण संस्थान

24. 28 राज्यों में स्थित 29 राज्य स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों में मंत्रालय द्वारा आपदा प्रबंधन संकाय वित्तीय रूप से समर्थित हैं। राज्य प्रशिक्षण संस्थान राज्य के भीतर विभिन्न लक्ष्य समूहों के लिए विषय केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम लेते हैं। प्रशिक्षण संस्थानों को एनआईडीएम द्वारा प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करने और फैकल्टी सदस्यों को प्रशिक्षण देने के लिये तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है।

एनआईडीएम-डब्ल्यूबीआई ने पहला ऑनलाइन व्यापक आपदा जोखिम प्रबंधन पर पाठ्यक्रम शुरू किया

25. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली ने विश्व बैंक संस्थान वाशिंगटन के साथ संयुक्त रूप से आपदा जोखिम में कमी के लिए एक वेब आधारित अधिगम कार्यक्रम शुरू किया। व्यापक आपदा प्रबंधन फ्रेमवर्क पर कार्यक्रम का पहला कोर्स 9 अक्टूबर से 13 नवंबर तक विकास चिकित्सकों, केंद्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारी अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, समुदाय के नेताओं और आपदा जोखिम में कमी से संबंधित चुनौतियों और मुद्दों में दिलचस्पी रखने वाले अन्य लोगों के लिए आयोजित किया गया। इस पाठ्यक्रम ने बुनियादी सवाल जैसे – आपदाओं में विकास के मुद्दे और – व्यापक आपदा जोखिम प्रबंधन के घटक क्या हैं को सुलझाया गया है।

इसमें आपदा प्रबंधन प्रणालियों के संस्थागत व्यवस्था और वित्तपोषण तंत्र की भी समीक्षा की गई, और जो जोखिम मूल्यांकन, कमी और वित्तपोषण से संबंधित प्रक्रियाओं में राष्ट्रीय और स्थानीय कलाकारों की भूमिका की पहचान की गई। पाठ्यक्रम के इंटरैक्टिव चरित्र ने प्रतिभागियों के आबादी, संपत्ति और संस्थानों की भेद्यता को कम करने के लिए भारत में आपदा जोखिम प्रबंधन

प्रणाली के बारे में जीवंत विचार करने का अवसर दिया। 400 से अधिक आवेदकों से 130 को पहले पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए चुना गया था। अधिक दिलचस्पी के कारण, यही कोर्स 8 जनवरी, 2007 से फिर से पेश किया जाएगा। (कातालिन डेमेटर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूट)

आपदा जोखिम में कमी और प्रबंधन के लिए बिम्सटेक देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग पर कार्यशाला

26. बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल खाड़ी घोषणा में पहल की गई (बिम्सटेक) नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड को व्यापार, उद्योग और पारस्परिक हित के क्षेत्र में सहयोग के लिए लाया गया

1997 में शुरू हुई, बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल खाड़ी घोषणा (बिम्सटेक) हमारे क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई यह सभी संगठनों में से सबसे कम उम्र के एक है। दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक अनन्य लिंक प्रदान करने का उद्देश्य से बिम्सटेक इतिहास और संस्कृति के संबंधों से बंधे हुए देशों को शांति, स्वतंत्रता और आर्थिक कल्याण के पोषित आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए एक साथ लाता है। बिम्सटेक परस्पर हितों और सदस्य देशों के बीच सामान्य चिंताओं और उनकी अर्थव्यवस्थाओं की समानताओं पर आधारित है।

इतिहास और संस्कृति के सांझा संबंध भी सांझा खतरों में प्रकट होते हैं, जो राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में बहुत कम प्रवाह किये जो बड़े क्षेत्रों में विनाश और तबाही का कारण बनते हैं और पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। सभी दौर में टिकाऊ विकास के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने के लिए, आपदा जोखिम में कमी महत्वपूर्ण महत्व रखती है यह इस संदर्भ में है कि

भू-राजनीतिक सीमा पार करने वाले आपदा प्रबंधन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता को स्वीकार करते हुये एनआईडीएम और विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के लिए बिस्स्टेक देशों में क्षेत्रीय सहयोग पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है।

इसको ध्यान में रखकर, नई दिल्ली, भारत में 30-31 अक्टूबर, 2006 में आयोजित की गई आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन पर क्षेत्रीय सहयोग पर बिस्स्टेक कार्यशाला ने आपदा प्रबंधन अर्थात् सभी पहलुओं जैसे शमन, तैयारियों, प्रतिक्रिया, वसूली और पुनर्वास में सक्रिय क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता को दोहराया।

बिस्स्टेक ने आपदा जोखिम में कमी और प्रबंधन के रूप में आपदा प्रबंधन पर सार्क फ्रेमवर्क जून 2006 में व्यक्त आपसी सहयोग का सार और आपदा प्रबंधन और आपातकालीन उत्तरदायित्व वियनतियाने, जुलाई 2005 पर आसियान समझौते को एकीकृत करने की मांग की। भाग लेने वाले सदस्य देशों से प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों और प्रख्यात संसाधन व्यक्तियों ने प्रारंभिक चेतावनी, आपातकालीन प्रतिक्रिया, ज्ञान साझाकरण, पुनर्निर्माण और पुनर्वास जैसे क्षेत्रीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं और मुद्दों पर प्रस्तुतीकरण किया। कार्यशाला के प्रतिभागियों ने इस रिपोर्ट को अपनाया।

यूएनएचसीआर के साथ क्षेत्रीय कार्यशाला

27. सहयोग के संभावित अवसरों पर चर्चा के लिए 13 अप्रैल 2006 को सुश्री कैरोल बटसेलर, मिशन यूएनएचसीआर के चीफ ने ईडी एनआईडीएम से मुलाकात की थी। उनके विचार-विमर्श के अनुसार, नवंबर 2006 में एनआईडीएम के सहयोग से यूएनएचसीआर ने सार्क देशों पर ध्यान केंद्रित किए गए आपदा तैयारियों पर एक क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के सरकारी

और गैर सरकारी कर्मचारियों ने भाग लिया।

भारत सरकार-यूएनडीपी आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम का मूल्यांकन

28. गृह मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से भारत के 17 राज्यों के 169 जिलों में भारत सरकार के यूएनडीपी आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम को शुरू किया था। एनआईडीएम को कार्यक्रम के पहले चरण का मूल्यांकन करने के लिए टीम का नेतृत्व करने के लिए कहा गया था। इस संबंध में, एनआईडीएम संकाय ने परियोजना के कार्यान्वयन पर अनुभव हासिल करने के लिये बिहार, गुजरात, उड़ीसा के राज्यों का दौरा किया।

क्षमता संवर्धन और प्रशिक्षण की आवश्यकता आकलन (सीईटीएनए)

29. संस्थान द्वारा एक क्षमता संवर्धन और प्रशिक्षण की आवश्यकता मूल्यांकन (सीईटीएनए) टेम्पलेट का विकास किया गया है। टेम्पलेट एक व्यवस्थित रूप में बरसाती जरूरतों के आकलन पर केंद्रित है। इस उद्देश्य के लिए एक कदम दर कदम विधि टेम्पलेट में सचित्र किया गया था। यह टेम्पलेट प्रशिक्षण और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञों के साथ सक्रिय भागीदारी और परामर्श के साथ विकसित किया गया था। टेम्पलेट को अंतिम रूप देने के लिए कई सलाहकार कार्यशालाएं आयोजित की गईं। टेम्पलेट सभी राज्यों में प्रशिक्षण का संचालन करने के लिए परिचालित किया गया है।

जापानी प्रतिनिधिमंडल से आपदा जोखिम में कमी परियोजनाओं के बारे में चर्चा

30. दक्षिण एशिया में आपदा निवारण और पुनर्निर्माण की प्रस्तावित परियोजना पर चर्चा के लिए जापानी

प्रतिनिधिमंडल की एक उच्च स्तरीय टीम ने एनआईडीएम का दौरा किया। जीआईसीए के वैश्विक पर्यावरण विभाग के वरिष्ठ सलाहकार श्री हिदितोमी ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और कैबिनेट कार्यालय के श्री सैतोरु निशिकावा, विदेश मंत्रालय के श्री तुदशी कोंडो, बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के श्री तत्सुओ नराफू और श्री मसाहिको मुराटा अंतर्राष्ट्रीय रिकवरी प्लेटफार्म इसमें शामिल थे। एशियाई आपदा न्यूनीकरण केंद्र के कार्यकारी निदेशक श्री कोजी सुजुकी ने प्रतिनिधिमंडल में सार्क-जापान फंड के तहत आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन पर एक अलग परियोजना के साथ भाग लिया।



31. दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भूकंप और सुनामी जोखिम न्यूनीकरण और रिकवरी पर जेआईसीए की दो परियोजना प्रस्तावों पर चर्चा हुई। दोनों परियोजनाओं के दो घटक होंगे : राष्ट्रीय और क्षेत्रीय। राष्ट्रीय घटकों को सरकारों के साथ सहमत प्राथमिकताओं के आधार पर राष्ट्रीय सरकारों के माध्यम से लागू किया जाएगा, जबकि क्षेत्रीय कार्यक्रमों को सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र के माध्यम से यूएनडीपी की संकट निवारण और पुनर्प्राप्ति के लिए ब्योरो द्वारा लागू किया जाना प्रस्तावित है। क्षेत्रीय कार्यक्रम दो घटकों को संबोधित करेगा। (ए) क्षेत्रीय समन्वय, ज्ञान और नेटवर्किंग, और (बी) गतिविधियों के लिए क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सहायता।

दक्षिण एशियाई देशों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के लिए सार्क-जापान फंड के तहत एक अलग परियोजना शुरू की जाएगी। परियोजना के घटकों में शामिल होगा :

- आपदा और आपदा जोखिम प्रबंधन पर सूचना सांझा करने की प्रणाली की स्थापना,
- सामुदायिक आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए लघु-स्तरीय पायलट परियोजनाओं का समर्थन करना
- रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के आवेदन के साथ जोखिम मूल्यांकन अध्ययन के तरीके

अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एनआईडीएम

32. श्रीमती चंद्राणी बंद्योपाध्याय, सहायक प्रोफेसर एनआईडीएम ने 3-5 अप्रैल 2006 को ढाका में डब्ल्यूएमओ के तत्वावधान में आयोजित बाढ़ प्रबंधन के लिए समुदाय दृष्टिकोण पर एक क्षेत्रीय कार्यशाला में भाग लिया।

33. श्री पी.जी.धर चक्रवर्ती ने सलाहकार समूह की पहली बैठक जोकि सेंट्रल इमरजेंसी रिस्पांस फंड द्वारा संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में संयुक्त राज्य अमेरिका में मई 2006 को आयोजित की गई में में भाग लिया।

34. डॉ अजीन्द्र वालिया ने 25-30 जून 2006 से, सुसान आरमी रिजॉर्ट, थाईलैंड में, सुरक्षा जोखिम प्रबंधन पर क्षेत्रीय कार्यशाला में भाग लिया।

35. डॉ ए.डी. कौशिक ने चार-दिवसीय एफएओ तटीय संरक्षण पर तकनीकी कार्यशाला में हिंद महासागर सुनामी के बाद वन और पेड़ों के लिए क्या भूमिका पर 28 अगस्त -31 अगस्त 2006 में खाओ लक, थाईलैंड में भाग लिया।

36. कार्यकारी निदेशक, पी.जी. धर चक्रवर्ती ने जिनेवा स्विट्जरलैंड में सीईआरएफ सलाहकार समूह की 2 बैठक में 11-12 अक्टूबर 2006 को भाग लिया।

37. कार्यकारी निदेशक, पी.जी. धर चक्रवर्ती ने 14-16 नवंबर 2006 को काठमांडू, नेपाल में सार्क परियोजना समिति की बैठक में भाग लिया।

38. डॉ सुजाता सतपथी ने 11-12 जनवरी, 2007 को थाईलैंड के फुकेत में विकलांग लोगों की सूनामी तैयारियों पर 12 सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से, डीएआईएसआई कंसोर्टियम में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पेपर पेश किया।

39. डॉ सुजाता सतपथी और डॉ अजीन्द्र वालिया ने विश्व बैंक, सीड, संयुक्त राष्ट्र आईएसडीआर, यूएनडीपी और वैश्विक स्कूल सुरक्षा के सहयोग से जीएसडीएमए द्वारा स्कूल सुरक्षा पर 18-20 जनवरी 2007 को अहमदाबाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया।

40. पीजीधर चक्रवर्ती राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के कार्यकारी निदेशक ने 20-22 फरवरी 2007 को वाशिंगटन डीसी अमरीका में विश्व बैंक, आपदा न्यूनीकरण और रिकवरी की वैश्विक सुविधा पर सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने सम्मेलन में विभिन्न सत्रों में चार अलग-अलग प्रस्तुतियां कीं।

प्रकाशन/प्रलेखन

1. माइक्रो-फाइनेंस और आपदा जोखिम में कमी पीजी धर चक्रवर्ती और मिहिर आर भट द्वारा संपादित



दुनिया भर से पर्याप्त प्रमाण हैं

कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म वित्त उत्पादों और सेवाओं में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों, विशेष रूप से गावों की गरीब महिलाओं को कौशल, आत्मविश्वास और गतिविधियों जो उन्हें ऊपर उठा सकती हैं। में यह भी प्रमाण हैं कि प्राकृतिक आपदाओं से मुकाबले में गरीबों के सूक्ष्म ऋण समूहों ने बेहतर प्रदर्शन किया है, हालांकि दिसंबर 2004 के हिंद महासागर सूनामी जैसी कई आपदाओं ने उनके जीवन योग्यता को बुरी तरह से अपंग कर दिया है। आपदा के तत्काल बाद चरण में जब राहत और पुनर्वास सहायता मिल रही हो इस पर माइक्रो फाइनेंस एक सीमांत भूमिका निभाती है। लेकिन जब मदद की आपूर्ति रुक जाती है, तो गरीबों को खुद इंतजाम करना पड़ता है। प्रतिपुर्ति के इस महत्वपूर्ण चरण में, माइक्रो फाइनेंस, आजीविका बहाली और टिकाऊ विकास के अन्य प्रयासों के पूरक में पहले की तुलना में अधिक महत्व रखती है।

2. जर्नल आपदा और विकास

जर्नल आपदा और विकास पर 14 पेपर खण्ड 1, नंबर 1, नवंबर 2006 को प्रकाशित किये गये।



वित्तीय और लेखा

संस्थान के वित्त और लेखा विभाग के कार्यों में बजट, लेखांकन, रसीदों के प्रबंधन और भुगतान, तैयारी और वार्षिक खातों के संकलन, मंत्रालय को वार्षिक खातों को लेखापरीक्षित शामिल है। इसके अलावा, संस्थान प्रशासन से संबंधित विभिन्न मामलों पर वित्तीय सलाह प्रदान करता है। वर्ष 2006-07 के लिए इंस्टीट्यूट की बैलेंस शीट के साथ लेखापरीक्षित रिपोर्ट अनुबंध ॥ में दी गई है।

फोटो गैलरी

प्रथम भारतीय आपदा प्रबंधन सम्मेलन



आदरणीय प्रधानमंत्री समारोह में दीपक प्रज्वलित करते हुये



एनआईडीएम टीम सम्मेलन में सफल निष्कर्ष पर पहुँचने पर



सार्क आपदा प्रबंधन संस्थान का उद्घाटन



श्री पीजी धर चक्रवर्ती निदेशक, सार्क आपदा प्रबंधन संस्थान समारोह में गणमान्य व्यक्तियों और महमानों को सम्बोधित करते हुये



सार्क आपदा प्रबंधन संस्थान केन्द्र में 9-10 अक्टुबर 2006 को संचालक मंडल की प्रथम बैठक

वर्ष 2006-07 में एनआईडीएम द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र.	पाठ्यक्रम शीर्षक	स्थान	दिनांक	नियुक्त फैकल्टी
अप्रैल 2006				
1.	भूकंप जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन	एनआईडीएम	17-21	श्री आमीर अली खान
2.	चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन	एनआईडीएम	24-28	सुश्री चंद्राणी बंदोपाध्याय श्री शेखर चतुर्वेदी
3.	सूखा प्रबंधन और न्यूनीकरण	एटीआई मैसूर	24-28	डा अजिंदर वालिया डॉ ए.डी. कौशिक
मई 2006				
4.	आपदा स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन	एनआईडीएम	1-5	डा सुजाता सतपथी
5.	जिला आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी	एटीआई शिमला	8-10	सुश्री चंद्राणी बंदोपाध्याय श्री शेखर चतुर्वेदी
6.	सामुदायिक आधारित आपदा की तैयारी	एटीआई पुणे	8-12	डा सुजाता सतपथी श्री आमीर अली खान
7.	आपदा प्रबंधन के लिए रिमोट सेंसिंग और जीआईएस का आवेदन	एनआईडीएम	24-26	श्री बिनोद डोले
8.	भूकंप जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन	एटीआई महाराष्ट्र	9 मई-2 जून	श्री आमीर अली खान
जून 2006				
9.	भूकंप जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन	एटीआई श्रीनगर	12-16	श्री आमीर अली खान
10.	औद्योगिक और रसायनिक आपदाएं	एनआईडीएम	19-22	डा अजिंदर वालिया डॉ ए डी कौशिक
11.	गर्म और ठण्डी हवाएं	एटीआई लखनऊ	26-28	सुश्री सी बंदोपाध्याय श्री शेखर चतुर्वेदी
12.	मूसलाधार बारिश और बादल फटना को समझना कारण और परिणाम	एटीआई जयपुर	28-30	प्रो संतोष कुमार डॉ सुजाता सतपथी
जुलाई 2006				
13.	बाढ़ बचाव और प्रबंधन	एटीआई, पंजाब	3-7	श्री बिनोद डोले डा अंजिन्दर वालिया
14.	आपदा प्रबंधन में भू-सूचना पर जागरूकता कार्यक्रम	आईआईआरएस, देहरादून	10-14	श्री बिनोद डोले
15.	जिला आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी	एटीआई कोलकाता	19-21	श्री आमीर अली खान
16.	बाढ़ बचाव और प्रबंधन	एटीआई असम	24-28	श्री बिनोद डोले सुश्री चंद्राणी बंदोपाध्याय
17.	निर्वाचित प्रतिनिधियों (विधायक और सांसद) के लिए आपदा प्रबंधन पर कार्यक्रम	तिरुवनंतपुरम	27	श्री पी जी धर चक्रवर्ती प्रो संतोष कुमार
अगस्त 2006				
18.	आपदा जोखिम न्यूनीकरण और स्कूल	एनआईडीएम	31 जुलाई-अगस्त 11	प्रो संतोष कुमार डॉ सुजाता सतपथी डा अजिंदर वालिया

19.	चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन	एटीआई हैदराबाद	7-11	सुश्री सी बंदोपाध्याय श्री शेखर चतुर्वेदी
20.	भूकंप जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन	एटीआई पंजाब	21-25	प्रो सी घोष श्री बिनोद डोले
21.	वन आग : कारण, परिणाम और प्रबंधन	डीएमएमसी, देहरादून	23-25	डा सुजाता सतपथी डॉ ए.डी. कौशिक
22.	जिला आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी	एटीआई रायपुर	23-25	श्री आमीर अली खान श्री शेखर चतुर्वेदी
23.	शहरी जोखिम न्यूनीकरण	एनआईडीएम	28 अगस्त- 1 सितम्बर	सुश्री सी बंदोपाध्याय
सितंबर 2006				
24.	भूकंप जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन	एटीआई गुवाहाटी	4-8	प्रो सी घोष श्री आमीर अली खान
25.	प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण	एनआईडीएम	11-15	प्रो संतोष कुमार श्री शेखर चतुर्वेदी
26.	भूस्खलन और हिमस्खलन की समझ और प्रबंधन	एटीआई शिमला	13-15	डॉ सूर्य प्रकाश श्री आमीर अली खान
27.	सागर तटीय तबाही का विघटन और प्रबंधन	एनआईडीएम	19-22	डॉ अजिंदर वालिया डॉ ए.डी. कौशिक
28.	शहरी जोखिम न्यूनीकरण	एटीआई कोलकाता	19-21	सुश्री सी बंदोपाध्याय
29.	आपदा स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन	एनआईडीएम	25-29	डॉ सुजाता सतपथी श्री शेखर चतुर्वेदी
अक्टूबर 2006				
30.	भूकंप जोखिम प्रबंधन और प्रबंधन	एनआईडीएम	3-6	प्रो चंदन घोष डॉ सूर्य प्रकाश डॉ रितु राज
31.	विश्व बैंक संस्थान के साथ सहयोग में आपदा प्रबंधन पर पहला ऑनलाइन कोर्स	ऑनलाइन	9 अक्टूबर- 20 नवंबर	प्रो संतोष कुमार
32.	बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन	एनआईडीएम	9-13	प्रो वी के सेहगल श्री बिनोद डोले डॉ ए.डी. कौशिक
33.	समुदाय आधारित आपदा तैयारियों	एटीआई जयपुर	9-13	डा अजिंदर वालिया श्री शेखर चतुर्वेदी
34.	मूस्लादार बारिश और बादल फटना को समझना : कारण और परिणाम	एटीआई लखनऊ	16-18	डॉ अनिल गुप्ता
35.	जिला आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी	एटीआई कोहिमा	26-28	श्री बिनोद डोले डॉ ए डी कौशिक
नवंबर 2006				
36.	बाढ़ प्रबंधन और न्यूनीकरण	एटीआई महाराष्ट्र	30 अक्टूबर- 3 नवम्बर	प्रो वीके सेहगल

37.	भूकंप जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन	एटीआई मणिपुर	13-17	श्री आमीर अली खान
38.	वायु, रेल और सड़क दुर्घटना	एनआईडीएम	14-16	प्रो संतोष कुमार श्री शेखर चतुर्वेदी
दिसंबर 2006				
39.	इनसीडेंट कमांड सिस्टम पर प्रशिक्षण कोर्स (आईसीएस)	एनआईडीएम	4-6	प्रो संतोष कुमार श्री आमीर अली खान
40.	इनसीडेंट कमांड सॉफ्टवेयर (आई सुइट) पर ट्रेनिंग कोर्स	एनआईडीएम	7-8	प्रो संतोष कुमार श्री आमीर अली खान
41.	शहरी जोखिम न्यूनीकरण	एटीआई महाराष्ट्र	6-8	श्रीमती चंद्राणी बांदीपाध्याय
जनवरी 2007				
42.	इनसीडेंट कमांड सिस्टम (बेसिक एंड इंटरमीडिएट) पाठ्यक्रम	एनआईडीएम	3-5	प्रो संतोष कुमार श्री अरुण सहदेव
43.	विश्व बैंक इंस्टीट्यूट ऑनलाइन के साथ आपदा प्रबंधन पर दूसरा ऑनलाइन कोर्स		7 जनवरी – 16 फरवरी	प्रो संतोष कुमार श्री बी दास
44.	सांस्कृतिक संपदा के लिए आपदा जोखिम प्रबंधन	एनआईडीएम	8-12	श्री रोहित जिग्यसु (अतिथि समन्वयक) सुश्री चंद्राणी बंदोपाध्याय
45.	आपदा प्रबंधन के लिए रिमोट सेंसिंग और जीआईएस का आवेदन	एटीआई, पुणे	18-23	प्रो वी के सेहगल सुश्री श्रीजा नायर
46.	इनसीडेंट कमांड सिस्टम	एनआईडीएम	15-31	प्रो संतोष कुमार श्री अरुण साहदेओ श्री बी दास
47.	भूस्खलन की समझ और प्रबंधन	एटीआई जम्मू और कश्मीर (जम्मू)	31 जनवरी – 2 फरवरी	डॉ सूर्य प्रकाश फरवरी 2007
48.	आपदा प्रबंधन में साइको-सोशल इश्यू	एटीआई मैसूर	5 – 9	डा सुजाता सतपथी डॉ ए.डी. कौशिक
49.	आपदा प्रबंधन में लिंग मुद्दे	एटीआई पश्चिम बंगाल	27 फरवरी – 1 मार्च	डॉ. अजिंदर वालिया सुश्री सुषमा गुलेरिया
50.	भूकंप जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन	एनईएचयु/एनईसी शिलांग	26 फरवरी – 2 मार्च	प्रो सी. घोष श्री आमीर अली खान
51.	जिला आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी	एपीएआरडी हैदराबाद	26 फरवरी – 2 मार्च	डॉ सुदीप मित्र श्री विश्वनाथ दास
52.	व्यायाम डिजाइन और मूल्यांकन – फेमा और संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से मास्टर व्यापारी व्यायाम कार्यक्रम	एनआईडीएम	26 फरवरी – 2 मार्च 2007	श्री ए सहदेव श्री शेखर चतुर्वेदी डॉ रितु राज
मार्च 2007				
53.	व्यापक भूस्खलन जोखिम प्रबंधन	जीबी पंत संस्थान, सिक्किम	12-15	डॉ सूर्य प्रकाश डॉ रितु राज
54.	नुकसान आकलन	एनआईडीएम	14-16	प्रो संतोष कुमार सुश्री चंद्राणी बंदोपाध्याय श्री शेखर चतुर्वेदी
55.	सूखा प्रबंधन और शमन	एनआईडीएम	19 –23	प्रो वीके सेहगल डॉ सुदीप मित्र

क्रियाकलाप 2007–08

प्रशिक्षण

1. संस्थान ने अप्रैल, 2007 से मार्च, 2008 तक आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर 52 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। कुल 1630 प्रतिभागियों ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया। इनमें से, 23 कार्यक्रम प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों के सहयोग से राज्यों की राजधानियों में आयोजित किए गए थे (अनुबंध-1)। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान विभिन्न विषयों पर सात कार्यशालाओं का आयोजन भी किया गया, जैसे समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन, राष्ट्रीय आपदा, सांख्यिकी, शिक्षकों और विद्यालय प्रबंध के लिए आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन का सांस्कृतिक विरासत पर प्रभाव, मानवीय आपात-स्थिति और आपदा प्रबंधन, शहरी बाढ़ मामला अध्ययन तथा राष्ट्रीय सूखा नियमावली। इनके अलावा, एनआईडीएम ने 07 ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किए। व्यापक आपदा जोखिम प्रबंधन पर तीन ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों, समुदाय आधारित जोखिम प्रबंधन, सुरक्षित शहर, पुनर्निर्माण और क्षति आवश्यकता आकलन तथा आपदाओं के आर्थिक प्रभाव के प्रबंधन के लिए वित्तीय रणनीतियों पर 04 विशेषीकृत ऑनलाइन कार्यक्रमों का आयोजन भी एनआईडीएम द्वारा किया गया।

संस्थान ने तीन संगठनों अर्थात् आईटीसी नीदरलैंड्स, अखिल भारतीय आपदा न्यूनीकरण संस्थान, अहमदाबाद तथा निम्हेंस, बेंगलूर के साथ आपदा प्रबंधन के विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए समझौता-ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसने जलवायु परिवर्तन अनुकूलन में क्षमता निर्माण पर पर्यावरण और वन मंत्रालय के साथ एक भागीदारी परियोजना पर भी सहमति की है।

एनआईडीएम की प्रथम बैठक



केन्द्रीय गृह मंत्री 18 अप्रैल, 2007 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए

2. आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 42(2) के निबंधनों के अनुसार सरकार ने 42 सदस्यीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का गठन किया जिसमें भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के सचिव, आईआईटी रुड़की, आईआईएम कोलकाता, आईआईपीए, दिल्ली, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी और नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टिट्यूट, हैदराबाद के निदेशक आईएमडी, आईसीएआर, एनडीआरएफ के महानिदेशक, कुलपति आईपीयू, महासचिव आईआरसी, एफआईसीसीआई और आईसीसी के अध्यक्ष भी शामिल हैं। माननीय गृह मंत्री इसके अध्यक्ष हैं तथा एनडीएमए के अध्यक्ष संस्थान के उपाध्यक्ष हैं। संस्थान की प्रथम बैठक 18 अप्रैल, 2007 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई।

अपने उद्घाटन संबोधन में, अध्यक्ष ने विधि द्वारा यथा अधिदेशित समग्र आपदा प्रबंधन (डीएम) तंत्र का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि एनआईडीएम इस तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है तथा उसे एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना है। एनआईडीएम नीतियों और दिशा-निर्देशों को तैयार करने, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण आदि में

राष्ट्रीय प्राधिकरण की सहायता करेगा तथा प्राधिकरण की व्यापक नीति और दिशा-निर्देशों के ढांचे के अंतर्गत कार्य करेगा।

उत्कृष्टता का केन्द्र बनने के लिए संस्थान अन्य अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थाओं के साथ संपर्क और समन्वय करेगा तथा सरकारी, कारपोरेट और गैर-सरकारी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त मॉड्यूल तैयार करेगा। एनडीएमए के उपाध्यक्ष तथा संस्थान के वाइस-प्रेसीडेंट ने एनआईडीएम द्वारा अब तक निर्वाह की गई भूमिका की सराहना की तथा इस बात पर बल प्रदान किया कि इसे भविष्य में एक वृहद् भूमिका का निर्वहन करना होगा। संस्थान के लिए एक दृष्टिकोण, रणनीतिक आयोजना तथा नेटवर्किंग और सहयोगी योजना को भी अनुमोदन प्रदान किया गया।

राष्ट्रीय आपदा सांख्यिकी पर कार्यशाला

3. केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ), सांख्यिकीय और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम), गृह मंत्रालय के सहयोग से 27 अप्रैल, 2007 को एनएसएससी पूसा परिसर, नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा सांख्यिकी प्रणाली के विकास पर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया।



राष्ट्रीय आपदा सांख्यिकी प्रणाली विकसित करने पर सीएसओ – एनआईडीएम द्वारा 27 अप्रैल, 2007 को पूसा परिसर, नई दिल्ली में आयोजित संयुक्त कार्यशाला

विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों तथा सरकारी संगठनों जैसे भारतीय मौसमविज्ञान विभाग (आईएमडी), केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ), राज्य सरकारों के राजस्व और आपदा प्रबंधन विभागों तथा अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालयों (डीईएस) के लगभग 80 प्रतिभागियों ने कार्यशाला में भाग लिया।

श्री एस.के. नाथ, महानिदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) ने भारत में आपदा सांख्यिकी की वर्तमान स्थिति का सिंहावलोकन प्रस्तुत किया तथा भारत में आपदाओं पर प्रस्तावित राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली के व्यापक उद्देश्यों, सिद्धांतों, व्याप्ति और प्रासंगिकता का वर्णन किया।

इस प्रणाली का विकास केन्द्रीय और राज्य सरकारों में समस्त आंकड़ा संग्रहण एजेंसियों के घनिष्ठ सहयोग से केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन तथा एनआईडीएम द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।

कार्यकारी निदेशक एनआईडीएम ने समूचे विश्व में आपदा संकटों और आपदा सांख्यिकीय प्रणालियों पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण पेश किया तथा विद्यमान प्रणालियों में विद्यमान महत्वपूर्ण खामियों की ओर ध्यान इंगित किया जिनका निराकरण जोखिमों और आपदाओं पर राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली को तैयार करते हुए किए जाने की आवश्यकता है।

मुख्य मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श के लिए रखा गया। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने सीएसओ-एनआईडीएम पहल का स्वागत किया तथा वे सहमत हुए कि सांख्यिकीय प्रणाली के विकास के लिए समस्त आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा। प्रणाली के विकास के लिए एक भावी मार्ग भी संयुक्त रूप से सहमत किया गया।

- दो तकनीकी समितियों का गठन; एक ईडी एनआईडीएम की अध्यक्षता में जोखिम संबंधी सांख्यिकी के लिए तथा दूसरी डीजी सीएसओ की अध्यक्षता में आपदा सांख्यिकी के लिए।
- नयाचार और फार्मेटों के लिए दिशा-निर्देश तैयार करना।
- केन्द्रीय और राज्य सरकार एजेंसियों द्वारा आंकड़ों का संग्रहण, संकलन तथा सीएसओ को आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण।
- एनआईडीएम – सीएसओ द्वारा आंकड़ों का विश्लेषण।

यह निर्णय लिया गया कि प्रथम भारत जोखिम और आपदा रिपोर्ट नवम्बर, 2007 तक प्रकाशित की जाएगी।

सांस्कृतिक विरासत पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर अंतर्राष्ट्रीय विचार-गोष्ठी

4. सांस्कृतिक विरासत पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर एक अंतर्राष्ट्रीय विचार-गोष्ठी का आयोजन एनआईडीएम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संस्मारक और स्थल परिषद (आईसीओएमओएस) पेरिस तथा भारतीय पुरातत्व संस्थान, दिल्ली के सहयोग से 22 मई, 2007 को किया गया था। इस विचार-गोष्ठी में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों तथा विरासत स्थलों पर इसकी विवक्षाओं से संबंधित अध्ययन में कार्यरत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 47 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।



एनआईडीएम में सांस्कृतिक विरासत पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय विचार-गोष्ठी में भाग लेते विशेषज्ञ

डा. बी. भट्टाचार्य, सदस्य एनडीएम ने विचार-गोष्ठी का उद्घाटन किया जबकि श्री दीनू भांबरु, सचिव आईसीएमओएस ने आधार व्याख्यान दिया। भारत तथा विश्व के विभिन्न भागों में संस्कृतिक विरासत स्थलों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर अनेक प्रस्तुतीकरण पेश किए गए।

विचार-गोष्ठी की समाप्ति पर, एक संकल्प अंगीकृत किया गया जिसमें यह संस्तुति की गई कि सांस्कृतिक विरासत के लिए जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यनीतियों को स्थलों, भवनों, बस्तियों, भू-दृश्यों, चल वस्तुओं तथा जीवंत परंपराओं के परिरक्षण और संरक्षण के लिए विद्यमान कार्य-रीतियों की मुख्यधारा में शामिल किया जाना चाहिए तथा इस प्रयोजनार्थ उपयुक्त मानक और नयाचार विकसित किए जाने चाहिए।

संकल्प में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अनुरोध किया गया था कि वे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं, पर्यटन, रोजगार और समुदाय एकीकरण के लिए सांस्कृतिक विरासत के महत्व को समझें तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नयाचारों के अनुरूप सांस्कृतिक संपत्तियों के प्रति जागरूकता में वृद्धि करने, उनके परिरक्षण और संरक्षण में कार्यरत सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थाओं तथा व्यक्तियों को इस कार्य में शामिल करें।

संकल्प में राष्ट्रीय सरकारों, अर्धसरकारी, गैर-सरकारी संगठनों तथा प्राइवेट क्षेत्र से भी अनुरोध किया गया था कि वे क्षति और अपूरणीय हानि के संकट से विनिर्दिष्ट विरासत स्थलों का संरक्षण करने के लिए कार्य करें तथा संसाधन जुटाएं।

संकल्प में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली तथा भारत-आईसीओएमओएस द्वारा पुरातत्व संस्थान के सहयोग

से कार्यशाला के आयोजन के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की गई थी जिसने पहली बार एक ही मंच पर जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञों और सांस्कृतिक विरासत विशेषज्ञों को एकत्र किया था तथा उनके पारस्परिक संपर्क, दृष्टिकोणों के आदान-प्रदान और विचारों को समृद्ध बनाने को साकार बनाया था।

विचार-गोष्ठी की सिफारिशों पर विरासत स्थलों के जोखिम प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय जोखिम तैयारी समिति (आईसीओआरपी) कार्यशाला में विचार-विमर्श किया जाएगा जिसका उद्देश्य व्यावसायिक वैज्ञानिक और सांस्थानिक नेटवर्कों के बीच सहयोग को और अधिक बढ़ाना होगा।

समुदाय-आधारित आपदा तैयार के लिए टीओटी मॉड्यूलों के विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला

5. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से 4 अप्रैल, 2007 को सेंटोर होटल, नई दिल्ली में समुदाय-आधारित आपदा तैयारी पर टीओटी मॉड्यूल का विकास करने के लिए एक-दिवसीय जागरूकता का आयोजन किया। कार्यशाला का उद्घाटन जनरल एन.सी. विज, माननीय उपाध्यक्ष, एनडीएमए द्वारा किया गया था। श्रीमती ज्योति राव, माननीय सदस्य, एनडीएमए ने आधार-व्याख्यान दिया। कार्यशाला में राज्य के आपदा प्रबंधन/राजस्व/राहत विभागों, आईडीएमए, एटीआई तथा आपदा प्रबंधन के लिए समुदाय के क्षमता निर्माण में कार्यरत राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ के पचास से अधिक वृत्तिकों ने भाग लिया। अनेक प्रस्तुतीकरणों का प्रदर्शन किया गया तथा प्रतिभागियों को मुद्दे के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के लिए विभिन्न समूहों में विभाजित किया गया।

कार्यशाला की समाप्ति टीओटी मॉड्यूल के विकास के लिए कार्यबल के गठन की समाप्ति के साथ हुई।

शिष्टमंडल और बैठकें

6. श्री उमेश नारायण पंजियर, सचिव व्यापक प्रबंधन, गृह मंत्रालय ने एनआईडीएम की विभिन्न सुविधाओं का निरीक्षण किया तथा एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक और संकाय-सदस्यों के साथ विचार-विमर्श किया। कार्यकारी निदेशक ने उन्हें संस्थान के विजन, मिशन, उद्देश्यों और उपलब्धियों से अवगत कराया।



प्रेजीडेंट, हेल्महोल्ड्स एसोसिएशन, जर्मनी ने 13 अप्रैल, 2017 को एनआईडीएम का दौरा किया

7. प्रो. डा. जर्गेन क्लाइनेक, प्रेजीडेंट, हेल्महोल्ड्स ने डा. विक्टर स्मेटोशेक बायलॉजिकल ओशिएनोग्राफर, एल्फ्रेड वेग्नर, इंस्टिट्यूट ऑफ पोलर एंड मैरीन रिसर्च, जर्मनी तथा सुश्री मैरियन शुएग्राफ, साइंस काउंसलर, एफआरजी दूतावास के साथ 13 अप्रैल, 2017 को संस्थान का दौरा किया। हेल्महोल्ड्स एसोसिएशन जर्मनी में वैज्ञानिक अनुसंधान का एक शीर्षस्थ निकाय है जिसका वार्षिक टर्नओवर लगभग 3 बिलियन यूरो/वर्ष है।



कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम तथा प्रेजिडेंट, हेल्महोल्डज एसोसिएशन ने अपने-अपने संगठनों के मिशन, कार्यनीतियों और क्रियाकलापों के विषय में सूचित किया तथा साझे हितों और सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा की। भावी सहयोग के लिए संयुक्त सहयोग के निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की गई:

- बाढ़ मॉडलिंग
- रिमोट सेंसिंग और जीआईएस
- जलवायु परिवर्तन
- पूर्व-चेतावनी प्रणाली
- लोक सुविधाओं के लिए स्वचालित सुरक्षा प्रणाली

एनआईडीएम की विस्तार योजना पर उप-समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की

8. एनआईडीएम के शासी निकाय की 20 जून, 2007



को हुई प्रथम बैठक में, संस्थान की समग्र विस्तार योजना पर अनुशंसा करने के लिए एक उपसमिति गठित करने का निर्णय लिया गया था।

उप-समिति का गठन श्री बी.एस. बसवान, निदेशक, आईआईपीए की अध्यक्षता में किया गया जिसके विचारार्थ मुद्दे इस प्रकार थे:-

- (क) एनआईडीएम के समग्र विस्तार के लिए संदर्श योजना
- (ख) अनुसंशित स्टाफिंग पैटर्न, संगठनात्मक संरचना, संकाय की भर्ती का तरीका और वित्तीय प्रणालियां, आदि।
- (ग) एनआईडीएम को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्टता के केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए कोई अन्य अनुशंसा।

एनआईडीएम दल ने बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया

9. दक्षिण पश्चिमी मानसून 2007 (जुलाई से सितम्बर) के दौरान बिहार में बाढ़ द्वारा बार-बार आने वाली बाढ़ के प्रति राज्य की सुभेद्यता की चिर-परिचित तस्वीर प्रदर्शित की गई तथा इसने व्यापक तबाही, विध्वंस और अस्त-व्यस्तता की खेदजनक पुनरावृत्ति की। दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर बिहार के जिलों में बाढ़ का पर्याय बन गया है जो पर्याप्त मानवीय समस्याएं और निवासियों के लिए विपदाएं लेकर आता है, जो पीढ़ियों से घोर निर्धनता के साए में जीने, जीवन-निर्वाह के लिए संघर्ष करने तथा बाढ़, गरीबी और कर्ज के जाल में फंसने के लिए बाध्य हैं। राज्य में 2007 की बाढ़ को इसकी प्रचण्डता, अप्रत्याशिता, इसके बेमौसम समय, इसकी स्थलीय कवरेज, इसके क्रमिक अंतरालों और विस्तारित अवधि के संदर्भ में अभूतपूर्व घटना के रूप में अभिहित किया गया था।

इस स्थिति पर सूक्ष्म दृष्टि डालने तथा इसके प्रलेखीकरण के प्रयोजनार्थ एनआईडीएम के एक तीन सदस्यीय दल, प्रो. संतोष कुमार, श्री अरुण सहदेव और सुश्री सुषमा गुलेरिया



बिहार के बेगुसराय जिले में जलमग्न गांव का दृश्य

ने 29 अगस्त से 1 सितम्बर तक बिहार का दौरा किया।

दल ने मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण और बेगुसराय के बाढ़ प्रभावित जिलों के अनेक क्षेत्रों का दौरा किया। दल ने पटना में राहत आयुक्त, दौरा किए गए जिलों के जिलाधीशों, अन्य राज्य अधिकारियों, जिला परिषद तथा अन्य ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के सदस्यों और प्रभावित समुदाय के साथ बातचीत की।

दल की टिप्पणियां

इस वर्ष बाढ़ की स्थिति अत्यंत नाजुक थी। जान-माल और संपत्ति की बड़े पैमाने पर हानि हुई थी। 20 जिलों में लगभग 19 मिलियन लोग प्रभावित हुए थे, 45 लोगों की मृत्यु हुई, 500 मवेशी बह गए लगभग 9 लाख लोगों को पुनर्वासित किया गया तथा 128 राहत शिविर लगाए गए लगभग 234 स्वास्थ्य संस्थान पूरी तरह नष्ट हो गए थे। कुल नुकसान का अनुमान लगभग 100 करोड़ रुपए लगाया गया है।

जर्मन एरोस्पेस एजेंसी के साथ बैठक

10. डा. हेराल्ड मेहल, प्रमुख, पर्यावरण और सुरक्षा, जर्मन रिमोट सेंसिंग डेटा सेंटर (डीएफडी), जर्मन एरोस्पेस एजेंसी (डीएलआर), जर्मनी ने संस्थान के साथ सहयोग के



व्यापक क्षेत्रों के बारे में चर्चा करने के लिए एनआईडीएम का दौरा किया। चर्चा में समझौता-ज्ञापन तैयार करने के लिए पारस्परिक हित के क्षेत्रों का पता लगाने के प्रयोजनार्थ दोनों संगठनों के क्रियाकलापों और सुदृढ़ताओं पर ध्यान-केन्द्रित किया गया था।

- शहरी बस्तियों/अवसंरचनाओं की भौतिक सुभेद्यता मैपिंग तथा जोखिम आकलन मॉडलिंग
- प्राकृतिक आपदाओं को प्रबंधित करने के लिए डीएफडी त्वरित आकलन उत्पादों का अनुप्रयोग
- पूर्व चेतावनी एवं संकट पहचान के लिए निर्णयकारी सहायता प्रणाली विकसित करने के लिए विभिन्न स्रोतों से नेटवर्किंग और सूचना एकीकरण
- संकटकालीन स्थिति के परिदृश्यों का उत्प्रेरण और भू-परिकल्पन तकनीक का प्रयोग करते हुए इसका प्रबंधन
- आपदा स्थित प्रबंधन के लिए स्थान आधारित उत्पादों में उपयोग हेतु एल्गोरिद्म, तकनीकें तथा निर्णयकारक सहायता प्रणाली।

मानवीय सहायता तथा सिविल सुरक्षा के लिए भू-सूचना उपकरणों और तकनीकों पर कार्यशालाएं/प्रशिक्षण।

सूखे के लिए राष्ट्रीय नियमावली पर वैधीकरण कार्यशाला

11. सार्क आपदा प्रबंध केन्द्र, एनआईडीएम भवन, नई दिल्ली के सम्मेलन सभागार में 15 अक्टूबर, 2017 को

सूखा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नियमावली पर एक-दिवसीय वैधीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसका उद्देश्य प्राप्त हुए विचारों/सुझावों पर चर्चा करना तथा राष्ट्रीय नियमावली की संरचना, विषय-वस्तु, प्रारूप, आदि को अंतिम रूप प्रदान करना था। कार्यशाला की अध्यक्षता श्री पी.के. बासु, अपर सचिव, कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई।

कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम ने कार्यशाला की पृष्ठभूमि



का परिचय दिया तथा इस बात पर बल दिया कि अपने दीर्घकालिक इतिहास, धीमे प्रारंभ, मंद प्रकृति और जटिलता के कारण सूखा सभी आपदाओं की जननी है। आपदा प्रबंध में प्रतिमानों में आए परिवर्तनों के कारण सूखे पर एक राष्ट्रीय नियमावली तैयार किए जाने की आवश्यकता है ताकि प्रशासक और वृत्तिक सूखे का न्यूनीकरण करने और उसका प्रबंधन करने के लिए अधिक संसूचित निर्णय ले सकें। सूखे के दीर्घकालिक प्रबंधन के लिए सरकार की विभिन्न स्कीमों को भी एकीकृत किए जाने की आवश्यकता है। इस नियमावली को इन सभी मुद्दों को एक व्यापक नीति से समाहित करने के लिए तैयार किया जा रहा है।

श्री बासु ने कार्यशाला में उद्घाटन भाषण दिया। उन्होंने उल्लेख किया कि सूखा हमारे देश की प्राचीन समस्या है तथा सूखे का निपटान किया जाना अन्य आपदाओं की

तुलना में बिल्कुल अलग है। उन्होंने एनआईडीएम तथा डा. कृष्णा वत्स, परियोजना परामर्शक द्वारा नियमावली को तैयार किए जाने के लिए किए गए अच्छे कार्य तथा प्रयासों की सराहना की। उन्होंने नियमावली में जिला कलक्टरों तथा उनके दल के लिए इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश शामिल करने का सुझाव दिया कि सूखे का निपटान किस प्रकार किया जाए तथा सूखे और अकाल की स्थिति कब घोषित की जाए।

एनआईडीएम ने लवणीय तटबंध की आयोजना, डिजाइन, निर्माण और अनुरक्षण के लिए दिशा-निर्देश जारी किए

12. एनआईडीएम ने गृह मंत्रालय, भारत सरकार के एनआईएम प्रभाग के आग्रह पर लवणीय तटबंध की आयोजना, डिजाइन, निर्माण और अनुरक्षण पर दिशा-निर्देश जारी किए। दिशा-निर्देश जारी करने की आवश्यकता इस तथ्य के फलस्वरूप उत्पन्न हुई कि लवणीय तटबंध प्रस्तावित राष्ट्रीय चक्रवात, जोखिम प्रबंधन परियोजना का एक महत्वपूर्ण अवयव होंगे, परंतु नदी तटबंध पर बीआईएस संहिता (लेवीस) को छोड़कर तटीय क्षेत्रों के लिए लवणीय तटबंधों के लिए वर्तमान में कोई मानक अथवा दिशा-निर्देश उपलब्ध नहीं हैं। प्रो. ए.एस. आर्य, राष्ट्रीय भूकंप सलाहकार की अध्यक्षता में तथा डा. चंदन घोष, प्रोफेसर, एनआईडीएम को सदस्य-सचिव के रूप में नियुक्त करते हुए इस संबंध में दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए एक दस-सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। सभी तटीय राज्यों में, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों तथा अन्य हितधारकों के साथ अनेक बैठकों और परामर्शों का आयोजन करने के उपरांत इस संबंध में दिशा-निर्देश तैयार किए गए।

विकसित तथा अन्य देशों में विकसित मानकों, संहिताओं

और दिशा-निर्देशों पर भी चर्चा की गई तथा भारत में तटीय राज्यों की परिस्थितियों के लिए सर्वाधिक अनुकूल दिशा-निर्देशों का एक सेट तैयार किया गया है।

दिशा-निर्देशों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

1. उद्भूत क्षेत्र के संरक्षण, अवस्थिति, चयन, सामग्रियों आदि के लिए विनिर्देशन विस्तृत बनाए गए हैं।
2. डिजाइन मापदण्ड जैसे ऊंचाई, चौड़ाई, जलमार्गों का प्रावधान, मुक्त बोर्ड और ओवरटॉपिंग की अनुमति, आदि का वर्णन किया गया है।
3. मानसून से पूर्व और उसके उपरांत अनुरक्षण मरम्मत तथा विद्यमान बंधों, ढाल संरक्षणों आदि के लिए विनिर्देशन दिए गए हैं।

तूफान की लहरों की ऊंचाई भारतीय सुभेद्यता एटलस 2006, भूकंप आंचलिकीकरण आईएस 1893-2002), 2004 सूनामी रन-अप सुंदर एट. एल., एएससीई 2007, पर आधारित मेट्रिक्स विकसित किया गया है जो भारत के 13 तटीय राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के तटीय जिलों के लिए सुलभ सहायता प्रदाता होगा। ये दिशा-निर्देश इस विषय पर विद्यमान मानकों और संहिताओं में लंबे समय से व्याप्त खामियों को दूर करेंगे।

जलवायु-परिवर्तन अनुकूल और आपदा जोखिम न्यूनीकरण

13. समूचे विश्व में तथा क्षेत्रीय पैमाने पर पड़ने वाले जलवायु-परिवर्तन प्रभावों के फलस्वरूप हिम अपसरण, समुद्र तल में वृद्धि, माध्य तापमान प्रोफाइल में परिवर्तन होता है जिसके कारण प्राकृतिक संसाधनों की उत्पादकता और गुणवत्ता प्रभावित होती है और इससे जल एवं जलवायु संचालित आपदाओं की आवृत्ति और प्रचण्डता में तेजी आती है जैसे सूखा, मरुस्थलीकरण, बाढ़ और तटीय संकट जैसे चक्रवात, भू-क्षरण और बाढ़ आदि। जलवायु परिवर्तन

के प्रभावों के फलस्वरूप जोखिमों के स्तर में वृद्धि होने के अलावा, लोगों और उनके भूमि प्रयोग की सुभेद्यता में वृद्धि जोखिम न्यूनीकरण के संदर्भ में एक उल्लेखनीय चिंता है। संभावित जलवायु परिवर्तन घटनाओं और प्रभावों के प्रति अनुकूलन को संबंधित आपदा जोखिमों का निवारण करने तथा आसन्न संकटों का सामना करने का श्रेष्ठ तरीका माना गया है जो अन्यथा भावी आपदाओं के रूप में परिवर्तित हो सकते हैं।

14. एनआईडीएम ने देश के छह सुभेद्य राज्यों में प्रायोगिक स्तरीय अनुकूलन परियोजनाएं संचालित करने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार, विनरॉक इंटरनेशनल ऑफ सोशल एंड इन्वायर्नमेंट ट्रांजीशन तथा दि एनर्जी एंड रिसोर्सस इंस्टिट्यूट और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ सहयोग किया है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय फोरमों अर्थात् 2012 के उपरांत अंतर्राष्ट्रीय जलवायु प्रणाली पर एशिया-प्रशांत परामर्श, जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर द्वितीय राष्ट्रीय स्तरीय साझी अधिगम वार्ता और जलवायु-परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्यनीति के लिए योजना आयोग ड्राफ्टिंग समिति के अलावा अनेक क्षेत्रीय परामर्शों की एक श्रृंखला आयोजित की गई है।

संस्थान जलवायु-परिवर्तन अनुकूलन मुद्दों के संदर्भ में ज्ञान सहायता प्रणाली और क्षमता निर्माण कार्यों को साकार बनाने के लिए पर्यावरणीय जोखिम संसाधन केन्द्र की स्थापना कर रहा है। जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर एनआईडीएम द्वारा दो पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित किए गए हैं जिनमें से एक जयपुर में तथा दूसरा नई दिल्ली में आयोजित किया गया जिनमें समूचे देश से राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों से अनेक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

कार्यकारी निदेशक एनआईडीएम को डा. आर. चिदम्बरम, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता

में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों संबंधी विशेषज्ञ समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है। डा. अनिल गुप्ता, एनआईडीएम संकाय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन पर विभिन्न राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए अनेक विषय-संचालन समितियों के सदस्य के रूप में सक्रिय रूप से शामिल हैं।

7-8 नवम्बर, 2007 को आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर आयोजित दूसरी एशियाई मंत्रालयी सम्मेलन

15. आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर द्वितीय एशियाई मंत्रालय सम्मेलन गृह मंत्रालय द्वारा 7-8 नवम्बर, 2007 को नई दिल्ली में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय निकायों की भागीदारी के साथ आयोजित किया गया जिनमें शामिल थे – संयुक्त राष्ट्र आपदा न्यूनीकरण अंतर्राष्ट्रीय कार्यनीति (यूएन आईएसडीआर), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), संयुक्त राष्ट्र एशिया आर्थिक और सामाजिक आयोग और एशियाई विकास बैंक (एडीबी), दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (दक्षेस), संयुक्त राष्ट्र बाल आपात निधि (यूनीसेफ), एशियाई आपदा न्यूनीकरण केन्द्र (एडीआरसी), स्विस् एजेंसी फॉर डेवलेपमेंट एंड कोऑपरेशन (एसडीपी) और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (यूएसएआईडी)। सम्मेलन का विषय था 'आपदाओं के बिना विकास'।

इस सम्मेलन में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 51 राष्ट्रीय



आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर द्वितीय एशियाई मंत्रालयी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री

सरकारों के प्रतिनिधियों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, क्षेत्रीय संगठनों, अन्य एजेंसियों के प्रतिनिधियों, विशेषज्ञों, गैर-सरकारी संगठनों, अन्य एजेंसियों के प्रतिनिधियों, विशेषज्ञों, गैर-सरकारी संगठनों, केन्द्रीय सरकार के संबद्ध मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन में अनेक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और विद्वतजनों ने भी प्रतिभागिता की। दो दिन चली चर्चा में विभिन्न देशों के 600 प्रतिभागियों ने भाग लिया। सम्मेलन के तीन खंड थे : अंतर्राष्ट्रीय, तकनीकी तथा अन्य समारोह। जबकि अंतर्राष्ट्रीय खण्ड में चर्चाएं चार उच्च स्तरीय गोलमेज बैठकों में आयोजित की गई, तकनीकी खंड में चर्चाएं और प्रस्तुतीकरण चार विषयों पर संचालित किए गए थे जिन्हें दो प्रमुख शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था (i) आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग और (ii) डीआरआर को विकास के साथ एकीकृत करना। इसके अलावा, विभिन्न आपदा संबंधी विषयों पर कुल नौ अन्य कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया।

भारत में नवम्बर, 2007 में आयोजित द्वितीय मंत्रालयी सम्मेलन का उद्देश्य कोबे, जापान में जनवरी, 2005 में आयोजित विश्व आपदा न्यूनीकरण सम्मेलन में अंगीकृत ह्यूगो कार्यवाही फ्रेमवर्क (एचएफए) के क्रियान्वयन में राष्ट्रीय सरकारों की प्रगति की समीक्षा करना, सितम्बर, 2005 में बीजिंग में आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर प्रथम एशियाई सम्मेलन में अंगीकृत एशिया में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) के लिए बीजिंग कार्य-योजना की प्रगति की समीक्षा करना, डीआरआर के लिए सहयोग को प्रवर्तित और संवर्धित करना, आपदा प्रबंधन में श्रेष्ठ प्रक्रियाओं को साझा करना और उनका आदान-प्रदान करना, नई पहलों पर चर्चा करना जैसे डीआरआर के लिए वैश्विक प्लेटफार्म और वैश्विक सुविधा तथा एशिया में डीआरआर के लिए रोडमैप तैयार करना था।

सम्मेलन की समाप्ति पर सम्मेलन द्वारा 'दिल्ली घोषणा

2007 को अंगीकृत किया गया। यह घोषणा डीआरआर के लिए सुदृढ़ क्षेत्रीय भागीदारी के लिए तथा साथ ही राष्ट्रीय सरकारों, क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय संगठनों, सिविल सोसाइटी, मीडिया, प्राइवेट सेक्टर और यूएन एजेंसियों की प्रतिभागिता के साथ एशिया और प्रशांत क्षेत्र में एचएफए के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी।

मलेशिया की सरकार ने वर्ष 2008 में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरे एशियाई मंत्रालयी सम्मेलन की मेजबानी करने की पेशकश की। संसाधन संस्थान अभी तक इंजीनियरिंग/वास्तुविदों को राज्य संसाधन संस्थानों में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। 942 से अधिक सेवारत व्यवसायी इंजीनियर तथा 86 व्यवसायी वास्तुविद भी प्रशिक्षित किए जा चुके हैं।

आपदा न्यूनीकरण प्रौद्योगिकियों/डिजाइनों पर मॉडल पाठ्यक्रमों को विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार कर लिया गया है तथा उन्हें स्नातकपूर्व स्तर पर पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या में शामिल करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई) तथा वास्तुकला परिषद् (सीओए) के साथ साझा किया गया है।

चिकित्सा तैयारियों और व्यापक आपात प्रबंधन पर दिशा-निर्देश

16. डा. अंबुमणि रामदौस, केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, नई दिल्ली के सभागार में 14 नवम्बर, 2007 को आयोजित एक संक्षिप्त समारोह में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशा-निर्देश – 'चिकित्सा तैयारियां और व्यापक आपात प्रबंधन' जारी किए गए। इस समारोह की अध्यक्षता जनरल एन.सी. विज, उपाध्यक्ष, एनडीएमए द्वारा की गई तथा इसमें अन्य प्रतिभागियों के साथ-साथ जनरल (डा.) जे.आर. भारद्वाज, सदस्य एनडीएमए तथा श्री एच.एस. ब्रह्मा, अपर सचिव,

एनडीएमए ने भाग लिया।

दिशा-निर्देशों का विकास राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा एक परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से तथा विभिन्न स्तरों पर चिकित्सा तैयारियों और व्यापक आपात प्रबंधन पर एक अति सक्रिय, प्रतिभागितापूर्ण, सुसंरचित, त्रुटिहीन, बहुविषयक और बहुक्षेत्रक दृष्टिकोण का आह्वान करते हुए किया गया था।

जापान का प्रतिनिधिमंडल

17. डा. मासातोश हमादा, निदेशक तथा श्री योशिएकी शिओदा, वरिष्ठ परामर्शक, जापान दूरसंचार इंजीनियरी एवं परामर्शी सेवा (जेटीईसी) जापान सरकार ने भारत में आपदा चेतावनी प्रसारण में उनके अध्ययन के सिलसिले में 4 दिसम्बर, 2007 को एनआईडीएम का दौरा किया। एनआईडीएम के साथ चर्चा में मुख्य बल पूर्व चेतावनी, संचार एवं प्रसार प्रणालियों के क्षेत्र में भारत सरकार के साथ सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर प्रदान किया गया था।

ब्रिटिश कोलम्बिया के प्रेजीडेंट जस्टिस संस्थान ने एनआईडीएम का दौरा किया

18. ब्रिटिश कोलम्बिया के प्रेजीडेंट जस्टिस संस्थान के श्री जैक मैकगी ने 5 दिसम्बर, 2007 को एनआईडीएम का दौरा किया। जस्टिस इंस्टिट्यूट ऑफ ब्रिटिश कोलम्बिया सरकारी क्षेत्र की माध्यमिक संस्था है जो न्याय और लोक सुरक्षा के क्षेत्रों पर ध्यान-केन्द्रित करती है। इसमें शामिल है – ब्रिटिश कोलम्बिया प्रांत के लिए आपात प्रबंधन और आपात तैयारियों संबंधी कार्यक्रम जिसमें भारतीय निर्वासितों की एक बड़ी जनसंख्या भी शामिल है। आपदा प्रबंधन पर संयुक्त प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर एनआईडीएम के साथ सहयोग की संभावनाओं पर भी बैठक में चर्चा की गई।

विश्व बैंक संस्थान, वाशिंगटन के साथ बैठक

19. श्री कोनार्ड वोन रिटर, सेक्टर मैनेजर, संधारणीय विकास विश्व बैंक संस्थान, वाशिंगटन ने एनआईडीएम और डब्ल्यूबीआई के बीच भावी सहयोग पर चर्चा करने के लिए 4 दिसम्बर, 2007 को एनआईडीएम का दौरा किया। सुश्री मोहिनी मल्होत्रा, क्षमता विकास के लिए क्षेत्रीय समन्वयक, दक्षिण एशिया क्षेत्र तथा श्री क्रिस्टोफर पुश्च, दक्षिण एशिया समन्वयक, जोखिम संकट प्रबंधन भी उनके साथ आए थे। दल ने ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम पर संतोष व्यक्त किया। यह निर्णय लिया गया कि नया पाठ्यक्रम मॉड्यूलों को तैयार किया जाएगा तथा विद्यमान मॉड्यूलों को दक्षिण एशिया क्षेत्र के संदर्भों के अनुरूप अनुकूलित किया जाएगा। कुछ मॉड्यूलों को इंटरनेट सुविधाओं के साथ जुड़े समुदायों तक स्थापित करने के लिए स्थानीय भाषाओं में अनुदित किया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया कि दक्षेस आपदा प्रबंधन केन्द्र, नई दिल्ली के माध्यम से पाठ्यक्रमों को दक्षिण एशिया के अन्य देशों में भी ले जाया जाएगा।

अफगानिस्तान का प्रतिनिधिमंडल

20. सरकारी अधिकारियों और यूएनडीपी से मिलकर बने अफगानिस्तान के एक ग्यारह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत सरकार द्वारा आपदा की तैयारियों और संचालित की गई शमनीकरण पहलों का अध्ययन करने के लिए 16-25 दिसम्बर, 2007 को एनआईडीएम संकाय के साथ बैठक की। प्रतिनिधिमंडल ने 18 दिसम्बर, 2007 को एनआईडीएम संकाय के साथ बैठक की। चर्चा के दौरान भारत सरकार द्वारा की गई विभिन्न आपदा न्यूनीकरण पहलों पर तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण क्रियाकलापों में एनआईडीएम की भूमिका पर विशेष बल प्रदान किया गया था जिसमें आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर समग्र सांस्थानिक फ्रेमवर्क के भीतर विद्यालय सुरक्षा



कार्यक्रम तथा शिक्षा क्षेत्र में आपदा जोखिम न्यूनीकरण का एकीकरण भी शामिल था। इसके अतिरिक्त, भूकंप जोखिम न्यूनीकरण पर की गई पहलों तथा डीआरआर में आईसीटी की भूमिका पर भी बैठक के दौरान चर्चा की गई थी। शिष्टमंडल ने आपदा प्रबंधन में विद्यालय पाठ्यचर्या के विकास के लिए एनआईडीएम से सहायता प्राप्त करने में अपनी रुचि भी दर्शाई।

वार्षिक प्रशिक्षण सम्मेलन

21. एनआईडीएम का वार्षिक प्रशिक्षण सम्मेलन दक्षेस आपदा प्रबंधन केन्द्र, एनआईडीएम के सम्मेलन सभागार में 28-29 जनवरी, 2008 को आयोजित किया गया था। राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों के महानिदेशों, राहत आयुक्तों, केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों के प्रतिनिधियों, एटीआई के आपदा प्रबंधन केन्द्रों के प्रमुखों और प्रभाग प्रमुखों तथा एनआईडीएम के प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के फैकल्टी और कर्मचारियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया।

सम्मेलन का उद्घाटन डा. मोहन कांडा, माननीय सदस्य, एनडीएमए द्वारा किया गया। अपने उद्घाटन संबोधन में उन्होंने विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक और मानव-निर्मित आपदाओं के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय स्तर की नीतियां और दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की विभिन्न पहलों को रेखांकित



किया। उन्होंने देश में एक साकल्यवादी, अंतर्वेशी, भागीदारीपूर्ण, लिंग संवेदी और पर्यावरण-हितैशी आपदा प्रबंधन की आवश्यकता पर बल प्रदान किया। उन्होंने केन्द्रीय और राज्य स्तरों पर आपदा प्रबंधन पर अपने अनुभवों को साझा किया तथा बेहतर तैयारियों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता विकास के निर्णायक महत्व पर बल प्रदान किया।

श्री पी.जी. धर चक्रवर्ती, कार्यकारी निदेशक एनआईडीएम ने सम्मेलन, इसके उद्देश्यों, संरचना और कार्यसूची की व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत की। एक विशेष व्याख्यान में श्री राकेश हूजा, महानिदेशक, एचसीएम राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर ने विभिन्न हितधारकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, नीति निर्माताओं की जागरूकता, विकासात्मक आयोजना में आपदा प्रबंधन में आपदा प्रबंधन के एकीकरण, आदि के संदर्भ में राज्य एटीआई के आपदा प्रबंधन केन्द्रों (डीएमसी) की भूमिका और उनसे अपेक्षाओं का वर्णन किया। श्री हूजा ने सभी हितधारकों, जिनमें निम्नतम स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधि भी शामिल हैं, तक पहुंचने में डीएमसी द्वारा निभाई जा सकने वाली अर्थपूर्ण भूमिका पर विशेष रूप से बल प्रदान किया।

प्रथम दिन, सम्मेलन में 2007-2008 में सीखे गए सबकों तथा एनआईडीएम की वर्ष 2008-09 के लिए कार्यनीतियों; केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों की प्रशिक्षण

आवश्यकताओं; राज्य एटीआई के अनुभवों, आदि पर चर्चा की गई।

दूसरे दिन, एटीआई के आपदा प्रबंधन केन्द्रों ने वर्ष 2007-08 के दौरान क्रियाकलापों पर प्रस्तुतीकरण पेश किए तथा 2008-09 के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए। कार्यकारी निदेशक एनआईडीएम ने 2008-09 के लिए मसौदा कार्य-योजना के साथ चर्चाओं का समापन किया, जिसे कुछ आशोधनों के साथ सर्वसम्मति के साथ अंगीकृत किया गया। वर्ष 2008-09 के दौरान, एनआईडीएम 5 दिन की अवधि के लगभग 61 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करेगा जिसमें राज्यों की राजधानियों में 29 डीएमसी के लिए एक-एक कार्यक्रम होगा तथा एनआईडीएम परिसर में 32 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। एनआईडीएम 1-3 दिन की अवधि के 14 जागरूकता/प्रशिक्षण कार्यक्रम, 6 ऑनलाइन कार्यक्रम तथा केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की मांग के अनुसार कुछ क्षेत्र-विनिर्दिष्ट कार्यक्रम भी संचालित करेगा। प्रत्येक डीएमसी से 105 दिन की कुल अवधि के न्यूनतम 25 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने की अपेक्षा की जाती है जिनमें 490 व्यक्ति शामिल होंगे। ये केन्द्र आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य कर रहे राज्य स्तरीय विभागों, वैज्ञानिकों, तनकीकी, शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थानों, एनजीओ, कारपोरेट घरानों और व्यक्तियों को नेटवर्क में शामिल करेंगे तथा उनके साथ भागीदारियां स्थापित करेंगे तथा ऐसी संस्थानों और व्यक्तियों की संसाधन विषय-सूचियों को अद्यतन बनाएं तथा उसे एनआईडीएम के साथ साझा करेंगे।

एनआईडीएम में आपदा प्रतिक्रिया प्रभाग का सृजन

22. संस्थान में विद्यमान तीन प्रभागों अर्थात् भू-जोखिम और आपदा प्रबंधन प्रभाग, जल-मौसमविज्ञान, आईटी एवं जीआईएस प्रभाग तथा आयोजना, नीति और क्रॉस-कटिंग मुद्दे प्रभाग के अलावा फरवरी, 2008 से आपदा प्रतिक्रिया

प्रभाग सृजित किया गया है। श्री शालीन काब्रा, आईएस, संयुक्त निदेशक, एनआईडीएम इस नए प्रभाग के प्रमुख होंगे। उन्हें ले. कर्नल पी.के. पाठक, श्री अरुण सहदेव और सुश्री सुषमा गुलेरिया द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

यह प्रभाग घटना कमान प्रणाली (आईसीएस) पर पाठ्यक्रम संचालित करने, आपदा प्रतिक्रिया पर नए पाठ्यक्रम मॉड्यूल विकसित करने तथा अन्य प्रभागों द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में आपदा प्रतिक्रिया का एकीकरण करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके अलावा यह प्रभाग प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समन्वय करने तथा ऑनलाइन प्रशिक्षणों की आयोजना और प्रबंधन के लिए भी उत्तरदायी होगा।

शहरी बाढ़ मामला अध्ययन परियोजना पर हितधारकों की कार्यशाला

23. आठ भारतीय शहरों अर्थात् बेंगलूरु, भोपाल, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, सूरत में हाल में आई बाढ़ के अध्ययनों पर आधारित एक अनुसंधान परियोजना एनआईडीएम द्वारा संचालित की गई थी, जिसमें विभिन्न संस्थाओं जैसे आईआईटी, आईआईएस, सीपीआर, पर्यावरणीय शिक्षा केन्द्र, झील प्राधिकरणों आदि से पर्यावरणीय वैज्ञानिकों, योजनाकारों और जल-विज्ञानियों को शामिल किया गया था। कोलकाता के लिए शहर-अध्ययन रिपोर्ट पर कोलकाता में प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान में 8 मार्च, 2008 को आयोजित जागरूकता कार्यशाला में चर्चा की गई थी। इस कार्यशाला में कोलकाता नगर निगम, महानगर विकास प्राधिकरण, लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी और लोक निर्माण विभाग, जाधवपुर विश्वविद्यालय, बंगाल इंजीनियरी और विज्ञान विश्वविद्यालय, वेटलैड प्राधिकरण के विशेषज्ञों और वृत्तिकों, प्रख्यात एनजीओ के प्रमुखों आदि ने भाग लिया। प्रो. मोहित भट्टाचार्य, जिन्होंने अध्ययन का समन्वयन किया था, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे प्रतिभागियों द्वारा सराहा गया जिन्होंने अनेक सुझाव और टिप्पणियां

की जिनके आधार पर रिपोर्ट को अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा।

भूस्खलन प्रबंधन : वर्तमान परिदृश्य और भावी दिशा पर कार्यशाला

24. केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की में 'भूस्खलन प्रबंधन - वर्तमान परिदृश्य और भावी दिशा' पर हीरक जयंती सम्मेलन का आयोजन 10-12 फरवरी, 2008 तक किया गया था। इस सम्मेलन का उद्घाटन डा. टी. रामास्वामी, सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया गया।

सम्मेलन में 50 तकनीकी पत्र और सात आधार व्याख्यान



प्रस्तुत किए गए। सात विषयात्मक सत्रों के अंतर्गत जोखिम एवं संकट मैपिंग रिमोट सेंसिंग और जीआईएस अनुप्रयोग, भू-तकनीकी अध्ययन, इंस्ट्रुमेंटेशन, मॉनटरिंग और वार्निंग, नियंत्रण उपाय, गणितीय मॉडलिंग और मामला इतिहास जैसे विषय शामिल किए गए थे। इस सम्मेलन को कुछ प्राइवेट कारपोरेट क्षेत्र के भागीदारों के साथ-साथ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली द्वारा समर्थन प्रदान किया गया था। सम्मेलन के दौरान एनआईडीएम संकाय ने दो पत्र प्रस्तुत किए जिनमें से एक जियोटेक्सटाइल्स पर तथा दूसरा भूस्खलनों के लिए राष्ट्रीय आपदा सांख्यिकीय प्रणाली के विकास

पर था।

शिष्टमंडलों द्वारा दौरा

25. विश्व मौसम विज्ञान संगठन विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय मौसमविज्ञान विभाग के क्षेत्रीय विशेषीकृत मौसम विज्ञान केन्द्र के साथ सहयोजन के अधीन श्रीलंका, पाकिस्तान और थाइलैंड से तीन चक्रवात पूर्वानुमानविदों ने संस्थान के क्रियाकलापों का परिचय प्राप्त करने के लिए 24 जनवरी, 2008 को एनआईडीएम का दौरा किया। आगंतुकों को एनआईडीएम तथा भारत में आपदा प्रबंधन के सांस्थानिक ढांचे के बारे में प्रस्तुतीकरण दिया गया। तूफान की लहरों के संकट मापन तथा जोखिम आकलन पर भू-जानकारी की भूमिका पर आरएस एंड जीआईएस प्रयोगशाला में एक प्रदर्शन किया गया। उन्होंने संस्थान की वीपीएन सुविधा का अवलोकन भी किया।

कनाडा के भू-विज्ञापनी सर्वेक्षण का शिष्टमंडल

26. प्रो. पीटर टी. बोब्रोवस्की, सेक्रेटरी जनरल, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेस (जेयूजीएस), जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ कनाडा, डेनिस हैशे, उपनिदेशक, अंतर्राष्ट्रीय मामले, पृथ्वी विज्ञान क्षेत्र तथा डा. एंड्रजू रेंज, कार्यक्रम प्रबंधन, पर्यावरण और स्वास्थ्य के तीन-सदस्यीय शिष्टमंडल ने 28 जनवरी, 2008 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) का दौरा किया। डा. सूर्यप्रकाश ने एनआईडीएम की उत्पत्ति, दृष्टिकोण, मिशन, कार्यनीतियों और क्रियाकलापों के बारे में एक प्रस्तुतीकरण पेश किया। उन्होंने आपदा जोखिम और प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी के एकीकरण के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक वैज्ञानिक, अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थाओं के साथ एनआईडीएम की नेटवर्किंग के बारे में वर्णन किया। यह सूचित किया गया कि संस्थान वर्तमान में प्रशिक्षण डिजाइन, मॉड्यूल विकसित करने तथा

समूचे देश में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने का कार्य कर रहा है। प्रो. पीटर टी. बोब्रोवस्की, महासचिव ने राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण में एनआईडीएम की पहलों की सराहना की। उन्होंने उल्लेख किया कि जीएससी के लक्ष्य क्षेत्र भारत, चीन अफ्रीका और कुछ लातिन अमरीकी देश हैं। दोनों संगठनों के बीच सहयोग के संभावित क्षेत्रों की भी संयुक्त पहचान की गई। इनमें शामिल थे – आपदा प्रबंधन में जियोइफॉर्मेटिक्स अनुप्रयोग तथा सरकारी-निजी भागीदारी।

जर्मन एडवाइजरी काउंसिल फॉर ग्लोबल चेंज का शिष्टमंडल



27. जर्मन एडवाइजरी काउंसिल फॉर ग्लोबल चेंज (डब्ल्यूबीजीयू) के एक दस-सदस्यीय शिष्टमंडल ने 8 फरवरी, 2008 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का दौरा किया। जर्मन डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट के निदेशक डा. डिक मेसनेर ने शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। प्रो. वी.के. सेहगल ने संस्थान की ओर से शिष्टमंडल का स्वागत किया तथा एनआईडीएम की उत्पत्ति, अधिदेश, संरचना और क्रियाकलापों के बारे में एक प्रस्तुतीकरण पेश किया। शिष्टमंडल के प्रमुख डा. डिक मेसनेर ने डब्ल्यूबीसीयू की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की तथा मिशन के प्रयोजनों का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि उनका दल वैश्विक परिवर्तन के मुद्दों पर कार्य करने वाले भारत की विभिन्न

संस्थाओं के अध्ययन दौरे पर निकला है ताकि मुद्दों का सामना करने के लिए उनकी प्राथमिकताओं और कार्यवाही के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी हासिल कर सके। डब्ल्यूबीसीयू तथा एनआईडीएम के बीच भावी सहयोग के पहचाने गए क्षेत्रों में शामिल थे (1) जलवायु परिवर्तन परिदृश्यों के अंतर्गत जल-मौसमविज्ञान संबंधी जोखिमों की आवृत्ति और परिमाण के आधार पर उप-क्षेत्रीय स्तर पर जोखिम/सुभेद्यता मापन, (2) जलवायु परिवर्तन तथा जलवायु विविधता के नए संकटों के परिप्रेक्ष्य में आपदा शमनीकरण स्कीमों में आशोधन, (3) जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के साथ आपदा जोखिम न्यूनीकरण का सामंजस्य और (4) जलवायु परिवर्तन संबंधी आपदा जोखिम न्यूनीकरण के मुद्दों पर क्षेत्रीय स्तरीय पदाधिकारियों/प्रशासकों की क्षमता का निर्माण/प्रशिक्षण।

नामीबिया सरकार का शिष्टमंडल

28. प्रधानमंत्री कार्यालय, नामीबिया से एक तीन-सदस्यीय शिष्टमंडल ने एनआईडीएम तथा नामीबिया सरकार के बीच सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा करने के लिए 11 जनवरी, 2008 को एनआईडीएम का दौरा किया जिसमें सुश्री लोइनी न्यानवुक्वेनी, स्थायी सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, सुश्री सबनी कोवनाट्ज्की – पेल, निदेशक डीएचआर डी., प्रधानमंत्री कार्यालय (ओपीएम) तथा श्री नांगुला म्बाको, स्थायी सचिव ओपीएम शामिल थे तथा उनके साथ श्री बृज मोहन हरबोला, आईटीईसी, विशेषज्ञ और एनआईपीएम समन्वयक भी थे। चर्चाओं में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर ध्यान केन्द्रित किया गया था जिसमें विशेष बल प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण तथा भारतीय तननीकी और आर्थिक सहयोग प्रभाग (आईटीईसी) कार्यक्रमों पर प्रदान किया गया था।

दक्षेस आपदा प्रबंधन केन्द्र (एसडीएमसी)

29. एसडीएमसी की स्थापना एनआईडीएम के परिसर के भीतर की गई है तथा कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम एसडीएमसी के निदेशक भी हैं, जिसका औपचारिक रूप से उद्घाटन गृह मंत्री द्वारा 10 अक्टूबर, 2006 को किया गया था। एसडीएमसी के शासी मंडल की दूसरी बैठक 17-18 अक्टूबर, 2007 को आयोजित की गई थी जिसमें दक्षेस से सभी सदस्य राष्ट्रों द्वारा भाग लिया गया।

अंतर्राष्ट्रीय फोरम में एनआईडीएम

- श्री पी.जी. धर चक्रवर्ती, ईडी-एनआईडीएम ने निम्नलिखित बैठकों में भाग लिया :-
- जिनेवा में 25-26 अक्टूबर, 2007 को आयोजित संयुक्त राष्ट्र के केन्द्रीय आपात अनुक्रिया निधि (सीईआरएफ) के परामर्श ग्रुप की बैठक
- न्यूयार्क में 26 नवम्बर, 2007 को आयोजित यूएन-ओसीएचए के परामर्श ग्रुप की बैठक
- बैंकॉक में 17-18 दिसम्बर, 2007 को आयोजित द्वितीय एशियाई मंत्रालयी सम्मेलन की अनुवर्ती कार्यवाही पर यूएनआईएसडीआर-यूएनईएससीएपी बैठक।
- डा. अजिंदर वालिया, सहायक प्रोफेसर ने जेआईसीए द्वारा 26 अगस्त से 15 सितम्बर, 2007 तक कोबे, 'जापान में विद्यालयों में आपदा निवारण' पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।
- डा. अनिल के. गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर ने इतालवी विदेश व्यापार संस्थान, बारी तथा इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 2-4 अक्टूबर, 2007 तक मटेरा, बैसिलिटिका, इटली में 'पर्यावरणीय जोखिमों के निवारण, निगरानी और शमनीकरण के लिए अभिनव प्रौद्योगिकियां' पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लिया।
- सुश्री चन्द्राणी बंधोपाध्याय, सहायक प्रोफेसर ने

जेआईसीए द्वारा कोबे, जापान में 8 अक्टूबर से 23 नवम्बर, 2007 तक 'मेगा-अर्बन भूकंप आपदाओं की शमनीकरण कार्यनीतियों' पर प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम का आयोजन रिसर्च सेंटर ऑफ अर्बन सेफ्टी एंड सिक्यूरिटी (आरसीयूएसएस), कोबे विश्वविद्यालय तथा ह्यूगो इंटरनेशनल सेंटर, कोबे के सहयोग से किया गया था।

- ईडी एनआईडीएम और प्रो. संतोष कुमार ने ढाका, बांग्लादेश में सार्क देशों हेतु आयोजित 19-20 नवम्बर को 'समुदाय आधारित आपदा और तैयारी' पर आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला में भाग लिया।
- सुश्री श्रीजा एस. नैयर, सहायक प्रोफेसर ने होंजेन, चीन में 3-5 दिसम्बर, 2007 तक यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स (यूएनओओएसए) तथा चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी (सीएनएसए) द्वारा आयोजित यूनाइटेड नेशंस प्लेटफॉर्म फॉर स्पेस बेस्ड इंफार्मेशन फॉर डिजाइस्टर मैनेजमेंट एंड एमर्जेंसी रिस्पांस (यूएनएसपीआईडीईआर) कार्यशाला में भाग लिया।
- प्रो. वी.के. सेहगल तथा श्री विश्वनाथ दास, सहायक प्रोफेसर ने 6-7 दिसम्बर, 2007 को यूएन कांफ्रेस सेंटर बैंकांक में 'यूएन-इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम्स (आईओटीडब्ल्यूएस) कार्यक्रम पर ट्रांजीशन कार्यशाला में भाग लिया।

वित्त एवं लेखे

संस्थान के वित्त और लेखा प्रभाग के कार्यों में शामिल है – बजट बनाना, लेखाकरण, प्राप्तियों और भुगतानों का प्रबंध, वार्षिक लेखे तैयार करना और उनका संकलन, मंत्रालय को लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे प्रस्तुत करना। इसके अलावा, प्रभाग सलाह भी प्रदान करता है। तुलना-पत्र के साथ संस्थान की वर्ष 2007-08 की वार्षिक रिपोर्ट अनुबंध- 2 में दी गई है।

प्रकाशन

1. जर्नल डिजास्टर एंड डेवलपमेंट



जर्नल डिजास्टर एंड डेवलपमेंट, खंड 1, संख्या 2, मई, 2007 में 14 पत्र प्रकाशित किए गए।

फोटो गैलरी

आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर द्वितीय मंत्रीपरिषद् की बैठक



प्रधानमंत्री डा मनमोहन सिंह उद्घाटन भाषण देते हुये



माननीय गृहमंत्री शिवराज पाटिल उद्घाटन सत्र में अपने विचार रखते हुये



अनुबंध 1

वर्ष 2006-07 में एनआईडीएम द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र.	पाठ्यक्रम शीर्षक	स्थान	दिनांक	नियुक्त फैकल्टी	प्रति. की संख्या
अप्रैल - जून 2007					
1.	बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन	बिहार	24-27 अप्रैल	प्रो संतोष कुमार श्री अरुण सहदेव श्री बी दास	25
2.	औद्योगिक और रासायनिक आपदा	एनआईडीएम	25-27 अप्रैल,	डॉ अनिल गुप्ता डॉ ए डी कौशिक	34
3.	आपदा प्रबंधन में भू-सूचना की भूमिका	उत्तराखंड	7-11 मई	प्रो वी के सहगल सुश्री श्रीजा नायर	23
4.	व्यापक भूस्खलन जोखिम प्रबंधन पर टीओटी	एनआईडीएम	7-11 मई	डॉ सूर्य प्रकाश डॉ रितु राज	18
5.	आपदा स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन पर टीओटी	एनआईडीएम	14-18 मई	डॉ सुजाता सतपथी	38
6.	भूकंप जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन	असम	21-25 मई	प्रो सी घोष श्री आमीर अली खान	27
7.	बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन पर टीओटी	एनआईडीएम	28 मई - 1 जून	प्रो वी के सहगल श्री बी दास सुश्री सुषमा गुलेरिया	63
8.	राज्य आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण	त्रिपुरा	28 मई -1 जून	श्रीमती चंद्राणी बंदोपाध्याय श्री शेखर चतुर्वेदी	15
9.	व्यापक भूस्खलन जोखिम प्रबंधन	मिजोरम	4-8 जून	डॉ सूर्य प्रकाश डॉ रितु राज	32
10.	शहरी जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन पर टीओटी	एनआईडीएम	11-15 जून	श्रीमती चंद्रारानी बंदोपाध्याय	41
11.	मनोसमाजिक देखभाल आपदा पर टीओटी	एनआईडीएम	18-22 जून	डॉ सुजाता सतपथी	23
12.	व्यापक प्राकृतिक आपदा जोखिम प्रबंधन	एटीआई, नागालैंड	25-29 जून	श्री अरुण सहदेव श्री आमीर अली खान	18
जुलाई से सितम्बर 2007					
13.	आपदा प्रबंधन में लिंग मुद्दे पर टीओटी	एनआईडीएम	2-6 जुलाई	डॉ अजिंदर वालिया श्री शेखर चतुर्वेदी	15
14.	भूकंप जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन पर टीओटी	एनआईडीएम	9-13 जुलाई	प्रो सी घोष श्री ए ए खान	21
15.	जिला आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी	हरियाणा	23-27 जुलाई	श्री अरुण साहदेओ प्रो संतोष कुमार कर्नल पीके पाठक श्री शेखर चतुर्वेदी	22
16.	एनबीसी आपदाएं	एनआईडीएम	6-10 अगस्त	श्री अरुण सहदेव डॉ अनिल गुप्ता श्री शेखर चतुर्वेदी	30

17.	जिला आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी	कर्नाटक	20-24 अगस्त	प्रो संतोष कुमार श्री शेखर चतुर्वेदी	35
18.	बिल्डिंग कोड्स और डिजाइन पर टीओटी	एनआईडीएम	20-24 अगस्त	श्री ए ए खान प्रो सी घोष	44
19.	जिला आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी	मणिपुर	20-24 अगस्त	डॉ सूर्य प्रकाश सुश्री श्रीजा नायर	73
20.	जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन	राजस्थान	20-24 अगस्त	डॉ अनिल गुप्ता डॉ ए डी कौशिक	40
21.	चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन पर टीओटी	एनआईडीएम	27-31 अगस्त	श्री बी दास कर्नल पी के पाठक डॉ ए डी कौशिक	28
22.	यूएनएचसीआर के सहयोग से आपातकालीन और आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यशाला	होटल अशोक	27-31	सुश्री चंद्राणी बांदोपाध्याय	29
23.	सांस्कृतिक संपदा के जोखिम का प्रबंधन	एनआईडीएम	5-7 सितम्बर	सुश्री चंद्राणी बांदोपाध्याय	26
24.	फेमा, यूएसए के सहयोग से सार्वजनिक सूचना अधिकारियों के पाठ्यक्रमों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनआईडीएम	10-12 सितंबर	श्री अरुण सहदेव लेफ्टिनेंट कर्नल पीके पाठक	43
25.	जिला आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी	मध्य प्रदेश	10-14 सितम्बर	श्री ए ए खान डॉ रितु राज	22
26.	चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन	आंध्र प्रदेश	10-14 सितंबर	श्री बी दास सुश्री सुषमा गुलेरिया	27
27.	बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन पर टीओटी	एनआईडीएम	10-14 सितंबर	प्रो वी के सेहगल कर्नल पीके पाठक डॉ ए डी कौशिक	45
28.	आपदा स्वास्थ्य देखभाल और प्रबंधन	पश्चिम बंगाल	17-21 सितंबर	डॉ सुजाता सतपथी सुश्री चंद्राणी बांदोपाध्याय	30
29.	चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन	गुजरात	17-21 सितंबर	श्री विश्वनाथ दास सुश्री सुषमा गुलेरिया	27
30.	ईएमआई, फेमा, संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से व्यायाम डिजाइन और मूल्यांकन-मास्टर व्यायाम प्रैक्टिशनर्स प्रोग्राम पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रमों	एनआईडीएम	24-27 सितंबर	प्रो संतोष कुमार श्री अरुण साहदेव	31
31.	आपदा प्रबंधन में जीआईएस पर टीओटी	एनआईडीएम	8-12 अक्टूबर	प्रो वी के सेहगल सुश्री श्रीजा नायर	27
32.	जिला आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी	पंजाब	15-19 अक्टूबर	डॉ अजिंदर वालिया सुश्री सुषमा गुलेरिया	27
33.	भूकंप जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन	मेघालय	22-26 अक्टूबर	प्रो सी घोष श्री आमीर अली खान	33

34.	जिला आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी	उत्तर प्रदेश	12-16 नवंबर	श्री बी दास सुश्री सुषमा गुलेरिया	30
35.	आपदा मनो-सामाजिक देखभाल पर टीओटी	एनआईडीएम	19 -23 नवंबर	डॉ सुजाता सतपथी	33
36.	जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन	एनआईडीएम	26-30 नवंबर	डॉ अनिल गुप्ता डॉ ए डी कौशिक	27
37.	व्यापक भूस्खलन जोखिम प्रबंधन	अरुणाचल प्रदेश	26-30 नवंबर	डॉ सूर्य प्रकाश	40
38.	बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन	तेजपुर, असम	26-30 नवंबर	श्री बी दास सुश्री श्रीजा नायर	27
39.	औद्योगिक और रासायनिक आपदा	एनआईडीएम	3-7 दिसम्बर	डॉ अनिल गुप्ता	39
40.	भूकंप जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन पर टीओटी	एनआईडीएम	10-14 दिसम्बर	श्री आमीर अली खान प्रो सी घोष	35
41.	उत्तर और दक्षिण गोवा जिलों के अधिकारियों के लिए आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	गोवा	10-15 दिसम्बर	प्रो संतोष कुमार श्री अरुण साहदे	125
42.	व्यापक भूस्खलन जोखिम प्रबंधन	एनआईडीएम	17-20 दिसम्बर	डॉ सूर्य प्रकाश डॉ रितु राज	35
जनवरी - मार्च 2008					
43.	आपदा प्रबंधन में भू-सूचना की भूमिका	तमिलनाडु	7-11 जनवरी	प्रोफेसर वी.के. सहगल सुश्री श्रीजा नायर	16
44.	आपदा प्रबंधन में लिंग मुद्दे पर टीओटी	एनआईडीएम	14-18 जनवरी	डॉ अर्जींदर वालिया सुश्री सुष्मा गुलरिया	19
45.	जोखिम वित्त व्यवस्था और जोखिम बीमा	एनआईडीएम	15-18 जनवरी	प्रो संतोष कुमार श्री अरुण सहदेव श्री शेखर चतुर्वेदी	14
46.	चक्रवात प्रबंधन और न्यूनीकरण पर टीओटी	एनआईडीएम	21-25 जनवरी	श्री बी दास डॉ ए डी कौशिक	19
47.	सूखा न्यूनीकरण और प्रबंधन	उड़ीसा	4-8 फरवरी	प्रो वी के सहगल डॉ आर के मल	26
48.	बाल एवं स्कूल सुरक्षा	एनआईडीएम	11-15 फरवरी	डॉ सुजाता सतपथी डा अजिंदर वालिया	11
49.	आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	छत्तीसगढ़	11-15 फरवरी	श्रीमती चंद्राणी बंधोपाध्याय श्री शेखर चतुर्वेदी	38
50.	बिल्डिंग कोड्स और डिजाइन पर टीओटी	एनआईडीएम	18-22 फरवरी	प्रो सी घोष श्री ए ए खान	24
51.	सूखा न्यूनीकरण और प्रबंधन पर टीओटी	एनआईडीएम	10-14 मार्च	डा आर के मल डॉ ए डी कौशिक	26
52.	आपदा प्रबंधन में भू सूचना पर टीओटी	एनआईडीएम	24-28 मार्च	प्रोफेसर वी के सहगल सुश्री श्रीजा नायर	14

क्रियाकलाप 2008–09

प्रशिक्षण

1. संस्थान ने 1 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2009 तक की अवधि के दौरान आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर 72 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए। इनमें से, 28 कार्यक्रम प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों (एटीआई) के सहयोग से राज्यों की राजधानियों में आयोजित किए गए हैं। इन कार्यक्रमों में कुल 2105 प्रतिभागियों ने भाग लिया (अनुबंध-1)।

उपग्रह आधारित कार्यक्रम

2. एनआईडीएम ने चालू वर्ष के दौरान एटीआई मध्य प्रदेश और एटीआई कर्नाटक के सहयोग से दो उपग्रह आधारित कार्यक्रम भी संचालित किए। निम्नवत स्तर के 7000 से अधिक पदाधिकारियों ने इस कार्यक्रमों में भाग लिया।

ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम

3. संस्थान ने चालू वर्ष के दौरान विश्व बैंक संस्थान (डब्ल्यूबीआई) के सहयोग से 05 ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनमें से एक व्यापक आपदा जोखिम प्रबंधन पर तथा चार विशेषीकृत ऑनलाइन कार्यक्रम समुदाय आधारित जोखिम प्रबंधन, आपदा प्रबंधन में वित्तीय कार्यनीतियों, क्षति और पुनर्निर्माण आवश्यकता आकलन तथा सुरक्षित शहर पर आयोजित किए गए थे। कुल 408 प्रतिभागियों ने इन कार्यक्रमों से लाभ उठाया।

दक्षेस आपदा प्रबंधन केन्द्र

4. दिल्ली में स्थित दक्षेस आपदा प्रबंधन केन्द्र (एसडीएमसी) 8 दक्षिण एशियाई देशों का क्षेत्रीय संस्थान है। एसडीएमसी क्षेत्र में आपदा प्रबंधन पर अनेक कार्यक्रम संचालित कर रहा है।

एनआईडीएम के शासी निकाय की दूसरी बैठक

5. एनआईडीएम के शासी निकाय की दूसरी बैठक जनरल (सेवानिवृत्त) एन.सी. विज, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) की अध्यक्षता में एनआईडीएम के सम्मेलन सभागार में 23 अप्रैल, 2008 को आयोजित की गई। कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम ने अध्यक्ष और सदस्यों का स्वागत किया तथा कार्यसूची प्रस्तुत की जिसमें प्रथम बैठक में लिए गए निर्णयों पर की-गई-कार्रवाई की रिपोर्ट तथा एनआईडीएम की विस्तार योजना पर उप-समिति की रिपोर्ट शामिल थी। शासी निकाय ने अनुमोदित किया कि संस्थान के विद्यमान शैक्षणिक प्रभागों का छह प्रभागों में पुनर्गठन किया जाए, जब कभी भी अपेक्षित संकाय-सदस्यों की संख्या उपलब्ध हो। ये प्रभाग हैं (क) भू-वैज्ञानिक आपदा प्रभाग; (ख) जल- मौसमविज्ञान आपदा प्रभाग; (ग) मानव उत्प्रेरित आपदा प्रभाग; (घ) क्रॉस-कटिंग मुद्दे प्रभाग; (ड.) आपात अनुक्रिया प्रभाग; और (च) ज्ञान प्रबंधन और संचार प्रभाग। विभिन्न विषयों पर परियोजना आधार पर विशिष्ट क्रियाकलाप निष्पादित करने के लिए प्रकोष्ठों की स्थापना (विद्यमान संगठन के भीतर से) से की जाए, जैसे भूकंप सूक्ष्म-आंचलीकरण; भवन प्रौद्योगिकी और पश्चसुधार क्लीनिक; पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और आपदाएं; संकटकालीन जोखिम और सुभेद्यता मापन; सरकारी-निजी भागीदारी तथा शहरी जोखिम शमनीकरण। कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम, वरिष्ठ संकाय सदस्यों तथा अन्य संगठनों से तीन-चौथाई विशेषज्ञों से मिलकर बनी एक शैक्षणिक परिषद का गठन किया जाए। परिषद पर पाठ्यक्रम मॉड्यूलों, पाठ्यचर्या, मानव संसाधन विकास योजनाओं आदि पर विचार करने तथा उनका अनुमोदन करने का उत्तरदायित्व होगा। संस्थान आपात प्रबंधन, आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण, आपदाओं के साकल्यवादी प्रबंधन पर प्रशिक्षकों के विकास, आपदाओं के अनुसंधान और प्रलेखीकरण, ऑनलाइन और उपग्रह आधारित प्रशिक्षण तथा आपदा प्रबंध पर जानकारी को एकीकृत करने के संबंध में अपनी केन्द्रीय सक्षमताओं को एकीकृत करने के संबंध में अपनी केन्द्रीय सक्षमताओं का विकास करेगा। शासी निकाय ने संस्थान की अवसंरचना विकास योजना का अनुसमर्थन किया। एनआईडीएम आगामी तीन से चार वर्ष की

अवधि के भीतर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में अपना अति आधुनिक परिसर तैयार करेगा। संस्थान के पास प्रशिक्षण के लिए विशेषीकृत सुविधाएं होंगी, जैसे :



- आपात् कार्यवाही केन्द्र : यह गृह मंत्रालय में राष्ट्रीय आपात् कार्यवाही केन्द्रों का ही अनुकरण होगा, जिसमें बहु संचार चैनल, डिस्प्ले बोर्ड, संकेत आदि होंगे तथा यह एमएचए के एनईओसी के बैकअप केन्द्र के रूप में कार्य करेगा।
- रिमोट सेंसिंग और जीआईएस प्रयोगशाला : 30 वर्क स्टेशन जिनके पास वाणिज्यिक इमेज प्रक्रमण और जीआईएस साफ्टवेयर के लाइसेंस, आधुनिक श्रव्य-दृश्य गैजेट, विशाल फार्मेट डिजिटाइज़र, स्कैनर और प्रिंटर, मानचित्र पुस्तकालय, उपग्रह छवि पुस्तकालय होंगे।
- कम्प्यूटर केन्द्र : प्रशिक्षणार्थियों के लिए केन्द्रीयकृत सुविधा जिसमें 50 थिन क्लाइंटों को सेवा प्रदान करने वाले हाई एंड सर्वर, यूटीलिटी साफ्टवेयर, इंटरनेट संयोजनता, प्रिंटिंग एवं स्कैनिंग सुविधा उपलब्ध होगी।
- आपदा अनुकरण और मल्टीमीडिया प्रयोगशाला : आपदा प्रबंधन वृत्तिकों के कौशल आधारित प्रशिक्षण के लिए आपदा परिदृश्यों और अनुकरण अभ्यासों के विकास के लिए पूर्णतः सुसज्जित प्रयोगशाला।
- वीडियो कांफ्रेंसिंग प्रयोगशाला : सेमी-सर्कुलर स्टेज रोज़, वीएसएटी एवं आईएसडीएन संयोजनता में 30 कर्मियों के बैठ पाने की क्षमता वाली प्रयोगशाला।

- भूकंप इंजीनियरी प्रयोगशाला : शेक टेबल रेट्रोफिटिंग मॉडलिंग, भूकंप निगरानी तथा अन्य उपकरणों से सुसज्जित।
- माप यंत्रण प्रयोगशाला : सेंसरों, पूर्व-चेतावनी और संचार उपकरण, शोध और बचाव उपकरणों, प्रथमोपचार उपकरणों, अग्निशमन, जीपीएस का प्रदर्शन।
- प्रदर्शनी और संग्रहालय : बच्चों और जनता के लिए स्व-शिक्षण मॉडल जिसमें भौतिक मॉडल, अनुकरण, पूर्व आपदाओं के प्रदर्शन, स्टोरी लाइंस श्रेष्ठ प्रक्रियाओं का प्रदर्शन आदि हो।

विस्तार योजना को 12 वर्ष (2008-2020) की अवधि में क्रियान्वित किया जाएगा तथा इसमें निम्नलिखित चरण होंगे:-

- चरण 1 : (2008-10) : विकास का चरण
चरण 2 : (2010-15) : समेकन का चरण
चरण 3 : (2015-20) : वैविध्यीकरण का चरण

बैठक का समापन करते हुए अध्यक्ष ने हाल के वर्षों में एनआईडीएम द्वारा सभी संदर्भ में किए गए क्षमता निर्माण के विस्तार की प्रशंसा की तथा इस बात की आवश्यकता पर बल प्रदान किया कि एनआईडीएम को 241 आपदा प्रवण जिलों में अधिकारियों और समुदाय के प्रशिक्षण पर ध्यान-केन्द्रित करना चाहिए।

तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं तथा समुद्र क्षरण को शमनीकरण के लिए कार्य-योजना

6. समुद्र-क्षरण के साथ अतिसंबद्ध तटीय जोखिमों की समस्या की व्यापकता पर विचार करते हुए तथा तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित आजीविका को सुरक्षा प्रदान करने के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. 44/05/2017-एनडीएम-2 द्वारा तमिलनाडु के तीन जिलों अर्थात् तूतीकोरीन, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी

के तटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं और समुद्र-क्षरण के प्राकृतिक आपदाओं और समुद्र-क्षरण के प्रभाव का शमनीकरण करने के लिए एक कार्य-योजना तैयार करने के प्रयोजनार्थ तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों का दौरा करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया।

इस दल में नौ विशेषज्ञ थे तथा प्रो. वी.के. सहगल, एनआईडीएम ने इस दल के संयोजक के रूप में कार्य किया। समिति ने शमनीकरण की अपेक्षाओं को समझने के लिए चुनिंदा गांवों का दौरा किया तथा जिला प्रशासन, समुदाय के नेताओं और आम जनता के साथ विचार-विमर्श किया। हितधारकों और दल के सदस्यों के मध्य हुए गहन विचार-विमर्श और चर्चा के उपरान्त दल ने 18 जून, 2008 पर गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी।

दल ने अपनी रिपोर्ट में जोखिमों के शमनीकरण, क्षरण के निवारण तथा मछुआरा समुदायों के लिए आजीविका प्रदान करने के प्रयोजनार्थ तटीय गांवों के लिए अनेक संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपायों की अनुशंसा की। इन उपायों के संबंध में की गई सिफारिशों में शामिल था : पुलिनरोधों-सह-मत्स्य लैंडिंग केन्द्रों का निर्माण, बहु-जोखिम आश्रयों का निर्माण, समुद्र दीवारों की मरम्मत, बालू के टीलों का स्थरीकरण, कैसुएरियंस का शैल्टर-बैल्ट रोपण, कच्छ वनस्पति का पुनरुद्धार, नौकाओं के लिए निगरानी और नौवहन उपकरण, चेतावनी का प्रचार-प्रसार तथा संचार प्रणाली, आपदा तैयारियों और वैकल्पिक आजीविका व्यवसायों में समुदाय का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तथा तटीय अवसंरचना का निर्माण जैसे सुरक्षित मल-जल निपटान के लिए प्रावधान, पेयजल स्कीम, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, समुदाय भवन, मत्स्य लैंडिंग और प्रोसेसिंग केन्द्र, सड़कों, पुलियाओं, पुलों के परिवहन नेटवर्क का पुनर्निर्माण।

शमनीकरण परियोजनाओं का लागत लाभ विश्लेषण

7. आपदा शमनीकरण परियोजनाओं के लागत-लाभ विश्लेषण पर दो-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 30 जून से 1 जुलाई, 8 तक एनआईडीएम में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य थे (1) यह पुष्टि करने के लिए साक्ष्य आधारित सूचना प्रदान करना कि डीआरआर पहलों में निवेश का आर्थिक मूल्य है (2) विभिन्न प्रकार के डीआरआर के बीच एक विश्लेषणात्मक उपकरण के रूप में चुनने के लिए लागत लाभ विश्लेषण करना (3) मानवीय राहत और विकास प्रोग्रामिंग दोनों में तथा परियोजनाओं का मसौदा तैयार करने में एक उल्लेखनीय अवयव के रूप में डीआरआर का उपयोग करना तथा डीआरआर क्रियाकलापों की निवेश क्षमता को प्रदर्शित करना।

अस्पताल आपदा प्रबंधन योजना (एचडीएमपी) तथा जिला स्वास्थ्य योजना (डीएचपी) तैयार करने के लिए मॉडल टेम्पलेट के विकास पर कार्यशाला



8. अस्पताल आपदा प्रबंधन योजना (एचडीएमपी) तैयार करने के लिए मॉडल टेम्पलेट पर कार्यशाला का आयोजन 22-23 मई, 2008 तक किया गया था। दिल्ली सरकार के 53 वरिष्ठ स्तर के चिकित्सकों, चिकित्सा अधीक्षकों, अस्पताल प्रशासकों और कैजुअल्टी मेडिकल अधिकारियों ने कार्यशाला में भाग लिया। दूसरी कार्यशाला का आयोजन जिला स्वास्थ्य योजना (डीएचपी) के मॉडल टेम्पलेट के विकास के लिए 4-5 जून, 2008 को किया गया था। 40 सीडीएमओ और डीसीडीएसओ ने इस कार्यशाला

में भाग लिया। कार्यशाला में यह निर्णय लिया गया कि मॉडल डीएचपी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के सभी 9 जिलों के लिए जिला आपदा प्रबंधन योजना के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए।

नए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आरंभ करना

9. आपदा प्रबंधन चक्र के सभी चरणों और पहलुओं को शामिल करने के लिए क्षमता के विकास करने के अपने अधिदेश का अनुपालन करने के लिए एनआईडीएम नए क्षेत्रों में अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विविधतापूर्ण बना रहा है। वर्ष 2008-09 के दौरान 20 नए कार्यक्रम आरंभ किए जाएंगे। इस तिमाही के दौरान तीन नए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए अर्थात् (1) मलबा प्रबंधन (2) सीरियल बम ब्लास्ट का प्रबंधन (3) शमनीकरण परियोजनाओं का लागत लाभ विश्लेषण।

मलबा प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

10. आपदा उपरांत परिदृश्य में मलबा प्रबंधन मुद्दों के विषय में प्रतिभागियों को परिचित कराने के लिए एक मलबा प्रबंधन पर दो-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण क्रियाविधि में व्याख्यान, मामला अध्ययन और संयुक्त अभ्यास तथा पैनल चर्चा शामिल थे। विभिन्न राज्यों से मलबा प्रबंधन क्रियाकलापों की आयोजना, प्रबंधन और क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी नगर निगमों, यूएलबी, लोक निर्माण विभागों, राजस्व विभागों आदि के 39 प्रतिभागियों ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

सीरियल बम ब्लास्ट पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

11. सीरियल बम ब्लास्ट के प्रबंधन पर दो-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसका उद्देश्य प्रतिभागियों को सीरियल बम ब्लास्ट प्रबंधन के महत्वपूर्ण मुद्दों को समझाना तथा भविष्य में ऐसे किसी हादसे की स्थिति में त्वरित अनुक्रिया, राहत और सामान्य

स्थिति बहाल करने की योजना से अवगत कराना था। राज्य सरकारों, पुलिस, राजस्व, अग्नि-शमन और आपातकालीन सेवाओं, स्वास्थ्य विभागों आदि से 44 प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में भाग लिया।

भारत में आपदा प्रबंधन का वित्त पोषण

12. भारत में आपदा प्रबंधन के वित्त-पोषण के अध्ययन के लिए प्रारंभन कार्यशाला का आयोजन दक्षेस सम्मेलन सभागार, एनआईडीएम, नई दिल्ली में 2 जुलाई, 2008 को किया गया था। इसमें 12 राज्यों के प्रधान सचिवों (राजस्व एवं डीएम) अथवा उनके नामितियों तथा विभिन्न मंत्रालयों/शैक्षणिक संगठनों के विशेषज्ञों ने भाग लिया। इसका उद्घाटन डा. संजय मिश्रा, माननीय सदस्य, बारहवां वित्त आयोग द्वारा किया गया। अपने उद्घाटन संबोधन में, उन्होंने इस बात पर बल प्रदान किया कि बारहवें वित्त आयोग को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के फलस्वरूप आपदाओं के लिए वित्त-पोषण की अनुशंसा करने का संयुक्त अधिदेश प्राप्त हुआ है जिसके उपबंध निर्धारित करते हैं कि शासन के विभिन्न स्तरों पर अनुक्रिया और शमनीकरण निधियों की स्थापना की जाएगी। आयोग के सम्मुख आने वाले मुद्दों में सर्वप्रथम शामिल की गई आपदाओं की परिभाषा और प्रकृति थी; क्या मानव-निर्मित आपदाओं के आबंटन के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। दूसरे, अधिनियम द्वारा यथाअधिदेशित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि की संरचना की समीक्षा की जाने की आवश्यकता है कि क्या एनसीसीएफ को एनडीआरएफ में



विलयित कर दिया जाना चाहिए अथवा इसे एक पृथक सत्ता के रूप में ही छोड़ दिया जाना चाहिए।

कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम ने भारत में आपदा प्रबंधन का विहंगावलोकन प्रस्तुत किया। उन्होंने विभिन्न विचार किए जाने वाले मुद्दों का वर्णन किया, जिनमें शामिल थे – आपदाओं के प्रकार और उनकी वित्तीय विवक्षाएं, राष्ट्रीय स्तर की निधियों की स्थापना और विद्यमान निधियों की स्थिति, राष्ट्रीय निधि में डेबिट किए जाने वाले व्ययों के प्रकार, निधि में केन्द्रीय और राज्य सरकारों के अंशदानों का हिस्सा, भयावह आपदाओं का वित्त-पोषण तथा निधियों का अनुरक्षण, सांस्थानिक तंत्र तथा बीमा और पुनर्बीमा उपाय जो वित्त-पोषण के लिए प्रारंभ किए जा सकते हैं। श्री वी.एस. सेंथिल, संयुक्त सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने उल्लेख किया कि आपदाओं के वित्त-पोषण के लिए वर्तमान प्रणाली की पुनः समीक्षा किए जाने तथा प्रणाली में से श्रेष्ठ लाभ हासिल करने के लिए उसका पुनरुद्धार किए जाने की आवश्यकता है। आपदा राहत गैर-योजना व्यय का एक महत्वपूर्ण भाग है। उनकी राय थी कि सरकार द्वारा नियंत्रित ध्यान-केन्द्रण के स्थान पर बीमा तथा पुनर्बीमा की भूमिका पर प्रणाली में अधिक बल दिया जाना चाहिए। एक सुदृढ़ विधिक क्रियान्वयन प्रणाली के साथ मामलों का निपटान जल्द और दक्षतापूर्ण किया जाना चाहिए।

रासायनिक आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय कार्यशाला

13. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय ने संयुक्त रूप से स्कोप कांप्लेक्स, नई दिल्ली में 30 सितम्बर से 1 अक्टूबर, 2008 को दो-दिवसीय राष्ट्रीय रासायनिक आपदा प्रबंधन कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का आयोजन देश में रासायनिक आपदाओं के निवारण, तैयारी और प्रबंधन की वर्तमान स्थिति का आकलन करने, खामियों की पहचान करने तथा रासायनिक आपदाओं के लिए राष्ट्रीय नीतियों और दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन के लिए एक कार्य-योजना तैयार करने के लिए किया गया था।

कार्यशाला का उद्घाटन श्री आर.एच. ख्वाजा, अपर सचिव,



भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा किया गया था। अपने उद्घाटन संबोधन में उन्होंने विभिन्न विधियों और दिशा-निर्देशों में निर्धारित प्रावधानों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक कार्य-योजना की आवश्यकता पर बल प्रदान किया। श्री पी.जी. धर चक्रवर्ती, कार्यकारी निदेशक एनआईडीएम ने उद्घाटन सत्र के दौरान जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर रासायनिक आपदा जोखिम के समुचित एकीकरण के लिए आवश्यकता पर बल प्रदान किया। कार्यशाला में विभिन्न केन्द्रीय/राज्य मंत्रालयों/विभागों अर्थात् कारखाने और बॉयलर, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्वास्थ्य, पुलिस, अग्नि-शमन, उद्योग और वाणिज्य, औद्योगिक घरानों, एनजीओ तथा अग्रणी कारपोरेट एजेंसियों (सीआईआई, एफआईसीसीआई और एसोचैम आदि) के 140 वरिष्ठ/शीर्ष अधिकारियों ने भाग लिया।

आपदा-प्रबंधन पर परामर्श आवश्यकताओं और सेवाओं पर कार्यशाला

14. आपदा प्रबंधन में परामर्शी आवश्यकताओं और सेवाओं पर दो-दिवसीय कार्यशाला का संयुक्त रूप से आयोजन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, परामर्श विकास केन्द्र (सीडीसी) और भारतीय बैंक विकास और उत्कृष्टता प्रबंधन अकादमी (इमेज) द्वारा इमेज हाल, चेन्नई, तमिलनाडु में किया गया था। कार्यशाला का प्रयोजन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान और

प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया था। विभिन्न सरकारी विभागों जैसे कृषि, मात्स्यिकी, दमकल, लोक निर्माण, होम गार्ड, जल आपूर्ति, पालिका प्रशासन, वैज्ञानिक/शैक्षणिक संस्थाओं जैसे एनआईओटी इंजीनियरी कॉलेजों, प्राइवेट क्षेत्र, यूएन संगठनों तथा एनजीओ के 36 प्रतिनिधियों ने कार्यशाला में भाग लिया।

आपदा प्रबंधन को अनेकानेक बहुविषयक कौशलों तथा आधुनिकतम प्रौद्योगिकियों, शीघ्र चेतावनी प्रणालियों, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तथा निर्माण प्रक्रियाओं में विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। प्रायः अभिहित आपदा प्रबंधकों के मध्य ऐसे कौशल पाना कठिन होता है। अतः परामर्शक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाती है। परामर्शकों के पास विनिर्दिष्ट तकनीकी कौशल तथा विशेषज्ञता होती है तथा वे अत्याधुनिक वैज्ञानिक अभिनवताओं से भी परिचित होते हैं। वे नेमी प्रशासनिक नौकरियों के अतिरिक्त बोझ के बिना निर्दिष्ट दत्त-कार्यों पर कार्य करते हैं तथा उच्च गुणवत्ता वाले परिणामों के साथ अपने लक्ष्यों की दक्षतापूर्ण प्राप्ति करने में सहायता करते हैं। दूसरी ओर, परामर्शक विश्व के अन्य देशों का अनुभव रखने वाले परामर्शक स्थानीय स्थितियों, आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं से परिचित नहीं हो सकते हैं। नैसर्गिक समस्याओं तथा पारंपरिक निवारण तंत्रों और प्रक्रियाओं को समझना, विनिर्दिष्ट कौशलों के साथ समान रूप से महत्वपूर्ण है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में आई प्रमुख आपदाओं के उपरांत आपदा प्रबंध की अंतर्विषयक और प्रति-क्षेत्रक प्रकृति ने आपदा-उपरांत आवश्यकताओं, विशेष रूप से पुनर्निर्माण और पुनर्वास के संदर्भ में, का निवारण करने के लिए सरकार की सहायता करने के लिए स्वतंत्र परामर्शकों के लिए अवसर खोल दिए हैं।

एनआईडीएम को प्रदान किए गए आईसीएस प्रशिक्षण की आयोजना और समन्वय का नोडल उत्तरदायित्व

15. वर्ष 2003, गृह मंत्रालय ने निर्णय लिया कि

यूनाइटेड स्टेट्स की घटना कमान प्रणाली (आईसीएस) का अनुकूलन भारतीय परिस्थितियों के लिए किया जाए तथा उसे देश की आपात्कालीन स्थितियों के प्रबंधन के लिए अंगीकृत किया जाए। यह परिकल्पना की गई थी कि जिला मजिस्ट्रेट, राज्य राहत कमीशनर और केन्द्रीय राहत कमीशनर के नेतृत्व के अधीन क्रमशः जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर 7 कोर रखने वाला 1 एचक्यू दल और 18 आनुषंगिक पोजीशन तथा 2 अथवा अधिक जिला घटना कमान दल (डीआईसीटी) और 2 विशेषीकृत राज्य घटना कमान दल (एसआईसीटी), जिनमें प्रत्येक में 8 कोर और 24 आनुषंगिक पोजेशन होगी, विकसित किए जाएं। 20394 कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए 45 माह (जनवरी, 2004 से सितम्बर, 2007) का रोड-मैप तैयार किया गया तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन का उत्तरदायित्व एलबीएसएनएए, मसूरी, 6 क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों अर्थात् हैदराबाद, पुणे, भोपाल, जयपुर, रांची, गुवाहाटी तथा 29 प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों को सौंपा गया। 20394 पदाधिकारियों के लक्ष्य की तुलना में, केवल 648 व्यक्तियों (3.2 प्रतिशत) को ही प्रशिक्षित किया गया किसी भी राज्य अथवा जिले ने एचक्यू और आईसी दल गठित नहीं किए। एमएचए ने अगस्त, 2008 में आईसीएस प्रशिक्षण और सांस्थानीकरण की प्रगति की स्थिति की समीक्षा की और निर्णय लिया कि आगे से एनआईडीएम के पास आईसीएस प्रशिक्षण के आयोजन और समन्वय का नोडल उत्तरदायित्व होगा जबकि एलबीएसएनएए आईएसएस परिवीक्षार्थियों और प्रवेशकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी होगा। एमएचए ने एनआईडीएम से यह भी कहा कि वह आईसीएस के प्रशिक्षण और सांस्थानीकरण के लिए भावी कार्यक्रम तैयार करे। एनआईडीएम ने 3 सितम्बर, 2008 को एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया तथा उसके उपरांत एक संशोधित भावी कार्यक्रम तैयार किया तथा उसे 8 सितम्बर, 2008 को एमएचए को प्रस्तुत किया गया। राज्य और जिलों में शेष रह गए प्रशिक्षणार्थियों तथा राज्य स्तरीय आईसीएस दलों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 30 माह की अवधि में इस स्कीम के क्रियान्वयन के लिए 24.49 करोड़ रुपए की कुल बजटीय सहायता का अनुमान लगाया गया है।

नैना देवी मंदिर में मची भगदड़ के स्थल का दौरा

16. श्री शालीन काब्रा, संयुक्त निदेशक एनआईडीएम ने श्री शेखर चतुर्वेदी और श्री जितेन्द्र सिंह के साथ 6-7 अगस्त, 2008 को नैना देवी भगदड़ स्थल का दौरा किया जिसका उद्देश्य तीर्थ स्थलों के महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान करना तथा तीर्थस्थलों में व्यापक लोगों के जमा होने के प्रबंधन में सुधार करने के उपाय सुझाना था। भगदड़ की यह घटना 3 अगस्त, 2008 को घटी थी जब हिमाचल प्रदेश में नैना देवी मंदिर स्थल में भूस्खलन होने की अफवाह से मची भगदड़ में लगभग 150 श्रद्धालु मारे गए थे। दल का उद्देश्य तीर्थस्थलों के लिए एक आदर्श आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना था ताकि ऐसी घटनाओं को निवारित और प्रबंधित किया जा सके। घटना के कारणों पर जानकारी के साथ एक प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है जिसमें भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए सिफारिशें भी दी गई हैं।

भूकंप प्रतिक्रिया और पुनर्सुधार पर एकीकृत आपात प्रबंधन पाठ्यक्रम एनआईडीएम ने फेडरल एमेर्जेंसी मैनेजमेंट एजेंसी (एफईएमए), गृह और सुरक्षा विभाग, यूएसए के अंतर्गत एमेर्जेंसी मैनेजमेंट इंस्टिट्यूट (ईएमआई) के साथ आपदा प्रबंधन के विविध पहलुओं पर प्रशिक्षण और क्षमता विकास के लिए एक सहयोगी करार पर हस्ताक्षर किए। संस्थान ने ईएमआई, एफईएमए, यूएसए के साथ सहयोग करते हुए 15-18 सितम्बर, 2008 को नई दिल्ली में “भूकंप प्रतिक्रिया और पुनर्सुधार” पर एक एकीकृत आपात प्रबंधन पाठ्यक्रम (आईईएमसी) का आयोजन किया।

आईईएमसी में अनुकरण अभ्यास

17. अनुकरण अभ्यास का संचालन अभ्यास नियंत्रकों, प्रेक्षकों और निरीक्षकों के दल द्वारा किया जाता है। संचालित

किए गए अभ्यास में, पाठ्यक्रम के दौरान ईओसी दल ने आपदा से प्रभावित लोगों के जीवन और आजीविका के संरक्षण, विभिन्न स्तरों पर हितधारकों के बीच समन्वय और संप्रेषण तथा त्वरित प्रतिक्रिया के लिए कार्यकुशल और दक्ष पद्धतियों के अनुप्रयोग पर ध्यान-केन्द्रित किया। भूकंप अनुकरण अभ्यास के लिए दिल्ली सरकार के प्रतिभागियों को तीन स्तरों पर विभाजित किया गया था:

नीति समूह : नीति समूह में प्रमुख विभागों के विभागाध्यक्ष/वरिष्ठ स्तर के अधिकारी शामिल थे। यह समूह अभ्यास नियंत्रकों द्वारा उत्पन्न की गई स्थितियों पर चर्चा करने, नीतिगत निर्णय लेने, प्रतिक्रिया, पुनर्सुधार और शमनीकरण नीतिगत निर्णय लेने तथा मीडिया/राजनीतिक प्रमुखों को उसकी सूचना देने के लिए उत्तरदायी था।



ईओसी ग्रुप : इस समूह में विभिन्न संबंध विभागों और जिला प्रशासन के वरिष्ठ और मध्यम स्तर के अधिकारी शामिल थे जिन्हें स्थिति का आकलन करना था, संसाधनों की आवश्यकताओं को आकलित करना था, अपने सहयोगियों के साथ समन्वय करना था तथा आपदा का सामना करने और सभी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए संसाधनों को प्रबंधित करना था।

प्रचालन समूह : यह समूह आपदा प्रबंधन योजना तथा अनुकरण की गई क्षेत्रीय परिस्थितियों में प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए उत्तरदायी था। इस समूह में जिले

के निम्नतम स्तरों पर कार्य करने वाले कार्मिक शामिल थे, जो पुलिस, दमकल सेवा, आपातकालीन चिकित्सा सेवा, लोक निर्माण, प्रसुविधा कंपनियों स्वैच्छिक संगठनों आदि में कार्यरत थे। अनुकरण अभ्यास के दौरान समूह को कमान की श्रृंखला, वैयक्तिक संगठनों तथा विषय क्षेत्रों के मध्य सूचना के प्रवाह तथा आपदा की स्थिति में किसी अन्य प्रचालन मुद्दे का निवारण करने का कार्य सौंपा गया था।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के शासी निकाय की तीसरी बैठक

18. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली के शासी निकाय की तीसरी बैठक जनरल (सेवानिवृत्त) एन.सी. विज, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार एवं अध्यक्ष, शासी बोर्ड, एनआईडीएम की अध्यक्षता में संस्थान के सम्मेलन कक्ष में 27 नवम्बर, 2008 को आयोजित की गई।



चर्चा का प्रारंभ करते हुए अध्यक्ष ने उल्लेख किया कि एनआईडीएम के पास आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, अनुसंधान और प्रलेखीकरण का महत्वपूर्ण अधिदेश है। उन्होंने सराहना की कि संस्थान सीमित संसाधनों तथा अवसंरचना के साथ एक उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि संस्थान की संकाय क्षमता में संवर्धन किया जाना होगा, यदि इसे भारत में और क्षेत्र में आपदा प्रबंधन पर उत्कृष्टता का केन्द्र बनने के अपने लक्ष्य की पूर्ति करनी है।

बैठक के दौरान, वर्ष 2008-09 के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर, केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम और अन्य परियोजनाओं जैसे राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमनीकरण कार्यक्रम, भूकंप और जोखिम प्रबंधन में इंजीनियरों और वास्तुविदों के लिए राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम, भारत में घटना कमान प्रणाली पर प्रशिक्षण और सांस्थानीकरण, भारत आपदा नॉलेज नेटवर्क (आईडीकेएन), भारत आपदा संसाधन नेटवर्क (आईडीआरएन) तथा द्वितीय भारत आपदा प्रबंधन कांग्रेस (आईडीएमसी) की प्रगति पर चर्चा की गई। सदस्यों ने संस्थान के लिए रणनीतिक योजना तथा वर्ष 2009-10 के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए रणनीतिक ढांचे पर भी चर्चा की। इसके अलावा, अनुसंधान और परामर्शी योजनाओं जैसे श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (कटरा, जम्मू-कश्मीर), दिल्ली जल बोर्ड, समर्पित माल भाड़ा कारीडोर रेलवे बोर्ड और सेवा जल-विद्युत परियोजना, एनएचपीएल के लिए आपदा प्रबंधन योजनाओं पर भी चर्चा की गई।

उक्त मुद्दों पर पर्याप्त विचार-विमर्श के उपरांत, बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए। कार्य-योजनाएं तैयार की गई : (1) चूंकि नोडल मंत्रालय विभिन्न क्षेत्रों पर विषय विशेषज्ञों के संबंध में एनआईडीएम को सहायता प्रदान करने की स्थिति में नहीं हैं, संस्थान वृत्तिक कार्मिकों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए परामर्शक नियुक्त करेगा, (2) शासी निकाय ने पूर्व बैठक में लिए गए निर्णयों पर पुनः विचार किया तथा यह निर्णय लिया कि चयनित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को आपदा प्रबंधन से संबंधित विनिर्दिष्ट विषय-क्षेत्रों पर चेयर्स स्थापित करने का अनुरोध किया जाए; (3) गृह मंत्रालय से यह अनुरोध किया जाए कि वह संस्थान को अंतरित की गई विभिन्न स्कीमों और परियोजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति में सुधार के लिए उस मंत्रालयी स्टाफ की सेवाएं एनआईडीएम को अंतरित करे जो इन स्कीमों का कार्य मंत्रालय में देख रहे थे; (4) एनआईडीएम मंत्रालय को अनुरोध करेगा कि वह भूकंप जोखिम प्रबंधन में इंजीनियरों और वास्तुविदों की क्षमता के निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, जिसे एनआईडीएम को अंतरित किया गया है, के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक

कार्मिक और निधियां उपलब्ध कराए; (5) एनआईडीएम आईसीएस के सांस्थानीकरण तथा संशोधित प्रचालनात्मक नियमावली तैयार करने के लिए कार्य-रीतियों पर चर्चा करेगा। आईसीएस प्रशिक्षण और सांस्थानीकरण के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की जाएगी; (6) एनआईडीएम प्राकृतिक आपदा के पीड़ितों को राहत सहायता के संचालन पर निगरानी रखने के लिए एनडीएमए के साथ संयुक्त रूप से एडीएमएटीआर IX के पैटर्न के अनुसार आईडीकेएन के समान नेटवर्क का विस्तार करेगा; (7) संस्थान आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए परामर्श संचालित करेगा; और (8) द्वितीय भारत आपदा प्रबंधन कांग्रेस को नवम्बर, 2009 तक टाल दिया गया।

एनआईडीएम की रणनीतिक योजना 3 विशिष्ट चरणों की अनुशांसा करती है जिनके अनुसार संस्थान द्वारा एशिया और प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय उत्कृष्टता का केन्द्र बनने के लिए प्रमुख क्रियाकलाप संचालित किए जाएंगे। प्रथम चरण में (1-2 वर्ष), एनआईडीएम पाठ्यचर्या की योजना बनाकर, प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आकलन करके कोर्सवेयर में विकास और शिक्षण कार्यक्रमों को तैयार करके जिनमें उपग्रह और वीडियो कांफ्रेंसिंग आधारित कार्यक्रम भी शामिल हैं, अपने आधार को सुदृढ़ बनाएगा। द्वितीय चरण में (3-7 वर्ष), यह आपदा प्रबंधन के लिए ज्ञान और कौशलों का प्रमुख योगदान करते हुए परिवर्तन प्रतिनिधि की भूमिका निभाएगा। यह सक्षमताओं में वृद्धि करने तथा प्रशिक्षण, शिक्षा, शोध और नीति निर्माण के लिए विस्तारित उद्देश्यों के साथ अपनी संगठनात्मक विकास की समीक्षा करने के लिए भागीदारियां विकसित करेगा। अंतिम चरण (8-10 वर्ष) में, एनआईडीएम अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों तक पहुंचने के प्रयास करेगा ताकि वह उनकी क्षमताओं में वृद्धि करने में सहायता कर सके। वर्ष 2009-10 के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए रणनीतिक ढांचे को अनुमोदित कर दिया गया है, जो व्याख्यान आधारित कार्यक्रमों से अनुकरण और अभ्यास आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की ओर रूपांतरण की हिमायत करता है तथा वेब आधारित स्व अध्ययन पाठ्यक्रमों को भी प्रोत्साहित करता है।

आपदा प्रबंधन पर प्रथम विश्व कांग्रेस – डब्ल्यूसीडीएम 2008

19. आपदा प्रबंधन, अवसंरचना और नियंत्रण सोसाइटी (डीएम-आईसीएस) ने आंध्र प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से राष्ट्रीय निर्माण अकादमी, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में 21-24 अक्टूबर, 2008 तक चार-दिवसीय आपदा प्रबंधन विश्व कांग्रेस (डब्ल्यूसीडीएम) का आयोजन किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) जेएनटी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान तथा एनएसी प्रमुख सहयोगी थे तथा इस कांग्रेस को यूएनआईएसडीआर, यूनीसेफ, एसओसी, यूएनएफपीए, आईसीओआईएस, उस्मानिया विश्वविद्यालय और सत्यम कम्प्यूटर्स द्वारा सहयोग प्रदान किया गया था।



इस समारोह के लिए समूचे विश्व से अत्यंत उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई थी तथा यह आपदा प्रबंधन नीतियों को तैयार करने के लिए एक ऐतिहासिक आयोजन बन गया। सभी क्षेत्रों से वृत्तिकों ने इस कार्यशाला में भाग लिया जैसे वैज्ञानिक, शोधकर्ता, पर्यावरणविद्, इंजीनियर, नीति निर्माता, प्रशासक उद्योगपति, मीडिया, सरकारी और गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), स्थानीय सरकार की संस्थाएं, शैक्षणिक निकाय तथा आपदा से जुड़े क्रियाकलापों के कार्य को करने वाली अन्य संस्थाएं। इस कांग्रेस के विषयों में शामिल था – संयुक्त राष्ट्र के उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा पहचानी गई आपदाएं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए त्वरित विकास के बावजूद मानव समाज अभी भी प्राकृतिक तथा

मानव-निर्मित आपदाओं के प्रति सुभेद्य है। समाज की निरंतर बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन आपदाओं का प्रमुख कारण है। कुछ शहरी क्षेत्रों में पर्यावरणीय अपक्षयन तथा जनसंख्या के संकेन्द्रण में भी आपदा के प्रभावों में वृद्धि होती है। यह बात स्पष्ट है कि मानव समाज ऐसी आपदाओं का सामना करने तथा इनका निवारण करने के लिए निरंतर संघर्ष करता रहा है। भूकंप, सुनामी, चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन, सूखा जैसी आपदाएं तथा अन्य जोखिम निरंतर बढ़ती हुई आवृत्ति के साथ निरंतर घटित हो रहे हैं। 1999 के महाचक्रवात ने उड़ीसा में व्यापक तबाही मचाने के साथ-साथ 10,000 लोगों की जान ले ली थी। दिसम्बर, 2004 में आई सुनामी (बांदा एश. इंडोनेशिया) ने विभिन्न देशों में 2,50,000 से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, जबकि तटीय अमेरिका, विशेष रूप से न्यू ओरिएंट (डेनिस, एमिलु, कैटरिना और रीटा) ने अनेकों लोगों को बेघरवार कर दिया था। 8 अक्टूबर, 2005 को हिमालय में आए 7.6 परिमाण के भयानक भूकंप ने 80,000 से अधिक लोगों की जान ले ली तथा अनेकों लोगों को भीषण सर्दी में बिना छत के रहने के लिए विवश कर दिया। जनवरी, 2008 में कोलकाता में एक व्यावसायिक भवन में लगी आग लगभग 5 दिन तक नियंत्रण में नहीं लाई जा सकी जिसने करोड़ों रुपए की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई।

इतने उच्च परिमाण वाली आपदाओं के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया के द्वारा नीतियों और योजनाओं के चुस्त-दुरुस्त तथा समन्वित बनाने की आवश्यकता पर बल प्रदान किया गया है। प्रत्येक आपदा के उपरांत मानवजाति को पहुंची क्षति को कम करने के लिए पर्याप्त अवसंरचना और नियंत्रण प्रणालियों को संघटित किया गया है। कांग्रेस का प्रमुख ध्यान अवसंरचना के विकास के अलावा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा स्थानीय तैयारियों के माध्यम से आपदाओं का निवारण और शमनीकरण करने पर प्रदान किया गया था। अवांछनीय घटनाओं को सीमित रखने तथा कार्मिकों की संकल्प-शक्ति और उनके संघटन में तेजी लाने के लिए उठाए गए कदम तथा आपदा का पता लगाने और चेतावनी देने की प्रणालियां उतनी ही आवश्यक हैं जितनी

कि अवसंरचना, आयोजना, प्रबंधन तथा हस्तक्षेप नीतियां हैं, तथा यह भी कांग्रेस के शीर्षकों में शामिल था।

स्थानीय, राष्ट्रीय, प्रादेशिक तथा वैश्विक मुद्दों पर प्रस्तुतीकरण के फलस्वरूप लाभप्रद विचार-विमर्श किया गया और इस प्रकार इस विषय पर सूचना का आदान-प्रदान करने तथा अनुभवों को साझा करने में सहायता प्राप्त हुई। प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों ने अनुसंशा की कि सफल डब्ल्यूसीडएम-2006 के अनुक्रम में चर्चाओं और कार्यवाही बिंदुओं को हैदराबाद घोषणा के रूप में परिचालित किया जाए।

तीसरा एशियाई मंत्रालयी सम्मेलन

20. आपदा जोखिम न्यूनकरण पर तीसरा एशियाई मंत्रालयी सम्मेलन (एएमसीडीआरआर) कुआलालम्पुर, मलेशिया में 2-4 दिसम्बर, 2008 तक आयोजित किया गया। मलेशियाई प्रधानमंत्री अब्दुल्ला अहमद बदवी ने अधिकारिक रूप से सम्मेलन का उद्घाटन किया। तीसरा मंत्रालयी सम्मेलन स्थानीय स्तर पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण को एक प्राथमिकता बनाने तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण नीतियों के क्रियान्वयन के लिए अधिक संसाधन जुटाने के लिए एक प्रमुख फोरम है जो विकास और गरीबी उपशमन के लिए महत्वपूर्ण है। इस फोरम ने खामियों की पहचान करने तथा उन्हें दूर करने के लिए सरकारों और सिविल समाज को एक साथ लाने के लिए एक विशिष्ट अवसर के रूप में कार्य किया है। एशिया प्रशांत विश्व में एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है तथा मानव और आर्थिक प्रभावों के संदर्भ में सर्वाधिक आपदा प्रभावित क्षेत्र भी है। आपदा ज्ञानपदिक रोगविज्ञान अनुसंधान केन्द्र (सीआरईडी) के अनुसार, 2008 क्षेत्र के लिए विशेष रूप से खराब वर्ष रहा है जिसमें केवल दो प्रमुख घटनाओं में ही 2,30,000 लोग मारे गए तथा 47 मिलियन से अधिक प्रभावित हुए चीन में आया सिचुआन भूकंप तथा म्यांमार में आया चक्रवात नरगिस।

एशियाई समुदायों की निरंतर बढ़ती सुभेद्यता के विषय में चिंतित होते हुए, 30 से अधिक एशियाई देशों से उच्च



स्तरीय प्रतिनिधि उन नीतियों और उपायों पर चर्चा करने के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीन-दिवसीय मंत्रालयी सम्मेलन में कुआलालम्पुर, मलेशिया में एकत्र हुए जो विश्व के इस भाग में आपदाओं के प्रभाव में कमी ला सकते हैं। सरकारों ने तीन-दिवसीय मंत्रालयी सम्मेलन द्वारा प्रदान किए गए अवसर का लाभ हायोजो कार्यवाही फ्रेमवर्क के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करते हुए उठाया जिसे कोबे, हायोगो जापान में 2015 तक आपदा क्षतियों में कमी लाने तथा आपदाओं के प्रति सक्षमता में वृद्धि करने की एक विशिष्ट योजना के रूप में अंगीकृत किया गया था।

मंत्रालयी सम्मेलन का शीर्षक मलेशियाई सरकार और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कार्यनिति (यूएनआईएसडीआर) के सचिवालय द्वारा तैयार किया गया था तथा यह था “एशिया-प्रशांत क्षेत्र में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए बहु-हितधारक भागीदारियां।” आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण क्रियाकलापों के लिए सरकारी-निजी भागीदारियों पर विशेष बल प्रदान किया गया था।

इस सम्मेलन का आयोजन अनेक उच्च-स्तरीय गोलमेज चर्चाओं के संचालन तथा तकनीकी सत्रों के माध्यम से

किया गया जिनमें आपदाओं के प्रभावों को कम करने के लिए राष्ट्रीय तथा स्थानीय सरकारों को अधिकारिता प्रदान करने के महत्व को उजागर किया गया था। 600 से अधिक प्रतिभागियों ने मंत्रालयी सम्मेलन में भाग लिया जिनमें सिविल समाज, एनजीओ, शैक्षणिक संस्थानों, दाता समुदाय, मीडिया संगठनों, यूएन एजेंसियों तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले क्षेत्रीय संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे। सम्मेलन की मुख्य उपलब्धि अंतिम घोषणा के रूप में थी जिसमें सरकारों से आग्रह किया गया था कि वे आपदा जोखिम न्यूनीकरण नीतियों में अधिक संसाधनों की प्रतिबद्धता व्यक्त करने तथा अधिक सरकारी – निजी भागीदारियां सुनिश्चित करें।

आपदा जोखिम न्यूनकरण पर एशियाई मंत्रालयी सम्मेलन 2005 के बाद से राष्ट्रीय सरकार की पहल के रूप में प्रत्येक दो वर्ष के उपरांत आयोजित किया जाता है। चीन की सरकार ने सितम्बर, 2005 में बीजिंग में प्रथम मंत्रालयी सम्मेलन आयोजित किया जिसमें वैश्विक फोकस शामिल था। दूसरा एएमसीडीआरआर भारत सरकार द्वारा नवम्बर, 2007 में आयोजित किया गया था। तीसरा सम्मेलन मलेशिया में आयोजित किया गया जिसमें राष्ट्रीय और स्थानीय स्तरों पर अधिक कार्यवाही आयोजना की हिमायत की गई थी। आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर दूसरे एशियाई मंत्रालयी सम्मेलन की कार्यवाहियां प्रकाशित की गई थी तथा उन्हें कुआलालम्पुर, मलेशिया में आयोजित इस सम्मेलन के दौरान प्रतिभागियों के मध्य वितरित किया गया था।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण में प्रगत अध्ययन प्रमाण-पत्र जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में सुभेद्यताएं और क्षमताएं

21. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान तथा एकोले पॉलीटेक्नीक फेडराले डी लौसाने (ईपीईएल), स्विटजरलैंड ने स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड को-ऑपरेशन, भारत (एसओसी) से वित्तीय सहायता प्राप्त करते हुए “आपदा

जोखिम न्यूनीकरण : जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में सुभेद्यताओं और क्षमताओं में प्रगत अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रमाण-पत्र आयोजित किया। इस पाठ्यक्रम का आयोजन अंशतः लौसाने, स्विटजरलैंड (1-12 सितम्बर, 2008) तथा अंशतः बेंगलूर, भारत (3-14 नवम्बर, 2008) में किया गया था। बेंगलूर वाला पाठ्यक्रम भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) के परिसर में संचालित किया गया।

इस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दक्षिण और उत्तर के शोधकर्ताओं और व्यावसायियों को प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण, विशेषकर जलवायु परिवर्तन से संबंधित जल-मौसमविज्ञान आपदाओं पर प्रशिक्षण प्रदान करना था। पाठ्यक्रम में एक एकीकृत और अंतर्विषयक दृष्टिकोण अपनाया गया था जिसमें सुभेद्यताओं को कम करने तथा जोखिम में फंसी जनसंख्या की क्षमताओं के सुदृढ़ीकरण पर बल प्रदान किया गया था। प्रतिभागी स्विटजरलैंड, कनाडा, किर्गिस्तान, नेपाल, भारत, बांग्लादेश तथा इटली से आए थे।

प्रथम सप्ताह के दौरान (3-7 नवम्बर, 2008) संसाधन विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुतीकरणों, समूह और पैनल चर्चाओं के माध्यम से प्रमुख बल डीआरआर तथा जलवायु परिवर्तन के पहलुओं पर केन्द्रित किया गया था। जैसे भारत में आपदा प्रबंधन, बड़ी आपदा और नीति/कार्यक्रम; भारत में शीघ्र चेतावनी और आपदा संप्रेषण; जल-मौसमविज्ञान जोखिम; ग्लेशियरों, वनों, समुद्र-तलों में वृद्धि, जैव-विविधता, स्वास्थ्य देखरेख, खाद्य सुरक्षा, जल और स्वास्थ्यकर, प्रवास और विवाद पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, जलवायु परिवर्तन शमनीकरण और अनुकूलन मुद्दे; जलवायु परिवर्तन अनुकूल के लिए क्षमता विकास - खामियां, आवश्यकता और रणनीति, तटीय समुदायों की सक्षमता में वृद्धि करना तथा भारत और विकासशील देशों में विकास कार्यक्रमों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण के लिए प्रमुख विचारण।

चितम्बर जिले के दो गांवों (पिछावरम और टी.एस. पेड्डई) के तीन-दिवसीय क्षेत्रीय दौरे भी 8-11 नवम्बर, 2008

को आयोजित किए गए थे। वहां पर जलवायु परिवर्तन के स्पष्ट संकेत विद्यमान थे, लवणता पूर्व में कृषि-योग्य भूमि में प्रवेश कर चुकी थी, जिसे लगभग 30 वर्ष का समय लगा था तथा समुद्र भी कावेरी नदी की सहायक नदियों को जलमग्न कर चुका था। इन गांवों के समुदाय विभिन्न आपदाओं से प्रभावित हुए थे जैसे चक्रवात (1977), सुनामी (2004) और बाढ़ (2006)। दल ने मृदा विकास अध्ययन संस्थान (एमआईडीएस) का दौरा किया तथा प्रो. जनकराजन ने पर्यावरण, शहरी और अर्ध नाहरी मुद्दों, आपदा प्रबंधन और आजीविका अर्जन पर अपने कार्य के बारे में एक प्रस्तुतीकरण दिया।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2008 के अवसर पर आपदा के लिए सुरक्षित अस्पताल उच्च स्तरीय पैनल पर चर्चा

22. आपदा न्यूनीकरण अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आपदा के लिए सुरक्षित अस्पताल पर एक उच्च स्तरीय पैनल चर्चा का आयोजन संयुक्त राष्ट्र आपदा न्यूनीकरण अंतर्राष्ट्रीय कार्यनीति (यूएनआईएसडीआर) द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और पैन अमेरिकन स्वास्थ्य संगठन (पीएएचओ) द्वारा 8 अक्टूबर, 2009 को यूएन मिलेनियम प्लाजा, न्यूयार्क में किया गया था। भारत, चीन तथा विर्जित आइलैंड्स के विशेषज्ञों ने आपदाओं के लिए अस्तपालों को सुरक्षित बनाने में अपने-अपने देशों के अनुभव प्रस्तुत किए।

चर्चा आरंभ करते हुए, संयुक्त राष्ट्र महासचिव जनरल सर जॉन होम्स ने सुरक्षित अस्पताल सुविधाओं तथा विकास संरक्षण के बीच संबंधों पर बल दिया। उन्होंने इस मुद्दे पर सुदृढ़ राजनीतिक प्रतिबद्धता का आह्वान किया तथा हायोगो कार्यवाही फ्रेमवर्क की उस अपेक्षा को रेखांकित किया कि सभी नए अस्पतालों को सुरक्षा प्रदान करते हुए डिजाइन और निर्मित किया जाना चाहिए। वेन्चुआन भूकंप कार्य बल, चीन के प्रोफेसर, जाइंग जियुलान ने इस वर्ष के प्रारंभ में चीन में आए तीव्र भूकंप से सीखे गए सबकों के ठोस उदाहरण प्रस्तुत किए।



श्री पी.जी. धर चक्रवर्ती, कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंध संस्थान ने 2001 के गुजरात भूकंप के उपरांत बेहतर भवन निर्माण के लिए भारत के व्यापक दृष्टिकोण को रेखांकित किया जिसमें भूकंप जोखिम आकलन से लेकर राज-मिस्त्रियों और स्थानीय समुदाय का प्रशिक्षण शामिल है। श्री एल्टन जॉर्ज, पूर्व गवर्नर, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स ने छोटे देशों अथवा सीमित संसाधन वाले द्वीपों के लिए महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों का उल्लेख किया। इन प्रस्तुतीकरणों के उपरांत रुबुरु विचार-विमर्श आरंभ किया गया जिसमें राजनयिक मिशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अवसर पर आपदा के लिए सुरक्षित अस्पताल के वैश्विक अभियान की वैश्विक बेवसाइट www.safehospitals.info का शुभारंभ भी किया गया।

एनआईडीएम ने आईएसीएमजी पर 12वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का समर्थन किया

23. इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर कम्प्यूटर मेथड्स एंड एडवांसेस इन जियोमैकेनिक्स (आईएसीएमजी) का 12वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई द्वारा 1-6 अक्टूबर, 2008 तक मैरियॉट रिसॉर्ट, गोवा में आयोजित किया गया था। सम्मेलन में मुख्य रूप से ध्यान उभरते हुए सामाजिक और प्रौद्योगिकीय युग में जियोमैकेनिक्स की भूमिका पर प्रदान किया गया था। इस सम्मेलन में शामिल किए गए

महत्वपूर्ण विषयों से एक था “भू-जोखिम शमनीकरण और प्रबंधन।” प्रो. चंदन घोष, प्रमुख, भू-जोखिम प्रभाग, एनआईडीएम इस सत्र में अन्य पैनेलिस्टों में से एक थे। 40 से अधिक देशों के लगभग 700 प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। प्रतिनिधियों ने भू-जोखिम तथा जोखिम प्रबंधन पर विशेष बल प्रदान करते हुए त्वरित औद्योगिकीकरण और वैश्वीकरण के कारण आज के समाज द्वारा उत्पन्न समस्याओं के बारे में चर्चा की।

जोखिम से बचाव पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला – आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए रणनीतिक उपकरण

24. “जोखिम से बचाव : आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए रणनीतिक उपकरण” पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा सामाजिक और पर्यावरणीय संक्रमण संस्थान (आईएसईटी), बोल्डर, यूएस तथा विनरॉक इंटरनेशनल इंडिया (डब्ल्यूआईआई) के साथ संयुक्त रूप से 3-4 फरवरी, 2009 को स्कोप कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में किया गया था। कार्यशाला का उद्घाटन प्रो. एन. विनोद चन्द्रा मेनन, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किया गया था। डा. मार्कस मोएनेक, अध्यक्ष, आईएसईटी ने विषय पर संबोधन दिया। श्री आनंद बोस, अपर सचिव, कृषि मंत्रालय, डा. एस.पी. शर्मा, सांख्यिकीय सलाहकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा श्री पी.जी. धर चक्रवर्ती, कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम ने विशेष व्याख्यान दिए।

इस समारोह ने नेपाल, पाकिस्तान तथा यूरोप से 80 अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों को एक मंच पर एकत्र किया। उद्घाटन समारोह के दौरान विशेष व्याख्यान देते हुए कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम ने उल्लेख किया कि इस कार्यशाला में विभिन्न स्तरों पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण हस्तक्षेपों के लागत-लाभ विश्लेषण (सीबीए) के परिप्रेक्ष्य में आपदा और जलवायु परिवर्तन के जोखिम प्रबंधन के लिए रणनीतिक उपकरणों पर विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न

संस्थाओं के प्रतिनिधि एकत्र हुए हैं, जिनमें शामिल हैं – भारतीय मौसमविज्ञान विभाग, पर्यावरण और वन मंत्रालय, नीति निर्माता, सिविल समाज समूह, आईसीआईएमआडी, यूएनडीपी, आईएएसए, आईएसईटी, विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थान, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संस्थान, राज्य आपदा प्रबंधन अधिकारी और इत्यादि।



कार्यशाला में तकनीकी सत्र थे (1) प्रमुख अवधारणाएं, चुनौतियां और स्थिति (2) सीवीए पर मामला अध्ययन, (3) सीबीए मूल्यांकन के लिए तकनीकें तथा (4) जल मौसम विज्ञान जोखिमों तथा जलवायु परिवर्तन की विवक्षाओं के लिए कार्यनीतियों के संदर्भ में नीति, क्रियाविधि और महत्वपूर्ण खामियों को सूचित करने के लिए उपरण और क्रियाविधियां। परियोजना मामला अध्ययनों तथा कार्यकारी पत्रों के रूप में परिणामों को इस जागरूकता कार्यशाला में प्रस्तुत किया गया ताकि उनकी प्रासंगिकता और वृहद् सार्वजनिक नीति क्षेत्र और क्रियान्वयन में अनुकरण पर विचार-विमर्श किया जा सके। प्रस्तुतीकरणों में जल विज्ञान अनुसंधान और सूचना, भारतीय संदर्भ में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम, जल-मौसमविज्ञान जोखिमों के लिए पर्यावरणीय मॉडलिंग, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए नीतियां और रणनीतियां, सुभेद्यता संकेतक फ्रेमवर्क आदि पर ध्यान-केन्द्रित किया गया था। तकनीकी सत्रों के उपरांत नीतिगत गोलमेज चर्चा का आयोजन किया गया जिसका उद्देश्य सरकार की विद्यमान नीति और कार्यक्रमों में सीबीए तथा अन्य रणनीतिक उपकरणों के लिए दृष्टिकोणों पर विचार-विमर्श करना था। चर्चाओं में

अनुकूल एजेंडा के रूप में, आपदा उपरांत प्रबंधन के स्थान पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए भावी अनुसंधान और रणनीतिक आयोजना के मुद्दों को भी उठाया गया था।

वार्षिक प्रशिक्षण सम्मेलन



25. एनआईडीएम केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के अंतर्गत राज्यों के प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों (एटीआई) में आपदा प्रबंधन केन्द्रों को भी सहायता प्रदान कर रहा है। संस्थान एटीआई के सहयोग से राज्यों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों से सीखे गए सबकों पर चर्चा करने तथा एनआईडीएम और डीएमसी के लिए संयुक्त रूप से प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार करने के लिए प्रत्येक वर्ष वार्षिक प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन किया जाता है जिसमें राज्य प्रशिक्षण संस्थानों (एटीआई) के महानिदेशक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सचिव (आपदा प्रबंधन), एटीआई के आपदा प्रबंधन केन्द्रों के प्रमुख तथा केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग लेते हैं। यह सम्मेलन 9-10 फरवरी, 2009 को आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन सचिव (सीमा प्रबंधन), गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया था। कर्नाटक, मध्य प्रदेश और झारखण्ड के एटीआई के महानिदेशकों ने अपने अनुभव साझा किए जबकि 23 एटीआई के डीएमसी प्रमुखों ने वर्ष 2008-09 के दौरान की गई भौतिक और वित्तीय प्रगति को प्रस्तुत किया। प्रतिभागियों ने पारस्परिक हित के विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया तथा अनेक निर्णय लिए गए जिनमें

शामिल था — डीएमसी के वेबपेज का सृजन, आपदा प्रबंधन को विभिन्न क्षेत्रों में शामिल किया जाना तथा एक संसाधन केन्द्र का विकास किया जाना। चालू तथा पिछले वर्षों के दौरान एनआईडीएम तथा डीएमसी द्वारा हासिल किए गए अनुभव और सीखे गए सबकों पर विचार करते हुए तथा प्रशिक्षण के लिए आशयित मांग और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2009-10 एनआईडीएम और साथ ही डीएमसी के प्रशिक्षण कैलेंडर के अनुसार, एनआईडीएम 90 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करेगा जिससे 37 परिसर से बाहर कार्यक्रम भी शामिल हैं। प्रत्येक डीएमसी से वर्ष 2009-10 के दौरान कुल 105 दिन की अवधि के लगभग 25 कार्यक्रम संचालित करने की अपेक्षा की गई है।

एनआईडीएम के शासी निकाय की चौथी बैठक



26. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के शासी निकाय (जीबी) की चौथी बैठक संस्थान के सम्मेलन कक्ष में 17 मार्च, 2009 को जनरल (सेवानिवृत्त) एन.सी. विज, पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। इसमें डा. टी. रामासामी, (सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी), श्री विनय कुमार (सचिव, बीएम), श्री एच.एस. ब्रह्मा (विशेष सचिव, एनडीएमए), प्रो. शेखर चौधरी, (निदेशक, आईआईएम, कोलकाता), डी. वी. एस. हेगड़े (निदेशक, डीएमएस, आईएसआरओ), डा. वी. पी. डिमरी (निदेशक, एनजीआरआई) प्रो. अमरजीत कौर

(निदेशक, सीडीएम, जीजीएसआईपी विश्वविद्यालय) श्री पी. रवीन्द्रन (निदेशक, वित्त, एमएचए) तथा श्री पी.जी. धर चक्रवर्ती कार्यकारी निदेशक एनआईडीएम ने भाग लिया।

बैठक के दौरान, शासी मंडल ने यह निर्णय लिया कि एनआईडीएम मंत्रालय से संस्थान को अंतरित की गई स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए उस स्थिति में संविदात्मक कार्मिकों की नियुक्ति करेगा, यदि मंत्रालय द्वारा कार्मिक इस कार्य के लिए नियुक्त नहीं किए जाते हैं। इस बात पर बल प्रदान किया गया कि संस्थान में कार्य के बोझ में हुई वृद्धि को देखते हुए इसके कर्मियों की क्षमता में वृद्धि की जाए। शासी निकाय ने संस्थान के वर्ष 2009-10 के लिए वार्षिक कैलेंडर का अनुमोदन किया तथा राज्य एटीआई में आपदा प्रबंधन केन्द्रों के लिए कैलेंडर की समीक्षा की। अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि एनआईडीएम को जिला आपदा प्रबंधन आयोजना पर इसके प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए तथा डीएमसी द्वारा कार्यक्रमों की सूक्ष्म निगरानी तथा निम्न निष्पादन राज्यों में एकीकृत आपात् प्रबंधन पाठ्यक्रम (आईएमसी) के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन भी किया गया। आईएमसी ने एक सुसंरचित अधिगम परिवेश के भीतर वास्तविक संकटकालीन स्थिति के अनुकरण का उल्लेख किया। इस पाठ्यक्रम का आशय आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए कार्य, संसाधनों, संगठनों और व्यक्तियों को एकीकृत करना है। एनआईडीएम शीघ्र ही स्वतंत्र रूप में, विश्व बैंक संस्थान वाशिंगटन के साथ करार निष्पादित करेगा। डा. हेगड़े निदेशक, डीएमएस ने आश्वासन दिया कि उपग्रह आधारित कार्यक्रमों के सफलतापूर्वक संचालन के लिए इसरो एनआईडीएम को सभी सहायता उपलब्ध कराएगा। यह भी प्रस्तावित किया गया कि बड़े राज्यों में अतिरिक्त डीएमसी की स्थापना की जाए तथा कुछ ही डीएमसी में उत्कृष्टता के केन्द्र भी स्थापित किए जाएं। उत्तरकाशी प्रशासन अकादमी, नैनीताल में भूस्खलन उत्कृष्टता केन्द्र का प्रस्ताव किया गया है।

आपदा उपरांत रोग निगरानी को सुदृढ़ बनाने पर कार्यशाला

27. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) द्वारा डब्ल्यूएचओ भारत की सहायता से संस्थान के परिसर में 23-24 मार्च, 2009 को आपदा उपरांत रोग निगरानी को सुदृढ़ बनाने पर दो-दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान (एनआईसीडी) ने इस कार्यशाला में प्राथमिक हितधारक के रूप में भाग लिया। कार्यशाला के प्रमुख उद्देश्य भारत के विभिन्न राज्यों में आपदा उपरांत रोग निगरानी की पूर्व-प्रक्रियाओं से सीखे गए सबकों को प्रलेखित करना तथा किसी आपदा के उपरांत विद्यमान एकीकृत रोग निगरानी परियोजना (आईडीएसपी) के प्रभावकारिता में वृद्धि करने के लिए कार्यनीतियों पर सिफारिशों का सुझाव देना था।



आपदा प्रबंधन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, मुंबई नगर निगम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल) के राज्य/जिला निगरानी अधिकारियों, निदेशक, आपातकालीन चिकित्सा राहत (ईएमआर), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, एनआईसीडी, रोगवाहक नियंत्रण अनुसंधान केन्द्र (वीसीआरसी) – एनआईडीएम, डब्ल्यूएचओ, भारतीय लोक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पीएचएफआई) तथा तमिलनाडु सुनामी संसाधन केन्द्र (टीएनटीआरसी) के प्रतिनिधियों को मिलाकर लगभग 30 प्रतिभागियों ने इस कार्यशाला में भाग लिया। कार्यशाला के प्रथम दिन आपदाओं के दौरान रोग निगरानी प्रक्रियाओं पर सूचना साझेदारी के पारस्परिक आदान-प्रदान पर मुख्य बल केन्द्रित किया गया था जबकि दूसरे दिन किए

गए विचार-विमर्श मुख्य रूप से हस्तक्षेप संबंधी अवयव पर केन्द्रित थे।

एनपीसीबीआईआरएम तकनीकी समिति की बैठकें

28. प्रो. ए.एस. आर्य, की अध्यक्षता में 31 दिसम्बर, 2008 को दो तकनीकी समितियों का गठन किया गया जिनका उद्देश्य भूकंप जोखिम प्रबंधन में इंजीनियरों की क्षमता के निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीसीबीआईआरएम) और भूकंप जोखिम प्रबंधन में वास्तुविदों की क्षमता के निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीसीबीआईआरएम) के क्रियान्वयन के लिए वेब-आधारित पाठ्यक्रम मॉड्यूल की व्यवहार्यता, पाठ्यक्रम संरचना और विकास की प्रक्रिया की समीक्षा करना तथा साथ ही प्रत्येक विषय क्षेत्र में स्व-अध्ययन पाठ्यक्रम विकसित करना था। इंजीनियरों की तकनीकी समिति की प्रथम बैठक 5 जनवरी, 2009 को जबकि दूसरी बैठक 16 जनवरी, 2009 को आयोजित की गई।



एनआईडीएम सम्मेलन कक्ष में इसके पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु के बारे में पहले ही निर्णय लिया जा चुका था। एनआईडीएम द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले स्व-अध्ययन पाठ्यक्रमों में भूकंप जोखिम प्रबंधन तथा शमनीकरण के विषय भी शामिल किए जाएंगे। दूसरी बैठक में, पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु को एक प्रभावी वेब-आधारित शैक्षणिक पाठ्यक्रम में रूपांतरित करने

के लिए कार्य-निधि का वर्णन करने के लिए प्रस्तुतीकरण दिए गए। श्री वी.के. शर्मा ने वेब-आधारित मॉड्यूल तैयार करने की प्रक्रिया में शामिल विभिन्न चरणों का वर्णन किया। अध्यक्ष ने यथासंभव शीघ्र वेब-आधारित पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की आवश्यकता पर बल प्रदान किया क्योंकि एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति की जानी है, अतः यह निर्णय लिया गया कि विद्यमान पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रम विषय-वस्तु के आधार पर एक वेब-आधारित पाठ्यक्रम तैयार और प्रारंभ किया जाएगा जिसमें अधिक मल्टीमीडिया विशेषताएं शामिल नहीं होंगी जैसे ऑडियो/वीडियो/ग्राफिक्स और ई-ट्यूटोरियल्स तथा इसके उपरांत, जब यह तैयार हो जाएगा, समस्त एडवांस्ड विशेषताओं के साथ एडवांस्ड वेब आधारित मॉड्यूल अपलोड कर दिया जाएगा।

जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन के लिए सांस्थानिक मैपिंग तथा तथा नगर नीति डोजियर तैयार करने पर प्रथम बैठक

29. जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन के लिए सांस्थानिक मैपिंग तथा नगर नीति डोजियर तैयार करने; और जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन की लोगों की योग्यता पर प्रभाव (अथवा प्रभाव के अभाव) का विश्लेषण पर प्रथम बैठक दक्षेस सम्मेलन कक्ष, एनआईडीएम परिसर में 30 जनवरी, 2009 को आयोजित की गई। आईसीआईएमओडी, विलरॉक, एएआरएनवाईएके तथा एनआईडीएम के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया। कार्य की व्याप्ति में असम और बिहार राज्य पर तथा जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन पर लोगों की योग्यता के लिए संभावित विवक्षाओं के साथ नीतियों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया था। नीति डोजियर विभिन्न स्तरों (राष्ट्रीय, राज्य, जिला और स्थानीय स्तर) पर सभी प्रासंगिक नीतियों को सूचीबद्ध करेगा जिनका जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन की लोगों की योग्यता पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव हो सकता है। यह कार्य वैयक्तिक विशेषज्ञता पर आधारित होगा अथवा संस्थान के सहयोगी कार्य के रूप में होगा।

जापान का शिष्टमंडल

30. एनआईडीएम सम्मेलन में 26 मार्च, 2009 को श्री हिरोआकी तेरामोतो, निदेशक, राष्ट्रीय भूमि और अवसंरचना प्रबंधन संस्थान (एनआईएलआईएम), जापान तथा श्री फुकुदा, परामर्शक, भारत में जापान दूतावास के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया जिसका उद्देश्य आपदा प्रबंधन के लिए सहयोगी अनुसंधान पर विचारों का आदान-प्रदान करना था। बैठक में लोक निर्माण अनुसंधान और विकास - आपदाओं का निवारण और शमनीकरण पर आयोजित 17वें एशियाई सम्मेलन के परिणामों पर चर्चा की गई तथा सम्मेलन के उपरांत श्री अमित जैन, भारतीय राजस्व सेवा द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। श्री तेरामोतो ने विशेष रूप से भूस्खलन के क्षेत्र में सहयोग के लिए अपनी रुचि प्रदर्शित की। यह प्रस्तावित किया गया कि संयुक्त दलों को स्थापित करने तथा विशिष्ट अनुसंधान क्षेत्रों/आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए जापान में एक संयुक्त कार्यशाला का आयोजन किया जाए। बैठक के दौरान, श्री शालीन काब्रा, संयुक्त निदेशक, एनआईडीएम ने पारस्परिक सहयोग के कतिपय संभावित क्षेत्रों का सुझाव दिया जो विशेष रूप से परिवहन क्षेत्र, तटीय क्षेत्रों और आपदा राहत प्रबंधन से संबंधित थे।

अंतर्राष्ट्रीय फोरम में एनआईडीएम

31. कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम ने आपातकालीन प्रबंधन संस्थान (ईएमआई) द्वारा 2-5 जून, 2008 तक यूएसए में आयोजित 11वें वार्षिक आपातकालीन प्रबंधन उच्चतर शिक्षा सम्मेलन में भाग लिया।

32. डा. आर.के. मल ने जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर वैज्ञानिक शोध और सहयोग के लिए 11 मई से 30 जून, 2008 तक इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स, ट्रेस्टे, इटली का एसोसिएट के रूप में दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान डा. मल ने 12-14 मई, 2008 तक संयुक्त आईसीटीपी-आईईए के प्रथम सम्मेलन

‘जलवायु परिवर्तन के अनुसार पूर्वानुमानित रोग पैटर्न’ तथा 9-11 जून, 2008 तक, उच्च रेजलूशन प्रॉक्सी जलवायु आंकड़ों में अनिश्चितताओं का प्रतिनिधित्व और न्यूनीकरण करने पर आयोजित सम्मेलन में भाग लिया।

33. श्री पी.जी. धर चक्रवर्ती, ईडी एनआईडीएम ने 23-29 जुलाई, 2008 तक यूनीवर्सिटी ऑफ क्योटो, जापान में ‘स्वदेशी जानकारी और आपदा जोखिम न्यूनीकरण : व्यवहार से नीति तक’ पर आयोजित कार्यशाला में भाग लिया।

34. श्री पी.जी. धर चक्रवर्ती, ईडी एनआईडीएम ने 10-12 अगस्त, 2008 तक नेपाल में दक्षिण एशिया के लिए भूकंप जोखिम न्यूनीकरण और पुनर्सुधार तैयारी कार्यक्रम पर आयोजित क्षेत्रीय कार्यक्रम समन्वय कार्यशाला में भाग लिया।

35. डा. आर.के. मल ने आईसीआईएमओडी द्वारा काठमांडू, नेपाल में 30 जुलाई से 1 अगस्त, 2008 तक आयोजित “हिंदुकुश-हिमालय में जीएलओएफ तथा फ्लैश फ्लड जोखिम आकलन पर परामर्श कार्यशाला” में भाग लिया।

36. श्री आमिर अली खान ने 23-25 जुलाई, 2008 तक यूनीवर्सिटी ऑफ क्योटो, जापान में ‘स्वदेशी जानकारी और आपदा जोखिम न्यूनीकरण : व्यवहार से नीति तक’ पर आयोजित कार्यशाला में भाग लिया।

37. श्री शालीन काब्रा, संयुक्त निदेशक, एनआईडीएम ने 18-22 अगस्त, 2008 तक ईएमआई, मैरीलैंड, यूएसए में आयोजित एकीकृत आपातकालीन प्रबंधन में भाग लिया।

38. श्री पी.जी. धर चक्रवर्ती, ईडी एनआईडीएम ने 2-3 अक्टूबर, 2008 के दौरान टोक्यो, जापान में जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन पर एसईएम संगोष्ठी में भाग लिया।

39. ईडी, एनआईडीएम ने 14-15 नवम्बर, 2008 के दौरान एसडीएससी एवं आपदा प्रबंधन केन्द्र श्रीलंका सरकार द्वारा कोलम्बो, श्रीलंका में ‘विकास में आपदा जोखिम न्यूनीकरण’ को शामिल करना पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लिया।

40. ईडी, एनआईडीएस ने 2-4 सितम्बर, 2008 के दौरान कुअलालम्पुर मलेशिया में ‘आपदा जोखिम न्यूनीकरण’ पर तृतीय एशियाई मंत्रालयी सम्मेलन में भाग लिया।

41. श्रीजा एस नायर ने 13-15 अक्टूबर, 2008 तक बोन, जर्मनी में द्वितीय संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय यूनएन-स्पाइडर बोन कार्यशाला : ‘आपदा प्रबंधन और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी – खामियों को समाप्त करना’ में भाग लिया।

42. डा. सूर्य प्रकाश को 11-15 नवम्बर, 2008 तक तोहोकु गाकुइन विश्वविद्यालय, संदर्ई, जापान में ‘एशिया-प्रशांत क्षेत्र में भूस्खलन संकट के प्रबंधन’ पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं क्षेत्रीय कार्यशाला में भाग लेने के लिए जापानी लैंडस्लाइड्स सोसाइटी द्वारा प्रायोजित किया गया था। उन्हें यूनाइटेड नेशंस विश्वविद्यालय, टोक्यो जापान में 18-21 नवम्बर, 2008 के दौरान आयोजित प्रथम विश्व भूस्खलन फोरम में भाग लेने के लिए भी जापानी भूस्खलन सोसाइटी द्वारा प्रायोजित किया गया था।

43. डा. राजेश कुमार मल ने 2-6 मार्च, 2009 को धुलीखेल लॉज रिसॉर्ट, काठमांडू में “वृहत् हिमालय क्षेत्र में जलवायु उत्प्रेरित जल तनाव और आपदाओं की स्थानीय अनुकूलन रणनीतियों का आकलन” पर क्षेत्रीय कार्यशाला में भाग लिया।

संकट प्रबंधन योजना (सीएमपी)

44. मंत्रालय की संकट प्रबंधन योजना वर्ष 2007 में

जारी की गई थी जिसमें सभी राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा सीएमपी को तैयार करने तथा उसके क्रियान्वयन की परिकल्पना की गई थी। एनआईडीएम द्वारा अगस्त, 2008 तथा जनवरी, 2009 में निर्दिष्ट संकट स्थितियों के लिए व्यापक सीएमपी और एसओपी तैयार करने को साकार बनाने के लिए दो प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं। ?

घटना कमान प्रणाली (आईसीएस)

45. विभिन्न स्तरों पर अभिहित समन्वय अधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रबंधन का व्यावसायीकरण करने के उद्देश्य से विशेषीकृत कार्यों का निष्पादन करने के लिए प्रशिक्षित सदस्यों से मिलकर बने एक व्यावसायिक दल का बैकअप उपलब्ध कराने के लिए आईसीएस देश में आरंभ किया जा रहा है। यह प्रणाली घटना कमांडर तथा घटना प्रबंधक के विभिन्न पहलुओं – संभारतंत्र, प्रचालन, आयोजना, सुरक्षा, मीडिया प्रबंधन आदि में प्रसारित अधिकारियों के साथ विशेषज्ञ घटना प्रबंधन दलों की व्यवस्था करती है।

46. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) को भारत में आईसीएस के प्रशिक्षण तथा सांस्थानीकरण के लिए नोडल राष्ट्रीय स्तर के स्थान की भूमिका सौंपी गई है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी (एलबीएसएनए) अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के लिए आईसीएस प्रशिक्षण हेतु एक अग्रणी प्रशिक्षण संस्थान है। व्यापक संख्या में लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करने के उपरांत आईसीएस का परीक्षण प्रायोगिक राज्य के रूप में गुजरात के अलावा आंध्र प्रदेश और असम राज्यों में किया जा रहा है।

वर्ष 2008-09 में प्रकाशन

1. रासायनिक आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय कार्यशाला की कार्यवाहियां (30 सितम्बर – 01 अक्टूबर, 2008, नई दिल्ली)



लेखक/संपादक

अनिल के. गुप्ता, श्रीजा एस. नायर
और शरद कुमार

2. जर्नल आपदा और विकास

जर्नल आपदा और विकास खंड 2, सं. 1, मई, 2008 के अंक से 18 पत्र प्रकाशित किए गए।



वित्त एवं लेखे

संस्थान के वित्त और लेखा प्रभाग के कार्यों में शामिल है – बजट बनाना, लेखाकरण, प्राप्तियों और भुगतानों का प्रबंध, वार्षिक लेखे तैयार करना और उनका संकलन, मंत्रालय को लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे प्रस्तुत करना। इसके अलावा, प्रभाग सलाह भी प्रदान करता है। तुलना-पत्र के साथ संस्थान की वर्ष 2008-09 की वार्षिक रिपोर्ट अनुबंध- 2 में दी गई है।

अनुबंध 1

वर्ष 2008-09 में एनआईडीएम द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र.	पाठ्यक्रम शीर्षक	स्थान	दिनांक	नियुक्त फैकल्टी	प्रति. की संख्या
अप्रैल 2008					
1.	आपदा साइको- सोशल केयर	एनआईडीएम नई दिल्ली	7-11	डॉ सुजाता सतपथी	30
2.	जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन	एनआईडीएम नई दिल्ली	28 अप्रैल -2 मई	डॉ आर के मल	27
3.	जिला आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी	एटीआई, अरुणाचल प्रदेश, इटानगर	28 अप्रैल -2 मई	कर्मल पीके पाठक श्री शेखर चतुर्वेदी	42
मई 2008					
4.	आपदा प्रबंधन में लिंग और मनोवैज्ञानिक-सामाजिक मुद्दे	एटीआई नागालैंड कोहिमा	5-9	डॉ अजिंदर वालिया डॉ सुजाता सतपथी	30
5.	व्यापक भूस्खलन जोखिम प्रबंधन	एटीआई, मेघालय शिलांग	12-16	डॉ सूर्य प्रकाश डॉ रितु राज	35
6.	बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन	एनआईडीएम नई दिल्ली	12-16	श्री विश्वनाथ डैश	26
7.	एनसीटी दिल्ली सरकार के सहयोग से अस्पताल में आपदा प्रबंधन योजना	एनआईडीएम	22- 23	डॉ सुजाता सतपथी	50 (सूची उपलब्ध नहीं है)
8.	आपदा प्रतिरोधी आवास और बुनियादी सुविधा	एटीआई, त्रिपुरा अगरतला	21-24	प्रो सी घोष श्री आमीर अली खान	62
जून 2008					
9.	डेब्रीस प्रबंधन	एनआईडीएम नई दिल्ली	5-6	श्री अरुण सहदेव	39
10.	एनसीटी दिल्ली सरकार के सहयोग से स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए जिला आपदा प्रबंधन योजना	एनआईडीएम	4-5	डॉ सुजाता सतपथी	36
11.	बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन	एमसीआरएचआरडी आंध्र प्रदेश हैदराबाद	9-13	श्री विश्वनाथ दास सुश्री सुषमा गुलेरिया	35
12.	सीरियल बम विस्फोटों का प्रबंधन	एनआईडीएम नई दिल्ली	18-19	कर्मल पीके पाठक	44
13.	जिला आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी	एटीआई, झारखंड रांची	23-24	श्रीमती श्रीजा नायर सुश्री सुषमा गुलेरिया	27
14.	भूकंप जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन	एनआईडीएम नई दिल्ली	23-27	प्रो सी घोष	34
15.	तटस्थता कार्यक्रमों के लागत लाभ विश्लेषण	एनआईडीएम नई दिल्ली	30 जून -1 जुलाई	प्रो संतोष कुमार	17
जुलाई, 2008					
16.	औद्योगिक एवं रासायनिक दुर्घटना	जीआईडीएम, गुजरात अहमदाबाद	1-5	डॉ अनिल गुप्ता सुश्री श्रीजा नायर	40
17.	आपदाओं की प्रारंभिक चेतावनी : अंतिम माइल कनेक्टिविटी	एनआईडीएम नई दिल्ली	3-4	श्री विश्वनाथ दास	47
18.	आपदा सेफ हिल एरिया विकास	सिक्किम गंगटोक	7-11	डा सूर्य प्रकाश डॉ रितु राज	34

19.	शहरी जोखिम न्युनीकरण और प्रबंधन	एटीआई, पश्चिम	7-11	सुश्री चंद्राणी बंदोपाध्याय श्री शेखर चतुर्वेदी	17
20.	आपदा स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन	एनआईडीएम नई दिल्ली	7-11	डॉ सुजाता सतपथी	20
21.	व्यापक भूस्खलन जोखिम प्रबंधन	गोवा पांजेम	22-24	डॉ सूर्य प्रकाश डॉ रितु राज	43
22.	चक्रवात प्रबंधन और शमन	एनआईडीएम नई दिल्ली	21-25	श्री विश्वनाथ दास	24
23.	आपदा प्रबंधन में भू-सूचना की भूमिका	एनआईडीएम नई दिल्ली	28 जुलाई – 1 अगस्त	सुश्री श्रीजा नायर श्री हेमंत कुमार	28
24.	आपदा प्रबंधन पर डीसी और एसपी के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	एटीआई, तमिलनाडु चेन्नई	30-31	प्रो संतोष कुमार श्री आमीर अली खान	18
अगस्त, 2008					
25.	सांस्कृतिक संपत्ति के लिए जोखिम प्रबंधन	एनआईडीएम नई दिल्ली	4-8	श्रीमती चंद्रनी बांदोपाध्याय	17
26.	आपदा सेफ बिल्डिंग कोड और डिजाइन	एटीआई, कर्नाटक मैसूर	4-8	प्रो सी घोष श्री आमीर अली खान	38
27.	आपदा प्रबंधन में मीडिया की भूमिका नई दिल्ली	एनआईडीएम	11-13	सुश्री सुषमा गुलेरिया	26
28.	जिला आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी	एटीआई, छत्तीसगढ़ रायपुर	18-22	डा अनिल गुप्ता सुश्री श्रीजा नायर	49
29.	स्कूलों में आपदा सुरक्षा	एनआईडीएम नई दिल्ली	18-22	डॉ अजिंदर वालिया	24
30.	चक्रवात जोखिम न्युनीकरण और प्रबंधन	एटीआई, उड़ीसा भुवनेश्वर	18-22	डॉ आर के मल श्री विश्वनाथ दास	24
31.	केमिकल, जैविक रेडियोलॉजिकल, परमाणु (सीबीआरएन) आपदा	एनआईडीएम नई दिल्ली	25-29	श्री अरुण सहदेव	33
सितंबर, 2008					
32.	आपदा प्रबंधन में लिंग मुद्दे	एनआईडीएम नई दिल्ली	1-5	डॉ अजिंदर वालिया	23
33.	शहरी जोखिम न्युनीकरण और प्रबंधन	एटीआई, हरियाणा गुड़गांव	1-5	श्रीमती चंद्राणी बंदोपाध्याय डॉ रितु राज	20
34.	दिल्ली एनसीटी सरकार के सहयोग से आपातकाल में अस्पताल पूर्व देखभाल	एनआईडीएम	सितम्बर 11- 12, 2008	डॉ सुजाता सतपथी	28
35.	एकीकृत आपातकालीन प्रबंधन	एनआईडीएम नई दिल्ली	15-18	श्री शलीन केबरा श्री अरुण सहदेव	52
36.	सूखा न्युनीकरण और प्रबंधन आंध्र प्रदेश हैदराबाद	एएमआर-एपर्ड,	22-26	डॉ आर के मल डॉ ए डी कौशिक	14

37.	विश्व बैंक के सहयोग से नुकसान, हानि और आवश्यकताओं का आकलन	एनआईडीएम नई दिल्ली	22-25	प्रो संतोष कुमार	26
38.	श्रीलंका सरकार के शिक्षा क्षेत्र के अधिकारियों के लिए स्कूलों में आपदा सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	एनआईडीएम नई दिल्ली	22-26	डॉ सुजाता सतपथी	28
39.	व्यापक भूस्खलन जोखिम प्रबंधन	एनआईडीएम नई दिल्ली	22-26	डॉ सूर्य प्रकाश	30
अक्टूबर 2008					
40.	भूकंप जोखिम न्युनीकरण और प्रबंधन	आईएमपीए जम्मू और कश्मीर श्रीनगर	13-17	प्रो सी घोष श्री आमीर अली खान	35
41.	समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन	यूपीएम, लखनऊ	20-24	डॉ सूर्य प्रकाश श्री शेखर चतुर्वेदी	46
42.	दिल्ली एनसीटी सरकार के सहयोग से आपातकाल में अस्पताल पूर्व देखभाल	एनआईडीएम	22-23	डॉ सुजाता सतपथी	24
43.	एनडीआरएफ कमांडरों के लिए आपदा प्रबंधन पर पाठ्यक्रम	एनआईडीएम नई दिल्ली	20-24	श्री अरुण सहदेव	20
44.	दिल्ली एनसीटी सरकार के सहयोग से आपातकाल में अस्पताल पूर्व देखभाल	एनआईडीएम	30-31	डॉ सुजाता सतपथी	30
नवंबर 2008					
45.	व्यापक हताहत प्रबंधन	एनआईडीएम नई दिल्ली	17-21	डा सुजाता सतपथी	35
46.	औद्योगिक और रासायनिक खतरें	एचसीएमआरआईपीए, जयपुर	17-21	डॉ अनिल गुप्ता सुश्री श्रीजा नायर	24
47.	इकोले पॉलीटेक्निक फेडरल डे लॉजेन, स्विट्जरलैंड और स्विस् डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सहयोग से जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम पर अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम	आईआईएससी, बेंगलूर	3-14	डॉ आरके मल	22
48.	एनडीआरएफ कमांडरों के लिए आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनआईडीएम	24-28	लेफ्टिनेंट कर्नल पी.के. पाठक	23
दिसंबर 2008					
49.	भूकंप जोखिम न्युनीकरण और प्रबंधन	एटीआई असम	1-5	प्रो सी घोष श्री आमीर अली खान	26
50.	आपदा पूर्व पुनर्चना प्रथाएं	एनआईडीएम	11-12	प्रो सी घोष	26
51.	नुकसान, हानि और मूल्यांकन का आकलन	एटीआई महाराष्ट्र	15-19	प्रो संतोष कुमार सुश्री सुषमा गुलरिया	14
52.	आपदा प्रबंधन में भू-सूचना की भूमिका	एनआईडीएम	15-19	सुश्री श्रीजा नायर	18
जनवरी 2009					
53.	शहरी जोखिम न्युनीकरण और प्रबंधन	एनआईडीएम	12-16	सुश्री चंद्राणी बांदोपाध्याय	27

54.	जीआईएस का उपयोग करके व्यापक भूस्खलन जोखिम प्रबंधन पर अंतराष्ट्रीय प्रशिक्षण सह फील्ड कार्यशाला	एनआईडीएम	12-23	डा सूर्य प्रकाश सुश्री श्रीजा नायर	18
55.	पर्यावरण एवं दुर्घटनाएं	एनआईडीएम	12-16	डॉ अनिल गुप्ता	16
56.	जिला आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी	एटीआई मिजोरम, आइजवाल	12-16	डॉ आर के मल श्री आमीर अली खान	25
57.	रसायन, जैविक रेडियोलॉजिकल, परमाणु (सीबीआरएन) आपदा	एनआईडीएम नई दिल्ली	19-23	श्री अरुण सहदेव	20
58.	नागरिक रक्षा अधिकारियों के लिए आपदा प्रबंधन की मूल बातें	एनआईडीएम नई दिल्ली	28-30	लेफ्टिनेंट कर्नल पीके पाठक	25
फरवरी 2009					
59.	आपदा प्रबंधन में मनोवैज्ञानिक-सामाजिक मुद्दे	एनआईडीएम	2-6	डॉ सुजाता सतपथी	24
60.	जिला आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी	एटीआई, पंजाब चंडीगढ़	10-13	श्री विश्वनाथ दास श्री शेखर चतुर्वेदी	84
61.	जीवनरेखा संरचना के पीछे हटना तकनीकी और प्रबंधकीय मुद्दों	एनआईडीएम	9-13	प्रो सी घोष	27
62.	ग्रामीण विकास क्षेत्र के लिए आपदा प्रबंधन पर टीओटी नई दिल्ली	एनआईडीएम	16-20	प्रो संतोष कुमार	11
63.	वन आग न्युनीकरण और प्रबंधन	एफआरआई, देहरादून	16-20	डा अनिल गुप्ता डॉ ए डी कौशिक	17
64.	आपदा प्रबंधन में भू सूचना की भूमिका	डीएमआई भोपाल	16-20	श्रीमती श्रीजा नायर	43
65.	खतरनाक रसायनों का परिवहन	एनआईडीएम	24-25	डॉ अनिल गुप्ता	21
66.	तटीय तबाही का न्युनीकरण और प्रबंधन	आईएलएम, तिरुवनंतपुरम, केरल	24-28	डॉ आर के मॉल सुश्री सुषमा गुलेरिया	22
मार्च 2009					
67.	बाढ़ जोखिम न्युनीकरण और प्रबंधन	एनआईडीएम नई दिल्ली	2-6	श्री विश्वनाथ दास	23
68.	डीडीएमपी की तैयारी	एटीआई, हिमाचल प्रदेश	3-6	श्री अमीर अली खान श्री शेखर चतुर्वेदी	33
69.	जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन	एनआईडीएम नई दिल्ली	16-20	डॉ आर के मल	23
70.	व्यापक भूस्खलन जोखिम प्रबंधन	एटीआई, उत्तराखंड	16-20	डॉ सूर्य प्रकाश डॉ रितु राज	23
71.	विकास योजनाओं में मुख्य आपदा जोखिम न्युनीकरण संबंधी योजनत्मक और परिचालन मुद्दे	एनआईडीएम, नई दिल्ली	18-19	प्रो संतोष कुमार	21
72.	पुलिस अधिकारियों के लिए आपदा प्रबंधन पर टीओटी	एनआईडीएम नई दिल्ली	23-27	कर्नल पी के पाठक श्री शेखर चतुर्वेदी	22
				कुल	2105

क्रियाकलाप 2009-10

प्रशिक्षण

1. वर्ष 2009-10 के दौरान, संस्थान ने आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर 77 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए। इनमें से, कुछ कार्यक्रमों का संचालन प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों (एटीआई) में आपदा प्रबंधन केन्द्रों के सहयोग से राज्यों की राजधानियों में किया गया। कुल 2048 प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रमों में भाग लिया (अनुबंध-1)। एक उपग्रह-आधारित कार्यक्रम भी संचालित किया गया जिसमें 1500 प्रतिभागियों ने आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण प्राप्त किया।

ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम

2. संस्थान ने विश्व बैंक (डब्ल्यूबीआई) के सहयोग से चालू वर्ष के दौरान 13 ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों से कुल 854 प्रतिभागी लाभान्वित हुए।

इंजीनियरों और वास्तुविदों के लिए राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम

3. एनआईडीएम भूकंप जोखिम शमनीकरण में इंजीनियरों और वास्तुविदों की क्षमता निर्माण के लिए दो राष्ट्रीय कार्यक्रमों (एनपीसीबीईआईआरएम और एनपीसीबीईआईआरएम) के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है। कार्यक्रम में मार्च, 2010 तक 1,00,000 व्यवसायी इंजीनियरी तथा 10,000 व्यावसायी वास्तुविदों को संरचनात्मक सुरक्षा में प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा, लाखों वृत्तिकों तक पहुंचने के लिए संस्थान वेब-आधारित कार्यक्रमों का विकास भी कर रहा है जिससे व्यवसायी इंजीनियरों/वास्तुविदों के साथ आमने-सामने संपर्क की बाधिता समाप्त हो सकेगी तथा सीखने के लिए अपनी पसंद के समय और स्थान का निर्धारण करने में मदद मिलेगी। ये कार्यक्रम आईआईटी और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की अन्य संस्थाओं तथा

समूचे देश में 200 से अधिक इंजीनियरी और वास्तुकला महाविद्यालयों के सहयोग से संचालित किए जा रहे हैं।

द्वितीय भारत आपदा प्रबंधन कांग्रेस

4. एनआईडीएम ने 4-6 नवम्बर, 2009 तक विज्ञान भवन, नई दिल्ली में द्वितीय भारत आपदा प्रबंधन कांग्रेस (आईडीएमसी 2) का आयोजन किया। इसने विभिन्न विषयक्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों के वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और व्यावसायियों के मध्य परस्पर संपर्क के लिए एक उत्कृष्ट मंच प्रदान किया। इस कांग्रेस का उद्घाटन जनरल एन.सी. विज (सेवानिवृत्त), उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किया गया था। इस कांग्रेस में 12 विभिन्न विषयों वाले क्लस्टरों तथा छब्बीस विषयात्मक सत्रों का आयोजन किया गया था जिनमें 300 से अधिक पत्र प्रस्तुत किए गए। माननीय श्री एपीजे अब्दुलकलाम, भारत के पूर्व राष्ट्रपति ने इस अवसर की शोभा बढ़ाई तथा समापन भाषण दिया।



भारत के पूर्व राष्ट्रपति डा. ए पी जे अब्दुल कलाम 6 नवम्बर, 2009 को द्वितीय आईडीएमसी के समापन सत्र के दौरान प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए

आईसीआईएमओडी परियोजना दल-असम और बिहार के क्षेत्रीय दौरे

5. आईसीआईएमओडी परियोजना दल जिसमें एनआईडीएम के डा. आर.के. मल भी शामिल थे, ने

वृहत् हिमालयी क्षेत्र में बहुत अधिक और बहुत कम जल के प्रति स्थानीय प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के भाग के रूप में अप्रैल, 2009 के दौरान असम और बिहार के बाढ़ प्रवण क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरे का उद्देश्य क्षेत्र की स्थिति का सर्वेक्षण करना तथा उन मुद्दों का पता लगाने के लिए स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करना था, जो इन क्षेत्रों में जल संबंधी संकटों के रूप में उनके दैनिक जीवन में उनके द्वारा सामना किए जा रहे हैं। दल ने नीति को अंतिम रूप देने तथा परियोजना के नीति विश्लेषण भाग के रूप में सुश्री तिघे (आईआईईडी) और डा. पार्था जे दास (समन्वयक क्षेत्रीय दल) के साथ चर्चा की। दल ने असम के देमाजी और लखीमपुर जिलों के ग्रामवासियों के साथ बातचीत के दौरान यह जाना कि 2007 की बाढ़ ने क्षेत्र के 40,000 ग्रामवासियों को प्रभावित किया, लेकिन कोई भी व्यक्ति इससे हताहत नहीं हुआ। सरकार की प्रतिक्रिया त्वरित थी तथा 24 घंटे के भीतर राहत क्रियाकलाप आरंभ हो गए; नौकाएं पेयजल, औषधियां और राहत की व्यवस्था की गई; राहत शिविर 30 दिन के लिए लगाया गया; ग्रामवासियों को राहत प्रदान की गई तथा राज्य के तटबंध और मल-जल विभाग द्वारा नए तटबंध का निर्माण भी किया जा रहा है। परियोजना दल ने क्षेत्र में कार्य कर रहे एनजीओ के प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत की। क्षेत्र में मुख्य मुद्दे हैं -तटबंध का विकास तथा उसका समुचित अनुरक्षण; नदी तल में गाद/रेत का संचयन (लगभग 15 ट्रक लोड/मिनट); नदी तल के आस-पास वन कटाई (जिसे ग्रामवासियों द्वारा नष्ट कर दिया गया है) तथा आपदा अथवा संकट के दौरान सामूहिक समाधान के लिए क्षेत्र में समुदाय द्वारा कार्यवाही प्रारंभ किए जाने का अभाव।



दल ने विनरॉक इंटरनेशनल के एक क्षेत्रीय समूह के साथ 18 से 22 मई, 2009 तक असम की ही भांति क्षेत्र की स्थिति का सर्वेक्षण करने के लिए बिहार के सहरसा जिले के कुछ गांवों का दौरा किया जिसका उद्देश्य ग्रामवासियों द्वारा उनके दैनिक जीवन में झेली जा रही जल संबंधी समस्याओं के बारे में जानना तथा साथ ही जल संबंधी संकटों (विशेष रूप से बाढ़) का सामना करने में प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के बारे में सरकारी अधिकारियों के साथ चर्चा करना था। अपने इस दौरे के दौरान दल ने प्रमुख सरकारी अधिकारियों अर्थात् अपर आयुक्त (राहत), संयुक्त सचिव (जल संसाधन विभाग), उप सचिव, विकास आयुक्त तथा जल संसाधन विभाग के मंत्री के वैयक्तिक सचिव के साथ चर्चा की। अगले कदम के रूप में, दल प्रासंगिक नीतियों की पहचान के लिए अध्ययन क्षेत्र से एकत्र किए गए दस्तावेजों की समीक्षा करेगा तथा विभिन्न ग्रामवासियों और सरकारी अधिकारियों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर प्रारंभिक नीति विश्लेषण संचालित किया जाएगा।

मूडल में व्यापक और विपेशीकृत ऑनलाइन कार्यक्रमों की पुरुआत

6. मूडल प्लेटफार्म पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम अप्रैल, 2009 में आरंभ किया गया है।

एनआईडीएम ने डब्ल्यूबीआई के सहयोग से वर्ष 2006 से ही व्यापक आपदा जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क कार्यक्रम तथा वर्चुअल लर्निंग परिवेश (वीएलई) में सुरक्षित शहरों, क्षति आकलन, वित्तीय कार्यनीतियों और समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन पाठ्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। नया शिक्षण परिवेश अर्थात् मूडल इंस्टाल और प्रयोग करने में सरल है, प्रतिभागियों के लिए प्रयोक्ता हितैषी है तथा अनुदेशक इसे पसंद करते हैं, यह निम्न बैंडविड्थ परिवेश पर अच्छी तरह कार्य करता है, सीडी-रोम में एक्सपोर्ट करने में सरल है, कंटेंट एडिटर के साथ एकीकृत है तथा सॉफ्टवेयर भागीदार संस्थाओं के लिए आसानी से पहुंच योग्य है। शिक्षण के लिए नए परिवेश को प्रारंभ किए जाने के अलावा, तीन विशेषीकृत पाठ्यक्रम भी इस वर्ष आरंभ किए जाएंगे, अर्थात् (1) जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन (2) भूकंप जोखिम शमनीकरण और (3) भूमि-उपयोग आयोजना जिनकी प्रत्येक की अवधि 4 सप्ताह की होगी। प्रशिक्षण के लिए अन्य विवरण <http://www.nidm.net/WBI-09.pdf> पर उपलब्ध है।

आईसीआईएमओडी बैठक

जलवायु परिवर्तन अनुकूलन पर बैठक 1 मई, 2009 को आयोजित की गई। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण और विकास संस्थान (आईआईडी), एनआईडीएम तथा विन रॉक इंटरनेशनल इंडिया के दल उपस्थित थे। एनआईडीएम नीति के दल ने असम में उनके क्षेत्रीय दौरे के बारे में प्रस्तुतीकरण दिया। बैठक में प्रारंभिक निष्कर्षों पर तथा भागीदार संगठनों, समुदाय सदस्यों तथा जिला स्तरीय प्रशासन के साथ हुई बैठकों के विषय में भी चर्चा की गई। इसके फलस्वरूप ध्यान में रखे जाने वाले नीतिगत मुद्दों के बारे में समूह द्वारा व्यापक रूप से चर्चा की गई ताकि अनुसंधान को अधिक अर्थपूर्ण बनाते हुए इसे गहनता के साथ संचालित किया जा सके तथा क्षेत्र में ध्यान में आई कमियों का निवारण भी किया जा

सके। चर्चा के दौरान यह भी ध्यान में आया कि असम और बिहार, दोनों के लिए ध्यान में आए प्राथमिकता क्षेत्र थे — बाढ़ प्रबंधन (अर्थात् तटबंध निर्माण, पूर्वानुमान, शीघ्र चेतावनी, आवास और अवसंरचना का अनुकूलन) तथा आपदा उपरांत पुनर्सुधार (अर्थात् पुनर्वासन, भूमि सुधार, आजीविका विकल्प, कृषि विस्तार, नियोजन अवसर, समुदाय सेवाएं, ऋण तक पहुंच)। बैठक के दौरान कार्य-योजना, इसकी समयावधि तथा मसौदा रिपोर्ट की संरचना को भी अंतिम रूप प्रदान किया गया।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक प्लेटफार्म का द्वितीय सत्र

8. वैश्विक प्लेटफार्म आपदा-न्यूनीकरण पर सतत और संकेन्द्रित बल प्रदान करने के लिए एक मुख्य वैश्विक मंच है। यह हायोगो कार्यवाही फ्रेमवर्क के क्रियान्वयन में हासिल की गई प्रगति का आकलन करने, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के प्रति जागरूकता में वृद्धि करने, अनुभवों को साझा करने तथा श्रेष्ठ प्रक्रियाओं से सीखने, शेष रह गई खामियों की पहचान करने तथा राष्ट्रीय और स्थानीय क्रियान्वयन को संवर्धित करने के लिए सदस्य राष्ट्रों और अन्य हितधारकों को एक मंच प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र माननीय मामले अपर महासचिव एवं आपात राहत समन्वयक वैश्विक प्लेटफार्म की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, जिसे सामान्यतया प्रत्येक दो वर्ष में जिनेवा में अथवा अध्यक्षपीठ द्वारा प्रस्तावित किसी अन्य स्थान पर आयोजित किया जाता है। वैश्विक प्लेटफार्म के सत्रों के मध्य, क्षेत्रीय प्लेटफार्मों की बैठकों का संचालन भी किया जाता है जिनका आशय क्षेत्र से संबंधित विशेष चिंता के मामलों का निवारण करना तथा वैश्विक प्लेटफार्म के लिए सत्रों की तैयारी करना होता है। इसके अलावा, अध्यक्षपीठ वैश्विक प्लेटफार्म के पश्चात्पूर्ति सत्रों के लिए तैयारी करने के प्रयोजनार्थ इनपुट प्रदान करने के लिए विभिन्न आईएसडीआर प्रणाली भागीदारों से परामर्श और सहायता प्राप्त कर

सकते हैं जिनमें शामिल हैं – आईएसडीआर सहायता समूह तथा आईएसडीआर अंतर्राज्यीय समूह। आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) के वैश्विक प्लेटफार्म का द्वितीय सत्र जिनेवा, स्विटजरलैंड में सेंटर इंटरनेशनल कांफ्रेंस में 16-19 जून, 2009 को आयोजित किया गया था। 140 से अधिक सरकारों, 54 अर्धसरकारी संगठनों जिनमें यूएन विशेषीकृत एजेंसियां भी शामिल थीं और 43 गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के लगभग 1785 प्रतिभागियों ने सत्र में भाग लिया। बैठक ने डीआरआर में शामिल सभी दलों के लिए प्राथमिक बहु-हितधारक फोरम का प्रतिनिधित्व किया तथा इसका उद्देश्य आपदा जोखिम को कम करने पर जागरूकता सृजित करना, अनुभवों को साझा करना तथा संयुक्त राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कार्यनीति (यूएनआईएसडीआर) प्रणाली को मार्गदर्शन प्रदान करना था।

इस प्लेटफार्म में हायोगो कार्यवाही फ्रेमवर्क के लिए तैयार करने के प्रयोजनार्थ उच्च-स्तरीय पूर्ण सत्र, गोलमेज चर्चाएं तथा एक अनौपचारिक पूर्ण सत्र शामिल था। बैठक से तैयार किए जाने वाला अध्यक्षीय सारांश वैश्विक डीआरआर समुदाय के लिए एजेंडा निर्धारित करने में सहायक होगा जिससे इसकी मध्यावधिक समीक्षा तथा दिसम्बर, 2009 में कोपनहेगन में यूएन जलवायु परिवर्तन वार्तालापों की तैयारी की जा सकेगी। बैठक ने वर्ष 2007 में वैश्विक प्लेटफार्म के प्रथम सत्र के बाद से आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) पर की गई प्रगति का आकलन करने तथा हायोगो कार्यवाही फ्रेमवर्क (एचएफए) का क्रियान्वयन करने के लिए प्रतिबद्धता और मापनयोग्य कार्यवाहियों में संवृद्धि करने के लिए अनेक भागीदारों को एक अवसर उपलब्ध कराया। समूचे सप्ताह के दौरान, प्रतिभागियों ने एक मुक्त पूर्ण सत्र में परस्पर चर्चा की जिसके उपरांत पांच उच्च-स्तरीय पैनल चर्चाएं की गईं जिनके विषय थे : डीआरआर में निवेश में वृद्धि करना; बदलती हुई जलवायु में आपदा जोखिमों को कम करना; बदलती

हुई जलवायु में आपदा जोखिमों को कम करना; निव. आत्मक कार्यवाही के माध्यम से समुदाय में दक्षता को साकार बनाना; सुरक्षित विद्यालय और अस्पताल; तथा आपदा न्यूनीकरण और पुनर्सुधार अवसर। उन्होंने इन विषयों पर पांच गोलमेज चर्चाओं पर भी भाग लिया : शीघ्र चेतावनी; स्थानीय प्राधिकारी और शहरी जोखिम न्यूनीकरण, डीआरआर में पारिस्थितिकी की भूमिका; शिक्षा; और निम्नतम स्तर पर सहक्रियाओं का सृजन। शुक्रवार को समापन पूर्ण-सत्र में प्रतिभागियों ने समापन वक्तव्य सुने तथा अध्यक्षीय सारांश पर चर्चा की।



कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम ने एशिया प्रशांत यूएनआईएसडीआर क्षेत्रीय कार्यालय तथा यूएनईएससीएपी द्वारा संयुक्त रूप से “आपदा प्रबंधन पर क्षेत्रीय संगठनों के मध्य सहयोग” पर आयोजित सत्र में भाग लिया। उन्होंने अंतर्क्षेत्रीय सहयोग के विभिन्न मॉडलों तथा इस संबंध में एसडीएमसी द्वारा निभाई जा सकने वाली संभावित भूमिका पर एक संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण दिया। इसके अलावा, उन्होंने 15 जून, 2009 को आयोजित आपदा न्यूनीकरण और पुनर्सुधार वैश्विक फेसिलिटी (जीईडीआरआर) के परामर्शी समूह की छठी बैठक में भाग लिया तथा अनेक पूर्ण तथा विषयक सत्रों और वैश्विक प्लेटफार्म के अन्य समारोहों में भी भागीदारी की।

आपदा प्रबंधन में मनोवैज्ञानिक देखरेख पर प्रगत टीओटी पाठ्यक्रमों के नए कार्यक्रम

9. एनआईडीएम ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका-तंत्र विज्ञान संस्थान (निम्हेंस) के साथ सहयोग करते हुए निम्हेंस के मनश्चिकित्सा सामाजिक कार्य (पीएसडब्ल्यू) प्रशिक्षण हॉल, बेंगलूर में दो सप्ताह (12 दिन) का प्रशिक्षकों का प्रगत प्रशिक्षण कार्यक्रम 1-12 जून 2009 तक आयोजित किया। यह कार्यक्रम आपदा प्रभावित समुदायों में आपदा परामर्श तकनीकों और कौशलों को संवृद्धि करने में अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुआ। इस कार्यक्रम के लिए लक्ष्य समूह में स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण तथा महिला और विकास विभाग के अधिकारी शामिल थे जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान आपदा मनोवैज्ञानिक देखरेख में आधारभूत पाठ्यक्रम में पहले ही प्रशिक्षित किया गया था। भारत के 8 राज्यों अर्थात् गुजरात, जम्मू-कश्मीर कर्नाटक, हरियाणा, मिजोरम, तमिलनाडु, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ से 16 प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। यह पाठ्यक्रम पूर्णतः प्रतिभागिता वाला कार्यक्रम था तथा केवल 10 प्रतिशत समय ही व्याख्यानों और प्रस्तुतीकरणों के लिए रखा गया था।

पाठ्यक्रम की संरचना में शामिल था, मनोवैज्ञानिक सामाजिक सहायता (पीएसएस), उच्च मनोवैज्ञानिक तैयारी, मनोवैज्ञानिक सामाजिक तैयारी, अधिक सुभेद्य समूहों को सहायता सेवाएं, मामला अध्ययनों का विश्लेषण, स्केल प्रशासन, पीएसएस सक्षमता के लिए जीवन कौशल, तनाव प्रबंधन, कार्य योजना और शपथ-ग्रहण, गोपनीयता, नयाचार और प्रशिक्षण पोषांत आकलन। पहले दो दिन तक आपदा प्रबंधन में मनोवैज्ञानिक देखरेख पर प्रथम टीओटी पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति की गई। यह पाया गया कि कुछ सहायता प्रदान करने से सभी प्रतिभागी भलीभांति सत्र संचालित कर पाने में सक्षम हैं। 4-7 जून को सुनामी प्रभावित क्षेत्रों का क्षेत्रीय दौरा आयोजित किया गया। कन्याकुमारी के क्षेत्रीय दौरे के दौरान हासिल की गई जानकारी और कौशलों ने प्रतिभागियों के दृष्टिकोणों और कौशलों पर

उल्लेखनीय प्रभाव डाला। प्रतिभागी वास्तविक स्थितियों में टीओटी ज्ञान और कौशलों की विवक्षओं और अनुप्रयोगों को समझने में समर्थ रहे। इसके अलावा, समुदाय के लोगों द्वारा बिना किसी भौतिक लाभ के की गई निस्वार्थ और स्वैच्छिक सेवाओं ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। विकास के मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर समुदाय के स्वामित्व का उच्च स्तर पर यात्रा के दौरान सीखे गए पाठों में से सबसे संतुष्टिकारक पाठ था।

यह “आपदा प्रबंधन में मनोवैज्ञानिक देखरेख पर प्रगत टीओटी पाठ्यक्रम” पर पहला ऐसा कार्यक्रम था। प्रतिभागियों ने पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या पर संतोष व्यक्त किया। प्रशिक्षणों और क्षेत्रीय दौरों से काफी कुछ सीखा जा सकता है जिसे पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाएगा। व्यवहार्यता में सुधार करने के लिए आने वाले आगामी पाठ्यक्रमों में अधिक हस्तक्षेपोनुमुखी नए सत्र जैसे परामर्श कौशल, नैसर्गिक व्यवहार निदान अनुकरण, आर्ट थेरेपी, बालकों के लिए खेल थेरेपी, शरीर मापन तथा महिलाओं के लिए अवसाद संबंधी अधिक हस्तक्षेप, किशोरों के लिए संक्षिप्त प्रेक्षपण पद्धतियां, सामान्य मनःचिकित्सा विकृतियां संलक्षण और सामाजिक मुद्दे जैसे मद्यपान और नशीले पदार्थों का सेवन को शामिल किया जाएगा।

एनआईडीएम और डीएमसी-उत्तराखंड अकादमी के विशेषज्ञों ने पिथौरागढ़ के भूस्खलन-प्रवण क्षेत्रों का दौरा किया



10. एनआईडीएम तथा आपदा प्रबंधन केन्द्र, उत्तराखंड प्रशासन और प्रबंध अकादमी के विशेषज्ञों के एक दल ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भयावह भूस्खलन को प्रलेखीकृत करने के लिए प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। 8 अगस्त, 2009 को आई भारी वर्षा से उत्पन्न भूस्खलन में 43 लोगों की मृत्यु हो गई। तीन गांव अर्थात् प्रेकला, ला और मिदोला मुंशियारी खंड में आई भारी वर्षा से उत्पन्न भूस्खलन में डूब गए। प्रभावित क्षेत्र जिला मुख्यालय, पिथौरागढ़ से 90 किमी की दूरी पर है। क्षेत्रीय दल द्वारा घटनाओं के कालक्रम तथा क्षति के विवरणों को प्रलेखीकृत किया गया। झोकला में ही, हताहतों की संख्या 12 थी जबकि ला गांव में 26 लोग मारे गए। मिदोला गांव में, 05 लोग मारे गए। प्रशासन और ग्रामवासियों के साथ संपर्क करने के उपरांत दल ने भविष्य में ऐसी घटनाओं का निवारण करने तथा इसके प्रभावों को कम करने के लिए कतिपय उपाय सुझाए।

क्षेत्रीय ईआरआरपी सम्मेलन

11. जापान सरकार की सहायता से यूएनडीपी द्वारा क्रियान्वित की जा रही दक्षिण एशियाई भूकंप जोखिम न्यूनीकरण परियोजना पर चर्चा करने के लिए 29-30 जुलाई, 2009 तक इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में एक क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सम्मेलन का आयोजन एशियाई आपदा न्यूनीकरण केन्द्र (एडीआरसी), इंटरनेशनल पुनर्सुधार प्लेटफार्म (आईआरपी) कोबे, जापान, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा दक्षिण आपदा प्रबंधन केन्द्र द्वारा किया गया था। एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक ने उद्घाटन सत्र में संबोधन किया तथा दक्षिण एशिया सहयोग पर विषयात्मक सत्र में वे मुख्य वक्ता थे।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व और औद्योगिक आपदाओं पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन



एनएलआईयू भोपाल में 5 दिसम्बर, 2009 को आयोजित कारपोरेट सामाजिक दायित्व और औद्योगिक आपदाओं पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में गणमान्य प्रतिनिधि

12. राष्ट्रीय विधि संस्थान, विश्वविद्यालय तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भोपाल गैस त्रासदी के प्रभावों, जिन्हें इस घटना के उपरांत 25 वर्षों बाद आज भी महसूस किया जाता है, की विवक्षाओं को प्रदर्शित करने के लिए 5-6 दिसम्बर, 2009 तक एनएलआईयू परिसर, भोपाल में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने में विफलता का एक ज्वलंत उदाहरण भोपाल गैस त्रासदी है। भारत मानवजाति के इतिहास में औद्योगिक आपदाओं से सर्वाधिक प्रभावित 1994 में हुआ था जिसने व्यापक रूप से जीवन की क्षति की, स्वास्थ्य और पर्यावरण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया तथा इसके दुष्परिणाम आज भी दिखाई देते हैं। भोपाल गैस आपदा भोपाल, भारत में स्थित यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन (यूसीसी) के कीटनाशक विनिर्माण संयंत्र में हुई एक भयावह विफलता का परिणाम है। इसमें 15,000 से अधिक लोग मारे गए तथा 5,00,000 लोग घायल हुए तथा इस घटना ने पूरे विश्व को स्तब्ध कर दिया। सुरक्षा उपायों के अभाव तथा संयंत्र में घटिया प्रौद्योगिकी के प्रयोग के कारण ही यह आपदा घटित हुई और यह भारी लापरवाही का एक ज्वलंत उदाहरण है तथा यही स्थिति दुर्भाग्यवश आज भी अनेक उद्योगों में विद्यमान हो सकती है। न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा पूर्व

अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग प्रो. मार्क गेलेंटर, सेंटैनियल प्रोफेसर, विधि विभाग, लंदन स्कूल ऑफ इकॉनामिक्स एंड पॉलीटिकल साइंस तथा श्री पी जी. धर चक्रवर्ती, कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में उपस्थित प्रमुख गणमान्य अतिथि थे। इस सम्मेलन ने समूचे विश्व से शोधकर्ताओं, कारपोरेट कार्यपालकों, शिक्षाविदों, सरकारी अधिकारियों, नीति निर्माताओं गैर-सरकारी संगठनों तथा छात्रों को एक मंच पर एकत्र किया, इस समारोह ने भोपाल गैस त्रासदी पर विशेष बल प्रदान करते हुए औद्योगिक आपदाओं के संबंध में विद्यमान विधि प्रणाली की पर्याप्तता की समीक्षा करने; कारपोरेट सामाजिक दायित्व के मानदण्डों को परिभाषित करने; आपदा प्रबंधन से संबंधित विद्यमान नीतियों का मूल्यांकन करने तथा औद्योगिक आपदाओं से संबंधित कारपोरेट सामाजिक दायित्व और आपदा प्रबंधन का मॉडल विकसित करने के लिए एक मंच प्रदान किया। सम्मेलन ने कारपोरेट सामाजिक दायित्व तथा औद्योगिक आपदाओं से संबंधी मुद्दों पर विशेष बल प्रदान किया। सम्मेलन में कारपोरेट के उत्तरदायित्व के अलावा, सरकार और व्यक्तियों के उत्तरदायित्व पर भी चर्चा की गई। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 6 विषयात्मक सत्रों अर्थात् (1) भोपाल गैस आपदा और विधि; राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संदर्श (2) आपदा प्रबंधन : विधायी पहलकदम (3) कारपोरेट सामाजिक दायित्व और औद्योगिक आपदाएं (4) मानवाधिकार, पर्यावरण और औद्योगिक आपदाएं (5) औद्योगिक आपदाएं और लोक स्वास्थ्य पर प्रभाव (6) विकसित और विकासशील राष्ट्रों के सीएसआर संदर्श पर 180 पत्र प्रस्तुत किए गए।

सम्मेलन की मुख्य विशेषज्ञ "कारपोरेट सामाजिक दायित्व तथा औद्योगिक आपदाएं" पर पैनल चर्चा की। पैनलविदों में शामिल थे — प्रो. एन.आर. माधव मेनन, पूर्व-निदेशक, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (एनजेए), प्रो. मार्क गालान्टेर, श्री एम.एम. बुच, पूर्व प्रधान सचिव,

मध्य प्रदेश, प्रो. मोहन गोपाल, निदेशक, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, प्रो. जेफ्री एडीकॉट, विधि प्रोफेसर तथा सेंट मेरीज़ यूनीवर्सिटी ऑफ लॉ में आतंकवाद विधि केन्द्र के निदेशक, सैन एंटोनियो, टेक्सास।

एसओपी के लिए केन्द्रीय कार्यकारी दल की बैठक

13. सभी राज्यों में आपदा प्रबंधन के लिए मानक प्रचालनात्मक प्रक्रिया (एसओपी) स्थापित करने की अविलंब आवश्यकता है। यह केन्द्रीय और राज्य सरकारों की विभिन्न एजेंसियों के पदाधिकारियों को आपदा अथवा आसन्न आपदा की स्थिति में धरातल पर विद्यमान विनिर्दिष्ट परिस्थितियों की आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलन के लिए प्रभावी रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए व्यापक मार्गदर्शन उपलब्ध कराती है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए एसओपी का प्रारूप तैयार करने हेतु केन्द्रीय कार्यकारी दल की प्रथम बैठक श्री पी. जी. धर चक्रवर्ती ईडी, एनआईडीएम की अध्यक्षता में एनआईडीएम में 16 नवम्बर, 2009 को आयोजित की गई थी। इस बैठक में राज्यों और केन्द्रीय एजेंसियों से आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य कर रहे प्रशासकों और विशेषज्ञों ने भाग लिया। व्यापक विचार-विमर्श के उपरांत बैठक में एसओपी की विषय-वस्तु के संबंध में प्रारूप तैयार करने, सहयोगी समीक्षा की क्रियाविधि, परामर्शों की भर्ती, प्रारंभ और समापन कार्यशालाएं संचालित करने, आपदा प्रतिक्रिया में बाधाओं, आवश्यकताओं और चुनौतियों के बारे में प्रशासकों/विशेषज्ञों के साथ चर्चा के लिए बहु-जोखिम प्रवण राज्यों का सीडब्ल्यूजी सदस्यों द्वारा दौरा करने, आदि के बारे में निर्णय लिए गए। कुछ सीडब्ल्यूजी सदस्यों द्वारा यह भी सहमति व्यक्त की गई कि कुछ प्राकृतिक आपदाओं के बारे में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाए। यह भी निर्णय लिया गया कि छह माह के भीतर अंतिम रिपोर्ट गृह मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी जाए।

एनआईडीएम और एमएचए टीम ने चक्रवात प्रभावित इलाकों का दौरा किया।



14. सुश्री सुचित्रा गोस्वामी, उप सचिव, आपदा प्रबंध प्रभाग, गृह मंत्रालय, तथा डा. के.जे. आनंद कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, एनआईडीएम के दल ने पश्चिम बंगाल सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 16 दिसम्बर, 2009 को आईला (चक्रवात) द्वारा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस यात्रा का उद्देश्य भारत सरकार – यूएनडीपी आपदा जोखिम प्रबंधन (डीआरएम) कार्यक्रम की समीक्षा करना था। आईला चक्रवात 25 मई, 2009 को आया था तथा उसने दक्षिण 24 परगना जिले के विभिन्न भागों सहित पश्चिम बंगाल के विभिन्न गांवों में तबाही मचाई थी। दल ने बैठकें संचालित की, प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया तथा वास्तविक स्थिति की जानकारी हासिल करने के लिए विशेष रूप से महिला वर्ग और बच्चों सहित अनेक लोगों के साथ बातचीत की। केन्द्रीय दल की टिप्पणियां तथा दौरे के उपरांत सामने आए सुझावों को संयुक्त सचिव (डीएम) को प्रस्तुत कर दिया गया।

डब्ल्यूबीआई दल का एनआईडीएम दौरा

15. कैटेलिन डेमेटर, एंड्रेंड टोल्स्टोपिएटेंको, हरी कृष्णा, शैली कुलक्षेष्ठा के एक दल ने एनआईडीएम का दौरा किया तथा संस्थान के कार्यकारी निदेशक,

संयुक्त निदेशक और संकाय सदस्यों के साथ बैठक की। चर्चा किए गए प्रमुख मुद्दों में शामिल थे – (1) कर्मचारी विकास कार्यक्रम (2) जीएफडीआरआर भारत कार्यक्रम (3) पाठ्यक्रम कस्टमाइजेशन और नए ऑनलाइन कार्यक्रमों की ब्रांडिंग। ऑनलाइन कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन से संबंधित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। मुख्य क्षेत्र थे – (1) प्रतिभागियों को इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रीकरण उपलब्ध कराने के लिए विकल्प तलाशना (2) पाठ्यक्रमों के बारे में फीडबैक प्राप्त करने तथा ऑनलाइन कार्यक्रमों को संशोधित करने के लिए पूर्व प्रतिभागी बैठक आयोजित करना (3) उच्चतर शिक्षा में डीआरआर का एकीकरण आदि। चूंकि ईडी, एनआईडीएम उच्चतर शिक्षा में डीआरआर के एकीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति के सदस्य हैं, यह आशा की जाती है कि आपदा पाठ्यक्रमों विश्वविद्यालय स्तर पर सभी के लिए अनिवार्य होगा। इससे ऐसे ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए अवसरों में वृद्धि होगी। एनआईडीएम ने उच्चतर शिक्षा प्रणालियों में विद्यमान शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करने का सुझाव भी दिया है ताकि विद्यालयों में डीआरआर प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त मानव संसाधन सृजित किया जा सके। (4) वितरण प्रणाली का सांस्थानीकरण। एनआईडीएम प्रमाण के लिए पाठ्यक्रमों के साथ संबद्ध कर सकता है। एनआईडीएम उन छात्रों को, जो सभी ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेते हैं, डब्ल्यूबीआई के साथ सहयोग करते हुए व्यावसायिक डिप्लोमा प्रदान कर सकता है (अ) यह भी निर्णय लिया गया कि ऑनलाइन कार्यक्रमों के सुचारु संचालन के लिए एनआईडीएम में नियमित कार्य प्रबंधकों की नियुक्ति की जाएगी क्योंकि ऑनलाइन पाठ्यक्रम जल्दी ही डब्ल्यूबीआई से एनआईडीएम सर्वर को अंतरित होने वाले हैं (अप) इसके अलावा, डब्ल्यूबीआई प्रतिभागियों और सुविधा प्रदाताओं के लिए प्रशिक्षण नियमावली विकसित करने और उपलब्ध कराने के लिए भी सहमत हुआ।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर यूएन-ओओएसए/यूएन – स्पाइडर एवं एनआईडीएम प्रशिक्षण कार्यशाला



श्री पी.जी. धर चक्रवर्ती, कार्यकारी निदेशक,, एनआईडीएम सम्मेलन के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए

16. एनआईडीएम ने संयुक्त राष्ट्र बाह्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग संगठन (यूएन-ओओएसए) तथा आपदा प्रबंधन और आपात प्रतिक्रिया के लिए अंतरिक्ष-आधारित सूचना प्लेटफार्म के सहयोग से 11-13 जनवरी, 2010 तक “आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रयोग” पर तीन-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया। इस प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्देश्य राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों के संकाय सदस्यों और हितधारकों तथा मुख्य रूप से राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर क्षमता निर्माण क्रियाकलापों में शामिल प्रशासकों को आपदा जोखिम न्यूनीकरण क्रियाकलापों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के प्रयोग से परिचित कराना था। कार्यशाला का एक उद्देश्य अंतरिक्ष आधारित जानकारी का सभी स्तरों पर प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए क्षमता निर्माण की दीर्घकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करना था। कार्यशाला का उद्घाटन प्रो. एन. विनोद चन्द्र मेनन, माननीय सदस्य राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण द्वारा किया गया। डा. शिरिश रेवन, कार्यक्रम अधिकारी यूएन-स्पाइडर ने यूएन-ओओएसए/स्पाइडर का प्रतिनिधित्व किया। डा. रेवन ने विषय

विशेषज्ञ की भूमिका निभाई। जियोइंफार्मेटिक्स और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्य करने वाले अनेक अन्य विशेषज्ञों तथा वृत्तिकों को भी इस कार्यशाला में विषय विशेषज्ञों के रूप में आमंत्रित किया गया था। श्री वी. भानुमूर्ति, एनआरएससी, हैदराबाद, श्री एन.के. श्रीवास्तव, आईएसटीआरएसी – इसरो, डा. कृष्ण वत्स, क्षेत्रीय सलाहकार बीसीपीआर – यूएनडीपी, डा. के.एल. नरेशन, सलाहकार, एमओईएस, श्री आर. गोपाल कृष्णन, इसरो कुछ अन्य प्रतिष्ठित विशेषज्ञ थे जिन्हें संसाधन विशेषज्ञों के रूप में कार्यशाला में आमंत्रित किया गया था। कार्यशाला में 14 प्रतिभागियों ने भाग लिया जिनमें बांग्लादेश और नेपाल से एक-एक प्रतिभागी था।



एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक, श्री पी जी धर चक्रवर्ती सम्मेलन को सम्बोधित करते हुये

पांचवां वार्षिक प्रशिक्षण सम्मेलन

17. एनआईडीएम एक केन्द्रीय सेक्टर स्कीम के अंतर्गत राज्यों के प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों (एटीआई) में आपदा प्रबंधन केन्द्रों को सहयोग प्रदान कर रहा है। संस्थान एटीआई के सहयोग से राज्यों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन भी कर रहा है। इन कार्यक्रमों से सीखे गए सबकों पर चर्चा करने तथा एनआईडीएम और डीएमसी के लिए संयुक्त रूप से प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार करने के लिए प्रत्येक वर्ष वार्षिक प्रशिक्षण सम्मेलन आयोजित किया जाता है जिसमें राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण

संस्थानों (एटीआई) के महानिदेशक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सचिव (आपदा प्रबंधन) एटीआई के आपदा प्रबंधन केन्द्रों के प्रमुख तथा एनडीएमए, केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों से वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग लेते हैं। संस्थान की पांचवां वार्षिक प्रशिक्षण सम्मेलन 15-16 फरवरी, 2010 को आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन श्री ए.ई. अहमद, सचिव (सीमा प्रबंधन), गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया। श्रीमती शीला बालाकृष्णन, महानिदेशक, अन्ना प्रबंधन संस्थान, चेन्नई ने मूल व्याख्यान दिया। तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और केरल के एटीआई के महानिदेशकों ने अपने अनुभव साझा किए जबकि 24 एटीआई के डीएमसी ने वर्ष 2009-10 के दौरान हासिल की गई भौतिक और वित्तीय प्रगति प्रस्तुत की। डीएससी द्वारा अप्रैल, 2009 से जनवरी, 2010 तक आयोजित कुल कार्यक्रमों की संख्या 607 थी जिनमें 24237 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। अप्रैल, 2009 से जनवरी, 2010 तक एनआईडीएम ने 55 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जिनमें विभिन्न राज्यों में 23 परिसर बाह्य कार्यक्रम शामिल थे, जिनमें केन्द्रीय और राज्य सरकारों के 1466 वरिष्ठ और मध्यम स्तरीय पदाधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसके अलावा, एनआईडीएम ने 11 वेब आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जिनमें 742 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। एनआईडीएम द्वारा एटीआई मैसूर और भोपाल के सहयोग से दो सैटेलाइट आधारित कार्यक्रम भी संचालित किए गए जिनमें 500 उप-जिला स्तर के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया जिनमें आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया था।

चालू और पूर्व वर्षों के दौरान एनआईडीएम और डीएमसी द्वारा हासिल किए गए अनुभवों तथा सीखे गए सबकों और साथ ही प्रशिक्षण के लिए प्रत्याशित मांगों और चुनौतियों पर विचार करते हुए एनआईडीएम तथा डीएमसी के लिए वर्ष 2010-11 के प्रशिक्षण

कैलेंडर पर विस्तारपूर्वक विचार किया गया तथा सम्मेलन के दौरान उसे अंतिम रूप से प्रदान किया गया। प्रशिक्षण कैलेंडर 2010-11 के अनुसार, एनआईडीएम लगभग 90 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करेगा जिनमें 40 कैम्पस-बाह्य कार्यक्रम भी शामिल थे। प्रत्येक डीएमसी से वर्ष 2010-11 के दौरान कुल 105 दिन की अवधि के 25 कार्यक्रम संचालित करने की अपेक्षा की गई है। प्रतिभागियों ने आगामी वर्ष के लिए प्रशिक्षण कार्यनीति को अंतिम रूप से विचार करने के आलवा पारस्परिक हित के विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। ईडी, एनआईडीएम ने सुझाव दिया कि चालू वर्ष के लिए कार्यनीति को अंतिम रूप प्रदान करते समय निम्न को ध्यान में रखा जाना चाहिए :

- एसडीएमए और डीडीएमए की स्थापना के फलस्वरूप राज्यों में आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण के लिए बढ़ती हुई मांग।
- आपदा-प्रबंधन पर राष्ट्रीय मानव संसाधन योजना तथा क्षमता विकास योजना तैयार करना।
- एनडीएमए द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश जिनमें विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण और क्षमता विकास पर बल दिया गया है।
- एनडीएमए द्वारा आगामी भारतीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम तथा ऐसे अन्य कार्यक्रम।
- हाल ही में प्रारंभ किया गया भारत सरकार - यूएनडीपी डीआरआर कार्यक्रम।
- प्रस्तावित संशोधित आईसीएस प्रशिक्षण कार्यक्रम। चर्चा में भाग लेते हुए, डीआरआर, यूएनडीपी डा. जे. राधाकृष्णन ने उल्लेख किया कि हाल ही में प्रारंभ किए गए भारत सरकार - यूएनडीपी आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम में दो अवयव हैं :
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सांस्थानिक सुदृढीकरण और क्षमता निर्माण एनडीएमए द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा, और

- शहरी जोखिम न्यूनीकरण परियोजना का क्रियान्वयन शहरी विकास मंत्रालय, एनआईडीएम और यूएनडीपी के साथ गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।

विनिर्दिष्ट आपदाओं पर छह उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना के लिए गृह मंत्रालय द्वारा सिद्धांत रूप से दिए गए अनुमोदन के अनुक्रम में, संबंधित एटीआई को परामर्श दिया गया कि वे इस दिशा में विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तैयार करने का कार्य शीघ्र आरंभ करें। एमएचए द्वारा अनुमोदित छह उत्कृष्टता केन्द्र इस प्रकार हैं :

- सूखा – याशादा, पुणे
- औद्योगिक और रासायनिक आपदाएं – डीएमआई, भोपाल
- भूकंप – एएससी, गुवाहाटी
- बाढ़ – एटीआई, कोलकाता
- चक्रवात – एमसीआर एचआरडी संस्थान हैदराबाद
- भूस्खलन – एटीआई, नैनीताल

एनआईडीएम के शासी निकाय की 5वीं बैठक



जनरल (सेवानिवृत्त) एन.सी. विज, पीवीएसएम, यूवाईएसएम, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बैठक की अध्यक्षता की

18. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के शासी निकाय की पांचवी बैठक जनरल (सेवानिवृत्त) एन.सी. विज, पीवीएसएम, यूवाईएसएम, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बैठक की अध्यक्षता में संस्थान के सम्मेलन कक्ष में 18 मार्च, 2010 को आयोजित की गई। इसमें श्री जी.के. पिल्लई (गृह सचिव), श्री ए.ई. अहमद (सचिव बीएम), श्री ए.बी. प्रसाद (सचिव, एनडीएमए), श्री आर.के. मग्नू एफए, प्रतिनिधि – अपर सचिव एवं एफए, मेजर जनरल शिव कुमार, प्रमुख (एनआरडीएमएस) प्रभाग प्रतिनिधि सचिव विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डा.आर.के. चड्ढा, वैज्ञानिक जी, प्रतिनिधि – निदेशक एनजीआरआई, डा. अमरजीत कौर, डीन, प्रतिनिधि कुलपति जीजीएसआईपी विश्वविद्यालय तथा श्री पी.जी. धर चक्रवर्ती, ईडी एनआईडीएम ने भाग लिया।

बैठक के दौरान, शासी परिषद ने संस्थान द्वारा किए गए जा रहे उत्कृष्ट कार्य की प्रशंसा की तथा निर्णय लिया कि एनआईडीएम को परिसर से बाहर प्रशिक्षण आउटसोर्स करने के लिए अन्य विशेषज्ञ निकायों के साथ जुड़ना चाहिए। शासी परिषद ने वर्ष 2010-11 के लिए एनआईडीएम प्रशिक्षण कैलेंडर का अनुमोदन किया जिसमें शामिल है कक्षा आधारित, वेब-आधारित और एसएटीसीओएम-आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम। राज्य एटीआई में आपदा प्रबंधन केन्द्रों के लिए कैलेंडरों की समीक्षा करते हुए, शासी निकाय ने इस केन्द्रों की प्रगति की समीक्षा की। यह देखा गया कि 7 राज्यों में प्रगति खराब थी जबकि 7 राज्यों में यह मात्र संतोषजनक थी। शासी निकाय ने इस मुद्दे को राज्य सरकारों में उच्चतम स्तर पर गंभीरता से उठाने का निर्णय लिया।

शासी निकाय ने संस्थान के संशोधित भर्ती नियमों का अनुसमर्थन किया और यह अनुमोदित किया कि संस्थान द्वारा अब तक संचालित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के समग्र प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रतिष्ठित एजेंसी को नियुक्ति की जानी चाहिए। शासी निकाय

ने यह महसूस किया कि संस्थान के आपदा-उपरांत अध्ययनों में आपदा-उपरांत प्रबंधन पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए ताकि सीखे गए मुख्य सबकों का प्रयोग सुधार के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपायों के लिए किया जा सके। इन रिपोर्टों का राज्य सरकारों तथा जिला प्रशासन में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए।

विशेष समूह बैठक – विषय-वस्तु और शिक्षा-शास्त्र के संदर्भ में जोखिम विश्लेषण पर नई विकसित पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या की सहयोगी-समीक्षा



प्रो. एन. विनोद चन्द्रा मेनन, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

19. विश्व बैंक संस्थान, वाशिंगटन डीसी, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित अनेक विषयों पर ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का संचालन करता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान डब्ल्यूबीआई के भागीदार संगठनों में से एक है। एनआईडीएम ने विश्व बैंक संस्थान (डब्ल्यूबीआई), वाशिंगटन डी.सी. के सहयोग से अनेक कार्यशालाओं का आयोजन किया। इन कार्यशालाओं के प्रतिभागियों में शामिल थे – डब्ल्यूबीआई के वर्तमान और संभावित भागीदार संगठन जैसे अरब एकेडमी ऑफ इजिप्ट (मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका), कैथोलिक यूनीवर्सिटी ऑफ पेरू (लातिन

अमरीका), गोल्डन स्पीयर रीजनल डिजाइस्टर मैनेजमेंट सेंटर ऑफ एक्सेलेस ऑफ केन्या (अफ्रीका), इस्तांबुल टेक्नीकल यूनीवर्सिटी ऑफ टर्की (यूरो और मध्य एशिया), राष्ट्रीय आपदा समन्वय परिषद् तथा मिरियम कॉलेज, फिलीपींस (दक्षिण-पूर्व एशिया) और एनआईडीएम (दक्षिण एशिया)। आयोजित की गई तीन कार्यशालाएं इस प्रकार थी :

2 फरवरी, 2010 को जोखिम विश्लेषण विशेषज्ञ बैठक जिसका उद्देश्य 'जोखिम विश्लेषण' पर हाल ही में तैयार की गई पाठ्यक्रम की इसकी विषय-वस्तु और शिक्षा-शास्त्र, दोनों ही पहलुओं से सहयोगी समीक्षा करना था। जोखिम विश्लेषण पर पाठ्यक्रम कार्लश्रुहे इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी (केआईटी), जर्मनी द्वारा तैयार किया गया है। इस बैठक में, इस क्षेत्र में कार्य कर रहे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, आईआईटी बंबई के विशेषज्ञों, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर डीआरआर और जोखिम आकलन के क्षेत्र में कार्य कर रहे चयनित विशेषज्ञों तथा एनआईडीएम संकाय ने भाग लिया।

3-5 फरवरी, 2017 तक जोखिम विश्लेषण पर प्रशिक्षण कार्यशाला। इस कार्यशाला का उद्देश्य प्रतिभागियों को जोखिम विश्लेषण पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम के मॉड्यूल से अवगत कराना तथा जोखिम विश्लेषण पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए प्रशिक्षण को तैयार करना था। जोखिम विश्लेषण पर पाठ्यक्रम में निम्नलिखित तीन मूलभूत मॉड्यूल हैं :

- जोखिम विश्लेषण के आधारभूत अवयव
- भूकंप जोखिम विश्लेषण
- बाढ़ जोखिम विश्लेषण

कार्यशाला के संसाधन विशेषज्ञ केआईटी के वृत्तिक थे जो पाठ्यक्रम को तैयार करने के प्रक्रिया में शामिल रहे थे। कार्यशाला में एनआईडीएम के संकाय के अलावा इस क्षेत्र में कार्य करने वाले अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय

विशेषज्ञों ने भाग लिया।

8-9 फरवरी, 2010 को कार्यशाला-सह-नेटवर्क बैठक। इस बैठक का एक प्रमुख उद्देश्य डब्ल्यूबीआई सीआरएम के विद्यमान और नए भागीदारों को साथ लाना तथा पारस्परिक हित, सहयोग और साधियों से परस्पर सीखने की प्रक्रिया को संवर्धित करना था। इस बैठक ने बहु-वार्षिक सहयोग के परिणामों तथा आगे बढ़ने की राह में जाने वाली चुनौतियों का आकलन करने का अवसर प्रदान किया।



आपदा प्रबंधन पर नियमावली जारी की गई

20. एनआईडीएम ने कृषि और सहकारिता मंत्रालय, विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के अनुरोध पर और उसके सहयोग से 'सूखे के लिए नियमावली' तैयार की है। इस नियमावली को एक परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किया गया है जिसमें संबंधित केन्द्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारों, वैज्ञानिक, तकनीकी और अनुसंधान संगठनों तथा सूखे के शमनीकरण और प्रबंधन के क्षेत्र में निचले स्तर पर कार्य कर रहे संगठनों को शामिल किया गया है। इस नियमावली को एनआईडीएम द्वारा कृषि मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से तैयार और प्रकाशित किया गया है। 'सूखा प्रबंधन पर नियमावली' का विमोचन श्री शरद पवार, माननीय कृषि और

सहकारिता मंत्री द्वारा 4 जनवरी, 2010 को नई दिल्ली में किया गया। इस नियमावली की केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, वैज्ञानिक, तकनीकी और अनुसंधान संगठनों तथा सूखे के शमनीकरण और प्रबंधन के लिए निम्नतम स्तर पर कार्य करने वाले संगठनों द्वारा पर्याप्त सराहना की गई है।

अंतर्राष्ट्रीय फोरम में एनआईडीएम

21. ईडी एनआईडीएम ने इंचियोन में आईएसडीआर शिक्षा और प्रशिक्षण समारोह में भाग लिया। ईडी एनआईडीएम ने आईएसडीआर शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया तथा वे प्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में अतिथि व्याख्याता थे। इंचियोन, कोरिया गणराज्य के 11-14 अगस्त, 2009 तक किए गए दौरे के दौरान उन्होंने डीआरआर के लिए स्थानीय संधियों के निर्माण पर सम्मेलन और आईएसडीआर एशिया भागीदारी बैठक, 2009 में भी भाग लिया। वे प्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि भी थे तथा उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन की वर्तमान स्थिति पर अपने विचार व्यक्त किए।

22. चंद्राणी बी. नियोगी, सहायक प्रोफेसर ने 14-25 सितम्बर, 2009 तक इंचियोन, दक्षिण कोरिया में शहरी जोखिम न्यूनीकरण पर आयोजित प्रायोगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

23. डा. सुजाता सत्यपथी, सहायक प्रोफेसर ने 28 सितम्बर से 21 दिसम्बर, 2009 तक यूनीवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन (यूसीएल) यूके में सिविल पर्यावरण और जियोमेटिक इंजीनियरी विभाग में आयोजित व्यावसायिक विकास प्रशिक्षण में भाग लिया।

24. डा. आर.के. मल ने 2-8 अगस्त, 2009 तक

काठमांडू, नेपाल में “वृहत् हिमालयी क्षेत्र में मौसम उत्प्रेरित जल तनाव और जोखिमों की स्थानीय अनुकूलन कार्यनीतियों का आकलन” पर आयोजित कार्यशाला में भाग लिया।

25. प्रो. पी.जी. धर चक्रवर्ती, कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम ने 18-19 नवम्बर, 2009 तक बैंकॉक, थाइलैंड में एशिया-प्रशांत आपदा रिपोर्ट की प्रथम संपादकीय समिति में प्रतिभागिता की।

26. प्रो. संतोष कुमार ने इस्तांबूल, तुर्की में 8-10 दिसम्बर को भूकंपीय जोखिम न्यूनीकरण पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया।

27. डा. आमिर अली खान, सहायक प्रोफेसर ने सउदी अरब में रियाद में 3-6 अक्टूबर, 2009 तक आपदा प्रबंधन पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया।

28. 13-16 जनवरी, 2010 — डा. सूर्य प्रकाश, एसोसिएट प्रोफेसर, भू-जोखिम प्रभाग ने राष्ट्रीय भूमि और अवसंरचना संस्थान तथा लोक निर्माण संस्थान (पीडब्ल्यूआरआई) जापान द्वारा एनआईडीएम के सहयोग से भूस्खलन और अवसंरचना प्रबंधन पर आयोजित संयुक्त कार्यशाला में भाग लिया।

29. 19-29 जनवरी, 2010 — श्री पी.जी. धर चक्रवर्ती, कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम ने दक्षेस आपदा प्रबंधक केन्द्र (एसडीएमपी) तथा एशियाई आपदा न्यूनीकरण केन्द्र (एडीआरसी), कोबे द्वारा संयुक्त रूप से आपदा प्रबंधन पर आयोजित जापान-दक्षेस विचार-गोष्ठी में भाग लिया।

30. 20-31 मार्च, 2010 — सुश्री श्रीजा नायर, सहायक प्रोफेसर ने काबुल विश्वविद्यालय,

अफगानिस्तान में पर्यावरण और आपदा प्रबंधन मिशन में भाग लिया। एक माह तक चले इस कार्यक्रम का उद्देश्य काबुल विश्वविद्यालय के पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन विभाग में शिक्षण सहायताओं और पद्धतियों के पाठ्य विवरण संदर्भ में सुधार करना था।

भारत सरकार — यूएसएआईडी समर्थित आपदा प्रबंधन सहयोग (डीएमएस) परियोजना

31. भारत सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (यूएसएआईडी) के बीच सितम्बर, 2003 में आपदा प्रबंधन सहयोग (डीएमएस) परियोजना के द्विपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसका उद्देश्य आपदा की सुभेद्यता में कमी करना; उनका उन्नयन करना था, अभी प्रमुख भारतीय संस्थाओं की निर्माण क्षमता क्रियान्वयन के अधीन है। तथापि, 4 अप्रैल, 2007 को एक अंतिम करार पर हस्ताक्षर किए गए। परियोजना की व्याप्ति में तीन क्रियाकलाप शामिल हैं, अर्थात् घटना कमान प्रणाली (आईसीएस), उपकरणों की अधिप्राप्ति और क्षमता निर्माण। परियोजना की अवधि 31 मार्च, 2010 तक है।

32. आईसीएस क्रियाकलाप के अंतर्गत, महत्वपूर्ण प्रगति में शामिल है — आईसीएस के लिए प्रशिक्षण; यूएस और आस्ट्रेलिया के अध्यक्ष दौरे; एलएबी से एलएएनडी अवधारणा के माध्यम से छह प्रायोजिक जिलों में आगे आईसीएस संचालित करना तथा गुजरात, आंध्र प्रदेश और असम में अनुकरणों के माध्यम से प्रयोग का प्रयोग करना तथा मसौदा सांस्थानीकरण योजना विकसित करना।

33. प्रगति अनुसंधान और बचाव के लिए संपूर्ण उपकरण अधिप्राप्त कर लिए गए हैं तथा अभिहित संस्थान अर्थात् राष्ट्रीय औद्योगिकी सुरक्षा अकादमी, हैदराबाद को उनकी आपूर्ति कर दी गई हैं। गृह

मंत्रालय, एलबीएसएनएए तथा एनआईडीएम में आपातकालीन आप्रेशन केन्द्रों के लिए शेष उपकरण अधिप्राप्ति की अंतिम अवस्था में हैं।

34. भारतीय आपदा संस्थानों की क्षमता निर्माण के क्रियाकलापों के अंतर्गत, एलबीएसएनएए, एनडीएमए, एनआईडीएम, एनडीडीसी तथा चार जिलों के जिला अधिकारियों को मिलाकर कुल 472 अधिकारियों को आईसीएम में प्रशिक्षित किया गया है। इसके अलावा, संकाय विकास क्रियाकलाप अवयव के अंतर्गत, आरटीआई और एटीआई के 49 संकाय सदस्यों को टीओटी कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है।

35. द्विपक्षीय करार के बाहर संचालित प्रमुख क्रियाकलापों में मोटे तौर पर पूर्वानुमान और शीघ्र चेतावनी प्रणालियां शामिल हैं ख्यूएस संस्थाओं के साथ कार्य करते हुए आईएमडी और सीडब्ल्यूसी ने प्रतिकूल जलवायु का पता लगाने तथा बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए संवर्धित प्रणालियां विकसित की हैं (महानदी और सतलुज नदी घाटी)। 200 से अधिक वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और शोधकर्ताओं को डेटा समावेश, संवर्धित कम्प्यूटर मॉडलिंग और रेडार डेटा के बेहतर प्रयोग, दिल्ली में 5 सार्वजनिक भवनों के संदर्भ में भूकंप पुनःसंयोजन की डिजाइन और प्रदर्शन, भारत सरकार, यूएनडीपी बहु-दाता आपदा जोखिम प्रबंध (डीआरएम) परियोजना को सहयोग, आईसीएस पर यूएस वन सेवा (यूएसएफएस) से प्राप्त विशेषज्ञता को संघटित करना पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा भारतीय संस्थाओं, एलबीएसएनएए और एनआईडीएम को फेडरल आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी (फेमा) को सहायता प्रदान की गई।

संकट प्रबंधन योजना (सीएमपी)

36. इस मंत्रालय के संकट प्रबंधन, जिसे क्रियान्वयन के लिए 2007 में जारी किया गया था, में

सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को तैयार करने की परिकल्पना की गई है। मंत्रालय की संशोधित संकट प्रबंध योजना-2009 (भाग-1) पहले ही सभी संबंधित मंत्रालयों/ विभागों/ एजेंसियों तथा साथ ही राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को क्रियान्वयन के लिए भेज दी गई है। सभी मंत्रालयों/ विभागों/ एजेंसियों तथा साथ ही राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे इस मंत्रालय को सूचित करते हुए अपने संबंधित सीएमपी/एसओपी तैयार करें। उन्हें अद्यतन बनाए क्योंकि राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को उनके संबंधित सीएमपी/एसओपी तैयार करने में सहायता प्रदान करने के लिए दो प्रशिक्षण कार्यशालाएं पहले ही आयोजित की जा चुकी हैं।

प्रकाशन

1. सुरक्षित विकास के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण : भारत में कारपोरेट प्रक्रियाओं का अध्ययन



सितम्बर, 2009

“सुरक्षित विकास के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण : भारत में कारपोरेट प्रक्रियाओं का अध्ययन” पर एक पुस्तक तथा व्यवसाय अनवरतता सर्वेक्षण, 2009 पर एक रिपोर्ट का विमोचन श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन, माननीय गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार द्वारा किया गया था। इस अध्ययन का उद्देश्य कारपोरेट सामाजिक दायित्व तथा आपदा जोखिम-न्यूनीकरण में कारपोरेट क्षेत्र की भूमिका को और अधिक व्यापक रूप से समझना था।



2. जर्नल डिजास्टर एंड डेवलपमेंट

जर्नल डिजास्टर एंड डेवलपमेंट में दो अंकों में 10 (5+5) पत्र, खंड 3, सं. 1 (विशेष अंक शहरी बाढ़- 1) एवं खंड 3, सं. 2 (विशेष अंक शहरी बाढ़- 2), अप्रैल, 2009. प्रकाशित किया गया।

वित्त एवं लेखे

संस्थान के वित्त और लेखा प्रभाग के कार्यों में शामिल है — बजट बनाना, लेखाकरण, प्राप्तियों और भुगतानों का प्रबंध, वार्षिक लेखे तैयार करना और उनका संकलन, मंत्रालय को लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे प्रस्तुत करना। इसके अलावा, प्रभाग सलाह भी प्रदान करता है। तुलना-पत्र के साथ संस्थान की वर्ष 2009-10 की वार्षिक रिपोर्ट अनुबंध- 2 में दी गई है।

फोटो गैलरी

आपदा प्रबंधन पर भारत की द्वितीय बैठक



पूर्व राष्ट्रपति डा ए पी जे अब्दुल कलाम 6 नवम्बर 2009 को द्वितीय आईडीएमसी के दौरान प्रतिनिधियों को विदाई भाषण देते हुये



जनरल एन सी विज, उपाध्याक्ष एनडीएमए 4 नवम्बर 2009 को द्वितीय आईडीएमसी पर अपना उद्घाटन भाषण देते हुये



5 दिसम्बर 2009 को एनएलआईयू, भोपाल में औद्योगिक आपदा और सामाजिक जिम्मेदारी पर आयोजित अन्तराष्ट्रीय सम्मेलन में गणमान्य व्यक्ति



आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर वैश्विक मंच का द्वितीय सत्र



सुखा प्रबंधन पर मेनुअल को उद्घाटन करते हुये।



एनडीएमए के माननीय सदस्य प्रो एन विनोद चन्द्रा मेनन कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुये।

अनुबंध 1

वर्ष 2011-12 में एनआईडीएम द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र.	पाठ्यक्रम शीर्षक	स्थान	दिनांक	नियुक्त फैकल्टी	प्रति. की संख्या
1.	डेब्री प्रबंधन	एनआईडीएम	21-22 मई	श्री अरुण सहदेव	26
2.	बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन	एनआईडीएम	25-29 मई	श्रीजा नायर	33
3.	जलवायु परिवर्तन और आपदा	एनआईडीएम	1-5 जून	डॉ आर के मल	27
4.	जिला आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी	जी.बी. पंत संस्थान, सिविकम	1-5 जून	श्री आमीर अली खान श्री शेखर चतुर्वेदी	32
5.	नुकसान, हानि और मूल्यांकन की आवश्यकता	एनआईडीएम	1-5 जून	डॉ संतोष कुमार	28
6.	आपदा मनो-सामाजिक देखभाल पर प्रशिक्षकों के पाठ्यक्रम का अग्रिम प्रशिक्षण	एनआईएमएचएएनएस	1-12 जून	डॉ सुजाता सतपथी	16
7.	सूखा न्यूनीकरण और प्रबंधन	एनआईडीएम	8-12 जून	डॉ आर के मल	30
8.	भूकंप जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन	एटीआई, तमिलनाडु	8-12 जून	डॉ सी घोष डॉ रितु राज	20
9.	बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन	एटीआई, उत्तर प्रदेश	15-19	जून डॉ आर के मल डॉ ए डी कौशिक	55
10.	आपदा स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन	एनआईडीएम	15-19 जून	डॉ सुजाता सतपथी	25
11.	भूकंप जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन	एनआईडीएम	15-19 जून	श्री आमीर अली खान	41
12.	औद्योगिक और रासायनिक आपदाओं का प्रबंधन	एटीआई, महाराष्ट्र	22-26 जून	डॉ अनिल गुप्ता सुश्री श्रीजा नायर	21
13.	एनडीआरएफ कमांडरों के लिए आपदा प्रबंधन पर बुनियादी पाठ्यक्रम	एनआईडीएम	22-26 जून	श्री अरुण सहदेव	20
14.	आपदा सुरक्षित पहाड़ी क्षेत्र	एटीआई, उत्तराखंड	29 जून-3 जुलाई	डॉ सूर्य प्रकाश	27
15.	ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में मुख्यधारा आपदा प्रबंधन	एनआईडीएम	29 जून-3 जुलाई	डॉ संतोष कुमार	19
16.	नागरिक रक्षा अधिकारियों के लिए आपदा प्रबंधन पर मूल पाठ्यक्रम	एनआईडीएम	6-10 जुलाई	लेफ्टिनेंट कर्नल पी के पाठक	17
17.	जलवायु परिवर्तन और आपदा	एटीआई, झारखंड	6-10 जुलाई	डॉ आर के मल डॉ ए डी कौशिक	27
18.	शहरी जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन	एटीआई, राजस्थान	13-17 जुलाई	सुश्री सी बंधोपाध्याय श्री एस चतुर्वेदी	20
19.	पर्यावरण एवं आपदा	एनआईडीएम	13-17 जुलाई	डॉ अनिल गुप्ता	38
20.	आपदा प्रबंधन में जीआईएस और रिमोट सेंसिंग की भूमिका	एटीआई, हरियाणा	20-24 जुलाई	सुश्री श्रीजा एस नायर डॉ रितु राज	17
21.	चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन	एनआईडीएम	20-24 जुलाई	श्री बिश्वनाथ दास	20
22.	सूखा न्यूनीकरण और प्रबंधन	एटीआई, छत्तीसगढ़	27-31 जुलाई	डॉ अनिल गुप्ता	54
23.	व्यापक हताहत प्रबंधन	एनआईडीएम	3-7 अगस्त	डॉ सुजाता सतपथी	43
24.	आपदाओं की शुरुआती चेतावनी	एनआईडीएम	17-21 अगस्त	श्री बी दास	26
25.	आपदा प्रबंधन में जीआईएस और रिमोट सेंसिंग की भूमिका	एनआईडीएम	17-21 अगस्त	सुश्री श्रीजा नायर	13
26.	आपदा सुरक्षित निर्मित पर्यावरण के लिए बिल्डिंग कोड और डिजाइन	जम्मू और कश्मीर	17-21 अगस्त	डॉ सी सी घोष श्री आमीर अली खान	20
27.	प्रशिक्षकों को समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन का प्रशिक्षण	एनआईडीएम	31 अगस्त - 4 सितम्बर	डॉ अजिंदर वालिया	20

28.	जिला आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी	एटीआईत्रिपुरा	31 अगस्त — 4 सितम्बर	डॉ सूर्य प्रकाश सुश्री श्रीजा नायर	82
29.	रसायन, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु (सीबीआरएन) आपदा	एनआईडीएम	7-11 सितंबर	श्री अरुण सहदेव	29
30.	चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन	एटीआई, मेघालय	7-11 सितंबर	श्री बी दास सुश्री एस गुलेरिया	16
31.	पर्यावरण और आपदा	एनआईडीएम	14-18 सितंबर	डॉ अनिल गुप्ता	27
32.	आपदा से सुरक्षित पर्यावरण बनाने हेतु भवन कोड और डिजाइन	एटीआई, नागालैंड	14-18 सितंबर	डॉ सी घोष श्री आमीर अली खान	27
33.	लंबी अवधि की रिकवरी और पुनर्निर्माण रणनीतियाँ	एनआईडीएम	23-25 सितंबर	डॉ संतोष कुमार	46
34.	व्यापक भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन	आईएलएम, केरल	22-25 सितंबर	डॉ सूर्य प्रकाश डॉ रितु राज	37
35.	आपदा प्रबंधन में पुलिस की भूमिका	एनआईडीएम	29 सितम्बर 1 अक्टूबर	श्री अरुण सहदेव	15
36.	जलवायु परिवर्तन और आपदाएं	जीआईडीएम, गुजरात	6-9 अक्टूबर	डॉ आर के मल डॉ ए डी कौशिक	27
37.	एनडीआरएफ कमांडरों के लिए आपदा प्रबंधन पर बुनियादी पाठ्यक्रम	एनआईडीएम	9 -13 नवंबर	श्री अरुण सहदेव	25
38.	जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन	एनआईडीएम	16-20 नवंबर	डॉ आर के मल	30
39.	सिविल डिफेन्स सिविल के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	डिफेन्स एकेडमी, बेंगलोर	16-20 नवंबर	लेफ्टिनेंट कर्नल पी के पाठक श्री आमीर अली खान	43
40.	हाइड्रो-मौसम संबंधी आपदाओं का न्यूनीकरण और प्रबंधन	एटीआई, मिजोरम	23-27 नवंबर	डॉ के जे आनंदा कुमार डॉ आर के मल	17
41.	व्यापक भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन	एनआईडीएम	23-27 नवंबर	डॉ सूर्य प्रकाश	16
42.	नुकसान, हानि और मूल्यांकन आकलन	एटीआई बिहार	25-27 नवंबर	डॉ संतोष कुमार	27
43.	बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन	एनआईडीएम	30 नवंबर — 4 दिसम्बर	डॉ के जे आनंदा कुमार	37
44.	जीआईएस और आरएस की आपदा प्रबंधन में भूमिका	एटीआई पश्चिम बंगाल	14-18 दिसम्बर	सुश्री श्रीजा नायर	15
45.	लिंग मुद्दे और आपदा प्रबंधन	एनआईडीएम	14-18 दिसम्बर	डॉ. अजिंदर वालिया	16
46.	नागरिक रक्षा अधिकारियों के लिए आपदा प्रबंधन की मूल बातें	एनआईडीएम	14-18 दिसंबर	लेफ्टिनेंट कर्नल पी के पाठक	14
47.	विकास में मुख्यधारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण	एनआईडीएम	22-24 दिसम्बर	श्री राजीव शर्मा	26
48.	चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन	एनआईडीएम	4-8 जनवरी 2010	श्री विश्वनाथ दास	16
49.	व्यापक भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन	एटीआई, कर्नाटक	4-8 जनवरी	डॉ सूर्य प्रकाश डॉ रितु राज	25
50.	विकास में मुख्यधारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण	एनआईडीएम	7-8 जनवरी	डॉ संतोष कुमार	28
51.	युएन स्पाइडर के सहयोग से आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर प्रशिक्षण कार्यशाला	एनआईडीएम	11-13 जनवरी	श्री आमीर अली खान सुश्री श्रीजा नायर	15
52.	सीरियल बम ब्लास्ट का प्रबंधन	एनआईडीएम	13-15 जनवरी	श्री अरुण सहदेव	26
53.	वन्य क्षेत्र के लिए आपदा प्रबंधन	एफआरआई देहरादून	18-22 जनवरी	डॉ अनिल गुप्ता डॉ ए डी कौशिक	14
54.	भूकंप जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन	एटीआई असम	18-22 जनवरी	डॉ सी घोष श्री आमीर अली खान	17

55.	सुनामी चेतावनी पर प्रतिक्रिया	एनआईडीएम	27-29 जनवरी	श्री बी दास	11
56.	खतरनाक वस्तुओं का परिवहन	एनआईडीएम	1-2 फरवरी	डॉ अनिल गुप्ता	09
57.	व्यापक भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन	एनआईडीएम	1-5 फरवरी	डॉ सूर्य प्रकाश	16
58.	जलवायु परिवर्तन और आपदा	एनआईडीएम हैदराबाद	1-5 फरवरी सुश्री एस गलेरिया	डॉ आर के मल	32
59.	भूकंप जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन	एटीआई, हिमाचल प्रदेश	1-5 फरवरी	डॉ सी घोष डॉ रितु राज	28
60.	एनडीआरएफ कमांडर के लिए आपदा प्रबंधन पर बुनियादी पाठ्यक्रम	एनआईडीएम	8-12 फरवरी	लेफ्टिनेंट कर्नल पीके पाठक	20
61.	पर्यावरण एवं आपदा	तेजपुर विश्वविद्यालय	8-12 फरवरी	डॉ अनिल गुप्ता	27
62.	आपदा प्रबंधन में लिंग मुद्दे	एनआईडीएम	8-12 फरवरी	डॉ अजिंदर वालिया	15
63.	राहत प्रबंधन	एनआईडीएम	22-24 फरवरी	श्री राजीव शर्मा	28
64.	पर्यावरण पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनआईडीएम	22-24 फरवरी	प्रो सी घोष	35
65.	भारतीय रेलवे के प्रशिक्षकों के लिए आपदा प्रबंधन की मूल बातें	आईआरआईटीएम लखनऊ	22-26 फरवरी	डॉ सुजाता सतपथी	26
66.	डीडीएमपी की तैयारी	उड़ीसा	22-26 फरवरी	बी दास एस चतुर्वेदी	33
67.	औद्योगिक और रासायनिक आपदा प्रबंधन	एनआईडीएम	22-26 फरवरी	डॉ अनिल गुप्ता	24
68.	भूकंप प्रतिरोधी रिट्रोफाइटिंग बिल्डिंग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	(वन सम्मेलन हॉल, देवराली) गंगटोक	2-3 मार्च	प्रो सी घोष	71
69.	आपदा साइको-सोशल केयर की टीओटी	एनआईडीएम	8-12 मार्च	डॉ सुजाता सत्यापथी	15
70.	जिला आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी	एटीआई मणिपुर	8-12 मार्च	लेफ्टिनेंट कर्नल पीके पाठक सुश्री एस गलेरिया	33
71.	भूकंप प्रतिक्रिया और रिकवरी पर एकीकृत आपातकालीन प्रबंधन पाठ्यक्रम (आईईएमसी)	एटीआई उत्तराखंड, नैनीताल	8-10 मार्च	श्री अरुण सहदेव श्री शेखर चतुर्वेदी	71
72.	आपदा प्रबंधन में जीआईएस और रिमोट सेंसिंग की भूमिका	एनआईडीएम	8-12 मार्च	सुश्री श्रीजा एस नायर	21
73.	स्टैम्पेड और सड़क दुर्घटनाओं का प्रबंधन	एनआईडीएम	15-17 मार्च	श्री राजीव शर्मा	26
74.	समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन पर प्रशिक्षक का प्रशिक्षण	एनआईडीएम	15-19 मार्च	डॉ अजिंदर वालिया	13
75.	लाइफलाइन संरचनाओं का पुनःप्रमाणन : तकनीकी और प्रबंधकीय मुद्दे	एनआईडीएम	17-19 मार्च	डॉ सी घोष	10
76.	आपदाओं के पहले, दौरान और बाद में बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतें	एनआईडीएम	22-26 मार्च	डॉ सुजाता सतपथी	08
77.	सीरीयल बम विस्फोट प्रबंधन	एनआईडीएम	29-31 मार्च	लेफ्टिनेंट कर्नल पीके पाठक	28
				कुल	2048
सैटेलाइट आधारित प्रशिक्षण					
1.	आपदा प्रबंधन पर सैटेलाइट आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम	एटीआई महाराष्ट्र	21-23 दिसम्बर	प्रो एस कुमार श्री अरुण सहदेव	1500

क्रियाकलाप 2010-11

प्रशिक्षण

1. वर्ष 2010-11 के दौरान, संस्थान ने 70 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें 1839 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया अनुबंध -1. संस्थान ने विश्व बैंक संस्थान, वाशिंगटन के साथ मिलकर आपदा पर बुनियादी और विशिष्ट विषयों पर ऑन लाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजन किया संस्थान ने इसरो समुदाय केंद्रों के माध्यम से सैटेलाइट आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने के लिए प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों, भोपाल और मैसूर के साथ सहयोग किया, जिनमें सैटेलाइट आधारित एक-तरफा वीडियो और दो तरह की ऑडियो संचार प्रणाली है।

2. एनआईडीएम के पास राष्ट्रीय स्तर की नीति तैयार करने में सहायता प्रदान करने और राज्य स्तर की नीतियां, रणनीतियां और ढांचा बनाने के लिए जनादेश है। इस जिम्मेदारी के प्रयोग में, एनआईडीएम विभिन्न नीतिगत कार्यशालाओं और सम्मेलनों का आयोजन कर रहा है और आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर नीति अध्ययन किया जा है। यह देश में आपदा प्रबंधन पर एक विशेष प्रवेशमार्ग बनाने के लिए कई ज्ञान आधारित संस्थानों के साथ साझेदारी में भारत आपदा ज्ञान नेटवर्क (आईडीकेएन) विकसित कर रहा है।

3. एनआईडीएम ने भूकंप जोखिम प्रबंधन (एनपीसीबीईईआरएम और एनपीसीएबीएआरएम) के अभियानताओं और वास्तुकारों के क्षमता निर्माण के लिए जुड़वां राष्ट्रीय कार्यक्रमों को लागू किया है, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, स्कूल ऑफ प्लानिंग और आर्किटेक्चर के सहयोग से 20,000 अभियंताओं और वास्तुकारों को प्रशिक्षण के लिए लक्षित करता है और पुरे देश में 300 से अधिक अभियंता और वास्तुकला महाविद्यालय में मार्च 2010 तक, 2,528 पेशेवर अभियंताओं और 1,361 पेशेवर वास्तुकारों को प्रशिक्षित किया गया है।

सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र

4. एनआईडीएम सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र की मेजबानी कर रहा है जिसमें आठ दक्षिण एशियाई देश – अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के अधिकार क्षेत्र शामिल हैं। दक्षिण एशिया में आपदा जोखिम में कमी और प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर क्षेत्रीय सहयोग पर योजनाओं और कार्यक्रमों को विकसित करने और कार्यान्वित करने के लिए इन देशों के पेशेवर काम करते हैं। एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक सार्क केंद्र के निदेशक भी हैं।

एनआईडीएम निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और कार्यशालाओं का आयोजन कर चुका है।

शहरो को स्थिति स्थापक बनाने के लिए दक्षिण एशिया ने वैश्विक अभियान की शुरुआत की

5. दक्षिण एशिया ने वैश्विक अभियान की शुरुआत के लिए कार्यशाला की शुरुआत 08.06.2010 से 09.06.2010 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में संयुक्त राष्ट्रों की अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण नीति (यूएनआईएसडीआर) और शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से आयोजित की गई थी। इस कार्यशाला के अंत में, कुल 28 शहरों ने औपचारिक रूप से अभियान दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए और अपने शहरों को आपदा स्थिति स्थापक बनाने के लिए प्रतिबद्धता की।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) ने शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार और यूएन-आईएसडीआर के साथ भागीदारी कर शहरो को स्थिति स्थापक बनाने के लिए अभियान – मेरा शहर तैयार हो रही है की शुरुआत की – नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एनआईडीएम द्वारा आयोजित शहरो को स्थिति स्थापक बनाने पर एक

अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला के माध्यम से अभियान शुरू किया गया था।



माननीय मंत्री जी ने दक्षिण एशिया में शहरी जोखिम प्रबंधन पर अध्ययन पर संकलित पुस्तक का विमोचन किया।

शहरी विकास मंत्री श्री एस जयपाल रेड्डी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। गृह राज्य मंत्री श्री मल्लपाली रामचंद्रन और जनरल एन सी विज, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, सम्मानित अतिथि थे। श्री पृथ्वीराज साहनी, दिल्ली के माननीय महापौर एक विशेष आमंत्रित सदस्य थे। अपने संबोधन में, शहरी विकास के माननीय मंत्री ने शहरी क्षेत्रों में जोखिम के विभिन्न पहलुओं के बारे में बताया और जोखिम कम करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने शहरी केंद्रों में जोखिम को कम करने के लिए एक क्षेत्रीय प्रयास की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। माननीय मंत्री ने एनआईडीएम और उसके सहयोगियों द्वारा 12 भारतीय शहरों के जलवायु और आपदा स्थिति स्थापक पर तैयार एक रिपोर्ट जारी की।

इस घटना में दक्षिण एशिया के चयनित शहरों के महापौरों और वरिष्ठ अधिकारियों ने जिसमें कोलंबो, ढाका, दिल्ली, काबुल, कराची, काठमांडू, मुंबई, मेल और थिंपू शामिल हैं ने भाग लिया। पुणे, मेरठ, ठाणे आदि जैसे अन्य भारतीय शहरों का प्रतिनिधित्व महापौरों और शहर प्रशासन के

वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया।

6. एनआईडीएम और सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र (एसडीएमसी), नई दिल्ली द्वारा युएनआईएसडीआर और शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के साथ सहयोग कर हाईडो ढांचे पर करवाई योजना में मध्य कालीन समीक्षा पर दक्षिण एशिया क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन 10.06.2010 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में किया गया था। इसमें कार्रवाई की समीक्षा की गई जिसमें भाग लेने वाले राष्ट्रों ने अपने प्रस्तुतीकरण किये।

ह्यूगो फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन पर मध्य अवधि समीक्षा पर कार्यशाला



कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम, ह्यूगो फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन पर मध्य कालीन समीक्षा की बैठक की अध्यक्षता करते हुये

10 जून 2010 को विज्ञान भवन में ह्यूगो फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन की मध्य-अवधि की समीक्षा पर कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला की शुरुवात श्री पीजी धर चक्रवर्ती, कार्यकारी निदेशक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा की गई। उद्घाटन सत्र के अन्त में ईडी एनआईडीएम द्वारा द्विवार्षिक एचएफए समीक्षा के परिणामों पर एक प्रस्तुति भी दी गई। 2007-2009 की

समीक्षा से संकेत मिलता है कि एचएफए प्राथमिकता कार्यों 1 और 5 पर महत्वपूर्ण प्रगति हुई है लेकिन 2, 3 और 4 में कमजोर प्रगति हुई।

वरिष्ठ समन्वयक एम.एस. लेटिजिया ने अपनी प्रस्तुति में समीक्षा को लागू करने पर जोर दिया। मध्य अवधि समीक्षा पर देश की प्रस्तुति सार्क देशों जैसे अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका द्वारा की गई। कार्यशाला ने एचएफए के अधिक संरचित और सहभागी और विश्लेषणात्मक समीक्षा के लिए उपायों को सुझाया। यह अनुमान लगाया गया था कि डीआरआर के लिए वित्त व्यवस्था न केवल विकसित देशों के लिए बल्कि राष्ट्रीय से स्थानीय स्तर तक की जरूरत है जिस पर कार्रवाई की जानी चाहिए।

ऑनलाइन पाठ्यक्रम

7. एनआईडीएम 2006 से विश्व बैंक संस्थान, वाशिंगटन के साथ साझेदारी में ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। यह कोर्स सभी प्रतिभागियों को विश्व स्तर पर अपने विचारों, राय और जानकारी को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। वर्तमान वर्ष में, संस्थान आपदा प्रबंधन के विभिन्न विषयों पर आठ मॉड्यूल को शामिल कर रहा है जिसमें नुकसान और पुनर्निर्माण आवश्यकताओं का आकलन, भूकंप जोखिम प्रबंधन, जोखिम संवेदनशील भू-योजना और वित्तीय आपदाओं के आर्थिक प्रभावों के प्रबंधन के लिए रणनीतियां शामिल हैं। इन पंद्रह पाठ्यक्रमों में से 6 को पूरा कर लिया गया है जिसमें 400 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

8. एनआईडीएम ने भारतीय संदर्भ में परिदृश्यों और मामले के अध्ययन के आधार पर आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम में 8 पाठ्यक्रम मॉड्यूल की शुरुआत की है। मॉड्यूल के लिए विश्व बैंक संस्थान, वाशिंगटन अनुदान दे रहा है।

सार्क देशों की महिला पत्रकारों के प्रतिनिधिमंडल ने एनआईडीएम का दौरा किया

9. सार्क देशों के महिला पत्रकारों के एक प्रतिनिधिमंडल ने 20 अप्रैल 2010 को एनआईडीएम का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका की वरिष्ठ महिला पत्रकार शामिल थी। श्री पी जी धर चक्रवर्ती, निदेशक एनआईडीएम ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया और एसडीएमसी की भूमिका और कार्यों और क्षेत्रीय सहयोग के मुद्दों को समझाया। प्राकृतिक आपदाओं की रिपोर्टिंग में मीडिया द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर लम्बे समय पर चर्चा हुई। इसके बाद एनआईडीएम फैकल्टी सदस्यों और एसडीएमसी विशेषज्ञों के साथ एक दिलचस्प बातचीत सत्र चला, जिसमें आपदा प्रतिक्रिया, योजना, राहत और पुनर्वास कार्य और आपदा की रिपोर्टिंग की बाधाओं सहित व्यापक मुद्दों को शामिल किया गया।

पर्यावरण सांख्यिकी और आपदा प्रबंधन पर मिश्रित शिक्षण पाठ्यक्रम – तैयारी कार्यशाला

10. एनआईडीएम ने जीटीजेड-इनवेन्ट और इन्फानोस इंडिया के सहयोग से नई दिल्ली में 27-28 सितंबर, 2010 को आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए पर्यावरण सांख्यिकी पर मिश्रित शिक्षण पर एक दो दिन की तैयारी दिवस का आयोजन किया। पाठ्यक्रम का उद्देश्य आपदा जोखिम प्रबंधन में सांख्यिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उससे सम्बंधित दृष्टिकोण को पेश करना था।

कार्यशाला में विशिष्ट सुविधाओं और मिश्रित शिक्षण पद्धति के फायदे और इनवेन्ट के सर्वोत्तम अभ्यास और अनुभवों को प्रस्तुत किया गया और चर्चा की गई।

कार्यशाला के अलावा इस तरह के पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने के साथ ही बुनियादी ढांचे के लिए आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों पर चर्चा भी हुई।

डॉ। क्लाउस रोडेर, जीटीजेड इनवेन्ट, जर्मनी, पाठ्यक्रम के लिए प्रमुख ट्रेनर थे। एनआईडीएम के फैकल्टी सदस्यों सहित भारत के विभिन्न राज्यों से 20 प्रतिभागियों (डीएम फैकल्टी सदस्य और एसडीएमए प्रोफेशनल) ने कार्यशाला में भाग लिया

नया प्रशिक्षण कार्यक्रम : स्वास्थ्य सूचना प्रणाली और आपदा प्रबंधन

11. आपदा प्रबंधन में स्वास्थ्य सूचना प्रणाली पर प्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम, एनआईडीएम में 20 सितंबर से 24 सितंबर, 2010 तक आयोजित किया। जिसका उद्देश्य बेहतर आपदा तैयारियों और प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए स्वास्थ्य सूचना प्रणाली की उपलब्धता के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र की क्षमता को मजबूत करना था। जिसमें तरीके से संगठन करना और सरल तरीके से मेडीकल स्टाफ और उपकरणों को उनके निर्धारित स्थान तक पहुँचाया जा सके और सबसे पास मेडीकल सुविधाओं को खोजा जा सके यदि सूचना प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से जीआईएस, जीपीएस जैसे भौगोलिक-सूचना विज्ञान उपकरणों का उपयोग किया जाता है, तो यह अधिक आसानी से और कुशलता से किया जा सकता है। और यह कम समय में जल्द प्रतिक्रिया के सिद्धान्त पर आधारित है। क्षमता निर्माण रूप में प्रशिक्षण, आपदाओं के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र की तैयारियाँ इसका अभिन्न अंग है।

अफ्रीकी देशों के अधिकारियों के लिए व्यापक आपदा जोखिम प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

12. अफ्रीका भारत के बीच किये गये समझौते के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) ने अफ्रीकी देशों के अधिकारियों के लिए व्यापक आपदा जोखिम प्रबंधन पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रमों आयोजित किया। इस कार्यक्रम में क्लोस नम्बर 12 के तहत राजनीतिक सहयोग, क्षमता निर्माण और मानवीय सहयोग पर सहमति जताई गई।



10-21 जनवरी, 2011 के दौरान एनआईडीएम द्वारा हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गुडगांव के सहयोग से हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 17 अफ्रीकी देशों के 25 अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। पाठ्यक्रम का उद्देश्य अधिकारियों में ज्ञान और कौशल प्रदान करके उनकी आपदा से पूर्व, आपदा की स्थिति में और उसके बाद उससे निपटने की क्षमता का विकास करना था। पाठ्यक्रम को 11 मॉड्यूल में बांटा गया जैसे संकल्पनात्मक रूपरेखा, आपदा प्रबंधन प्रणाली और फ्रेमवर्क तथा संस्थागत तंत्र, आपदा प्रबंधन : विशिष्ट खतरें (अफ्रीका में खतरों पर केंद्रित), आपदा और विकास, जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम में कमी और सहयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, क्रॉस-कटिंग के मुद्दे, स्वास्थ्य देखभाल, आपदा सुधार योजना, तुरन्त प्रतिक्रिया और द्विपक्षीय और बहुपक्षीय

संगठनों की भूमिका, व्याख्यान और चर्चा, पैनल चर्चा, व्यक्तिगत और समूहिक अभ्यास, क्षेत्र का दौरा, व्यक्तिगत/समूह प्रस्तुति और प्रशिक्षण तकनीकों पर प्रतिक्रियाएं और फिल्म/सम्बंधित मामले का अध्ययन आदि उपायों को प्रभावी शिक्षा के लिए अपनाया गया। क्षेत्र यात्रा को इसके लिए बेहद उपयोगी पाया गया कि किस प्रकार योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारा जाये इससे चुनौतियों और अवसरों को समझाने में मदद मिलेगी।

डीआरआर मे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल और तुरन्त प्रतिक्रिया पर एनआईडीएम-यूएनएसपीएमआईआर में कार्यशाला

13. 28 से 30 मार्च 2011 तक एनआईडीएम – युनइटीड नेशन प्लेट फर्म फोर स्पेस बेस्ड इनफारेमेशन फोर डिसस्टर मनेजमेंट एंड इमेरजेंसी रिसपोन्स (यूएनएसपीआईडीएआर) की कार्यशाला का आयोजन एनआईडीएम मे किया गया। भारत के विभिन्न राज्यों के 21 अधिकारियों और 4 सार्क देशों के अधिकारियों ने कार्यशाला में भाग लिया। भारतीय प्रतिनिधि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आपदा प्रबंधन विभाग के मध्य स्तर के अधिकारी, प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थानों के फकेल्टी रिमोट सेंसिंग एप्लिकेशन केंद्र आदि से थे। अन्य सार्क देशों के प्रतिभागियों में आपदा प्रबंधन ब्यूरो बांग्लादेश से दो अधिकारी शामिल थे, एक आपदा प्रबंधन केंद्र, श्रीलंका से और एक-एक सदस्य राष्ट्रीय आपदा



प्रबंधन केंद्र मालदीव और आईसीआईएमओडी नेपाल से थे।

आपदा प्रबंधन के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों पर आपदा प्रबंधकों की क्षमता विकसित करने में इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की कार्यशाला बेहद मददगार रही, जो विभिन्न स्तरों पर भू-स्थानिक और आपदा प्रबंधन के अधिकारियों के बीच की खाई को खत्म करने में सहायक होगी। इस कार्यशाला में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), यूएन-स्पाइडर / यूएनओओसा, आईसीआईएमओडी और एनआईडीएम के विशेषज्ञ शामिल थे। कार्यशाला के दौरान विभिन्न देशों और भारत के राज्यों के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने देशों और भारतीय राज्यों में अंतरिक्ष आधारित जानकारी का उपयोग करने के अपने अनुभवों को साझा किया। पैनल चर्चा में प्रतिभागियों द्वारा संबंधित राज्य / देश में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग की वर्तमान स्थिति परिभाषित होती हैं।

कार्यशाला में प्रतिभागियों को अंतरिक्ष आधारित जानकारी का उपयोग करने वाली सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध कराई गई जानकारी के बारे में बताया गया है, जो कि विभिन्न कार्यक्रमों और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष चार्टर, सेन्टिनेल एशिया, सर्विर हिमालय, इसरो के आपदा प्रबंधन सहायता प्रणाली और प्लेटफार्मों के तहत आपदा तैयारियों की योजना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कार्यशाला में नियमित आधार पर ऐसी कार्यशालाओं को जारी रखने के लिए प्रतिभागियों से प्रतिक्रिया/सिफारिशें मांगी गईं। इस श्रृंखला की तीसरी कार्यशाला को 2012 के दौरान सभी सार्क देशों की उपस्थिति में करने की योजना बनाई गई।

रासायनिक जोखिम प्रबंधन में जियोइफॉर्मेटिक्स एप्लीकेशन पर एनआईडीएम-आईटीसी-सीईपीटी की प्रशिक्षण कार्यशाला

14. एनआईडीएम ने युएनयु-आईटीसी स्कूल फार डिसास्टर जिओ- इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, नीदरलैंड, फैकल्टी ओफ जीमैटिक्स और स्पेस एप्लीकेशन, सीईपीटी युनिवर्सिटी और जोअइन्ट रिसर्च सेंटर (जेआरसी) इटली, सभी के सहयोग से 31 जनवरी से 4 फरवरी, 2011 तक सीईपीटी विश्वविद्यालय, अहमदाबाद में जॉइनोफॉर्मिक्स एप्लीकेशन इन केमिकल रिस्क मैनेजमेंट पर 5 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस पाठ्यक्रम का लक्ष्य रासायनिक (औद्योगिक) आपदाओं से संबंधित जोखिम आकलन और आपदा प्रबंधन योजना में भू-सूचना उपकरणों के उपयोग पर प्रतिभागियों के ज्ञान और कौशल को बढ़ाने था।



आपदा प्रबंधन विभाग, कारखाने और बॉयलर/औद्योगिक सुरक्षा, पर्यावरण और एसएंडटी से 23 प्रतिभागी, जो कि रासायनिक आपदा प्रबंधन से संबंधित क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं, प्रशिक्षण कार्यशाला में भाग लिया। पाठ्यक्रम को मुख्यतः सीएएमईओ, एएलओएचए, एमएआरपीएलओटी, गूगल अर्थ आदि जैसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उपयोग करने पर हाथ मिलाया गया था और उनके कार्यस्थलों को कौशल विकास और सीखने के व्यावहारिक उपयोग में बेहद उपयोगी पाया गया। बीआईएसएजी दौरे के इलावा (रिजनल स्पेस ऐपलिकेशन सेंटर) और स्पेस ऐपलिकेशन सेंटर, अहमदाबाद ने एकत्रित होकर संगठनों द्वारा विकसित किये गये प्रदर्शन पर आधारित अध्ययन द्वारा इसे और प्रभावी बनाया।

वार्षिक प्रशिक्षण सम्मेलन- 2011



15. एनआईडीएम का छठा वार्षिक प्रशिक्षण सम्मेलन 14-15 फरवरी, 2011 को आयोजित किया गया था ताकि 2010-11 में देश में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण गतिविधियों की समीक्षा की जा सके और 2011-12 के लिए प्रशिक्षण कैलेंडर का निर्माण किया जा सके। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माननीय सदस्य श्री टी नंद कुमार ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। अपने उद्घाटन भाषण में श्री कुमार ने सभी क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। राज्य सरकारों के प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों (एटीआई) के निदेशक जनरल, केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के प्रतिनिधियों, राज्य सरकारों और आपदा प्रबंधन केंद्र (डीएमसी) के वरिष्ठ फैकल्टी सदस्यों के साथ साथ एनआईडीएम फैकल्टी सदस्यों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन ने वित्तीय स्तर के दौरान राज्य स्तरीय संस्थानों द्वारा वर्ष 2010-11 में की गई प्रगति की समीक्षा करने के लिए अद्वितीय मौका मिला। एक परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से आने वाले वर्ष के लिए गतिविधियों का वार्षिक कैलेंडर विकसित करने का अवसर भी मिला। सीएएमईओ, एएलओएचए, एमएआरपीएलओटी, गूगल अर्थ आदि जैसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उपयोग कर प्रशिक्षण देने पर सम्मेलन के दौरान चर्चा की गई। और इन्हें कार्यस्थल पर कौशल विकास और सीखने के व्यावहारिक उपयोग में अत्यंत उपयोगी पाया गया। बीआईएसएजी दौरे के इलावा (रिजनल स्पेस ऐपलिकेशन

सेंटर) और स्पेस ऐपलिकेशन सेंटर, अहमदाबाद ने एकत्रित होकर संगठनों द्वारा विकसित किये गये प्रदर्शन पर आधारित अध्ययन द्वारा इसे और प्रभावी बनाया।

उत्तर पूर्व में भूकंप जोखिम प्रबंधन रणनीति पर राष्ट्रीय सम्मेलन

16. एनआईडीएम, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, उत्तर पूर्वी परिषद् और असम सरकार के सहयोग से 24-25 फरवरी, 2011 को उत्तर-पूर्व में भूकंप जोखिम पर रोक लगाने की रणनीति पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्घाटन श्री तरुण गोगोई, माननीय मुख्यमंत्री असम ने किया। क्षेत्र के विशेषज्ञों और उच्च स्तरीय नीति निर्माताओं ने इसमें भाग लिया। कार्यशाला के दौरान भूकंप जोखिम प्रबंधन की विभिन्न समस्याओं और चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया गया था भूकंप जोखिम प्रबंधन पर आने वाली कठनाईयों और चुनौतियों पर कार्यशाला के दौरान विचार विमर्श किया गया जिससे राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर लागू कर भूकंप जोखिम को कम किया जा सके। कार्यशाला की मुख्य सिफारिश भूकंप जोखिम प्रबंधन योजनाओं को कम (1-3 वर्ष), मध्यम (1-5 वर्ष) और लंबी अवधि (5 वर्ष और उससे आगे) में क्षेत्रीय, राज्य, और जिला स्तर पर लागू कराना था। लघु और मध्यम अवधि के उपायों में भूकंप की तैयारी और प्रतिक्रिया, भूकंप जोखिम मूल्यांकन और न्युनीकरण की ऐसी कई गतिविधियां शामिल हैं, जैसे कि क्षमता निर्माण, जन जागरूकता आदि जिन्हें पांच वर्षों में पूरा किया जा सकता है, जबकि दीर्घकालिक योजनाओं में जोखिम मूल्यांकन और न्युनीकरण की गतिविधियों को शामिल किया गया जिनमें अधिक लागत और धन लगना है। कार्यशाला के दौरान देश के इस बेहद कमजोर हिस्से में भूकंप के जोखिम को कम करने के लिए एक

मसौदा विकसित किया गया। योजनाओं की तैयारी और लागू करने के लिए राज्य सरकारों और उत्तर पूर्वी परिषद् द्वारा निगरानी की जाएगी, और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा हर दूसरे या तीसरे वर्ष इसका मूल्यांकन किया जायेगा।

भूस्खलन और उससे संबंधित आपदा प्रबंधन पर कार्यशाला

17. 8 मार्च से 10 जनवरी 2011 तक नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट (एनआईएलआईएम) और पब्लिक वर्क रिसर्च इंस्टीट्यूट (पीडब्ल्यूआरआई) जापान के सहयोग से गंगटोक में संयुक्त रूप से इंडो-जापानी इंटरनेशनल ट्रेनिंग कम फील्ड वर्कशॉप का आयोजन किया गया। सिक्किम राज्य सरकार के कई शोधकर्ताओं और अधिकारियों ने साथ में भारत के कई अन्य संस्थानों ने भी इसमें भाग लिया। 2010 में एनआईएलआईएम और एनआईडीएम के बीच एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये जिसके अनुसार अपासी सहयोग की एक नई श्रृंखला शुरू की गई, जो कि भारत और जापान के बीच संयुक्त रूप से किये गये सुरक्षा सहयोग पर कार्य योजना के रूप में भी पहचाना जायेगा।

एनआईडीएम ने आईएसआई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये

18. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली और भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता ने देश में खतरों, कमजोरियों और आपदाओं के जोखिम पर एक मजबूत सांख्यिकीय प्रणाली के विकास के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया है। इस व्यवस्था के तहत आईएसआई प्राकृतिक और मानव निर्मित खतरों और आपदाओं



के आंकड़ों के संग्रह और विश्लेषण के लिए मौजूदा सांख्यिकीय प्रणाली का अध्ययन करने में एनआईडीएम की सहायता करेगा और सिस्टम में सुधार के तरीकों के लिए सुझाव देगा। आईएसआई आपदा जोखिम घटाने पर निवेशों और आपदाओं में मैक्रो-इकनोमी प्रभावों का आकलन करने के लिए उपयुक्त पद्धति के विकास के लिए अपनी विशेषज्ञता प्रदान करेगा। इस मसौदे पर एक समझौता ज्ञापन पर एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक श्री पी जी धर चक्रवर्ती और आईएसआई के निदेशक प्रोफेसर बिमल रॉय ने 8 मार्च 2011 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए।

अंतर्राष्ट्रीय फोरम में एनआईडीएम

19. 17-18 मई 2010 से कोबे जापान में आपदा जोखिम में कमी के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं की आठवें कोर ग्रुप की बैठक में एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक श्री पी.जी. धर चक्रवर्ती ने एक विशेषज्ञ के रूप में भाग लिया।

20. अप्रैल से जून 2010 को शहरी जोखिम को कम करने और समाजिक मुल्यांकन पर खोज और प्रशिक्षण के लिए डॉ। अमीर अली खान, सहायक प्रोफेसर, एनआईडीएम को नियुक्त किया गया सेन्टर फोर डिसस्टर मनेजमेन्ट एंड रिसर्क रिडेक्शन टेक्नोलॉजी (सीईडीआईएम) और

कार्ल्स्रुहे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (केआईटी), जर्मनी के साथ सहयोग के लिए।

21. 24-26 जुलाई 2010 - कोलंबो, श्रीलंका में "एकीकृत सूखा प्रबंधन पर क्षेत्रीय परामर्श" सूखा स्थिति की समीक्षा करने और दक्षिण एशिया के लिए क्षेत्रीय सूखा प्रबंधन कार्यक्रम तैयार करने के लिए हुई कार्यशाला में प्रो संतोष कुमार ने भाग लिया।

22. 8-9 अगस्त 2010 को अफगानिस्तान के काबुल में "दक्षिण एशिया में सूखा जोखिम प्रबंधन" पर सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र (एसडीएमसी) ने अफगानिस्तान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक श्री पी.जी. धर चक्रवर्ती ने भाग लिया।

23. 14-16 सितंबर, 2010 को चीन के नानजिंग में सहकारी सूखा आपदा निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी पर क्षेत्रीय तंत्र पर विशेषज्ञ समूह की बैठक में एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक श्री पी.जी. धर चक्रवर्ती ने भाग लिया।

24. 21-23 सितंबर को युनइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फार इनवियारमेंट एंड हुमेन सिकर्योटी (युएनईएचएस) बॉन, जर्मनी में पीईडीआरआर द्वारा आयोजित कार्यशाला "ईकोसिस्टम्स, लाइवलीहुड एंड डिसस्टर रिसर्क रिडेक्शन" में डा अनिल कुमार गुप्ता ने भाग लिया।

25. 1-6 अक्टूबर, 2010 को नेपाल के कटमांडू में आईसीआईएमओडी द्वारा आयोजित हिंदुकुश हिमालयी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन के लिए पृथ्वी के अवलोकन से लाभ पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में श्रीर्जा एस नायर ने भाग लिया।

26. 1-4 नवंबर 2010 के दौरान हिमनद गतिशीलता और हिमस्खलन खतरे की मानचित्रण पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला स्नो और हिमस्खलन अध्ययन प्रतिष्ठान, चंडीगढ़ द्वारा स्विस् विशेषज्ञों और एनआईडीएम के साथ संयुक्त रूप से मनाली (एचपी) में आयोजित की गई।

27. 16 और 19 नवंबर 2010 के बीच भूस्खलन पर भूस्खलन और अंतर्राष्ट्रीय कंसोर्टियम विषय पर अंतर्राष्ट्रीय बैठक में भाग लेने के लिए डॉ सूर्य प्रकाश पेरिस गए जहां भूस्खलन जोखिम प्रबंधन (आईपीएल-166) पर एनआईडीएम का प्रस्ताव पेश किया गया।

28. 28-29 जनवरी 2011 के दौरान कोयोटो, जापान में आयोजित भूस्खलन सहायता संघ पर आईसीएल सचिवीय बैठक में डॉ सूर्य प्रकाश, एसोसिएट प्रोफेसर ने भाग लिया।

प्रकाशन

1. भारत में आपदा प्रबंधन



लेखक/संपादक
गृह मंत्रालय

2. उत्तर पूर्वी (24-25 फरवरी 2011, असम में भूकंप जोखिम से बचाव रणनीति पर राष्ट्रीय कार्यशाला की कार्यवाही)



लेखक & संपादक
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

3. पत्रिकाएं आपदा और विकास



जर्नल आपदा और विकास खंड के मुद्दे पर प्रकाशित 14 कागजात 4, नंबर 1 अप्रैल 2010 और 09 पत्र जर्नल आपदा और विकास खंड जारी करने के मामले में 4, नंबर 2, नवंबर 2010।

वित्तीय और लेखा

संस्थान के वित्त और लेखा प्रभाग के कार्यों में शामिल है – बजट बनाना, लेखाकरण, प्राप्तियों और भुगतानों का प्रबंध, वार्षिक लेखे तैयार करना और उनका संकलन, मंत्रालय को लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे प्रस्तुत करना। इसके अलावा, प्रभाग सलाह भी प्रदान करता है। तुलना-पत्र के साथ संस्थान की वर्ष 2010-11 की वार्षिक रिपोर्ट अनुबंध- 2 में दी गई है।

फोटो गैलरी



ह्यूगो फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन पर मध्य कालीन समीक्षा पर कार्यशाला



एनआईडीएम ने आईएसआई के साथ एमओयु पर हस्ताक्षर किये



माननीय मंत्री जी ने दक्षिण एशिया में शहरी जोखिम प्रबंधन पर अध्ययन पर संकलित पुस्तक का विमोचन किया।



रासयनिक जोखिम प्रबंधन में भूसूचना ऐपलिकेशंस पर एनआईडीएम-आईटीसी-सीईटीपी की कार्यशाला



अफ्रिकन देशों के आधिकारियों के लिए व्यापक आपदा जोखिम प्रबंधन पर अन्तराष्ट्रीय कार्यशाला

अनुबंध 1

वर्ष 2010-11 में एनआईडीएम द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र.	पाठ्यक्रम शीर्षक	स्थान	दिनांक	नियुक्त फैकल्टी	प्रति. की संख्या
1.	बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन	एनआईडीएम	5- 9 अप्रैल	डॉ के जे आनंदा कुमार डॉ ए डी कौशिक	18
2.	जलवायु परिवर्तन और आपदा	एनआईडीएम	5-9 अप्रैल	डॉ आर के मल डॉ रितु राज	20
3.	वसूली प्रक्रिया में आपदा जोखिम में कमी के कारण	एनआईडीएम	12-16 अप्रैल	प्रो संतोष कुमार पी के पाठक	17
4.	समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन	यूपीएएम	12-16 अप्रैल	एस चतुर्वेदी राजीव शर्मा	41
5.	पर्यावरण और आपदाओं पर टीओटी	एनआईडीएम	19 -23 अप्रैल	डॉ अनिल गुप्ता डॉ ए.डी. कौशिक	11
6.	चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन	एनआईडीएम	26-30 अप्रैल	बी दास डॉ के जे आनंदा कुमार	5
7.	आपदा साइको-सोशल केयर	एनआईडीएम	3-7 मई	डॉ सुजाता सतपथी डॉ अजिंदर वालिया	28
8.	आपदा डेटाबेस प्रबंधन	एनआईडीएम	10-14 मई	सुश्री श्रीजा नायर डॉ अनिल गुप्ता	41
9.	जोखिम प्रतिरोधी बिल्डिंग कोड	एनआईडीएम	17-21 मई	प्रो सी घोष डॉ रितु राज 32	32
10.	जिला आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी	एटीआई अरुणाचल प्रदेश	17-21 मई	सुश्री सुषमा गुलेरिया पीके पाठक	42
11.	बाढ़ जोखिम प्रबंधन और प्रबंधन	यूपी	17-21 मई	डॉ ए डी कौशिक डॉ के जे आनंदा कुमार	34
12.	जोखिम आकलन और जोखिम विश्लेषण	एनआईडीएम	24-26 मई	बी दास राजीव शर्मा	32
13.	नागरिक सुरक्षा अधिकारियों के लिए आपदा प्रबंधन पर बुनियादी पाठ्यक्रम	एनआईडीएम	7-11 जून	पीके पाठक एस चतुर्वेदी	25
14.	सूखा न्यूनीकरण और प्रबंधन	एनआईडीएम	14-18 जून	डॉ के जे आनंदा कुमार प्रो संतोष कुमार	21
15.	आपदा प्रबंधन में रिमोट सेंसिंग और जीआईएस के विषय	एनआईडीएम	जून 21-25,	सुश्री श्रीजा नायर डॉ रितु राज	17
16.	भूकंप जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन	मैटी, मेघालय	21-25 जून,	प्रो सी घोष डॉ सुर्य प्रकाश	
17.	चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन	एनआईडीएम	28 जून- 2 जुलाई,	बी दास डॉ आर के मॉल	13
18.	जिला आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी	असम	28 जून-	सुश्री एस गुलेरिया सुश्री श्रीजा नायर	28
19.	शहरी समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन	एनआईडीएम	5-9 जुलाई	डॉ अजिंदर वालिया सुश्री सी बंदोपाध्याय	26
20.	आपदा प्रबंधन में पुलिस की भूमिका (आईपीएस अधिकारियों के लिए)	एनआईडीएम	12-16 जुलाई	श्री राजीव शर्मा प्रो संतोष कुमार	19

21.	भूकंप जोखिम न्युनीकरण और प्रबंधन	एटीआई, सिक्किम	13- 17 जुलाई	प्रो सी घोष अतिथि संकाय (फैकल्टी)	35
22.	आपदा प्रबंधन में मीडिया की भूमिका पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनआईडीएम	19 -20 जुलाई	सुश्री चंद्राणी बी सुश्री सुषमा गुलेरिया	31
23.	भूकंप जोखिम न्युनीकरण और प्रबंधन	एटीआई, कोलकाता पश्चिम बंगाल	19 -23 जुलाई	प्रो सी घोष	17
24.	आपदा सुरक्षित पहाड़ी क्षेत्र विकास	मणिपुर	19 -23 जुलाई	डॉ सूर्या प्रकाश डॉ ए ए खान	47
25.	खतरनाक रसायनों के परिवहन	एनआईडीएम	22-23 जुलाई	डॉ अनिल गुप्ता	25
26.	लिंग एवं आपदा प्रबंधन	एनआईडीएम	26-30 जुलाई डॉ रितु राज	डॉ अजिंदर वालिया	13
27.	जलवायु परिवर्तन और आपदा	एटीआई, नागालैंड	2-6 अगस्त	डॉ आर.के. मल श्री शेखर चतुर्वेदी	27
28.	एसडीएमए और डीडीएमए के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण	एनआईडीएम	2-6 अगस्त	प्रोफेसर एस कुमार पीके पाठक	26
29.	राहत के न्यूनतम मानक	एनआईडीएम	9-13 अगस्त	सुश्री चंद्राणी डॉ एस सतापथी	30
30.	औद्योगिक और रासायनिक आपदा प्रबंधन	एनआईडीएम	16-20 अगस्त	डॉ अनिल गुप्ता सुश्री श्रीजा नायर	26
31.	सूखे से बचाव और प्रबंधन कर्नाटक	कर्नाटक	23-27 अगस्त	डॉ के जे आनंदा कुमार डॉ आर के मल	20
32.	सड़क दुर्घटनाओं का प्रबंधन	एनआईडीएम	25-27 अगस्त	राजीव शर्मा ए सहदेव	37
33.	सामुहिक हताहत प्रबंधन	एनआईडीएम	30 अगस्त- 3 सितंबर	डॉ सुजाता सतपथी अतिथि संकाय(फैकल्टी)	53
34.	जिला आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी	बिहार	6-10 सित.	डॉ एस. प्रकाश सुश्री सुषमा गुलेरिया	35
35.	शहरी जोखिम प्रबंधन,	मध्य प्रदेश	6-10 सितंबर,	श्रीमती सी बंदोपाध्याय प्रो सी घोष	18
36.	बाढ़ जोखिम न्युनीकरण और प्रबंधन	एनआईडीएम	6-10 सितम्बर	डॉ ए डी कौशिक डॉ अनिल गुप्ता	35
37.	भूकंप प्रतिक्रिया और रिकवरी पर एकीकृत आपातकालीन प्रबंधन पाठ्यक्रम (आईईएमसी)	दिल्ली	6-10 सितंबर	अरुण सहदेव एस चतुर्वेदी	62
38.	व्यापक भूस्खलन जोखिम न्युनीकरण और प्रबंधन	उत्तराखंड	13-17 सितम्बर	डॉ एस प्रकाश डॉ रितु राज	22
39.	पर्यावरण और आपदा	एनआईडीएम	13-17 सित.	डॉ अनिल गुप्ता डॉ ए डी कौशिक	22
40.	आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	आईजीआई हवाई अड्डा	14-16 सित.	प्रो संतोष कुमार श्री अरुण सहदेव श्री शेखर चतुर्वेदी	25

41.	आपदा स्वास्थ्य देखभाल	एनआईडीएम	20-24 सितंबर	डॉ सुजाता सतपथी सुश्री श्रीजा नायर	19
42.	आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए पर्यावरण सांख्यिकी पर मिश्रित शिक्षा	एनआईडीएम	27-28 सितम्बर	डॉ अनिल गुप्ता सुश्री श्रीजा नायर	22
43.	जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन	हरियाणा	20-24 सितंबर	डॉ आर के मल श्री बी दास	22
44.	नुकसान, हानि और मूल्यांकन आकलन	गुजरात	सितम्बर 27 - अक्टूबर 1	प्रो संतोष कुमार श्री अरुण सहदेव	24
45.	शहरी जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन पर टीओटी	एनआईडीएम	सितंबर 27 - अक्टूबर 1	प्रोफेसर सी घोष सुश्री सी बंधोपाध्याय	20
46.	औद्योगिक और रासायनिक आपदाओं का प्रबंधन	छत्तीसगढ़	11-15 अक्टूबर	श्रीमती श्रीजा नायर डॉ अनिल गुप्ता	37
47.	जोखिम आकलन एवं जोखिम विश्लेषण	एनआईडीएम	20-22 अक्टूबर	प्रो संतोष कुमार श्री अरुण सहदेव	40
48.	आपदा प्रबंधन में लिंग मुद्दे	एनआईडीएम	25-29 अक्टूबर	डॉ. अजिंदर वालिया डॉ रितु राज	14
49.	भूकंप प्रतिक्रिया और रिकवरी पर एकीकृत आपातकालीन प्रबंधन पाठ्यक्रम (आईईएमसी)	हिमाचल प्रदेश	26-28 अक्टूबर	अरुण सहदेव शेखर चतुर्वेदी	53
50.	प्रारंभिक चेतावनी के प्रभावी प्रसार	एनआईडीएम	25-29 अक्टूबर	बी दास डॉ आर के मल	27
51.	बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन	एम्पार्ड	8-12 नवंबर	डॉ के जे आनंदा कुमार बी दास	19
52.	व्यापक आपदा जोखिम प्रबंधन	एसआईआरडी ओडिशा	8-12 नवंबर	डॉ एस अतिथि संकाय(फैकल्टी)	23
53.	एनडीआरएफ अधिकारियों के लिए आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनआईडीएम	8-12 नवंबर	श्री अरुण सहदेव लेफ्टिनेंट कर्नल पी के पाठक	18
54.	एपीपीए प्रतिभागियों के लिए आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यशाला	एनआईडीएम	19 नवंबर	प्रो एस कुमार	34
55.	आपदा स्वास्थ्य देखभाल	एनआईडीएम	22-26 नवंबर	डॉ सुजाता सतपथी सुश्री सुषमा गुलेरिया	15
56.	सीरियल बम ब्लास्ट का प्रबंधन	एनआईडीएम	29 नवंबर- 1 दिसंबर	लेफ्टिनेंट कर्नल पी के पाठक श्री अरुण साहदेव	27
57.	सूखा न्यूनीकरण और प्रबंधन	यशदा, महाराष्ट्र	नवम्बर 29 - 3 दिसंबर	डॉ आर के मल डॉ के जे आनंदा कुमार	17
58.	व्यापक भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन	एनआईडीएम	6-10 दिसम्बर	डॉ एस प्रकाश डॉ रितु राज	21
59.	चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन	उड़ीसा	6-10 दिसंबर	श्री बी दास	25
60.	वन आग	एफआरआई देहरादून	6-10 दिसंबर	डॉ ए डी कौशिक डॉ अनिल गुप्ता	25

61.	सीबीडीआर	आरआईपीए,	6-10 दिसम्बर	डॉ. अजिंदर वालिया अतिथि संकाय	16
62.	दिल्ली के न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	दिल्ली उच्च न्यायालय	19 दिसम्बर	प्रो संतोष कुमार श्री अरुण सहदेव डॉ आमीर अली खान श्री शेखर चतुर्वेदी डॉ सुषमा गुलेरिया	32
63.	आपदा प्रबंधन में भूसूचना प्रणाली	मिजोरम	13-16 दिसम्बर	सुश्री श्रीजा नायर अतिथि संकाय	14
64.	आपदा प्रबंधन पर भारत जल भागीदारी और वैश्विक जल भागीदारी के साथ सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रम	आईएसआईडी, दिल्ली	21-22 दिसंबर	प्रो संतोष कुमार डॉ के जे आनंदा कुमार	40
65.	सांस्कृतिक सम्पति विरासत के जोखिम न्यूनीकरण	एनआईडीएम	20-24 दिसम्बर	सुश्री सी बंदोपाध्याय अतिथि संकाय(फैकल्टी)	14
66.	आपदा साइको-सोशल केयर	एनआईडीएम	27-31 दिसम्बर	डॉ सुजाता सतपथी डॉ अजिंदर वालिया	
67.	चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन	एमसीआरएचआरडीआई	17-21 जनवरी 2011	बी दास सुश्री एस गुलेरिया	22
68.	अफ्रीकी देशों के अधिकारियों के लिए व्यापक आपदा जोखिम प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	एचआईपीए, गुडगांव	10-21 जनवरी 2011	प्रो संतोष कुमार सुश्री सी बंदोपाध्याय श्री एस चतुर्वेदी	20
69.	आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए पर्यावरण सांख्यिकी पर मिश्रित शिक्षा	एनआईडीएम	27-28 जनवरी	डी अनिल गुप्ता सुश्री श्रीजा नायर	10
70.	आपदा प्रबंधन में भू-सूचना प्रणाली	सीईपीटी, अहमदाबाद	31 जनवरी – 4 फरवरी, 2011	सुश्री श्रीजा नायर डॉ अनिल गुप्ता	20
			प्रतिभागियों की कुल संख्या		1839

क्रियाकलाप 2011-12

प्रशिक्षण

1. 2011-12 के दौरान, संस्थान ने 01.04.2011 से 31.03.2012 तक आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर 89 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इनमें से कुछ पाठ्यक्रम राज्य की राजधानियों में प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों (एटीआई) में आपदा प्रबंधन के केंद्रों के सहयोग से किए गए हैं। कुल 2486 प्रतिभागियों ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया।

एनआईडीएम द्वारा आयोजित अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं

2. एनआईडीएम ने ट्रेनर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के एक भाग के रूप में यूएस एडवर्सेशन फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसए एडीडी) और यूएस फोरेस्ट सर्विस (यूएसएफएस) के सहयोग से आकस्मिक प्रतिक्रिया प्रणाली (आईआरएस) पर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण (टीओटी) पाठ्यक्रमों के अर्न्तगत 09 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य देश में आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली के लिए कोर/मास्टर ट्रेनर्स को विकसित करना था।

3. नई दिल्ली में विज्ञान भवन, जीआईजेड-इनवेन्ट और इनोस इंडिया के सहयोग से 10.05.2011 और 11.05.2011 को "आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए पर्यावरण ज्ञान" (ईकोडीआरएम) पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य मौजूदा ढांचे को समझना, ताकत और चुनौतियों का आकलन करना, अंतराल की पहचान करना और पर्यावरण आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन के हस्तक्षेप के लिए सामरिक दृष्टिकोण और उपकरण विकसित करना था। 12.12.2011 से 15.12.2011 तक "पारिस्थितिकी तंत्र दृष्टिकोण से जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम

प्रबंधन" पर 04 दिन का कोर्स आयोजित किया गया जिसमें 19 अधिकारियों ने भाग लिया।

4. आपदा जोखिम प्रबंधन के विभिन्न विषयों पर जैसे व्यापक आपदा जोखिम प्रबंधन, विशेष पाठ्यक्रम, प्रत्येक समुदाय पर आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन, भूकंप जोखिम में कमी, सुरक्षित शहरों और जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन जैसे विभिन्न विषयों पर 2011-12 के दौरान एनआईडीएम द्वारा विश्व बैंक संस्थान, संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से 17 ऑनलाइन पाठ्यक्रम आयोजित किए गए थे। कुल 1070 प्रतिभागियों ने इन पाठ्यक्रमों में भाग लिया। आपदा प्रबंधन पर ई-लर्निंग कार्यक्रमों को एसडीएसी (उन्नत कंप्यूटिंग के विकास के लिए केंद्र) के सहयोग से 12.10.2011 को आपदा न्यूनीकरण दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था। आपदा प्रबंधन पर ये पाठ्यक्रम दुनिया के किसी भी स्थान से फ्लेक्सी टाईम और मुफ्त में उपयोगकर्ताओं की सुविधा के अनुसार किसी के द्वारा भी उपयोग किया जा सकता है।

5. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) सामुदायिक केंद्र (ऑडियो-वीडियो संचार प्रणाली के लिए सुविधाएं) के माध्यम से सैटेलाइट आधारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, भोपाल और मैसूर के सहयोग से आयोजित किए गए हैं।

6. विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के अनुरोध पर 19.09.2011 से 30.09.2011 तक 13 विभिन्न अफ्रीकी देशों के 22 अधिकारियों के लिए "व्यापक आपदा जोखिम प्रबंधन" नामक दो सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए पर्यावरण ज्ञान पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन



आपदा जोखिम प्रबंधन पर अफ्रीकन देशों के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन सत्र

7. आपदा जोखिम प्रबंधन (ईकेडीआरएम -2011) के लिए पर्यावरण ज्ञान पर अंतराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 10-11 मई 2011 के दौरान विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था जिसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान और ड्यूश गेसेलस्वाट फर्ट इंटरनेशनल के सहयोग के हिस्से के रूप में आयोजन किया। (जीआईजेड) जीएमबीएच भारत में पर्यावरण प्रबंधन (एएसईएम) कार्यक्रम में सलाहकार सेवाओं के तत्वावधान में शामिल है।

सम्मेलन का उद्घाटन डा अजित त्यागी, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के निदेशक जनरल, मेजर जनरल डॉ आर आर शिवकुमार, नेशनल नेचर रिसर्च



डा अजित त्यागी, निदेशक आईएमडी

डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डा। पार्थसारथी रॉय, निदेशक भारतीय रिमोट सेंसिंग, देहरादून, डॉ। डायटर मुटज, निदेशक ऐडवयारी सर्विस फार इन्वयरमेंट मनेजमेन्ट -जीआईजेड और श्री क्रिसजन-माथियास श्लागा, चार्ज डीएफेर्स, जर्मनी के संघीय गणराज्य का दूतावास, उद्घाटन समारोह की प्रमुख गणमान्य व्यक्ति थे। इस सम्मेलन में भारत, जर्मनी और अन्य देशों के 120 विशेषज्ञ, शोधकर्ता और व्यवसायीयों ने भाग लिया था।

अंतराष्ट्रीय सम्मेलन एकाडर्म 2011 ने जलवायु और जल संबंधी आपदाओं के प्रबंधन के लिए पर्यावरण ज्ञान प्रणाली के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करने और चर्चा करने के लिए शिक्षाविदों, प्रशिक्षकों, शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं और विद्वानों के लिए मंच प्रदान किया।

सम्मेलन में 5 विषयगत सत्र थे

- आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए पर्यावरण सांख्यिकी और निर्णय समर्थन प्रणाली (डीएसएस)
- रासायनिक आपदा प्रबंधन के लिए स्थानिक योजना/सूचना प्रणाली
- पर्यावरण और आपदा प्रबंधन के लिए कानूनी ढांचे और विनियम
- आपदा प्रबंधन में पर्यावरणीय सेवाएं और प्रभाव का आकलन
- आपदा प्रबंधन के लिए प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन की कड़ी

विभिन्न विषयगत सत्रों के तहत 42 पत्र प्रस्तुत किए गए इसके अलावा प्रख्यात व्यक्तियों द्वारा 6 विशेष वार्ताएं हुईं जिनमें सम्मेलन के वैधानिक सत्र की अध्यक्षता, मेजर जनरल (डा) जे के बंसल, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माननीय सदस्य ने की तथा डॉ एस के दास, महानिदेशक, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी

और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने समारोह के दौरान विशेष सम्बोधन दिया।

आपदा जोखिम कम करने पर वैश्विक मंच का तीसरा सत्र

8. संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) के लिए ग्लोबल प्लेटफॉर्म के तीसरे सत्र को शुरू किया, जिसमें लगभग 170 से अधिक सरकारों, 20 मंत्रीयों और 30 महापौरों तथा 100 गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों सहित लगभग 3000 सहभागियों ने भाग लिया। सरकारी संगठन (एनजीओ) पूरे दिन, प्रतिभागियों ने पूरे दिन उच्च स्तरीय वार्ता की, आपदा तैयारियों पर बैठक की, परमाणु आपात स्थितियों, स्थानीय कार्रवाई और जंगल की आग में जोखिम के साथ-साथ सांसदों और महापौरों के साथ वार्ता और 2011 वैश्विक आकलन रिपोर्ट पर ब्रीफिंग की गई।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री ए ई अहमद, सचिव, सीमा प्रबंधन ने किया। श्री आर के श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन, गृह मंत्रालय, श्रीमती सुजाता सौनिक, संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और प्रो संतोश कुमार वैश्विक मंच के तीसरे सत्र में शामिल हुए।

सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र ने 9 मई, 2011 को आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर हुये सम्मेलन में अपने दो प्रमुख पोर्टल्स, दक्षिण एशियाई आपदा ज्ञान नेटवर्क (www.saarc&sadkn.org) और दक्षिण एशिया आपदा निवारकता एटलस (www.saarc&dv.org) के पहले संस्करण को लॉन्च किया सार्क सचिवालय के निदेशक श्री पैमा दोर्जी ने स्वागत भाषण दिया और इसके बाद भूटान की शाही सरकार के

गृह मंत्री श्री मीनूर डोराजी ने अपना अध्यक्षीय भाषण दिया। निदेशक सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र ने आपदा प्रबंधन पर लोगों को बनाने, सीखने, व्यवस्थित करने, उपयोग और साझा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक पोर्टल की तकनीकी क्षमता पर एक प्रस्तुति दी। सुश्री मार्गरेटा वास्टस्टस्ट्रम, विशेष प्रतिनिधि ने पोर्टल के प्रक्षेपण के लिए एसडीएमसी टीम को बधाई दी और पोर्टल के लिए उनका लगातार समर्थन व्यक्त किया।

भारत आपदा ज्ञान नेटवर्क

9. भारत आपदा नॉलेज नेटवर्क (आईडीकेएन) एक वेब पोर्टल है, जो प्राकृतिक संसाधनों और सेवाओं जैसे ज्ञान सहयोग, नेटवर्किंग, नक्शे और आपातकालीन संपर्क सूचना संबंधी प्रणाली और प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित कई अन्य जानकारी प्रदान करता है। यह दक्षिण एशियाई आपदा ज्ञान नेटवर्क (एसएडीकेएन) का एक हिस्सा है जो 10.05.2011 से 13.05.2011 तक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय रणनीति द्वारा आपदा न्यूनीकरण के लिए आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए ग्लोबल प्लेटफॉर्म की बैठक के दौरान शुरू किया गया था।

10. राज्यों में आपदा प्रबंधन केंद्र एटीआई, एनआईडीएम की तकनीकी सहायता से राज्य द्वारा पहचाने जाने वाले लक्ष्य समूह को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से कुल 31 ऐसे केंद्र राज्य एटीआई में राज्य स्तर पर कार्यरत हैं।

अनुसंधान और दस्तावेजीकरण

11. एनआईडीएम दस्तावेजों आपदाओं के प्रबंधन पर

सबक सीखने के लिए देश में होने वाली आपदाओं और प्रशिक्षण कक्षाओं और अनुकार अभ्यास के लिए संसाधन सामग्री के रूप में केस स्टडीज का उपयोग करते हैं। हाल ही में, एनआईडीएम टीम ने आपदा के दस्तावेज के लिए सिक्किम के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। नोएडा और ग्रेटर नोएडा जुड़वां टाउनशिप के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए एनआईडीएम ने परामर्श सेवाएं दी हैं। संस्थान मुंबई हवाई अड्डा, नवी मुंबई के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने की प्रक्रिया में है।

सिक्किम भूकंप

12. रिक्टर पैमाने पर एम 6.8 का भूकंप 18 सितंबर, 2011 को सिक्किम-नेपाल सीमा (27.723 डिग्री नं, 88.064 डिग्री ई) क्षेत्र में 18.10 बजे आया। यह व्यापक रूप से असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्सों, बिहार, भारत के अन्य पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में, राजधानी दिल्ली तक महसूस किया गया था। भूकंप में भारत में करीब 91 जीवन खत्म हो गये। जिसमें 16 तिस्ता स्टेज "हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट साइट" पर थे, 719 लोग घायल हो गए और पशुओं का भी पर्याप्त नुकसान हुआ। नेपाल, भूटान, तिब्बत और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों से भी बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त होने की खबरें आईं।

असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्सों, बिहार, भारत के अन्य पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में भूकंप का व्यापक रूप महसूस हुआ था। मुख्य झटके के बाद कम तीव्रता के कई झटके नेटवर्क द्वारा (एम 4.0) महसूस किया गये। भूकंप के कारण कई क्षेत्रों में भूस्खलन भी हुआ। मैंगन, दीचू, लाचुंग, चुंगथांग जैसे कई इलाके प्रमुख रूप से नष्ट हो गए थे और अब भी लैचुंग और चुंगथांग जैसे क्षेत्रों में पहुंच आसान नहीं है। घरों में



दरारें विकसित हुई हैं, घरों का आधार पूरी तरह से हिल गया है, जिससे वे रहने के लिए असुरक्षित हो गई हैं। बुनियादी ढांचा अर्थात अस्पताल, बस टर्मिनल, रेडियो स्टेशन ट्रांसमीटर, टेलीफोन एक्सचेंज और मोबाइल फोन टावर क्षतिग्रस्त हो गये, जिससे अस्थायी रूप से सभी संचार सुविधाएं बंद हो गईं। प्रभावित क्षेत्रों में भूकंप ने सुरक्षित पेयजल स्रोतों का विनाश कर दिया। प्रभावित क्षेत्रों में अधिकांश आबादी जल धाराओं और झरनों पर भरोसा करती है, जो भूस्खलन के कारण गंदी हो गई है और लोगों के मुख्यधारा के जल स्रोत प्रभावित हो गये। सिक्किम के सबसे ग्रामीण, कृषि और दूरदराज के क्षेत्रों पर जीवन और आजीविका पर भूकंप का प्रभाव अधिक गंभीर था। आय के मामले में, जिन चार समूहों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, उनमें खेत मजदूर, गैर-कृषि मजदूर, किसान और कारखाना कामगार शामिल थे। सिक्किम में अधिकांश खेतों पहाड़ी पर कदम फार्म हैं जो भूस्खलन और भूकंप दरारों के कारण नष्ट हो जाते हैं। गंगटोक और सिंगताम के पास दुकान की इमारतों और छोटे कृषि उद्योग मरम्मत के लिए बंद कर दिए गए हैं या क्षतिग्रस्त इमारतों को ध्वस्त कर सकते हैं, जिसका लोगों के जीवन पर गंभीर रूप से असर हुआ।

स्कूलों और शैक्षिक भवनों को भारी नुकसान हुआ। गैरीगांव, तदोंग में स्थित सिक्किम गवर्नमेंट कॉलेज के अनुसूचित जाति गर्ल्स “छात्रावास के भवन की



सिक्किम में बरबाद एक भवन (फोटो : सीडइंडिया)

दूसरी और तीसरी मंजिल पर कई दरारें विकसित हुईं। स्माइल लैंड, मार्चक के पास स्थित सिक्किम यूनिवर्सिटी बॉय हॉस्टल, जो 60 छात्रों के लिए स्थित है, को भी गंभीर नुकसान पहुंचा। पश्चिम सिक्किम में, सोरेग माध्यमिक विद्यालय के छात्रावास का प्रथम तल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। गंगटोक में तशी नामग्याल अकादमी में कई दरारें विकसित हुई हैं, फर्श पर और प्रथम तल की लगभग सभी दीवारें क्षतिग्रस्त हुईं। माल्टाम-रुमटेक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत लिंगदम बस्ती के कटुक विद्यासागर प्राइमरी स्कूल की सभी तीन स्कूल की इमारतों को असुरक्षित घोषित किया गया। विनाशकारी भूकंप ने सिक्किम में 30 अस्पताल भवनों को नष्ट कर दिया। (स्रोत: कॉर्पोरेट डिसास्टर रिसर्स नेटवर्क रिपोर्ट ओन सिक्किम अर्थकवेक)।

एनआईडीएम टीम ने 21 से 25 सितंबर 2011 के दौरान प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस यात्रा का उद्देश्य नुकसान और हानि पैटर्न और प्रतिक्रिया तंत्र का अध्ययन करना था खोज और बचाव दल के बीच समन्वय तंत्र,

राहत सामग्री की खरीद, भंडारण और वितरण, निकासी और राहत शिविर प्रबंधन, आपातकालीन आपरेशन केंद्र (ईओसी) और नियंत्रण कक्ष कार्य, गैर सरकारी संगठनों और सिविल सोसायटी के साथ समन्वय, प्रेस ब्रीफिंग आदि और जोखिम प्रबंधन के लिए प्रमुख मुद्दों की पहचान करना था।

एक रिपोर्ट गृह मंत्रालय, भारत सरकार को सौंपी गई है। पहाड़ी ढलान पर सड़कों की कमजोरियां और इमारत निर्माण के प्रकार को समझाते हुए रिपोर्ट में सड़क चौड़ाकरण कार्य की चिन्ताजनक परिदृश्यों की पहचान की गई है, बहु-मंजिला इमारतों को पहाड़ी इलाके में कम या सकरी जगहों पर खड़ी ढलानों के साथ मिलकर जीवन रेखा के बुनियादी ढांचे को खड़ा करना। दरारों की भराई के लिए कम्पनीयों के नाम और उत्पाद के नामों का इस्तेमाल, पुर्नस्थापना और मजबूत बनाने के लिए सरल दिशानिर्देश देना, विस्तृत क्षति आकलन के लिए प्रारूप, और ढलान स्थिरीकरण के लिए बायोइंजिनियरिंग विधियों सहित, भूस्खलन में कुछ टिकाऊ तकनीक का परिचय, अंतराल धरती और भू-सिंथेटिक्स अनुप्रयोग आदि। अंत में रिपोर्ट में भूकंप के दस्तावेजों के आवश्यक घटक के रूप में बनाए जाने के लिए वर्गीकृत जानकारी के बारे में बताया गया।

आपदा न्यूनीकरण दिवस

13. एनआईडीएम ने नई दिल्ली में 12.10.2011 को “आपदा न्यूनीकरण दिवस” मनाया, मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन उपस्थित थे। इस अवसर पर डॉ मुजफ्फर अहमद, सदस्य एनडीएमए और श्री ए ई अहमद, सचिव, सीमा प्रबंधन विभाग भी मौजूद थे। विभिन्न स्कूलों में स्कूल के बच्चों के लिए विभिन्न गतिविधियां जैसे व्याख्यान, पोस्टर और पेंटिंग और नारा लिखना आदि प्रतियोगिताओं का

आयोजन किया गया। और उन्हें पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया।

सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र (एसडीएमसी)

14. एनआईडीएम के परिसर में स्थित सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र जिसके अधिकार क्षेत्र में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे आठ दक्षिण एशियाई देश शामिल हैं। दक्षिण एशिया में आपदा जोखिम में कमी और प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर क्षेत्रीय सहयोग पर योजनाओं और कार्यक्रमों को विकसित करने और कार्यान्वित करने के लिए इन देशों के पेशेवर काम करते हैं। एसडीएमसी की गर्वनिंग बोडी की बैठक 05.09.2011 से 06.09.2011 को भारत की अध्यक्षता में हुई, रोटेशन पॉलिसी के अनुसार भूटान ने भारत को अध्यक्षता सौंपी थी। एसडीएमसी ने 11 कार्यशालाओं/प्रशिक्षण/विशेषज्ञ समूह की बैठक प्रत्येक में 01 आयोजित की जिनमें काठमांडू, श्रीलंका और बांग्लादेश में इनका आयोजन किया गया।

एनडीएमए प्रतिनिधिमंडल ने एनआईडीएम की यात्रा की।

15. श्री एम शशिधर रेड्डी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सचिव एनडीएमए के माननीय उपाध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ सदस्यों ने 8 जून 2011 को एनआईडीएम का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान संकाय सदस्यों के साथ एक इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र में संस्थान को मजबूत करने के लिए विभिन्न तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया गया था ताकि देश और क्षेत्र में क्षमता निर्माण के प्रयासों में बड़ी भूमिका निभा सकें। सदस्यों ने एनआईडीएम में चल रहे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों और परियोजनाओं के बारे में संकाय सदस्यों के साथ चर्चा

की और सिफारिश की कि प्रशिक्षण मॉड्यूल की लगातार समीक्षा करने और अपडेट करने की और इसमें अधिक ध्यान केंद्रित करने की और उपयोगी बनाने के लिए एनडीएमए की विभिन्न गतिविधियों के साथ संरेखित करने की आवश्यकता है। ।

भारत-रूस-चीन के विशेषज्ञों की चौथी त्रिपक्षीय बैठक

16. आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत-रूस-चीन के विशेषज्ञों की चौथी त्रिपक्षीय बैठक 07.09.2011 से 09.09.2011 तक सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में हुई थी। एमएचए, एनआईडीएम, एनडीएमए, आईएमडी और एनआरएससी के अधिकारियों और विशेषज्ञों को मिलकर बने भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने बैठक में भाग लिया। भारत-रूस-चीन के विशेषज्ञों की पांचवीं त्रिपक्षीय बैठक 2012 के पहले छमाही में आयोजित की जाएगी, जिसमें एक प्रभावी और कुशल बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय आपात प्रबंधन तंत्र विकसित करने का प्रस्ताव दिया गया। त्रिपक्षीय बैठक कार्रवाई की योजना में बहुपक्षीय आपातकालीन प्रबंधन तंत्र विकास की एक अवधारणा शामिल है, जिसका कार्यान्वयन वैश्विक आपातकालीन प्रबंधन प्रणाली, और योजनाओं के मूल और सहायक तत्वों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से घटनाओं और आवश्यक चरणों की एक सूची बनने व करने का अवसर प्रदान करेगा।

17. आपदा जोखिम न्यूनीकरण (ईको-डीआरआर) के लिए पारिस्थितिक तंत्र दृष्टिकोण पर अंतराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन, युएन इंवर्यमेंट प्रोग्राम के अर्न्तगत युएन पाटनरशिप ऑफ इंवर्यमेंट एण्ड डिसस्टर रिस्क रिडक्शन (युएनपीईडीआरआर) के सहयोग से 12.12.2011 से 15.12.2011 तक एनआईडीएम में किया गया था। जिसमें भारत, नेपाल, भूटान और आईयूसीएन, यूएनईपी, यूएनडीपी जनेवा के प्रतिनिधियों समेत 19

प्रतिभागियों ने भाग लिया।

रूस-भारत-चीन आपदा प्रबंधन पर चौथी त्रिपक्षीय विशेषज्ञों की बैठक



आपदा प्रबंधन पर चौथी रूस-भारत-चीन त्रिपक्षीय विशेषज्ञों की बैठक में डॉ सतेंद्र, ईडी, एनआईडीएम, श्री आर के श्रीवास्तव, जेएस डीएम, आईएमडी से डॉ महापात्र और श्री वी भानुमूर्ति, एनआरएससी

18. रूस – भारत – चीन की चौथी त्रिपक्षीय विशेषज्ञों की आपदा प्रबंधन पर बैठक, रूसी संघ के नागरिक रक्षा, आपातकाल और प्राकृतिक आपदाओं के परिणाम उन्मूलन विभाग द्वारा सितंबर 6-9, 2011 के बीच सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में आयोजित की गयी। डॉ। सतेंद्र, आईएफएस, कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम को गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा श्री आर के श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव, (डीएम), गृह मंत्रालय के नेतृत्व में पांच सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। अन्य विशेषज्ञों में श्री पी.के. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव (निवारण), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, डा एम। मोहपात्रा, वैज्ञानिक, भारतीय मौसम विभाग और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग के प्रमुख, श्री वी भानुमूर्ति, राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर शामिल थे। इस बैठक में, प्रत्येक देश के विशेषज्ञों की रिपोर्टों को प्रमुख आपात स्थितियों, हालिया आपदाओं और अंतरराष्ट्रीय आपदाओं से निपटने में अनुभवों को साझा करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया था।

संक्षिप्त भारतीय रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण ईडी, एनआईडीएम द्वारा किया गया था जिसमें भारत में खतरे पर संक्षिप्त रूपरेखा, आपदाओं के कारण नुकसान, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, भारत में आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण, डीएम के लिए संस्थागत ढांचे, हाल ही में बड़ी आपदाओं और



इनमें से सीखने वाले सबक आपदाओं, दुर्घटनाओं के प्रबंधन के लिए चुनौतियों आदि शामिल थे। चौथी त्रिपक्षीय बैठक के विशेषज्ञों ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ बनाने के लिए दृढ़ संकल्प व्यक्त किया और विभिन्न आपदाओं के संभावित जोखिम, अंतरिक्ष निगरानी और बाढ़ और सूखे की क्षति के आकलन के विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। आपदा प्रबंधन में सहयोग के लिए नए क्षेत्रों का भी पता लगाया गया। इसमें समय पर प्रतिक्रिया करना, जंगल में आग का पता लगाने और दमन के लिए तथा पूर्व चेतावनी प्रणाली को मजबूत करने के लिए सहयोग करने पर सहमति जताई गयी।

एनआईडीएम ई-लर्निंग स्वयं अध्ययन कार्यक्रम का शुभारंभ

19. सीआईडीएक के तकनीकी सहायता से एनआईडीएम ने आपदा प्रबंधन पर ई-लर्निंग आत्म अध्ययन कार्यक्रम विकसित किया और यह 12 अक्टूबर 2011 को आपदा न्यूनीकरण दिवस के अवसर पर शुरू किया गया। इस

पाठ्यक्रम का लक्ष्य समूह आम जनता के साथ-साथ सरकारी अधिकारी और अन्य हितधारक हैं। आपदा प्रबंधन पर ये स्व-अध्ययन कार्यक्रम दुनिया के किसी भी स्थान से किसी भी व्यक्ति द्वारा फ्लेक्सी समय और मुफ्त में उपयोगकर्ता की सुविधा के अनुसार पहुंचा सकते हैं। स्कूल सुरक्षा, समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन पर विशेष पाठ्यक्रमों के लिए इसी तरह के आत्म अध्ययन मॉड्यूल औद्योगिक और रासायनिक आपदा, भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण, भूकंप जोखिम प्रबंधन आदि की तैयारी चल रही है और शीघ्र ही इसे शुरू किया जाएगा। विवरण के लिए कृपया <http://nidmssp.in> पर जाएं

एनआईडीएम ने विकलांग लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया

20. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने एनआईडीएम बिल्डिंग के सम्मेलन कक्ष में 2 दिसंबर 2011 को विकलांग लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय दिवस (आईडीपीडी) मनाया। संस्थान वर्ष 2011 के लिए आईडीपीडी थीम “एक साथ



एक बेहतर विश्व के लिए : विकास में विकलांग व्यक्तियों को शामिल करना” का व्यापक समर्थन करता है। चूंकि आपदा एक महत्वपूर्ण विकास मुद्दा है और संपूर्ण आपदा प्रबंधन और विकलांगता प्रबंधन हितधारकों द्वारा दुनिया भर में आपदा जोखिम कम करने के ढांचे का समर्थन

किया जा रहा है, इसलिए एनआईडीएम ने इस मुद्दे पर दो विषयगत भाषणों का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में विभिन्न संस्थानों और स्कूलों के लगभग 50 व्यक्तियों ने भाग लिया था। इस दिन का आयोजन आपदा के संदर्भ में विकलांगता मुद्दों की समझ को बढ़ावा देने और विकलांग व्यक्तियों के सम्मान, अधिकार और कल्याण के लिए सहयोग को जुटाने के लिए किया गया।

जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन

21. भारत जल भागीदारी (आईडब्ल्यूपी) ने अपने मेजबान संस्थान, मानव विकास संस्थान (आईएचडी) के साथ मिलकर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम), गृह मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से 26 नवंबर,



2011 को एनआईडीएम में एक दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की गोल मेज सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, भारत मौसम विज्ञान विभाग, मध्यम श्रेणी तक के मौसम की भविष्यवाणी के लिए राष्ट्रीय केंद्र, विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञ, आईडब्ल्यूपी नेटवर्क और क्षेत्रीय जल भागीदार, कॉर्पोरेट क्षेत्र, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसियों और एनजीओ, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों और संस्थानों के चुने हुए सदस्य आदि लोग शामिल हुये राष्ट्रीय राउंड टेबल सम्मेलन में चर्चा के मुख्य प्रमुख विषय – भारत में पनबिजली संबंधी आपदाओं की बढ़ती संख्या पर एक वैज्ञानिक तर्क देना रणनीतिय शमन और अनुकूलन तथा

आपदा जोखिम प्रबंधन से निपटने के लिए हितधारकों की क्षमता सतत विकास के लिए अपरंपरागत रणनीति, खाद्य सुरक्षा, गरीबी और सुरक्षा और भूमि और जल प्रबंधन थे। नेशनल राउंड टेबल सम्मेलन को भविष्य के लिए नीति के साथ जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन और विभिन्न हितधारकों के लिए आपदा जोखिम में कटौती के लिए कार्यक्रमों के लिए दस्तावेजों के साथ होगा।

एनआईडीएम को “ भूस्खलन जोखिम में कटौती पर विश्व स्तरीय उत्कृष्टता केन्द्र” का खिताब दिया गया।

22. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूस्खलन अंतर्राष्ट्रीय मंच (आईसीएल) और उसकी ग्लोबल प्रमोशन कमेटी (जीपीसी) द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर



मैनेजमेंट (एनआईडीएम), नई दिल्ली, भारत को “भूस्खलन जोखिम में कटौती पर विश्व स्तरीय श्रेष्ठता/उत्कृष्टता केन्द्र” (डब्ल्यूसीओई-एलडीआर) का खिताब 3 और 7 अक्टूबर 2011 के बीच एफएओ मुख्यालय, रोम, इटली में आयोजित दूसरे विश्व भूस्खलन फोरम के दौरान आपदा न्यूनीकरण (आईपीएल-आईएसडीआर) के लिए अंतर्राष्ट्रीय रणनीति के तहत भूस्खलन पर कार्यक्रम में दिया गया।

एनआईडीएम अब विश्व के 15 संगठनों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों में से एक है, जिन्हें आईपीएल-आईएसडीआर और आईसीएल के जीपीसी द्वारा डब्ल्यूसीओई के रूप में पहचाना गया है। डब्ल्यूसीओई-एलडीआर का यह शीर्षक 2011 और 2014 के बीच की अवधि के लिए प्रदान किया गया है, जिसके बाद वर्ष 2014 में दुनिया के भूस्खलन पर बने फोरम की तीसरी बैठक के दौरान इस शीर्षक को अगले 3 वर्षों तक विस्तारित करने के लिए प्रगति/उपलब्धियों की समीक्षा की जाएगी। “भूस्खलन जोखिम प्रबंधन के लिए प्रलेखन, प्रशिक्षण और क्षमता विकास” को भी आईपीएल परियोजना -16 के रूप में भूस्खलन पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत मंजूरी दी गई है। वर्तमान में एनआईडीएम भारत का एकमात्र संगठन है जो आईसीएल में देश का प्रतिनिधित्व करता है। डॉ सूर्य प्रकाश, एसोसिएट प्रोफेसर प्रोजेक्ट लीडर हैं और अन्य कोर टीम के सदस्य प्रो चंदन घोष और डॉ ऋतुराज हैं।

सिक्किम भूकंप पर राष्ट्रीय कार्यशाला

23. रिक्टर पैमाने पर एम 6.8 का भूकंप 18 सितंबर, 2011 को 18.10 बजे सिक्किम-नेपाल सीमा क्षेत्र के आसपास हुआ। यह व्यापक रूप



मुख्य अतिथि डा एच के गुप्ता, माननीय सदस्य, एनडीएमए प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को सम्बोधित करते हुये।

से असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्सों, बिहार, भारत के अन्य पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में, राजधानी दिल्ली तक में महसूस किया गया था। भूकंप में भारत के 77 लोगों की जान जाने का दावा किया गया। (जिनमें 16 तिस्ता स्टेज-3 हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट साइट पर) थे। 719 लोग घायल हो गए और पशुओं का भी काफी नुकसान हुआ। एनआईडीएम ने 9 फरवरी, 2012 को दिल्ली में अपने परिसर में एक-दिवसीय ब्रेनस्टॉर्मिंग राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया ताकि प्रभावित क्षेत्र की पुर्णस्थापना, पुनर्वास और पुनर्विकास के लिए मार्गदर्शक विशेषज्ञों की टिप्पणी, प्रतिक्रिया और सुझाव तैयार किये जा सकें। कार्यशाला ने भूकंप के बाद सभी पदों पर काम करने वाले सभी हितधारकों को लाने का प्रयास किया और सिक्किम भूकंप के बाद की स्थिति के साथ अपने अनुभव के आधार पर क्या सीखा पर दस्तावेजीकरण करने के लिए योजनाकारों, नीति निर्माताओं और निर्णय लेने वाले अधिकारियों को शामिल किया गया। कार्यशाला मुख्य रूप से राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), सेना, वायु सेना, इंडो-तिब्बती सीमा पुलिस (आईटीबीपी), राज्य पुलिस, सिविल रक्षा, एनजीओ जैसे एजेंसियों द्वारा प्रतिक्रिया, राहत, पुनर्वास कार्यों से संबंधित मुद्दों पर केंद्रित थी। और अन्य स्वयंसेवकों, संबंधित राज्य सरकार की एजेंसियों, सीमा सड़क संगठन, तीस्ता ऊर्जा, सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों और अन्य लोगों द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में जीवन रेखा की सुविधाओं की बहाली, गृह मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित विशेषज्ञ टीमों द्वारा किए गए क्षति और हानि मूल्यांकन सर्वेक्षण, ग्रामीण विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य सरकार की एजेंसियां। टीमों में आईआईटी, आईआईआरएस, टीआईएसएस और अन्य के विशेषज्ञ शामिल थे इस कार्यशाला में 70 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग

लिया।

डॉ एच.के. गुप्ता, माननीय सदस्य एनडीएमए कार्यशाला के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि थे और लेफ्टिनेंट जनरल एस रवि शंकर, डीजी बीआरओ सम्मनीय अतिथि थे। कार्यशाला के दौरान उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तियों में शामिल थे ब्रिगेडियर-राजीव साहनी, गंगटोक में बीआरओ के मुख्य अभियंता श्री ए के सिंह, जिला मजिस्ट्रेट दक्षिण जिला सिक्किम। उद्घाटन समारोह के बाद आयोजित तीन तकनीकी सत्रों के दौरान बारह प्रस्तुतीकरण किए गए। सत्र -1 सिक्किम सरकार ने राष्ट्रीय आपदा राहत बल, सीमा सड़क संगठन, सेना, एनडीएमए, एनआईडीएम और गृह मंत्रालय द्वारा सिक्किम में आए भूकंप के तत्काल प्रतिक्रिया पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया। सत्र -2 क्षति आकलन उपकरण और प्रौद्योगिकी और प्रस्तुतियों पर ध्यान केंद्रित, यूडी और एचडी-सिक्किम, रिमोट सेंसिंग और तीस्ता ऊर्जा इंडियन इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए थे। अंतिम तकनीकी सत्र में आपदा प्रबंधन से संबंधित मनोवैज्ञानिक-सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया था जिसमें डीएसएसडब्ल्यूडब्ल्यू-दिल्ली विश्वविद्यालय, स्फीयर और एएनआई द्वारा 3 प्रस्तुतीकरण किए गए थे। कार्यशाला की वैल्यूसिटी सत्र की अध्यक्षता ब्रिगेडियर राजीव साहनी, मुख्य अभियंता, बीआरओ ने की।

वार्षिक प्रशिक्षण सम्मेलन



24. सातवां वार्षिक प्रशिक्षण सम्मेलन 27-28 फरवरी, 2012 के दौरान एनआईडीएम, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन (गृह मंत्रालय), निदेशक एनडीएम (गृह मंत्रालय), प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान (एटीआई) के महानिदेशकों/निदेशको, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों स्टेट्स प्रमुख/संकाय एटीआई से आपदा प्रबंधन (एटीआई) के केंद्र के सदस्यों/एनआईडीएम के प्रशिक्षण संस्थानों और वरिष्ठ संकाय सदस्यों ने सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन के दौरान प्रगति प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का संचालन करने में प्रत्येक सीडीएमएस द्वारा की गई प्रगति पर चर्चा हुई, मार्च 2012 के बाद विभिन्न क्षेत्रों में सीडीएम द्वारा और योजना को जारी रखने से धन का उपयोग में आपदा जोखिम कम करने को मुख्य मुद्दा बनाया गया। राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा (एनएसएसपी) एनडीएमए के कार्यक्रम पर एनडीएमए के प्रतिनिधियों द्वारा सम्मेलन के दौरान चर्चा की गई।

भूस्खलन प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन और क्षेत्रीय अध्ययन

25. आपदा प्रबंधन के नेशनल इंस्टीट्यूट, भूस्खलन आपदा न्यूनीकरण उत्कृष्टता के विश्व केंद्र (आईसीएल और आईपीएल- आईएसडीआर द्वारा प्रदत्त), आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के सहयोग से उत्तराखंड अकादमी प्रशासन, भूस्खलन उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय केन्द्र नैनीताल (एनआईडीएम, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त) ने संयुक्त रूप से 22-24 मार्च 2012, के दौरान नैनीताल में भूस्खलन प्रबंधन पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन और फील्ड अध्ययन का आयोजन किया। श्री वी एस पी अरोड़ा, माननीय कुलपति, कुमाऊ विश्वविद्यालय नैनीताल, आईएमडी के निदेशक श्री आनंद शर्मा, श्री सी मुरलीधरन, निदेशक, जीएसआई और श्री रायल, (एडीएम) नैनीताल जिला। 15 राज्यों के 100 से अधिक

प्रतिनिधि और भूस्खलन प्रबंधन पर काम कर रहे विभिन्न संगठनों, संस्थानों और विश्वविद्यालयों की उपस्थिति में हुआ। जिसमें सात समानांतर सत्रों को दो प्रशिक्षण हॉलों में आयोजित किया गया जहां 20 प्रस्तुतियां हुईं। भूस्खलन के समझ और प्रबंधन से जुड़े विभिन्न मुद्दों का अध्ययन और अध्ययन करने के लिए नैनीताल के बालिया नाला भूस्खलन को आधार बनाया गया। एक यात्रा का आयोजन किया गया जिसमें प्रतिभागियों ने टिप्पणियां कीं और साइट के संभावित अध्ययन, असफलता के संभावित तंत्र और संभव समाधान के बारे में अध्ययन किया। सम्मेलन के दौरान समापन कार्यवाही के रूप में एक पुस्तक प्रकाशित और प्रतिनिधियों के साथ साझा की गई।

भूस्खलन और आपदा प्रबंधन पर इंडो-जापानी संयुक्त प्रशिक्षण एव फील्ड कार्यशाला



26. भारत और जापान के बीच सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा 22 अक्टूबर 2008 को टोक्यो में दोनों देशों के प्रधान मंत्रियों द्वारा हस्ताक्षरित (अनुच्छेद 8 - आपदा प्रबंधन, सुरक्षा सहयोग अग्रिम करने के लिए कार्य योजना में, देखें)। <http://pmindia-nic-in/visits/content-asp?id=223>), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर

मैनेजमेंट (एनआईएलआईएम) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और लोक निर्माण अनुसंधान संस्थान जापान के साथ (पीडब्लूआरआई), भूस्खलन और संबंधित आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में संयुक्त गतिविधियों को निशाना बनाते हुये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुये। उपरोक्त एमओयू के तहत संयुक्त गतिविधियों के रूप में 18 सितंबर 2011 को (एम 6.9) सिक्किम भूकंप के परिणामस्वरूप, एनआईडीएम ने 13-17 फरवरी 2012 के बीच सिक्किम के गंगटोक में दूसरी भारतीय-जापानी प्रशिक्षण सह क्षेत्र कार्यशाला का आयोजन किया गया। भूमि राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग, सिक्किम सरकार के मुख्य सचिव, मंत्रियों, संसदीय सचिव, सिक्किम सरकार, जिला मजिस्ट्रेट, शहर के महापौर और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ-साथ विशेषज्ञों और अधिकारियों की उपस्थिति में मुख्य सचिव द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। यह सिक्किम, मीडिया, जीएसआई, एमओआरएचटी, बीआरओ सरकार के संबंधित विभागों से संबंधित है। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान लगभग 400 लोग उपस्थित थे। 96 प्रतिभागी, जिनमें 19 जापानी प्रतिनिधि थे कार्यशाला में भाग लिया।

विपत्तियों में प्रजनन स्वास्थ्य, लिंग और मनोवैज्ञानिक समर्थन पर टीओटी कार्यक्रम

27. यूएनएफपीए के सहयोग से यशदा, पुणे में 28 फरवरी से 2 मार्च 2012 तक “विपत्तियों में प्रजनन स्वास्थ्य, लिंग और मनोवैज्ञानिक समर्थन सहायता” पर प्रशिक्षकों का एक क्षेत्रीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रजनन स्वास्थ्य अवधारणा में आमतौर पर सुरक्षित मातृत्व, परिवार नियोजन, यौन संचारित संक्रमणों और एचआईवी/एड्स की रोकथाम प्रबंधन, और किशोर प्रजनन स्वास्थ्य शामिल हैं। अन्य मुद्दे, जो आरएच के दायरे के भीतर मानदंडों को मानते हैं, लिंग आधारित हिंसा (जीबीवी), मनोसामाजिक समर्थन

(पीएसएस), जिसमें परामर्श और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच शामिल है। मई 2012 तक एमसीएचआरडी, हैदराबाद और एटीआई, असम में दो अन्य क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं।



आग के लिए कृत्रिम अभ्यास

28. एनआईडीएम कैंपस में एनआईडीएम और एसडीएमसी के स्टाफ सदस्यों के बीच खतरों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एनआईडीएम कैंपस में फायर का कृत्रिम अभ्यास आयोजित किया गया। इस अवसर के लिए विशेष रूप से फायर फाईटर को बुलाया गया दिन-प्रतिदिन की घटनाओं में एनआईडीएम भवन में लगे अग्निशमन यंत्रों का उपयोग करना तथा क्या करना ओर क्या नहीं करना बताया गया। संकाय और कर्मचारी सदस्यों, जिनमें कार्यकारी निदेशक एनआईडीएम शामिल थे सक्रिय रूप से ड्रिल में भाग लिया।

एनआईडीएम टीम ने चक्रवात “ठाणे” प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया

29. एनआईडीएम (जल मौसम सम्बंधित विभाग) की दो सदस्यीय टीम डॉ के जे आनंद कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर और डिवीजन के प्रमुख और श्री विश्वनाथ दास सहायक प्रोफेसर ने कुड्डलोर जिला, तमिलनाडु के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों और केन्द्र शासित पुडुचेरी का

दौरा 16-21 जनवरी 2012 को चक्रवात “ठाणे” से हुये नुकसान को दर्ज करने के लिए किया पोंडिचेरी में 30 सितंबर की सुबह चक्रवात की वजह से 53 मानव जीवन और बड़े पैमाने पर संपत्ति का नुकसान हुआ। दो सदस्यीय दल कुड्डालोर जिला गए और जिला प्रशासन, उप-कलेक्टर, डीआरओ, डीपीआरओ और अन्य लोगों सहित जिला प्रशासन के सदस्यों के साथ चर्चा की। उन्होंने चिदंबरम और कुड्डालोर तालुक के प्रभावित गांवों का दौरा किया और स्थानीय कार्यकर्ताओं जैसे राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार, गांव प्रशासनिक अधिकारी और सहायक ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी के साथ चर्चा की।



एनआईडीएम की टीम

टीम ने परांजिपेटाई, अन्नकोइल, मुदासल ओड़ई, मदवापल्लम, अयांपट्टई, थाइकल, तजानकुड़ा के तटीय गांवों में स्थानीय आबादी के साथ बातचीत भी की। एनआईडीएम के फैकल्टी सदस्यों ने पनृतिती के तालुक में श्री आर रत्नाव, निदेशक, मत्स्य विभाग और मॉनिटरिंग, तमिलनाडु सरकार के साथ काजू बागान को नुकसान पर दस्तावेज बनाने के लिए दौरा किया। टीम ने 19-21 जनवरी 2012 को केंद्रीय राज्य पुडुचेरी का दौरा किया और जिला कलेक्टर, पुडुच्चेरी, प्रभारी (डीएम) और अन्य स्थानीय स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की।

उन्होंने पुडुचेरी में आपातकालीन ऑपरेशन सेंटर (कंट्रोल रूम) का दौरा किया और चक्रवात के दौरान आपातकालीन प्रतिक्रिया पर एक प्रस्तुति देने वाले अधिकारियों से चर्चा की। टीम ने प्रभावित जिलों जैसे मनाल्डमु, परिकल्पट्ट, इरुलंचन्दै, मुरुथकुप्पम पुदुकुप्पम की यात्रा की और इन तटीय गांवों में चेतावनी, निकासी, राहत और पुर्णस्थापना पर स्थानीय लोगों के साथ विचार-विमर्श किया। भविष्य के संदर्भ के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट पर भी तैयारी की जा रही है। जिसका उद्देश्य आरंभिक चेतावनी, निकासी, प्रतिक्रिया और राहत प्रबंधन, क्षति और हानि आदि के दस्तावेज बनाना है।

एनआईडीएम संकाय को श्रेष्ठता पुरस्कार

पर्यावरण और व्यावसायिक स्वास्थ्य संघ (आईएओएच) ने एनआईडीएम के एसोसिएट प्रोफेसर, डॉ अनिल के गुप्ता को वर्ष 2012 के लिए श्रेष्ठता पुरस्कार के साथ सम्मानित किया। यह भारतीय व्यवसाय स्वास्थ्य संघ (आईएओएच) के 62 वें वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान 1-4 फरवरी 2012 को आपदा जोखिम में कमी और पर्यावरण स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए नई दिल्ली में दिया गया।

मेडागास्कर के प्रतिनिधिमंडल की यात्रा



30. चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के भारतीय अनुभव से सीखने के लिए 29 फरवरी, 2012 को मेडागास्कर के एक प्रतिनिधिमंडल ने एनआईडीएम का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल में प्रधान मंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी, भूमि एवं जल संसाधन विभाग, आपदा प्रबंधन आदि के लोग शामिल थे, एनआईडीएम के संकाय सदस्यों के साथ चक्रवात और आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया।

29 फरवरी 2012 को (आईएमडी) से प्रशिक्षण की यात्रा



31. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) दिल्ली जो क्षेत्रीय मौसम विज्ञान सेवा केंद्र भी है में प्रशिक्षण से गुजरने वाले वैज्ञानिकों की एक टीम ने आपदा प्रबंधन से संबंधित मुद्दों को समझने के लिए एनआईडीएम का दौरा किया। टीम में थाईलैंड, श्रीलंका, मालदीव और भारत के विभिन्न कार्यालयों के प्रतिनिधियों ने एनआईडीएम के फैकल्टी सदस्यों के साथ निकासी, संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपायों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई।

अंतर्राष्ट्रीय फोरम में एनआईडीएम

32. डॉ संतोष कुमार, प्रोफेसर और पॉलिसी प्लानिंग

और क्रॉस कटिंग मुद्दे पर डिवीजन के प्रमुख, ने 8-13 मई, 2011 के दौरान जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर ग्लोबल प्लेटफॉर्म के तीसरे सत्र में भाग लिया।

33. डॉ अनिल के गुप्ता ने प्रतिनिधि व्यक्ति के रूप में पर्यावरण और आपदा जोखिम न्यूनीकरण (पीईडीआरआर) पर भागीदारी में आयोजित आपदा जोखिम में कमी के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का दृष्टिकोण, पर पायलट प्रशिक्षण कार्यशाला में भाग लिया और 23-26 मई 2011 के दौरान कोलंबो, श्रीलंका में उत्तर प्रांत की सामरिक पर्यावरण आकलन रिपोर्ट के शुभारंभ का हिस्सा बने।

34. श्रीजा एस नायर ने 23-26 मई 2011 के दौरान कोलंबो, श्रीलंका में आयोजित आपदा न्यूनीकरण कार्यक्रम जो पर्यावरण और आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर भागीदारी और आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर ईकोसिस्टम दृष्टिकोण के सहयोग से आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला में भाग लिया।

35. डॉ सतेंद्र, ईडी एनआईडीएम ने आपदा प्रबंधन क्षेत्र से वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के साथ 13-19 नवम्बर 2011 के दौरान व्यावसायिक एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न संस्थानों और संगठनों का दौरा किया।

36. डॉ सूर्य प्रकाश, एसोसिएट प्रोफेसर ने संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा 30 सितंबर-9 अक्टूबर को रोम में मुख्यालय की इमारत में हुये द्वितीय विश्व भूस्खलन मंच में भूस्खलन शिक्षा, प्रशिक्षण और क्षमता विकास के सत्र के संयोजक के रूप में भाग लिया।

37. डॉ सुजाता सतपथी ने 19-20 दिसंबर 2011 को जकार्ता, इंडोनेशिया में आयोजित "पूर्व एशिया और

नीति प्रतिक्रियाओं में आपदाओं के आर्थिक और कल्याण प्रभाव” पर आसियान और पूर्वी एशिया (ईआरआईए) कार्यशाला के लिए आर्थिक अनुसंधान संस्थान में भाग लिया।

38. 16-18 दिसम्बर 2011 के दौरान टोक्यो और इवाट में जापान के कैबिनेट कार्यालय, संयुक्त राष्ट्र-एस्कैप और एडीआरसी द्वारा आयोजित महान भूकंप और मेगा सुनामी, जापान 2011 से प्राप्त पाठों पर दूसरी विशेषज्ञ समूह की बैठक में श्री विश्वनाथ दास, सहायक प्रोफेसर एनआईडीएम ने भाग लिया। ।

39. डॉ सुजाता सतपथी ने 18-22 फरवरी, 2012 को बीजिंग, चीन में आयोजित “आपदाओं के बाद मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप” पर 5 दिनों की क्षमता निर्माण कार्यशाला में भाग लिया, जिसका आयोजन इंटरनेशनल यूनिन ऑफ साइकोलॉजिकल साइंसेज (आईयूपीएसआईएस) द्वारा मनोविज्ञान संस्थान के समर्थन से किया गया था, जिसे चीनी एकेडमी ऑफ साइंसेज और इंटरनेशनल काउंसिल फॉर साइंस (आईसीएसयू) ने प्रायोजित किया था।

प्रकाशन



आपदा जोखिम में न्यूनीकरण के लिए पर्यावरण की सुरक्षा : कविता और स्लोगन बुक

अनिल के गुप्ता, शेखर चतुर्वेदी, रजनीश गोस्वामी और अनुपमा सेठी



व्यापक भूस्खलन जोखिम प्रबंधन : प्रशिक्षण मॉड्यूल

सूर्य प्रकाश



विज्ञान महोत्सव: आपदा प्रबंधन

इरफाना बेगम, सूर्यप्रकाश और रीता



आपदा प्रबंधन में जियो इन्फोर्मे. टक्स अनुप्रयोग : प्रशिक्षण मॉड्यूल

श्रीजा एस नायर



भारत आपदा रिपोर्ट 2011

के जे आनंदकुमार, अजिंदर वालिया और शेखर चतुर्वेदी



बाढ़ जोखिम प्रबंधन और प्रबंधन : प्रशिक्षक (टीओटी) मॉड्यूल का एक प्रशिक्षण

ए डी कौशिक



पर्यावरण चरम सीमा : आपदा जोखिम प्रबंधन

अनिल के गुप्ता और श्रीजा एस नायर



रासायनिक (औद्योगिक) आपदा प्रबंधन : प्रशिक्षण मॉड्यूल

अनिल के गुप्ता और श्रीजा एस नायर



पारिस्थितिकी तंत्र आपदा जोखिम कम करने के लिए दृष्टिकोण

अनिल के गुप्ता और श्रीजा एस नायर



ग्रामीण क्षेत्रों और भारत पर फोकस के साथ जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन

अनिल के गुप्ता



आपदा प्रबंधन में संस्थानों और संसाधनों की निर्देशिका

ए डी कौशिक और मेघा कोहली



जर्नल आपदा और विकास खंड के मुद्दे पर प्रकाशित 15 पत्र 5, नंबर 1 और 2, अप्रैल और नवंबर 2011

वित्त एवं लेखे

संस्थान के वित्त और लेखा प्रभाग के कार्यों में शामिल है — बजट बनाना, लेखाकरण, प्राप्तियों और भुगतानों का प्रबंध, वार्षिक लेखे तैयार करना और उनका संकलन, मंत्रालय को लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे प्रस्तुत करना। इसके अलावा, प्रभाग सलाह भी प्रदान करता है। तुलना-पत्र के साथ संस्थान की वर्ष 2011-12 की वार्षिक रिपोर्ट अनुबंध- 2 में दी गई है।

फोटो गैलरी

आपदा प्रबंधन पर पर्यावरण ज्ञान पर अन्तराष्ट्रीय सम्मेलन



10 मई 2011 को प्रतिनिधि सम्मेलन में भाग लेते हुये



माननीय सदस्य, एनडीएमए, मेजन जनरल (डा) जे के बंसल अपना भाषण देते हुये।



23 सितम्बर 2011 को बलकुखानी में हैदराबाद से गई एक विशेषज्ञ टीम की देखरेख में दो भवन शानदार तरीके से गिराये गये। गंगटोक में कई भवन असुरक्षित घोषित किये गये तथा उन्हें एक एक करके गिराने का काम किया गया। तथाति इन भवनो को सरक्षित गिराने के लिए विशेषज्ञों कि आवश्यकता थी।



आपदा न्यूनीकरण दिवस पर पुरस्कार वितरण समारोह



गृह राज्य मंत्री, गृह मंत्रालय, श्री मुलापुली रामचर्दन पुरस्कार हेतु चुनी गई पेंटिंग, पोस्टर और सलोगन का इंडिया इंटरनेशनल सेन्टर में आपदा न्यूनीकरण दिवस पर निरीक्षण करते हुये।

अनुबंध 1

वर्ष 2011-12 में एनआईडीएम द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र.	पाठ्यक्रम शीर्षक	स्थान	दिनांक	नियुक्त फैकल्टी	प्रति. की संख्या
1.	व्यापक भूस्खलन जोखिम प्रबंधन	एनआईडीएम	4-8 अप्रैल	डॉ सूर्य प्रकाश	15
2.	पलेश बाढ़ जोखिम प्रबंधन और प्रबंधन	एचआईपीए, एचपी	25-29 अप्रैल	डॉ ए डी कौशिक डॉ के जे आनंदा कुमार	23
3.	व्यापक आपदा दुर्घटना एमजीटी	बाईपार्ड, बिहार	25-29 अप्रैल	डॉ सुजाता सतपथी प्रो संतोष कुमार	31
4.	आईआरएस : बेसिक एंड इंटरमीडिएट	एनआईडीएम	25-27 अप्रैल	श्री अरुण सहदेव	14
5.	आईआरएस : संचालन धारा मुख्य	एनआईडीएम	28-29 अप्रैल	श्री अरुण सहदेव	12
6.	नागरिक रक्षा अधिकारियों के लिए आपदा प्रबंधन पर बुनियादी पाठ्यक्रम	एनआईडीएम	9-13 मई	श्री पी के पाठक	18
7.	जिला आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी	एसआईआरडी महाराष्ट्र	9-13 मई	श्री विश्वनाथ दास	21
8.	वानिकी सेक्टर आपदा प्रबंधन (राष्ट्रीय पाठ्यक्रम)	एफआरआई, देहरादून	16-20 मई	डॉ अनिल के गुप्ता डॉ ए डी कौशिक	20
9.	जे एस के लिए डीएम को मुख्य धारा में	एनआईडीएम	19 -20 मई	प्रो संतोष कुमार डॉ सुषमा गुलेरिया	11
10.	सीबीडीएम	डीडीआईएसआईआर आईडी, यूपी	23-27 मई	श्री शेखर चतुर्वेदी	20
11.	बाढ़ आपदा प्रबंधन	सीडब्ल्यूसी, एनडब्ल्यूए	30 मई से 3 जून	डॉ के जे आनंदा	42
12.	लिंग एवं आपदा प्रबंधन	सिपार्ड, त्रिपुरा	6-10 जून	डॉ अजिंदर वालिया	61
13.	आपदा प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण और पुनर्वास	जेकेआईएमपीए, जम्मू और कश्मीर	13-17 जून	डॉ आमीर अली खान	23
14.	औद्योगिक और रासायनिक दुर्घटनाएं	एटीआई, कर्नाटक	13-17 जून	डॉ अनिल के गुप्ता सुश्री श्रीजा नायर	26
15.	एनडीआरएफ कमांडरों के लिए आपदा प्रबंधन पर बुनियादी पाठ्यक्रम	एनआईडीएम	20-24 जून	श्री पी के पाठक	23
16.	दाला	डीएमएमसी, देहरादून	27-29 जून, 2011	प्रो संतोष कुमार श्री अरुण सहदेव श्री शेखर चतुर्वेदी	32
17.	व्यापक भूस्खलन जोखिम प्रबंधन	एनआईडीएम	27 जून -1 जुलाई	डॉ सूर्य प्रकाश	30
18.	बेसिक/इंटरमीडिएट आईआरएस कोर्स	एनआईडीएम	जुलाई 4-8, 2011	श्री अरुण सहदेव	9
19.	आपदा प्रबंधन में भू सूचना विज्ञान की प्रणाली	एनआईडीएम	12-14 जुलाई	सुश्री श्रीजा नायर	11
20.	आईआरएस : एकीकृत योजना मुख्य अनुभाग	एनआईडीएम	18-22, जुलाई	श्री अरुण सहदेव	16
21.	आपदा और विकलांग	एनआईडीएम	18-22 जुलाई	डॉ सुजाता सतपथी	20

22.	भूकंप जोखिम न्युनीकरण और प्रबंधन	एनआईडीएम	25-29 जुलाई	डॉ आमीर अली खान	24
23.	पीटीएस, किशनगढ़ में पुलिस को आपदा प्रबंधन की मूल बातें	पीटीएस, किशनगढ़, अजमेर, राजस्थान	25-30 जुलाई 2011	श्री पी के पाठक	28
24.	आईआरएस : घटना कमांडर	एनआईडीएम	1-3 अगस्त	श्री अरुण सहदेव	15
25.	चक्रवात जोखिम न्युनीकरण और प्रबंधन	एमसीआरएचआर डीआई, एपी	1-5 अगस्त	श्री विश्वनाथ दास	48
26.	जलवायु परिवर्तन और बाढ़ आपदा प्रबंधन	एनआईडीएम	8-12 अगस्त	डॉ अनिल के गुप्ता डॉ ए डी कौशिक	39
27.	व्यापक भूस्खलन जोखिम प्रबंधन	युएए उत्तराखंड	23-26 अगस्त	डॉ सूर्य प्रकाश	15
28.	शहरी जोखिम प्रबंधन	एनआईडीएम	5-9 सितंबर	श्रीमती चंद्राणी बंदोपाध्याय	21
29.	भूकंप जोखिम न्युनीकरण और प्रबंधन	जीबीपीआईएचडी, सिविकम	5- 9 सितंबर,	प्रोफेसर चंदन घोष	29
30.	एकीकृत सूखा न्युनीकरण और जोखिम प्रबंधन	एनआईडीएम	12-16 सितंबर	डॉ अनिल के गुप्ता	22
31.	तटीय जोखिम प्रबंधन	जीआईडीएम, गुजरात	12-16 सितम्बर	डॉ सुषमा गुलेरिया श्री विश्वनाथन दास	37
32.	कार्यक्रम डीएम में पुलिस की भूमिका	एनआईडीएम	19 23 सितंबर	श्री पी के पाठक	19
33.	अफ्रीकी अधिकारियों के लिए व्यापक आपदा जोखिम प्रबंधन पर टीओटी	एनआईडीएम	19 -30 सितम्बर	प्रो संतोष कुमार श्री शेखर चतुर्वेदी	22
34.	आपदा डेटाबेस प्रबंधन (मिश्रित शिक्षण)	नोएडा	21-23 सितम्बर	सुश्री श्रीजा नायर डॉ अनिल के गुप्ता	22
35.	चक्रवात जोखिम न्युनीकरण और प्रबंधन	एमसीआर एचआरडी, एपी	26-30 सितंबर	श्री विश्वनाथ दास	27
36.	लिंग एवं आपदा प्रबंधन	एनआईडीएम	26-30 सितंबर	डा अजिंदर वालिया	16
37.	आईआरएस : सिमुलेशन व्यायाम	एनआईडीएम	12-14 अक्टूबर	श्री अरुण सहदेव	15
38.	आपदा साइको सामाजिक देखभाल - एनडीआरएफ	एनआईडीएम	10-14 अक्टूबर	डॉ सुजाता सतपथी	26
39.	बाढ़ जोखिम न्युनीकरण और प्रबंधन	एनआईडीएम	17-21 अक्टूबर	डॉ के जे आनंदा कुमार	25
40.	जिओसिन्थिथिक से भूस्खलन में बचाव	एचआईपीए, एचपी 4 नवंबर	31 अक्टूबर -	डॉ सूर्य प्रकाश	29
41.	जिला आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी	यूपीएम, यूपी	31 अक्टूबर - 4 नवंबर	श्री शेखर चतुर्वेदी	39
42.	आईआरएस : एरिया कमांड	एनआईडीएम	3-4 नवंबर	श्री पी के पाठक	12
43.	आईआरएस : उपस्कर धारा मुख्य	एनआईडीएम	14-19 नवंबर	श्री अरुण सहदेव	11
44.	डीएम पर कार्यक्रम एनसीसी और एनएसएस अधिकारियों के लिए	एनआईडीएम	21-23 नवंबर	श्री पी के पाठक	40
45.	प्रजनन स्वास्थ्य, लिंग, (जीबीवी) और आपदाओं में मनोसाकिक सहायता	एनआईडीएम	21-24 नवंबर	डॉ सुजाता सतपथी	13
46.	आपदा प्रबंधन में भू सूचना विज्ञान की प्रणाली	एनआईडीएम	21-25 नवंबर	सुश्री श्रीजा नायर	12

47.	डीडीएमपी के दोहराव	जीएए, ओडिशा	21 नवंबर	श्री विश्वानाथ दास	17
48.	सूखा न्यूनीकरण और प्रबंधन	एनआईडीएम	28 नवंबर – 2 दिसंबर	डॉ के जे आनंदा कुमार	7
49.	रासायनिक (औद्योगिक) आपदा प्रबंधन	एआईएम, चेन्नई	28 नवंबर – 2 दिसंबर	डॉ अनिल गुप्ता सुश्री श्रीजा नायर	16
50.	ग्लोबल कैम्पस (जीसी –21) के मिश्रित शिक्षण में टीओटी ऑन जीआईजेड के साथ ऑनलाइन प्लेटफार्म	एनआईडीएम	5-7 दिसम्बर	डॉ अनिल के गुप्ता सुश्री श्रीजा नायर	15
51.	भगदड़ जोखिम न्यूनीकरण	एनआईडीएम	8-9 दिसंबर	श्री शेखर चतुर्वेदी	16
52.	पीईडीआरआर के साथ आपदा जोखिम न्यूनीकरण (इको-डीआरआर) के लिए पारिस्थितिकी तंत्र के दृष्टिकोण पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनआईडीएम	12-15 दिसंबर	डॉ अनिल के गुप्ता सुश्री श्रीजा नायर	19
53.	आईआरएस : उन्नत आईआरएस	एनआईडीएम	12-16 दिसंबर	श्री अरुण सहदेव	12
54.	डीडीएम के साथ मिलकर न्यायिक अधिकारियों और वकीलों के लिए आपदा प्रबंधन	रोहिणी न्यायालय, दिल्ली	17 दिसंबर	श्री पी.के. पाठक	95
55.	न्यायिक अधिकारियों और वकीलों के लिए डीडीएम के सहयोग से आपदा प्रबंधन	रोहिणी न्यायालय, दिल्ली	21 दिसंबर	श्री पी.के. पाठक	85
56.	लिंग एवं आपदा प्रबंधन	एनआईडीएम	19 –23 दिसम्बर	डॉ अजिंदर वालिया	5
57.	पोस्ट आपदा क्षतिपूर्ति और मूल्यांकन की आवश्यकता	एचआईपीए, शिमला	26-28 दिसंबर	प्रो संतोष कुमार	32
58.	जलवायु परिवर्तन और सूखा जोखिम प्रबंधन	डीएमआई, भोपाल	2-6 जनवरी 2012	डॉ अनिल के गुप्ता डॉ सुषमा गुलेरिया	29
59.	प्रारंभिक चेतावनी	एनआईडीएम	9-13 जनवरी	श्री विश्वानाथ दास	33
60.	संरचनाओं का पुनः प्रमाणन – तकनीकी और प्रबंधकीय मुद्दे	एचआईपीए, हरियाणा	9-13 जनवरी	प्रो चंदन घोष	22
61.	डीडीएमपी का निर्माण	सीजीएए, छत्तीसगढ़	16-20 जनवरी	श्री शेखर चतुर्वेदी डॉ सुषमा गुलेरिया	19
62.	डीडीएमए, दिल्ली के साथ मिलकर आपदा प्रबंधन पर अभिविन्यास कार्यशाला,	जेपी सिद्धार्थ होटल, दिल्ली	20 जनवरी	डॉ आमीर अली खान	60
63.	आपदा मुक्त पहाड़ी क्षेत्र विकास	एटीआई, मिजोरम	30 जनवरी –3 फरवरी	डॉ सूर्य प्रकाश प्रो चंदन घोष	18
64.	आपदाओं में बच्चों की आवश्यकता	एनआईडीएम	30 जनवरी–3 फरवरी	डॉ अजिंदर वालिया	21
65.	रासायनिक (औद्योगिक) आपदा प्रबंधन	एनआईडीएम	1-3 फरवरी	डॉ अनिल के गुप्ता	12
66.	सांस्कृतिक विरासत जोखिम प्रबंधन	एनआईडीएम	6-10 फरवरी	श्रीमती चंद्राणी बंद्योपाध्याय	7
67.	बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन	एटीआई पश्चिम बंगाल	6-10 फरवरी।	डॉ के जे आनंदा कुमार डॉ ए डी कौशिक	16

68.	स्कूल सुरक्षा एमजीएसआईपीएपी, एटीआई के साथ	लुधियाना, पंजाब	6-10 फरवरी	डॉ अजिंदर वालिया	30
69.	आपदा प्रबंधन पर सैटकॉम प्रोगाग	विज्ञान प्रसार, दिल्ली	7-8 फरवरी	डॉ सूर्य प्रकाश	150
70.	आपदा पुर्व क्षतिपूर्ति और मूल्यांकन की आवश्यकता	एचसीएमआरआईपीए जयपुर	10 फरवरी	प्रो संतोष कुमार	23
71.	भूस्खलन पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला	गैंगटोक, सिक्किम	13-15 फरवरी।	डॉ सूर्य प्रकाश	96
72.	आपदा प्रतिक्रियादाताओं के लिए तनाव एमजीटी (एनडीआरएफ)	एनआईडीएम	13-17 फरवरी	डॉ सुजाता सतपथी	20
73.	जियोइन्फॉर्मेटिक्स की प्रणाली में डीएम	एनआईडीएम	13-17 फरवरी	सुश्री श्रीजा नायर	15
74.	डीडीएमए, दिल्ली के सहयोग से आपदा प्रबंधन पर अभिविन्यास कार्यशाला	एमसीडी सिविक सेंटर, दिल्ली	14 फरवरी	श्री पी.के. पाठक डॉ अमीर अली खान	80
75.	एटीआई उत्तराखंड के सहयोग से भूकंप के सहभागी प्रबंधन पर कार्यशाला	शांति कुंज, हरिद्वार	20-24 फरवरी	प्रो सी घोष डॉ ए डी कौशिक	52
76.	तटीय खतरों और आपदा प्रबंधन	एसआईआरडी, तमिलनाडु	22-24 फरवरी	डॉ अनिल के गुप्ता श्रीजा एस नायर	34
77.	एनआईके के अधिकारियों के लिए डीएम पर कार्यक्रम	एनआईडीएम	27 फरवरी – 2 मार्च	श्री पी के पाठक	21
78.	आपदा सुरक्षित पर्यावरण के लिए बिल्डिंग कोड और डिजाइन	सीजीएए, छत्तीसगढ़	27 फरवरी – 2 मार्च	प्रो चंदन घोष	23
79.	वन आग प्रबंधन	एफआरआई देहरादून	27 फरवरी – 2 मार्च	डॉ अनिल के गुप्ता डॉ ए.डी. कौशिक	21
80.	क्षेत्रीय टीओटी : यूएनएफपीए के सहयोग से प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य	यशदा	28 फरवरी – 2 मार्च, 2012	डॉ सुजाता सतपथी	14
81.	मीडिया और पीआईओ के लिए आपदा प्रबंधन	एनआईडीएम	29 फरवरी-2 मार्च	श्रीमती चंद्राणी बांदोपाध्याय	22
82.	जोखिम और जोखिम विश्लेषण	एनआईडीएम	5- 9 मार्च	डॉ सूर्य प्रकाश	10
83.	बाढ़ जोखिम न्युनीकरण और प्रबंधन	डीडीआईएसआई आरआईडी, यूपी	12-16 मार्च	डॉ के जे आनंदा कुमार	21
84.	चक्रवात जोखिम न्युनीकरण और प्रबंधन	आईएलडीएम, केरल	14-16 मार्च	श्री विश्वनाथ दास	32
85.	बाढ़ जोखिम न्युनीकरण और प्रबंधन	एनआईडीएम	19 -23 मार्च	डॉ ए डी कौशिक	24
86.	एपीपीए प्रतिभागियों के लिए आपदा प्रबंधन	एनआईडीएम	23 मार्च	प्रो संतोष कुमार	38
87.	आपदाओं के दौरान पानी और स्वच्छता पर कार्यक्रम	एनआईडीएम	26-27 मार्च	डॉ अनिल के गुप्ता	18
88.	भूकंप जोखिम प्रबंधन,	मैटी, मेघालय	26-30 मार्च	प्रो चंदन घोष	85
89.	सुनामी प्रारंभिक चेतावनी	एमसीआरएचआरडी संस्थान	28-29 मार्च	श्री विश्वनाथ दास	17
				कुल	2486

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

अवधि 16 अक्टूबर, 2003 से 31 मार्च, 2004 तक के लिए आय और व्यय खाता

व्यय	राशि		आय	राशि	
	रुपये	पैसे		रुपये	पैसे
आईएमआर बिल्डिंग का नवीनीकरण		4, 146,051.00	गृह मंत्रालय के एनडीएम विभाग	15,000,000.00	
आईआईपीए के दावे का भुगतान		790,601.00	से प्राप्त अनुदान		
राजस्व व्यय			सवधि जमा पर ब्याज		
वेतन और भत्ता	2,357,884.00		सिंडिकेट बैंक		
कर्मचारी अग्रदर्शी निधि में कर्मचारी योगदान	1,38,778.00		वर्ष के दौरान प्राप्त	93,095.54	
कर्मचारी सीपी निधि से अर्जित ब्याज	129,962.00		अर्जित पर प्राप्त नहीं	53,098.00	146,193.54
यात्रा व्यय	645,487.00		प्रकाशन बिक्री		13,695.00
प्रशिक्षण/कार्यशालाओं पर व्यय	858,996.00				
अनुसंधान और दस्तावेजीकरण	<u>30,000.00</u>	4,161,107.00			
कार्यालय का खर्चा					
विज्ञापन	131,894.00				
स्टाफ कार का रखरखाव	33,928.00				
विविध व्यय	66,800.00				
समाचार पत्र और पत्रिकाएं	5,169.00				
पोस्टेज व्यय	8,611.00				
प्रिंटिंग व स्टेशनरी	117,755.00				
व्यावसायिक शुल्क	15,000.00				
मरम्मत और रखरखाव	42,740.00				
टेलीफोन शुल्क	201,786.00				
बैंक प्रभार	<u>1,087.00</u>	624,770.00			
व्यय पर आय का अतिरिक्त		5,437,359.54			
कुल		<u>15,159,888.54</u>	कुल	<u>15,159,888.54</u>	

सत्यापन के लिए हमारे समक्ष प्रस्तुत किये गये खाते
जाँचे गये तथा सही पाये गये।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

अवधि 16 अक्टूबर, 2003 से 31 मार्च, 2004 तक के लिए प्राप्ति और भुगतान खाता

प्राप्तियां	राशि		भुगतान	राशि	
	रूपये	पैसे		रूपये	पैसे
गृह मंत्रालय के एनडीएम विभाग से प्राप्त अनुदान	15,000,000.00		पूंजीगत व्यय		
सिंडिकेट बैंक में सवधि जमा पर ब्याज	93,095.54		अचल सम्पत्तियों कि खरीद		
प्रकाशन बिक्री	13,695.00		अस्थिर और स्थिर वस्तुओं पर व्यय	1,274,189.00	
कर्मचारी योगदायी अग्रदर्शी निधि			आधारिक संरचना	794,918.00	
कर्मचारी अंशदान खातों में आई आई पी ए से प्राप्त	1,674,402.00		अपकरण और औजार	865,309.00	
कर्मचारी अग्रिम की वसुली (शुद्ध)	9,811.00		पुस्तकें और पत्रिकाएं	57,536.00	2,991,952.00
			आईएमआर बिल्डिंग का नवीनीकरण		4,146,051.00
			आईआईपीए के दावे का भुगतान		790,601.00
			निवेश		
			सिंडिकेट बैंक में सवधि जमा		4,257,000.00
			राजस्व व्यय		
			वेतन और भता	2,057,121.00	
			यात्रा व्यय	645,487.00	
			प्रशिक्षण/कार्यशालाएं व्यय	844,701.00	
			अनुसंधान और दस्तावेजीकरण	30,000.00	3,577,309.00
			कार्यालय खर्च		
			विज्ञापन	131,894.00	
			कर्मचारियों कि कार का रख-रखाव	33,928.00	
			विविध व्यय	50,396.00	
			समाचार पत्र और पत्रिकाएं	5,169.00	
			डाक व्यय	8,611.00	
			छपाई और लेखन सत्रागी	117,755.00	
			व्यावसायिक शुल्क	15,000.00	
			मरम्मत और रख रखाव	42,740.00	
			टेलीफोन शुल्क	193,286.00	
			बैंक प्रभार	1,087.00	599,866.00
			ऋण और अग्रिम		
			कर्मचारियों को सीपीएफ अग्रिम	40,000.00	
			कर्मचारियों को (शुद्ध) अग्रिम	31,978.00	71, 9 78.00
			अंतिम शेष		
			शेष रोकड़	1,383.00	
			सिंडिकेट बैंक चालू खाते में शेष	354,863.54	356,246.54
कुल	16,791,003.54		कुल	16,791,003.54	

सत्यापन के लिए हमारे समक्ष प्रस्तुत किये गये खाते, जाँचे गये तथा सही पाये गये।

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

31 मार्च, 2005 को तुलन पत्र

[illegible]

विभाजन के कारण आईआईपीए से प्राप्त परिसमप्तियों को स्थांतरण मूल्य की अनुउपलब्धता के कारण शामिल नहीं किया गया

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय और व्यय खाता

व्यय	राशि		आय	राशि	
	रुपये	पैसे		रुपये	पैसे
प्रशिक्षण/कार्यशालाओं पर व्यय		1,348,317.00	गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन	27,696,892.00	
आईआईपीए के दावे का भुगतान		923,609.00	कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय क्षेत्र योजना पर प्राप्त अनुदान		
अनुसंधान और दस्तावेजीकरण प्रकाशन		667,305.00			
		541,835.00	प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाओं के लिए प्राप्तियां	199,149.92	
घरेलु यात्रा और स्थानीय परिवहन		839,951.00	बैंक ब्याज	221,069.22	
विदेशी यात्रा खर्च		266,017.50	प्रकाशन बिक्री	43,132.00	
किराया, दर और कर		703,608.00	विविध प्राप्तियां	27,797.00	
निर्माण क्षमता व्यय		277,154.00			
ओएसडी सुनामी त्रासदी		184,867.00			
कार्मिक व्यय					
वेतन और भत्ते	5,560,172.00				
कर्मचारी अग्रदर्शी निधि में कर्मचारी योगदान	236,023.00				
कर्मचारी अग्रदर्शी निधि में अर्जित ब्याज	190,285.00	5,986,480.00			
कार्यालय का खर्चा					
स्टाफ कार का रखरखाव	89,440.00				
विविध व्यय	271,707.00				
समाचार पत्र और पत्रिकाएं	31,312.00				
पोस्टेज व्यय	55,222.00				
प्रिंटिंग व स्टेशनरी	209,381.00				
व्यावसायिक शुल्क	78,115.00				
मरम्मत और रखरखाव	738,368.00				
टेलीफोन शुल्क	559,227.00				
बैंक प्रभार	3,048.87				
वर्दिया	8,026.00	2,043,846.87			
व्यय पर आय का अतिरिक्त तुलन पत्र में स्थानांतरित		14,405,049.77			
	कुल	28,188,040.14		कुल	28,188,040.14

तुलन पत्र में दिए विवरण के अनुसार

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान खाता

प्राप्तियां	राशि		भुगतान	राशि	
	रुपये	पैसे		रुपये	पैसे
प्रारंभिक शेष			पूंजीगत व्यय		
रोकड़ शेष	1,383.00		अचल सम्पत्तियों की खरीद		
सिंडिकेट बैंक में शेष	4,611,863.54	4,613,246.54	अस्थिर और स्थिर वस्तुओं पर व्यय	1,639,357.00	
			आधारिक संरचना	933,306.00	
गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यक्रम के अर्न्तगत केन्द्रीय क्षेत्र योजना पर प्राप्त अनुदान		27,696,892.00	अपकरण और औजार	304,318.00	
			पुस्तकालय	126,513.00	4,003,494.00
प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाओं के लिए प्राप्ति		199,149.92	निवेश		
बैंक ब्याज (टीडीएस शुद्ध)		160,742.96	सिंडिकेट बैंक में सवधि जमा (कर्मचारी योगदायी अग्रदर्शी निधि)		2,158,000.00
प्रकाशन बिक्री		43,132.00	राजस्व व्यय		
विविध प्राप्ति		27,797.00	आईआईपीए के दावे का भुगतान		923,609.00
निम्न से वित्तीय अनुदान			प्रशिक्षण/कार्यशालाएं व्यय		1,348,317.00
आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यशालाओं की समीक्षा के लिए युनीसेफ द्वारा वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	630,300.00		अनुसंधान और दस्तावेजीकरण		667,305.00
			प्रकाशन		541,835.00
कृषि मंत्रालय से सुखा राहत कार्यक्रम और सुखा नियम पुस्तक बनाने के लिए वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	330,000.00	960,300.00	घरेलू यात्रा/ परिवहन		839,951.00
			विदेशी यात्रा व्यय		266,017.50
कर्मचारी योगदायी अग्रदर्शी निधि (कर्मचारी अंशदान)		307,880.00	किराया, दर और कर		703,608.00
			निर्माण क्षमता व्यय		277,154.00
			ओएसडी सुनामी त्रासदी		184,867.00
			वेतन और भत्ते		5,560,172.00
			युनिसेफ कार्यक्रम व्यय		111,333.00
			कार्यालय खर्च		
			कर्मचारियों की कार का रख-रखाव	89,440.00	
			विविध व्यय	271,707.00	
			समाचार पत्र और पत्रिकाएं	31,312.00	
			डाक व्यय	55,222.00	
			छपाई और लेखन सप्लाई	209,381.00	
			व्यावसायिक शुल्क	78,115.00	
			मरम्मत और रख रखाव	738,368.00	
			टेलीफोन शुल्क	559,227.00	
			बैंक प्रभार	3,048.87	
			वर्दिया	8,026.00	2,043,846.87
			आईआईपीए को एनसीडीएम कर्मचारियों के लिए अग्रिम		85,990.00
			अन्य ऋण और अग्रिम (शुद्ध)		85,586.00
			अंतिम शेष		
			शेष रोकड़	22,883.00	
			सिंडिकेट बैंक चालू खाते में शेष	14,185,172.05	14,208,055.05
कुल		34,009,140.42	कुल		34,009,140.42

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

31 मार्च, 2006 को तुलन पत्र

	सारणी	राशि
कोष/पुंजीगत निधि और देनदारियां		
		रूपये पैसे
संशय और अधिशेष	'1'	35,285,330.71
निर्धारित निधि	'2'	2,431,969.00
वर्तमान देनदारियां और प्रावधान	'3'	3,484,397.00
	कुल	<u>41,201,696.71</u>
<u>परिसंपत्तियां</u>		
अचल संपत्तियां	'4'	11,135,257.00
निवेश	'5'	2,758,000.00
चल संपत्तियां, ऋण और अग्रिम	'6'	27,308,439.71
	कुल	<u>41,201,696.71</u>
अभिप्रायपूर्ण लेखांकन नितियां और खातों पर टिप्पणियां		

सत्यापन के लिए हमारे समक्ष प्रस्तुत किये गये खाते,
जाँचे गये तथा सही पाये गये।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय और व्यय खाता

	सारणी	राशि
<u>आय</u>		
		रूपये पैसे
अनुदान/अनुवृत्ति	'7'	28,900,000.00
शुल्क/अंशदान	'8'	203,602.00
प्रभुत्व से आय, प्रकाशन आदि	'9'	31,802.00
अर्जित ब्याज	'10'	131,898.69
	कुल	<u>29,267,302.69</u>
<u>व्यय</u>		
स्थापना व्यय	'11'	5,304,963.00
अन्य प्रशासनिक व्यय	'12'	6,440,999.29
प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाओं पर व्यय	'13'	2,078,419.00
	कुल	<u>13,824,381.29</u>
तुलन पत्र में स्थांतरित शेष अधिशेष राशि	'14'	<u>15,442,921.40</u>
अभिप्रायपूर्ण लेखांकन नितियां और खातों पर टिप्पणियां		

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान खाता

प्राप्तियां	रूपये	राशि पैसे
<u>प्रारम्भिक शेष</u>		
रोकड़ शेष	22,883.00	
बैंक शेष (चालु खाता)	9,895,596.55	
बैंक शेष (सावधि जमा)	<u>6,447,575.50</u>	16,366,055.05
<u>प्राप्त अनुदान</u>		
गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय क्षेत्र योजना पर		28,900,000.00
प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाओं के लिए प्राप्ति	64,000.00	
एआईडीएमआई, अहमदाबाद द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यक्रम के लिए प्राप्ति	<u>139,602.00</u>	203,602.00
प्रकाशन बिक्री	11,850.00	
विविध प्राप्ति	2,588.00	
उपरी व्यय पर प्रतिपूर्ति/प्रशासनिक खर्च आपदा प्रशिक्षण नियम पुस्तक बनने की समीक्षा के लिए युनीसेफ द्वारा	<u>17,364.00</u>	31,802.00
बैंक ब्याज(टीडीएस पर शुद्ध)		87,826.67
कृषि मंत्रालय से सुखा राहत कार्यक्रम और सुखा राहत कार्यक्रम के असर और सुखा नियम पुस्तक बनने के लिए प्राप्त अनुदान	444,000.00	
नव ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आपदा प्रबंधन योजना के लिए अनुदान	1,800,000.00	
गृह मंत्रालय द्वारा एनडीएमए के लिए अनुदान	<u>14,140,000.00</u>	16,384,000.00
कर्मचारी योगदायी अग्रदर्शी निधि (कर्मचारी अंशदान)		649,700.00
कुल		<u><u>62,622,985.72</u></u>

राशि
रूपये पैसे

भुगतान

पुंजीगत व्यय

अस्थिर और स्थिर वस्तुओं पर व्यय	11,500.00	
आधारिक संरचना	6,400.00	
उपकरण और औजार	3,872,577.00	
पुस्तकलय	<u>232,354.00</u>	4,122,831.00

राजस्व व्यय

निधारित धनराशि

युनिसेफ कार्यक्रम	79,668.00	
अव्ययित	439,299.00	
सुखा राहत योजना	133,906.00	
आपदा प्रबंधन योजना पर परामर्श(नोयडा)	8,125.00	
एनडीएमए	18,020,582.00	
प्रशासनिक सुधार आयोग	<u>866,734.00</u>	19,548,314.00

स्थापना व्यय

वेतन और भत्तें	4,622,339.00	
अवकाश यात्रा छुट	53,327.00	
अभिलाभांश	36,956.00	
परिश्रमार्मिक	6,000.00	
वर्दी	6,589.00	
अधिसमय	43,141.00	
आवास पटटेदारी	<u>66,000.00</u>	4,834,352.00

भविष्य निधि से निकासी/अग्रिम		563,731.00
------------------------------	--	------------

अन्य प्रशासनिक व्यय

मरम्मत और रख रखाव	946,783.00	
कर्मचारियों द्वारा कार चालान और रख-रखाव	135,167.00	
डाक व्यय	83,979.00	
छपाई और लेखन सप्तागी	202,633.00	
बैंक प्रभार	2,022.29	
निर्माण क्षमता	33,020.00	
किराया, दर और कर	1,820,562.00	
विविध व्यय	288,202.00	
समाचार पत्र और पत्रिकाएं	68,826.00	
व्यावसायिक शुल्क	75,320.00	
बैंक प्रभार	607,814.00	
अनुसंधान और दस्तावेजीकरण	305,324.00	
प्रकाशन	183,360.00	
घरेलु यात्रा	765,607.00	
विदेशी यात्रा	95,511.00	
ओएसडी सुनामी त्रासदी, 2004	<u>826,869.00</u>	6,440,999.29

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।

		राशि रूपये पैसे
<u>प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाओं पर व्यय</u>		
कार्यशाला व्यय	1,710,821.00	
आपदा जोखिम न्यूनीकरण अन्तराष्ट्रीय कार्यशाला	367,598.00	2,078,419.00
ऋण और अग्रिम(शुद्ध)		61,702.00
अन्तिम शेष		
नकद रोकड़	6,416.00	
बैंक शेष (चालु खाता)	22,208,221.43	
बैंक शेष (सावधि जमा)	2,758,000.00	24,972,637.43
	कुल	<u>62,622,985.72</u>
अभिप्रायपूर्ण लेखांकन नितियां और खातों पर टिप्पणियां	'14'	

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

राशि

सारणी : 1 आरक्षित और अधिशेष

रुपये पैसे

आय की व्यय पर अधिकता

प्रारंभिक शेष

19,842,409.31

जमा : व्यय पर आय की अधिकता आय और व्यय खाते से
स्थांतरित

15,442,921.40

कुल

35,285,330.71

सारणी : 2 निर्धारित निधि

1. आपदा प्रशिक्षण नियम पुस्तक बनने की
समीक्षा के लिए युनीसेफ द्वारा अनुदान

प्रारंभिक शेष	518,967.00
घटा : वर्ष के दौरान उपयोग/व्यय	79,668.00
	<u>439,299.00</u>
घटा : अव्ययित शेष युनीसेफ को वापिस	<u>439,299.00</u>

शून्य

2. कृषि मंत्रालय से सुखा राहत कार्यक्रम और
सुखा राहत कार्यक्रम के असर और
सुखा नियम पुस्तक बनने के लिए प्राप्त अनुदान

प्रारंभिक शेष	330,000.00
जमा : वर्ष के दौरान प्राप्त	<u>444,000.00</u>
	774,000.00
घटा : वर्ष के दौरान उपयोग/व्यय	<u>133,906.00</u>

640,094.00

3. नव ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा
आपदा प्रबंधन योजना के लिए अनुदान

वर्ष के दौरान प्राप्त	1,800,000.00
घटा : वर्ष के दौरान उपयोग/व्यय	<u>8,125.00</u>

1,791,875.00

कुल

2,431,969.00

सारणी : 3 चालु देनदारिया और प्रावधान

कर्मचारी योगदायी भविष्य निधि

प्रारंभिक शेष	2,856,706.00
जमा : नियोक्ता योगदान	247,842.00
: कर्मचारी अंशदान	649,700.00
: ब्याज	<u>222,769.00</u>
घटा : निकासी/अग्रिम	3,977,017.00
	<u>563,731.00</u>

3,413,286.00

सीजीएचएस, सीजीईआईएस, अनुज्ञापत्र शुल्क आदि

71,111.00

कुल

3,484,397.00

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

सारणी : '4' अचल सम्पत्तियां

क्रमांक	विवरण	01.04.2005 को लागत	वर्ष के दौरान योग	बिक्री / विलोप	31.03.2006 को
1.	स्थिर और अस्थिर वस्तुएं	2,913,546.00	11,500.00	—	2,925,046.00
2.	आधारित संरचना	1,745,204.00	6,400.00	—	1,751,604.00
3.	उपकरण और औजार	2,169,627.00	3,872,577.00	—	6,042,204.00
4.	पुस्तकालय	184,049.00	232,354.00	—	416,403.00
	कुल	7,012,426.00	4,122,831.00	—	11,135,257.00

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

सारणी : 5 निवेश	राशि	
	रुपये	पैसे
सिंडिकेट बैंक में सवधि जमा (कर्मचारी योगदायी अग्रदर्शी निधि)		2,158,000.00
सिंडिकेट बैंक में सवधि जमा		600,000.00
	कुल	2,758,000.00

सारणी : 6 चल सम्पत्ति, ऋण और अग्रिम ए चल समप्तियां

शेष रोकड़	6,416.00	₹
बैंक शेष	22,208,221.43	22,214,637.43
बी ऋण, अग्रिम और अन्य समप्तियां		
कर्मचारी अग्रिम	188,990.00	
सवधि जमा पर अर्जित ब्याज	17,284.63	
वासुली योग्य स्रोतों पर कर कटौती	140,211.65	346,486.28
गृह मंत्रालय से एनडीएमए के लिए अनुदान वासुली		
वर्ष के दौरान उपयोग/भुगतान	18,020,582.00	
घटा : वर्ष के दौरान प्राप्त	14,140,000.00	3,880,582.00
प्रशासनिक सुधार आयोग से वसुली		
वर्ष के दौरान उपयोग/भुगतान	866,734.00	
घटा : वर्ष के दौरान प्राप्त	शून्य	866,734.00
	कुल	27,308,439.71

सारणी : 7 अनुदान/सहायता	राशि	
	रुपये	पैसे
गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यक्रम के अर्न्तगत केन्द्रीय क्षेत्र योजना पर		28,900,000.00
	कुल	28,900,000.00

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

सारणी : 8 शुल्क/अंशदान	राशि	
	रूपये	पैसे
प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाओं के लिए अनुदान		64,000.00
एआईडीएमआई, अहमदाबाद द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यक्रम के लिए प्राप्तियां		139,602.00
कुल		203,602.00

सारणी : 9 प्रभुत्व शुल्क, प्रकाशन आदि से आय	राशि	
	रूपये	पैसे
प्रकाशन बिक्री से प्राप्तियां		11,850.00
विविध प्राप्तियां		2,588.00
उपरी व्यय पर प्रतिपूर्ति/प्रशासनिक खर्च आपदा प्रशिक्षण नियम पुस्तक बनने की समीक्षा के लिए युनीसेफ द्वारा		17,364.00
कुल		31,802.00

सारणी : 10 अर्जित ब्याज	राशि	
	रूपये	पैसे
सिंडिकेट बैंक में सावधि जमा		131,898.69
कुल		131,898.69

सारणी : 11 स्थापना व्यय	राशि	
	रूपये	पैसे
वेतन और भत्ते		4,622,339.00
अग्रदर्शी निधि का योगदान		247,842.00
तुलन पत्र में कर्मचारी अग्रदर्शी निधि से अर्जित ब्याज		222,769.00
अवकाश यात्रा भत्ता		53,327.00
अधिलाभ		36,956.00
परिश्रामिक		6,000.00
वर्दी		6,589.00
अधि समय		43,141.00
पटे पर आवास		66,000.00
कुल		5,304,963.00

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

सारणी : 12 अन्य प्रशासनिक व्यय	राशि	
	रुपये	पैसे
मरम्मत और रख रखाव	946,783.00	
कर्मचारियों कि कारचलन का रख-रखाव	135,167.00	
डाक व्यय	83,979.00	
छपाई और लेखन सम्रागी	202,633.00	
बैंक प्रभार	2,022.29	
निर्माण क्षमता	33,020.00	
किराया, दर और कर	1,820,562.00	
विविध व्यय	288,202.00	
समाचार पत्र और पत्रिकाएं	68,826.00	
व्यावसायिक शुल्क	75,320.00	
बैंक व्यय	607,814.00	
अनुसंधान और दस्तावेजीकरण	305,324.00	
प्रकाशन	183,360.00	
घरेलु यात्रा	765,607.00	
विदेशी यात्रा व्यय	95,511.00	
ओएसडी सुनामी त्रासदी, 2004	826,869.00	
कुल	6,440,999.29	

सारणी : 13 प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं पर व्यय	राशि	
	रुपये	पैसे
कार्यशाला व्यय	1,710,821.00	
आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर अर्न्तराष्ट्रीय कार्यशाला	367,598.00	
कुल	2,078,419.00	

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

सारणी : 14 खातों के लिए सार्थक लेखांकन और टिप्पनियां

1. सार्थक लेखांकन नीतियां
 - (क) वित्तिय विवरण ऐतिहासिक मुल्य परम्परां प्रोद्धवन आधार और समर्णता लेखांकन नीतियों में तालमेल को आधार कर, तैयार किये गये
 - (ख) मुल्यहास उपलब्ध न होने के कारण अचल सम्पति को अधिकरण/प्रतिपादन पर वर्णित किया गया।
 - (ग) विदेशी मुद्रा का लेन देन वर्णन मौजुदा विनिमय दर पर आलेखित किया गया।
 - (घ) लेखा नीतियों का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया अन्यथा उनका तालमेल स्वीकार्य लेखा प्रणाली से होता
2. आकस्मिक देनदारियां

संस्थान के विरुद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार्य नहीं किया।
3. प्रबंधन की राय में चालू सम्पतियों का मुल्यांकन, ऋण और अग्रिम, व्यवसाय के सामान्य तरीकों में किसी भी तरह तुलन पत्र में लिखित से कम नहीं होगा, सभी सुचित देनदारियों के लिए लेखों में प्रावधान किया गया।

उपयोगीकरण प्रमाणपत्र

क्रम संख्याएं 1.	पत्र संख्या और तारीख 35-11 / 2003-2004- एनडीएम - III तारीख 27 दिसम्बर, 2005 को रुपये	राशि(रुपये) 2,89,00,000	प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष 2005-2006 के दौरान रुपये 2,89,00,00/- की अनुदान राशि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के पक्ष में स्वीकार किये गये जिनका कार्यालय आईआईपीए कैम्पस, आईपी इस्टेट, नई दिल्ली - 110002 में गृह मंत्रालय के अधिन स्थापित है संचय में दि गई पत्र संख्या और अनउपयुक्त रूपयें 1,32,30,937 /- पिछले साल से स्थान्तरित किये गये रुपये 1,78,07,610/- को राष्ट्रीय प्रबंधन कार्यक्रम में केन्द्रीय क्षेत्र योजना पर जिसके लिए यह अर्बित था और वर्ष के अन्त शेष रुपये 2,43,23,327/- अगले वर्ष के लिए अनुदान के रूप में समायोजित कर दिये गये।
2.	प्रमाणित किया जाता है कि मैं अपने आप से सन्तुष्ट हूँ कि जिन परिस्थितियों के लिए अनुदान स्वीकृत किया गया उन्हें परिपूर्ण किया गया। मैंने पूर्ण जांच कि तथा पाया कि जिस कार्य के लिए रुपये को स्वीकृत किया गया था पूर्ण किया गया।		

जांच प्रक्रिया के प्रकार

दस्तावेजी प्रमाण को जिनमें बिल, भुगतान पर्ची, बैंक विवरण तथा लेखा पुस्तके शामिल थी, सत्यापित किया गया

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सदस्यगण

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

नई दिल्ली

1. हमने 31.03.2007 को समाप्त वर्ष के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के आय और व्यय खाते तथा प्राप्ति और भुगतान खातों लिखे सहित संलग्न तुलनपत्र की लेखा परीक्षा कर ली है। इन विवरणों की जिम्मेदारी संस्थान के प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत अभिव्यक्त करना है।

हमने भारत में लागू नियमों एवं स्वीकार्य लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। इन मानकों की अपेक्षानुसार हमें इन वित्तीय विवरणों की सामग्री की गलतबयानी से मुक्त होने के बारे में युक्ति-युक्त आश्वासन प्राप्त करने हेतु अपनी लेखा परीक्षा की योजना बनाकर लेखा परीक्षा करनी होती है। इस लेखा परीक्षा में नमूना परीक्षण के आधार पर राशियों से संबंधित प्रमाणपत्र तथा वित्तीय विवरणों में किये गये प्रकटनों की जांच शामिल है। प्रयुक्त किये गये लेखांकन सिद्धान्त के मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा बनाए गये महत्वपूर्ण अनुमानों का मूल्यांकन करना तथा वित्तीय विवरणों की प्रस्तुती का समग्र मूल्यांकन शामिल है। हमारा मानना है कि हमारी लेखा परीक्षा ने हमारी राय को उचित आधार प्रदान किया है।

2. हम आगे यह रिपोर्ट देते हैं कि :

1. हमारी राय एवं सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, हमने लेखा परीक्षा के उद्देश्य से सभी जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये हैं।
2. हमारी राय में संस्थान द्वारा रखे गये (बनाए गये) बही खाते हमारी जांच के अनुसार उपयुक्त रूप से तैयार किये गए हैं।
3. इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र तथा आय एवं व्यय लेखे तथा भुगतान एवं प्राप्ति लेखे बहियों के अनुसार सही बनाए गये हैं।

3. हमारी राय में हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार लेखांकन नीतियों एवं लेखाओं पर टिप्पणियों सहित उक्त लेखे सही एवं उचित रूप प्रस्तुत करते हैं।

1. जहां तक कि ये संस्थान के क्रियाकलापों के 31.03.2007 के तुलनपत्र से सम्बद्ध है।
2. जहां तक कि ये उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के आय से अधिक व्यय की अधिकता के आय एवं व्यय लेखे से सम्बद्ध हैं : तथा
3. जहां तक कि ये उक्त तिथि को समाप्त वर्ष की प्राप्तियों एवं किये गये भुगतान के प्राप्ति एवं भुगतान लेखे से सम्बद्ध है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए तुलन पत्र

सारणी	चालु वर्ष		गत वर्ष	
	रुपये	पैसे	रुपये	पैसे
<u>कोष/चालू निधि और देनदारियां</u>				
आरक्षित और अधिशेष	'1'	28,559,892.01	35,285,330.71	
निर्धारित निधि	'2'	3,889,169.00	2,431,969.00	
चालू देनदारियां और प्रावधान	'3'	4,015,569.00	3,484,397.00	
कुल		<u>36,464,630.01</u>	<u>41,201,696.71</u>	
<u>सम्पतियां</u>				
अचल सम्पतियां	'4'	16,724,713.00	11,135,257.00	
चल सम्पतियां, ऋण और अग्रिम	'5'	19,739,917.01	27,308,439.01	
निवेश	'6'	—	2,758,000.00	
कुल		<u>36,464,630.01</u>	<u>41,201,696.71</u>	
अभिप्रायपूर्ण लेखांकन नितियां और खातों पर टिप्पणियां	'14'			

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय और व्यय खाता

	सारणी	चालु वर्ष		गत वर्ष	
		रुपये		रुपये	
		रुपये	पैसे	रुपये	पैसे
<u>आय</u>					
अनुदान/अर्थिक मदद	'7'	25,784,244.43		28,900,000.00	
शुल्क/सदस्यता	'8'	476,500.00		203,602.00	
प्रभुत्व से आय, प्रकाशन आदि	'9'	81,113.00		31,802.00	
अर्जित ब्याज	'10'	94,218.93		131,898.69	
	कुल	26,436,076.36		29,267,302.69	
<u>खर्च</u>					
स्थापना व्यय	'11'	7,882,516.00		5,304,963.00	
अन्य प्रशासनिक व्यय	'12'	16,898,502.06		6,440,999.29	
प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाओं पर व्यय	'13'	8,380,497.00		2,078,419.00	
	कुल	33,161,515.06		13,824,381.29	
शेष अधिशेष (घाटा) तुलन पत्र में स्थांतरित		(6,725,438.70)		15,442,921.40	
अभिप्रायपूर्ण लेखांकन नितियां और खातों पर टिप्पणियां	'14'				

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान खाता

सारणी	चालु वर्ष		गत वर्ष	
	रुपये	पैसे	रुपये	पैसे
प्राप्तियां				
<u>प्रारंभिक शेष</u>				
रोकड़ शेष	6,416.00		22,883.00	
बैंक शेष (चालु खाता)	22,208,221.43		9,895,596.55	
बैंक शेष (सावधि जमा)	2,758,000.00	24,972,637.43	6,447,575.00	
<u>प्राप्त अनुदान</u>				
गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यक्रम के अर्न्तगत केन्द्रीय क्षेत्र योजना पर		22,000,000.00	28,900,000.00	
प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाओं के लिए प्राप्ति	10,000.00		64,000.00	
प्रथम भारतीय आपदा प्रबंधन सम्मेलन के लिए प्राप्ति	2,188,857.77	2,198,857.77	—	
एआईडीएमआई, अहमदाबाद द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यक्रम के लिए प्राप्ति			139,602.00	
प्रकाशन बिक्री	44,570.00		11,850.00	
विविध प्राप्ति	36,543.00		2,588.00	
आपदा में बच्चों की भूमिका पर कार्यशाला के लिए युनिसेफ से प्राप्ति	350,000.00	431,113.00	—	
युनिसेफ द्वारा आपदा प्रबंधन पर नियम पत्रिका की समीक्षा कार्यशाला पर उपरी खर्चा की प्रतिपूर्ति/प्रशासनिक खर्चा			17,364.00	
बैंक ब्याज		111,503.56	87,826.67	
आनलाईन पाठ्यक्रम से शुल्क		466,500.00	—	
प्रशासनिक संदर्भ आयोग से एआरसी कार्यक्रम करने के प्राप्ति	1,400,000.00			
श्रीलंकान प्रतिनिधि मंडल के लिए अन्तराष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए प्राप्ति	963,386.66			
गृहमंत्रालय से एनडीएमए को अनुदान से प्राप्ति	6,300,000.00	8,663,386.66	14,140,000.00	
कृषि मंत्रालय से सुखा राहत कार्यक्रम और सुखा नियम पुस्तक बनने के लिए वित्तिय अनुदान		—	444,000.00	
नव ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आपदा प्रबंधन योजना बनने के लिए वित्तिय अनुदान		—	1,800,000.00	
कर्मचारी योगदायी अग्रदर्शी निधि (कर्मचारी अंशदान)		674,560.00	649,700.00	
कर्मचारी अग्रिम से वसूली		85,743.00	—	
एमएचए से चक्रवात न्युनीकरण योजना के लिए प्राप्ति		700,000.00	—	
निविदा प्रक्रिया से प्राप्त अग्रिम राशि		100,000.00	—	
एमएचए से एसएएआरसी बैठक आयोजित करने के लिए प्राप्ति		165,000.00	—	
युएनडीपी से दक्षिण एशिया नीति वार्ता के लिए प्राप्ति		467,000.00	—	
कुल		61,036,301.42	62,622,985.22	

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।

भुगतान

पुंजीगत व्यय

आधारिक संरचना	416,697.00		6,400.00
उपकरण और औजार	2,366,409.00		3,872,577.00
पुस्तकलय	645,040.00		232,354.00
जीआईएस प्रयोगशाला	2,161,310		—
चल और अचल सामग्री	—	5,589,456.00	11,500.00
डीजल के लिए जमानत जमा		15,000.00	

राजस्व व्यय

निधारित धनराशि	53,996.00		133,906.00
सुखा राहत योजना	672,598.00		8,125.00
एनडीएमए	1,540,225.00		18,020,582.00
प्रशासनिक सुधार आयोग	82,415.00		866,734.00
आपदा में बच्चों कि भुमिका पर कार्यशाला	173,127.00		
युनिसेफ कार्यक्रम	—		79,668.00
युनिसेफ को अव्ययित शेष वापिस	—	2,522,361.00	439,299.00

स्थापना व्यय

वेतन और भत्ते	7,135,743.00		4,622,339.00
अवकाश यात्रा छुट	215,692.00		53,327.00
अभिलाभांश	35,722.00		36,956.00
परिश्रामिक	15,500.00		6,000.00
वर्दी	—		6,589.00
अधिसमय	31,633.00		43,141.00
आवास पटटेदारी	—	7,434,290.00	66,000.00

भविष्य निधि से निकासी/अग्रिम		714,737.00	563,731.00
------------------------------	--	------------	------------

अन्य प्रशासनिक व्यय

मरम्मत और रख रखाव	1,156,137.00		946,783.00
कर्मचारियों द्वारा कार चालान और रख-रखाव	142,403.00		135,167.00
डाक व्यय	159,422.00		83,979.00
छपाई और लेखन सामग्री	359,747.00		202,633.00
निर्माण क्षमता	37,404.00		33,020.00
किराया, दर और कर	6,426,570.00		1,820,562.00
विविध व्यय	417,570.00		288,202.00
समाचार पत्र और पत्रिकाएं	57,928.00		68,826.00
दुरभाण व्यय	744,045.00		607,814.00
अनुसंधान और दस्तावेजीकरण	373,549.00		305,324.00
प्रकाशन	119,120.00		183,360.00
घरेलु यात्रा	1,298,612.00		861,118.00
विदेशी यात्रा	7,399.00		
ओएसडी सुनामी त्रासदी, 2004	12,362.00		826,869.00
सार्क केन्द्र की स्थापना	5,579,996.00		
बैंक प्रभार	6,238.06		2,022.29
व्यावसायिक शुल्क	—	16,898,502.06	75,320.00

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाओं पर व्यय

कार्यशाला व्यय	4,655,332.00		1,710,821.00
श्रीलंकान प्रतिनिधियों के लिए अन्तराष्ट्रीय कार्यक्रम	751,917.00		—
सार्क बैठक व्यय	327,423.00		—
दक्षिण एशिया नीति वार्ता	575,603.00		—
एफआईडीएमसी कार्यक्रम व्यय	2,007,364.00		—
ऑनलाईन पाठ्यक्रम व्यय	62,858.00		—
	—	8,380,497.00	367,598.00
ऋण और अग्रिम			61,702.00

समापन शेष

रोकड़ शेष	2,638.00		6,416.00
बैंक शेष (चालु खाता)	19,478,820.36		22,208,221.43
बैंक शेष (सावधि जमा)	—	19,481,458.36	2,758,000.00
	कुल	<u>61,036,301.42</u>	<u>62,622,985.72</u>

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

सारणी : 1 आरक्षित और अधिशेष	राशि	
	रुपये	पैसे
आय की व्यय पर अधिकता	वर्तमान वर्ष राशि	गत वर्ष राशि
प्रारंभिक शेष	35,285,330.71	19,842,409.31
जमा/घटा : व्यय पर आय की अधिकता आय और व्यय खाते से स्थांतरित	(6,725,438.70)	15,442,921.40
कुल	28,559,892.01	35,285,330.71

सारणी : 2 निर्धारित निधि

1. कृषि मंत्रालय से सुखा राहत कार्यक्रम और सुखा राहत कार्यक्रम के असर और सुखा नियम पुस्तक बनने के लिए प्राप्त अनुदान		
प्रारंभिक शेष	640,094.00	330,000.00
जमा : वर्ष के दौरान प्राप्त	—	444,000.00
	640,094.00	774,000.00
घटा : वर्ष के दौरान उपयोग/व्यय	53,996.00	133,906.00
2. नव ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आपदा प्रबंधन योजना के लिए अनुदान	586,098.00	640,094.00
प्रारंभिक शेष	1,791,875.00	
जमा : वर्ष के दौरान प्राप्त	—	1,800,000.00
	1,791,875.00	1,800,000.00
घटा : वर्ष के दौरान उपयोग/व्यय	672,598.00	8,125.00
	1,119,277.00	1,791,875.00
3. गृहमंत्रालय द्वारा एनडीएमए को अनुदान		
वर्ष के दौरान प्राप्त	6,300,000.00	
घटा : गत वर्ष में वासुली योग्य रुपये	3,880,582.00	
	2,419,418.00	
घटा : वर्ष के दौरान उपयोग/व्यय	1,563,348.00	856,070.00

4.	विदेश मंत्रालय द्वारा प्रशासकीय सुधार कार्यक्रम के लिए अनुदान			
	वर्ष के दौरान प्राप्त	1,400,000.00		
	घटा : गत वर्ष में किये गये व्यय में वासुली योग्य रुपये	<u>866,734.00</u>		
		533,266.00		
	घटा : वर्ष के दौरान व्यय	<u>82,415.00</u>	450,851.00	
5.	विदेश मंत्रालय द्वारा चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण के लिए अनुदान			
	वर्ष के दौरान प्राप्त	700,000.00		
	घटा : वर्ष के दौरान उपयोग/व्यय	—	700,000.00	
6.	युनिसेफ द्वारा आपदा में बच्चों की भूमिका पर कार्यशाला			
	वर्ष के दौरान प्राप्त	350,000.00		
	घटा : वर्ष के दौरान उपयोग/व्यय	<u>173,127.00</u>	176,873.00	
	कुल	<u>3,889,169.00</u>	<u>2,431,969.00</u>	

सारणी : 3 चालू देनदारियां और प्रावधान

कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि

प्रारंभिक शेष	3,413,286.00		2,856,706.00
जमा : नियोक्ता योगदान	248,429.00		247,842.00
: कर्मचारी अंशदान	674,560.00		649,700.00
: ब्याज	<u>206,235.00</u>		<u>222,769.00</u>
	4,542,510.00		3,977,017.00
घटा : निकासी/अग्रिम	<u>714,737.00</u>	3,827,773.00	563,731.00
			3,413,286.00
अग्रिम धन जमा		100,000.00	
सीजीएचएस, सीजीईआईएस, अनुज्ञापत्र शुल्क आदि		87,796.00	71,111.00
कुल	<u>4,015,569.00</u>	<u>3,484,397.00</u>	

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

सारणी : '4' अचल सम्पतियां

क्रमांक	विवरण	01.04.2006 को लागत	वर्ष के दौरान योग	बिक्री/विलोप	31.03.2007 को	01.04.2006 को
1.	स्थिर और अस्थिर वस्तुएं	2,925,046.00	—	—	2,925,046.00	2,925,046.00
2.	आधारित संरचना	1,751,604.00	416,697.00	—	2,168,301.00	1,751,604.00
3.	उपकरण और औजार	6,042,204.00	2,366,409	—	8,408,613.00	6,042,204.00
4.	पुस्तकालय	416,403.00	645,040.00	—	1,061,443.00	416,403.00
5.	जीआईएस प्रयोगशाला	—	2,161,310.00	—	2,161,310.00	—
कुल		11,135,257.00	5,589,456.00		16,724,713.00	11,135,257.00
गत वर्ष		7,012,426.00	4,122,831.00	—	—	11,135,257.00

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

सारणी : 5 चल सम्पत्ति, ऋण और अग्रिम

ए	चल सम्पत्तियां	वर्तमान वर्ष राशि	राशि रूपये पैसे गत वर्ष राशि
	शेष रोकड़	2,638.00	6,416.00
	बैंक शेष		22,208,221.43
	युको बैंक खाता संख्या 2637	14,893,233.00	
	युको बैंक खाता संख्या 0924	891,802.17	
	सिंडिकेट बैंक खाता संख्या 4980	3,444,910.19	
	युनियन बैंक आफ इंडिया	248,875.00	19,481,458.36
बी ऋण, अग्रिम और अन्य सम्पत्तियां			
	कर्मचारी अग्रिम	103,247.00	188,990.00
	सुरक्षा जमा	15,000.00	17,284.63
	वासुली योग्य स्रोतों पर कर कटौती	140,211.65	258,458.65
	ग्रह मंत्रालय से एनडीएमए के लिए अनुदान वासुली		3,880,582.00
	प्रशासनिक सुधार आयोग से वसुली		866,734.00
	कुल	19,739,917.01	27,308,439.71

सारणी : 6 निवेश

	रूपये	पैसे
सिंडिकेट बैंक में सवधि जमा	—	2,158,000.00
(कर्मचारी योगदायी भविष्य निधि)	—	—
सिंडिकेट बैंक में सवधि जमा	—	600,000.00
कुल	—	2,758,000.00

सारणी : 7 अनुदान/सहायता

	रूपये	पैसे
गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यक्रम के अर्न्तगत केन्द्रीय क्षेत्र योजना पर	22,000,000.00	28,900,000.00
प्रथम आपदा प्रबंधन सम्मेलन के लिए प्राप्ति	2,188,857.77	—
श्रीलंकान प्रतिनिधियों के लिए अर्न्तराष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए प्राप्ति	963,386.66	—
एमईए से सार्क बैठक के लिए प्राप्ति	165,000.00	—
दक्षिण एशिया नीति संवाद के लिए युएनडीपी द्वारा प्राप्ति	467,000.00	—
कुल	25,784,244.43	28,900,000.00

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

	वर्तमान वर्ष राशि	गत वर्ष राशि
सारणी : 8 शुल्क/अंशदान		
प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाओं के लिए अनुदान	10,000.00	64,000.00
ऑनलाईन पाठ्यक्रम से प्राप्त शुल्क	466,500.00	—
एआईडीएमआई, अहमदाबाद द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यक्रम के लिए प्राप्तियां	—	139,602.00
कुल	476,500.00	203,602.00
सारणी : 9 प्रभुत्व शुल्क, प्रकाशन आदि से आय		
	रूपये	पैसे
प्रकाशन बिक्री से प्राप्तियां	44,570.00	11,850.00
विविध प्राप्तियां	36,543.00	2,588.00
उपरी व्यय पर प्रतिपूर्ति/प्रशासनिक खर्च आपदा प्रशिक्षण नियम पुस्तक बनने की समीक्षा के लिए युनीसेफ द्वारा	—	17,364.00
कुल	81,113.00	31,802.00
सारणी : 10 अर्जित ब्याज		
सिंडिकेट बैंक में सावधि जमा	94,218.93	131,898.69
कुल	94,218.93	131,898.69
सारणी : 11 स्थापना व्यय		
वेतन और भत्ते	7,129,305.00	4,622,339.00
अवकाश यात्रा भत्ता	215,692.00	53,327.00
अधिलाभ	35,722.00	36,956.00
परिश्रामिक	15,500.00	6,000.00
अधि समय	31,633.00	43,141.00
भविष्य निधि में योगदान	248,429.00	247,842.00
भविष्य निधि में शेष पर अर्जित व्याज	206,235.00	222,769.00
पट्टे पर आवास	—	66,000.00
वर्दी	—	6,589.00
कुल	7,882,516.00	5,304,963.00

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

	वर्तमान वर्ष राशि	गत वर्ष राशि
	रूपये	पैसे
सारणी : 12 अन्य प्रशासनिक व्यय		
मरम्मत और रख रखाव	1,156,137.00	946,783.000
कर्मचारियों कि कारचलन का रख-रखाव	142,403.00	135,167.00
डाक व्यय	159,422.00	83,979.00
छपाई और लेखन सम्रागी	359,747.00	202,633.00
निर्माण क्षमता	37,404.00	33,020.00
किराया, दर और कर	6,426,570.00	1,820,562.00
विविध व्यय	417,570.00	288,202.00
समाचार पत्र और पत्रिकाएं	57,928.00	68,826.00
दूरभाष व्यय	744,045.00	607,814.00
अनुसंधान और दस्तावेजीकरण	373,549.00	305,324.00
प्रकाशन	119,120.00	183,360.00
घरेलु यात्रा	1,298,612.00	765,607.00
विदेशी यात्रा व्यय	7,399.00	95,511.00
ओएसडी सुनामी त्रासदी, 2004	12,362.00	826,869.00
सार्क केन्द्र की स्थापना	5,579,996.00	—
बैंक व्यय	6,238.06	2,022.29
व्यावसायिक शुल्क	—	75,320.00
कुल	16,898,502.06	6,440,999.29

सारणी : 13 प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं पर व्यय

कार्यशाला व्यय	4,655,332.00	1,710,821.00
आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर अन्तराष्ट्रीय कार्यशाला	—	367,598.00
विशेष कार्यक्रमों के लिए व्यय		
सार्क बैठक व्यय	327,423.00	—
श्रीलंकान प्रतिनिधियों के लिए अन्तराष्ट्रीय कार्यक्रम	751,917.00	—
दक्षिण एशिया नीति वार्ता	575,603.00	—
प्रथम आपदा प्रबंधन सम्मेलन पर कार्यक्रम	2,007,364.00	—
ऑनलाईन पाठ्यक्रम व्यय	62,858.00	—
कुल	8,380,497.00	2,078,419.00

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

सारणी : 14 खातों के लिए सार्थक लेखांकन और टिप्पनियां

1. सार्थक लेखांकन नीतियां
 - (क) वित्तिय विवरण ऐतिहासिक मुल्य परम्परां प्रोद्धवन आधार और समर्णता लेखांकन नीतियों में तालमेल को आधार कर, तैयार किये गये
 - (ख) मुल्यहास उपलब्ध न होने के कारण अचल सम्पत्ति को अधिकरण/प्रतिपादन पर वर्णित किया गया।
 - (ग) विदेशी मुद्रा का लेन देन वर्णन मौजूदा विनिमय दर पर आलेखित किया गया।
 - (घ) लेखा नीतियों का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया अन्यथा उनका तालमेल स्वीकार्य लेखा प्रणाली से होता
2. आकस्मिक देनदारियां

संस्थान के विरुद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार्य नहीं किया।
3. प्रबंधन की राय में चालू सम्पत्तियों का मुल्यांकन, ऋण और अग्रिम, व्यवसाय के सामान्य तरीकों में किसी भी तरह तुलन पत्र में लिखित से कम नहीं होगा, सभी सुचित देनदारियों के लिए लेखों में प्रावधान किया गया।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए तुलन पत्र

	सारणी	चालु वर्ष रूपये रूपये	गत वर्ष रूपये पैसे
<u>कोष/चालू निधि और देनदारियां</u>			
आरक्षित और अधिशेष	‘1’	29,122,168.61	28,559,892.01
निर्धारित निधि	‘2’	3,077,960.00	3,889,169.00
चालू देनदारियां और प्रावधान	‘3’	4,831,945.00	4,015,569.00
	कुल	37,032,073.61	36,464,630.01
<u>सम्पतियां</u>			
अचल सम्पतियां	‘4’	16,724,713.00	16,724,713.00
निवेश	‘5’	3,827,773.00	—
चल सम्पतियां, ऋण और अग्रिम	‘6’	16,479,587.61	19,739,917.01
	कुल	37,032,073.61	36,464,630.01
<u>अभिप्रायपूर्ण लेखांकन नितियां और खातों पर टिप्पणियां</u>			
	‘14’		

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय और व्यय खाता

	सारणी	चालु वर्ष रूपये रूपये पैसे	गत वर्ष रूपये रूपये पैसे
आय			
अनुदान/अर्थिक मदद	‘7’	20,455,000.00	25,784,244.43
शुल्क/सदस्यता	‘8’	793,096.60	476,500.00
प्रभुत्व से आय, प्रकाशन आदि	‘9’	482,999.00	81,113.00
अर्जित ब्याज	‘10’	8,894.00	94,218.93
	कुल	21,739,989.60	26,436,076.36
खर्च			
स्थापना व्यय	‘11’	11,066,390.00	7,882,516.00
अन्य प्रशासनिक व्यय	‘12’	1,202.00	16,898,502.06
प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाओं पर व्यय	‘13’	10,110,121.00	8,380,497.00
	कुल	21,177,713.00	33,161,515.00
शेष अधिशेष (घाटा) तुलन पत्र में स्थांतरित(ए-बी)		562,276.60	(6,725,438.70)
अभिप्रायपूर्ण लेखांकन नितियां और खातों पर टिप्पणियां			
	‘14’		

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान खाता

	सारणी	चालु वर्ष रूपये रूपये पैसे	गत वर्ष रूपये रूपये पैसे
प्राप्तियां			
प्रारम्भिक शेष			
रोकड़ शेष (पीएओ, एमएचए मे जमा)	2,638.00		6,416.00
बैंक शेष (चालु खाता)	19,478,820.36		22,208,221.43
बैंक शेष (सावधि जमा)	—	19,481,458.36	2,758,000.00
प्राप्त अनुदान			
गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यक्रम के अर्न्तगत केन्द्रीय क्षेत्र योजना पर	20,400,000.00		22,000,000.00
एमईए से सार्क बैठक के लिए प्राप्ति	55,000.00	20,455,000.00	165,000.00
प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाओं के लिए प्राप्ति	—		10,000.00
प्रथम भारतीय आपदा प्रबंधन सम्मेलन के लिए प्राप्ति	—		2,188,857.77
प्रकाशन बिक्री	10,760.00		44,570.00
विविध प्राप्ति	472,239.00		36,543.00
आपदा में बच्चों कि भुमिका पर कार्यशाला के लिए युनिसेफ से प्राप्ति	—	482,999.00	350,000.00
बैंक ब्याज		8,894.00	111,503.56
प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाओं के लिए प्राप्ति	438,096.60		
ऑनलाईन पाठ्यक्रम से शुल्क	355,000.00	793,096.60	466,500.00
प्रशासनिक संदर्भ आयोग से एआरसी कार्यक्रम करने के लिए प्राप्ति	—		1,400,000.00
श्रीलंकान प्रतिनिधि मंडल के लिए अर्न्तराष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए प्राप्ति	—		963,386.66
गृहमंत्रालय से एनडीएमए को अनुदान से प्राप्ति	—	—	6,300,000.00
कर्मचारी योगदायी अग्रदर्शी निधि (कर्मचारी अंशदान)		769,900.00	674,560.00
कर्मचारी अग्रिम से वसूली		—	85,743.00
एमएचए से चक्रवात न्युनीकरण योजना के लिए प्राप्ति		—	700,000.00
निविदा प्रक्रिया से प्राप्त अग्रिम राशि		—	100,000.00
युएनडीपी से दक्षिण एशिया नीति वार्ता के लिए प्राप्ति			467,000.00
कर और अग्रिम (शुद्ध)		17,918.00	—
कुल		42,009,265.96	61,036,301.42

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।

भुगतान

पूँजीगत व्यय

आधारिक संरचना	—	416,697.00
उपकरण और औजार	—	2,366,409.00
पुस्तकालय	—	645,040.00
जीआईएस प्रयोगशाला	—	2,161,310.00

निवेश

सवधि जमा (कर्मचारी योगदायी भविष्य निधि)	3,827,773.00	—
डीजल के लिए सुरक्षा राशि	—	15,000.00
एसडीएमसी को अस्थायी अग्रिम	475,000.00	—
ईएमडी की वापसी	80,000.00	—
गत वर्ष की देनदारियां वर्तमान वर्ष में देय	53,597.00	608,597.00

राजस्व व्यय

निधारित धनराशि

सुखा राहत योजना	101,976.00	53,996.00
आपदा प्रबंधन योजना पर परामर्श (नोएडा)	535,860.00	672,598.00
एनडीएमए	—	1,540,225.00
प्रशासनिक सुधार आयोग	—	82,415.00
आपदा में बच्चों के भुमिका पर कार्यशाला	173,373.00	811,209.00

प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला

एटीआई को दिया गया अनुदान	10,000,000.00	—
जलवायु परिवर्तन पर युएनडीपी योजना	110,121.00	10,110,121.00

स्थापना व्यय

वेतन और भत्ते	9,756,839.00	7,135,743.00
अवकाश यात्रा छुट	374,530.00	215,692.00
अभिलाभांश	41,282.00	35,722.00
परिश्रामिक	—	15,500.00
चिकित्सा उपचार	257,829.00	—
अधिसमय	40,518.00	31,633.00
शैक्षिक शुल्क	7,680.00	—
ईएल कर नकदीकरण	17,968.00	10,496,646.00

भविष्य निधि से निकासी/अग्रिम

	389,671.00	714,737.00
--	------------	------------

अन्य प्रशासनिक व्यय

मरम्मत और रख रखाव	—	1,156,137.00
कर्मचारियों द्वारा कार चालान और रख-रखाव	—	142,403.00
डाक व्यय	—	159,422.00
छपाई और लेखन सामग्री	—	359,747.00
निर्माण क्षमता	—	37,404.00
किराया, दर और कर	—	6,426,570.00
विविध व्यय	—	417,570.00
समाचार पत्र और पत्रिकाएं	—	57,928.00
दूरभाष व्यय	—	744,045.00
अनुसंधान और दस्तावेजीकरण	—	373,549.00
प्रकाशन	—	119,120.00
घरेलू यात्रा	—	1,298,612.00
विदेशी यात्रा	—	7,399.00
ओएसडी सुनामी त्रासदी, 2004	—	12,362.00
सार्क केन्द्र की स्थापना	—	5,579,996.00
बैंक प्रभार	1,202.00	1,202.00

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाओं पर व्यय

कार्यशाला व्यय	—		4,655,332.00
श्रीलंकान प्रतिनिधियों के लिए अन्तराष्ट्रीय कार्यक्रम	—		751,917.00
सार्क बैठक व्यय	—		327,423.00
दक्षिण एशिया नीति वार्ता	—		575,603.00
एफआईडीएमसी कार्यक्रम व्यय	—		2,007,364.00
ऑनलाईन पाठ्यक्रम व्यय	—		62,858.00

समापन शेष

रोकड़ शेष (पीएओ, एमएचए में जमा)	—		2,638.00
बैंक शेष (चालु खाता)	15,761,408.96	15,764,046.96	19,478,820.36
	कुल	42,009,265.96	61,036,301.42

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

		राशि	
सारणी : 1 आरक्षित और अधिशेष		रूपये	पैसे
आय की व्यय पर अधिकता	वर्तमान वर्ष राशि 31.03.2008	गत वर्ष राशि 31.03.2007	
प्रारंभिक शेष	28,559,892.01	35,285,330.71	
जमा/घटा : व्यय पर आय की अधिकता आय और व्यय खाते से स्थांतरित	562,276.60	(6,725,438.70)	
	कुल	29,122,168.61	28,559,892.01
सारणी : 2 निर्धारित निधि		वर्तमान वर्ष राशि 31.03.2008	गत वर्ष राशि 31.03.2007
1. कृषि मंत्रालय से सुखा राहत कार्यक्रम और सुखा राहत कार्यक्रम के असर और सुखा नियम पुस्तक बनने के लिए प्राप्त अनुदान			
प्रारंभिक शेष	586,098.00	640,094.00	
जमा : वर्ष के दौरान प्राप्त	—	—	
	586,098.00	640,094.00	
घटा : वर्ष के दौरान उपयोग/व्यय	101,976.00	53,996.00	
	484,122.00	586,098.00	
2. नव ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आपदा प्रबंधन योजना के लिए अनुदान			
प्रारंभिक शेष	1,119,277	1,791,875.00	
जमा : वर्ष के दौरान प्राप्त	—	—	
	1,119,277	1,791,875.00	
घटा : वर्ष के दौरान उपयोग/व्यय	535,860.00	672,598.00	
	583,417.00	1,119,277.00	
3. गृहमंत्रालय द्वारा एनडीएमए को अनुदान			
प्रारंभिक शेष	856,070.00	—	
वर्ष के दौरान प्राप्त	—	6,300,000.00	
घटा : गत वर्ष में वासुली योग्य रुपये	—	3,880,582.00	
	856,070.00	2,419,418.00	
घटा : वर्ष के दौरान उपयोग	—	1,563,348.00	
	856,070.00	856,070.00	

4. विदेश मंत्रालय द्वारा प्रशासकीय सुधार कार्यक्रम के लिए अनुदान

प्रारंभिक शेष	450,851.00	—
वर्ष के दौरान प्राप्त	—	1,400,000.00
घटा : गत वर्ष में किये गये व्यय में वासुली योग्य रुपये	—	866,734.00
	450,851.00	533,266.00
घटा : वर्ष के दौरान व्यय		82,415.00
(रुपये 11,080 /— पीएओ, एमएचए द्वारा व्यय)	450,851.00	450,851.00

5. विदेश मंत्रालय द्वारा चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण के लिए अनुदान

प्रारंभिक शेष	700,000.00	—
वर्ष के दौरान प्राप्त	—	700,000.00
घटा : वर्ष के दौरान उपयोग/व्यय	—	—
	700,000.00	700,000.00

6. युनिसेफ द्वारा आपदा में बच्चों की भूमिका पर कार्यशाला

प्रारंभिक शेष	176,873.00	—
वर्ष के दौरान प्राप्त	—	350,000.00
घटा : वर्ष के दौरान उपयोग/व्यय	173,373.00	173,127.00
(रुपये 3500 /— पीएओ, एमएचए द्वारा व्यय)	3,500.00	176,873.00
कुल	3,077,960.00	3,889,169.00

सारणी : 3 चालू देनदारियां और प्रावधान

	वर्तमान वर्ष राशि 31.03.2008	गत वर्ष राशि 31.03.2007
कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि		
प्रारंभिक शेष	3,827,773.00	3,413,286.00
जमा : नियोक्ता योगदान	283,340.00	248,429.00
: कर्मचारी अंशदान	769,900.00	674,560.00
: ब्याज	286,404.00	206,235.00
	5,167,417.00	4,542,510.00
घटा : निकासी/अग्रिम	389,671.00	714,737.00
	4,777,746.00	3,827,773.00
अग्रिम धन जमा	20,000.00	100,000.00
सीजीएचएस, सीजीआईआईएस, अनुज्ञापत्र शुल्क आदि	34,199.00	87,796.00
कुल	4,831,945.00	4,015,569.00

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

सारणी : '4' अचल सम्पतियां

क्रमांक	विवरण	01.04.2007 को लागत	वर्ष के दौरान योग	बिक्री/ विलोप	31.03.2008 को	01.04.2007 को
1.	स्थिर और अस्थिर वस्तुएं	2,925,046.00	—	—	2,925,046.00	2,925,046.00
2.	आधारित संरचना	2,168,301.00	—	—	2,168,301.00	2,168,301.00
3.	उपकरण और औजार	8,408,613.00	—	—	8,408,613.00	8,408,613.00
4.	पुस्तकालय	1,061,443.00	—	—	1,061,443.00	1,061,443.00
5.	जीआईएस प्रयोगशाला	2,161,310.00	—	—	2,161,310.00	2,161,310.00
	कुल	16,724,713.00	—		16,724,713.00	16,724,713.00
	गत वर्ष	11,135,257.00	5,589,456.00	—	16,724,713.00	—

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

	31.03.2008 को राशि रूपये पैसे	31.03.2007 को राशि रूपये पैसे
सारणी : 5 निवेश		
सिंडिकेट बैंक में सवधि जमा (कर्मचारी योगदायी भविष्य निधि)	3,827,773.00	—
कुल	<u>3,827,773.00</u>	<u>—</u>

	वर्तमान वर्ष राशि 31.03.2008	गत वर्ष राशि 31.03.2007
सारणी : 6 चल सम्पत्ति, ऋण और अग्रिम		
ए चल सम्पत्तियां		
शेष रोकड़	2,638.00	2,638.00
बैंक शेष		
युको बैंक खाता संख्या 2637	11,409,211.60	14,893,233.00
युको बैंक खाता संख्या 0924	891,802.17	891,802.17
सिंडिकेट बैंक खाता संख्या 4980	3,444,823.19	3,444,910.19
युनियन बैंक आफ इंडिया	15,572.00	248,875.00
	<u>15,761,408.96</u>	<u>19,481,458.36</u>
बी ऋण, अग्रिम और अन्य सम्पत्तियां		
कर्मचारी अग्रिम	85,329.00	103,247.00
सुरक्षा जमा	15,000.00	15,000.00
वासुली योग्य स्रोतों पर कर कटौती	140,211.65	140,211.65
एसडीएमसी को अस्थायी अग्रिम	475,000.00	—
कुल	<u>715,540.65</u> <u>16,479,587.61</u>	<u>—</u> <u>19,739,917.01</u>

सारणी : 7 अनुदान/सहायता		
गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यक्रम के अर्न्तगत केन्द्रीय क्षेत्र योजना पर	20,400,000.00	22,000,000.00
प्रथम आपदा प्रबंधन सम्मेलन के लिए प्राप्ति	—	2,188,857.77
श्रीलंकान प्रतिनिधियों के लिए अर्न्तराष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए प्राप्ति	—	963,386.66
एमईए से सार्क बैठक के लिए प्राप्ति	55,000.00	165,000.00
दक्षिण एशिया नीति संवाद के लिए युएनडीपी द्वारा प्राप्ति	—	467,000.00
कुल	<u>20,455,000.00</u>	<u>25,784,244.43</u>

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

	31.03.2008 को राशि रुपये पैसे	31.03.2007 को राशि रुपये पैसे
<u>सारणी : 8 शुल्क/अंशदान</u>		
प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाओं के लिए अनुदान	438,096.60	10,000.00
ऑनलाईन पाठ्यक्रम से प्राप्त शुल्क	355,000.00	466,500.00
कुल	<u>793,096.60</u>	<u>476,500.00</u>
<u>सारणी : 9 प्रभुत्व शुल्क, प्रकाशन आदि से आय</u>		रुपये पैसे
प्रकाशन बिक्री से प्राप्तियां	10,760.00	44,570.00
विविध प्राप्तियां	472,239.00	36,543.00
कुल	<u>482,999.00</u>	<u>81,113.00</u>
<u>सारणी : 10 अर्जित ब्याज</u>		
सिंडिकेट बैंक में सावधि जमा	8,894.00	94,218.93
कुल	<u>8,894.00</u>	<u>94,218.93</u>
<u>सारणी : 11 स्थापना व्यय</u>		
वेतन और भत्ते	9,756,839.00	7,129,305.00
अवकाश यात्रा भत्ता	374,530.00	215,692.00
अधिलाभ	41,282.00	35,722.
परिश्रामिक	—	15,500.00
अधि समय	40,518.00	31,633.00
भविष्य निधि में योगदान	283,340.00	248,429.00
भविष्य निधि में शेष पर अर्जित व्याज	286,404.00	206,235.00
चिकित्सा उपचार	257,829.00	—
शैक्षिक शुल्क	7,680.00	—
ईएल का नकदीकरण	17,968.00	—
कुल	<u>11,066,390.00</u>	<u>7,882,516.00</u>

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

सारणी : 12 अन्य प्रशासनिक व्यय	31.03.2008 को	31.03.2007 को
	राशि	राशि
	रूपयेपैसे	रूपये पैसे
मरम्मत और रख रखाव	—	1,156,137.00
कर्मचारियों के कारचलन का रख-रखाव	—	142,403.00
डाक व्यय	—	159,422.00
छपाई और लेखन सामग्री	—	359,747.00
निर्माण क्षमता	—	37,404.00
किराया, दर और कर	—	6,426,570.00
विविध व्यय	—	417,570.00
समाचार पत्र और पत्रिकाएं	—	57,928.00
दूरभाष व्यय	—	744,045.00
अनुसंधान और दस्तावेजीकरण	—	373,549.00
प्रकाशन	—	119,120.00
घरेलु यात्रा	—	1,298,612.00
विदेशी यात्रा व्यय	—	7,399.00
ओएसडी सुनामी त्रासदी, 2004	—	12,362.00
सार्क केन्द्र की स्थापना	—	5,579,996.00
बैंक व्यय	1,202.00	6,238.06
कुल	1,202.00	16,898,502.06

सारणी : 13 प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं पर व्यय	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
	राशि	राशि
	31.03.2008	31.03.2007
कार्यशाला व्यय	—	4,655,332.00
विशेष कार्यक्रमों के लिए व्यय		
सार्क बैठक व्यय	—	327,423.00
श्रीलंकान प्रतिनिधियों के लिए अन्तराष्ट्रीय कार्यक्रम	—	751,917.00
दक्षिण एशिया नीति वार्ता	—	575,603.00
प्रथम आपदा प्रबंधन सम्मेलन पर कार्यक्रम	—	2,007,364.00
ऑनलाईन पाठ्यक्रम व्यय	—	62,858.00
एटीआई को अनुदान	10,000,000.00	—
जलवायु परिवर्तन पर युएनडीपी योजना	110,121.00	—
कुल	10,110,121.00	8,380,497.00

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

सारणी : 14 खातों के लिए सार्थक लेखांकन और टिप्पनियां

1. सार्थक लेखांकन नीतियां
 - (क) वित्तिय विवरण ऐतिहासिक मुल्य परम्परां प्रोद्धवन आधार और समर्णता लेखांकन नीतियों में तालमेल को आधार कर, तैयार किये गये
 - (ख) मुल्यहास उपलब्ध न होने के कारण अचल सम्पति को अधिकरण/प्रतिपादन पर वर्णित किया गया।
 - (ग) विदेशी मुद्रा का लेन देन वर्णन मौजुदा विनिमय दर पर आलेखित किया गया।
 - (घ) लेखा नीतियों का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया अन्यथा उनका तालमेल स्वीकार्य लेखा प्रणाली से होता
2. आकस्मिक देनदारियां

संस्थान के विरुद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार्य नहीं किया।
3. प्रमुख लेखा कार्यालय (प्रशासनिक) गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्णय को देखते हुये। एनडीएमए ने वर्ष के दौरान मात्र कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों का भुगतान किया, सभी प्रशासनिक और अन्य व्यय प्रत्यक्ष रूप से भुगतान और खाता कार्यालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिये गये।
4. प्रबंधन की राय में चालू सम्पतियों का मुल्यांकन, ऋण और अग्रिम, व्यवसाय के सामान्य तरीकों में किसी भी तरह तुलन पत्र में लिखित से कम नहीं होगा, सभी सुचित देनदारियों के लिए लेखों में प्रावधान किया गया।

उपयोगीकरण प्रमाणपत्र

क्रम संख्यां	पत्र संख्या और तारीख	राशि(रुपये)	प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष 2007-2008 के दौरान रुपये
1.	45-10/2007 एनडीएम - IV तारीख 05.02.2008 को 1,00,00,000 रुपये	2,04,00,000	2,04,00,00/- की अनुदान राशि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के पक्ष में स्वीकार कि गयी जिनका कार्यालय आईआईपीए कैम्पस, आईपी इस्टेट, नई दिल्ली - 110002 में गृह मंत्रालय के अधिन स्थापित है संचय में दि गई पत्र संख्या और अनउपयुक्त रूपयें 1,03,10,009/- पिछले साल से स्थान्तरित किये गये रुपये 2,10,67,592/- को राष्ट्रीय प्रबंधन कार्यक्रम में केन्द्रीय क्षेत्र योजना पर जिसके लिए यह अर्बटित था और वर्ष के अन्त शेष रुपये 96,42,417/- अगले वर्ष के लिए अनुदान के रूप में समायोजित कर दिये गये।
2.	45-3/2007 एनडीएम - IV तारीख 29.05.2007 को 21,00,000 रुपये		
3.	45-3/2007 एनडीएम - IV तारीख 05.07.2007 को 21,00,000 रुपये		
4.	45-3/2007 एनडीएम - IV तारीख 23.10.2007 को 42,00,000 रुपये		
5.	45-3/2007 एनडीएम - IV तारीख 08.02.2008 को 20,00,000 रुपये		
2.	प्रमाणित किया जाता है कि मैं अपने आप से सन्तुष्ट हुं कि जिन परिस्थितियों के लिए अनुदान स्वीकृत किया गया उन्हें परिपूर्ण किया गया। मैने पुर्ण जांच कि तथा पाया कि जिस कार्य के लिए रुपये को स्वीकृत किया गया था पुर्ण किया गया।		

जांच प्रक्रिया के प्रकार

दस्तावेजी प्रमाण को जिनमें बिल, भुगतान पर्ची, बैंक विवरण तथा लेखा पुस्तके शामिल थी, सत्यापित किया गया

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए तुलन पत्र

	सारणी	चालु वर्ष		गत वर्ष	
		रुपये		रुपये	
		रुपये	पैसे	रुपये	पैसे
<u>कोष / चालू निधि और देनदारियां</u>					
आरक्षित और अधिशेष	'1'	34,459,597.07		29,122,168.61	
निर्धारित निधि	'2'	2,762,970.00		3,077,960.00	
चालू देनदारियां और प्रावधान	'3'	7,409,768.00		4,831,945.00	
	कुल	44,632,335.07		37,032,073.61	
<u>सम्पतियां</u>					
अचल सम्पतियां	'4'	18,404,966.00		16,724,713.00	
निवेश	'5'	5,797,684.00		3,827,773.00	
चल सम्पतियां, ऋण और अग्रिम	'6'	20,429,685.07		16,479,587.61	
	कुल	44,632,335.07		37,032,073.61	
अभिप्रायपूर्ण लेखांकन नितियां और खातों पर टिप्पणियां	'15'				

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय और व्यय खाता

	सारणी	चालु वर्ष		गत वर्ष	
		रुपये		रुपये	
		रुपये	पैसे	रुपये	पैसे
<u>एमएचए द्वारा आय / अनुदान</u>					
एमएचए द्वारा अनुदान	'7'	74,429,000.00		20,400,000.00	
एनपीसीईईबीईआरएम को एमएचए द्वारा अनुदान	'8'	10,000,000.00		—	
	कुल	84,429,000.00		20,400,000.00	
<u>एमएचए द्वारा अनुदान खर्च</u>					
स्थापना व्यय	'9'	20,385,805.00		11,066,390.00	
अन्य प्रशासनिक व्यय	'10'	13,235,297.82		1,202.00	
प्रशिक्षण कार्यक्रम / कार्यशालाओं पर व्यय	'11'	7,672,970.00			
केंद्रीय क्षेत्र योजना का कार्यान्वयन	'12'	41,149,018.00		10,000,000.00	
	कुल	82,443,090.82		21,067,592.00	
एमएचए अनुदान का शेष अधिशेष (ए-बी)		1,985,909.18			
<u>अन्य स्रोतों से आय / खर्च</u>					
अर्जित ब्याज (सीपीएफ)	'13'	484,610.00		8,894.00	
अन्य स्रोतों से आय / खर्च	'14'	2,866,909.28		1,220,974.60	
	कुल	3,351,519.28		1,229,868.60	
शेष अधिशेष (घाटा) तुलन पत्र में स्थांतरित(ए-बी+सी)		5,337,428.46		562,276.60	
अभिप्रायपूर्ण लेखांकन नितियां और खातों पर टिप्पणियां	'15'				

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान खाता

	सारणी	चालु वर्ष रुपये पैसे	गत वर्ष रुपये पैसे
प्राप्तियां			
प्रारम्भिक शेष			
रोकड़ शेष			
बैंक शेष (चालु खाता)	2,638.00		2,638.00
बैंक शेष (सावधि जमा)	15,761,408.96		19,478,820.36
कर्मचारी अंशदायी निधि	3,827,773.00	19,591,819.96	—
प्राप्त अनुदान			
गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय क्षेत्र योजना पर	70,000,000.00	70,000,000.00	20,400,000.00
एमईए से सार्क बैठक के लिए प्राप्ति	—		55,000.00
प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाओं के लिए प्राप्ति	343,200.00		—
प्रथम भारतीय आपदा प्रबंधन सम्मेलन के लिए प्राप्ति	—		—
प्रकाशन बिक्री	46,880.00		10,760.00
विविध प्राप्ति	73,827.00		472,239.00
आपदा में बच्चों की भूमिका पर कार्यशाला के लिए	—	463,952.00	—
बैंक ब्याज	—	—	8,894.00
प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाओं के लिए प्राप्ति	112,175.00	—	438,096.60
ऑनलाईन पाठ्यक्रम से शुल्क	770,335.00	882,510.00	355,000.00
डब्ल्यूएचओ से आपदा के बाद रोग पर एआरसी कार्यक्रम करने के लिए प्राप्ति	702,600.00		
आईसीआईएमओडी से जलवायु परिवर्तन योजना अनुकुलन करने के लिए प्राप्ति	1,076,030.28		
तेरहवीं वित्त आयोग	394,260.00		
श्रीलंकान प्रतिनिधि मंडल के लिए अन्तराष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए प्राप्ति	310,715.00		
गृहमंत्रालय से एनपीसीईबीईआईआरएम को अनुदान से प्राप्ति	10,000,000.00	12,482,605.28	—
कर्मचारी योगदायी भविष्य निधि (कर्मचारी अंशदान)		1,085,688.00	769,900.00
सार्क अग्रिम वापसी		475,000.00	—
सुरक्षा देय		1,920.00	—
आर/ओ एनडीएमए व्यय प्राप्ति, चेक रद कर और अग्रिम (शुद्ध)		59,361.00	—
		—	17,918.00
कुल		105,042,856.24	42,009,265.96

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।

भुगतान

पुंजीगत व्यय

आधारिक संरचना	134,655.00	—
उपकरण और औजार	780,323.00	—
पुस्तकलय	765,275.00	—
जीआईएस प्रयोगशाला	—	—

निवेश

सवधि जमा (कर्मचारी योगदायी भविष्य निधि)	1,968,766.00	3,827,773.00
डीजल के लिए सुरक्षा राशि	—	475,000.00
एसडीएमसी को अस्थायी अग्रिम	2,146.00	—
ईएमडी की वापसी	—	80,000.00
गत वर्ष की देनदारियां वर्तमान वर्ष में देय	2,146.00	53,597.00

राजस्व व्यय

निधारित धनराशि		
सुखा राहत योजना	180,000.00	101,976.00
आपदा प्रबंधन योजना पर परामर्श (नोएडा)	—	535,860.00
एनडीएमए	—	—
प्रशासनिक सुधार आयोग	179,771.00	—
आपदा में बच्चों की भूमिका पर कार्यशाला	—	359,771.00

प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला		
एटीआई को दिया गया अनुदान	33,084,547.00	10,000,000.00
एनपीसीईबीईआईआरएम योजना के लिए अनुदान	8,064,471.00	41,149,018.00

स्थापना व्यय

वेतन और भत्ते	18,211,294.00	9,756,839.00
अवकाश यात्रा छुट	427,658.00	347,530.00
अभिलाभांश	92,410.00	41,282.00
परिश्रामिक	—	—
चिकित्सा उपचार	214,545.00	257,829.00
अधिसमय	11,464.00	40,518.00
शैक्षिक शुल्क	156,650.00	7,680.00
ईएल कर नकदीकरण	—	19,114,021.00

भविष्य निधि से निकासी/अग्रिम	91,015.00	389,671.00
कर कटौती (वापसी)	40,506.00	—

अन्य प्रशासनिक व्यय		
मरम्मत और रख रखाव	1,151,453.00	—
कर्मचारियों द्वारा कार चालान और रख-रखाव	174,718.00	—
डाक व्यय	158,401.00	—
छपाई और लेखन सप्तागी	573,671.00	—
बिजली और जल प्रभार	764,833.00	—
किराया, दर और कर	7,733,010.00	—
विविध व्यय	740,494.00	—
समाचार पत्र और पत्रिकाएं	69,523.00	—
दुरभाष व्यय	691,435.00	—
वर्दी	6,605.00	—
प्रकाशन	1,070,045.00	—
घरेलु यात्रा	—	—
विदेशी यात्रा	—	—
व्यावसायिक शुल्क	44,532.00	—
बैंक प्रभार	5,676.82	13,184,396.82

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाओं पर व्यय

कार्यशाला व्यय	7,668,439.00		—
श्रीलंकान प्रतिनिधियों के लिए अन्तराष्ट्रीय कार्यक्रम	212,779.00		—
रासायनिक आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय कार्यशाला	227,409.00		—
वित्तपोषण डीएम पर अध्ययन (तेरहवीं वित्त आयोग)	101,560.00		—
आईसीआईएमओडी योजना	39,185.00		—
आपदा पूर्व रोग चौकसी पर कार्यशाला	265,793.00		—
डीआरआर रणनीति उपकरण पर अन्तराष्ट्रीय कार्यशाला	114,917.00	8,630,082.00	—

समापन शेष

रोकड़ शेष			2,638.00
बैंक शेष (सीपीएफ सावधि जमा)	3,827,773.00		
बैंक शेष (चालु खाता)	14,995,108.42	18,822,881.42	15,761,408.96

कुल	<u>105,042,856.24</u>	<u>42,009,265.96</u>
-----	-----------------------	----------------------

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

	31.03.2009 को राशि	31.03.2008 को राशि
सारणी : 1 आरक्षित और अधिशेष		
आय की व्यय पर अधिकता		
प्रारंभिक शेष	29,122,168.61	28,559,892.01
जमा/घटा : व्यय पर आय की अधिकता आय और व्यय खाते से स्थांतरित	5,337,428.46	—
कुल	<u>34,459,597.07</u>	<u>28,559,892.01</u>
सारणी : 2 निर्धारित निधि		
1. कृषि मंत्रालय से सुखा राहत कार्यक्रम और सुखा राहत कार्यक्रम के असर और सुखा नियम पुस्तक बनने के लिए प्राप्त अनुदान		
प्रारंभिक शेष	484,122.00	586,098.00
जमा : वर्ष के दौरान प्राप्त	—	—
	<u>484,122.00</u>	<u>586,098.00</u>
घटा : वर्ष के दौरान उपयोग/व्यय	<u>180,000.00</u>	<u>101,976.00</u>
	304,122.00	484,122.0000
2. नव ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आपदा प्रबंधन योजना के लिए अनुदान		
प्रारंभिक शेष	583,417.00	1,119,277.00
जमा : वर्ष के दौरान प्राप्त	—	—
	<u>583,417.00</u>	<u>1,119,277.00</u>
घटा : वर्ष के दौरान उपयोग/व्यय	<u>—</u>	<u>535,860.00</u>
	583,417.00	583,417.00
3. गृहमंत्रालय द्वारा एनडीएमए को अनुदान		
प्रारंभिक शेष	856,070.00	856,070.00
वर्ष के दौरान चैक रद्द	59,361.00	—
घटा : गत वर्ष में दौरान किये गये व्यय की वापसी	—	—
	<u>915,431.00</u>	<u>856,070.00</u>
घटा : वर्ष के दौरान उपयोग	<u>—</u>	<u>—</u>
	915,431.00	—

4. विदेश मंत्रालय द्वारा प्रशासकीय सुधार कार्यक्रम के लिए अनुदान

प्रारंभिक शेष	450,851.00		450,851.00
वर्ष के दौरान प्राप्त	—		—
घटा : वर्ष 2007-2008 के दौरान पीएओ और एमएचए द्वारा दिये गये रुपये 11,8080/-	11,080.00		—
	439,771.00		450,851.00
घटा : एआरसी को शेष रकम वापसी	179,771.00		—
		260,000.00	—

5. विदेश मंत्रालय द्वारा चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण के लिए अनुदान

प्रारंभिक शेष	700,000.00		700,000.00
वर्ष के दौरान प्राप्त	—		—
घटा : वर्ष के दौरान उपयोग/व्यय	—		—
		700,000.00	700,000.00

6. युनिसेफ द्वारा आपदा में बच्चों की भूमिका पर कार्यशाला

प्रारंभिक शेष	3,500.00		176,873.00
वर्ष के दौरान प्राप्त	—		—
घटा : वर्ष के दौरान उपयोग/व्यय	3,500.00	—	173,373.00
			3500
कुल	2,762,970.00		3,077,960.00

सारणी : 3 चालू देनदारियां और प्रावधान

	वर्तमान वर्ष राशि 31.03.2009	गत वर्ष राशि 31.03.2008
कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि		
प्रारंभिक शेष	4,777,746.00	3,827,773.00
जमा : नियोक्ता योगदान	858,346.00	283,340.00
: कर्मचारी अंशदान	1,085,688.00	769,900.00
: ब्याज	405,754.00	286,404.00
	7,127,534.00	5,167,417.00
घटा : निकासी/अग्रिम	91,015.00	7,036,519.00
		389,671.00
		4,777,746.00
अग्रिम धन जमा	21,920.00	20,000.00
सीजीएचएस, सीजीईआईएस, अनुज्ञापत्र शुल्क आदि	41,883.00	34,199.00
पीएओ, एमएचए	5,080.00	
देययोग्य व्यय	304,366.00	
कुल	7,409,768.00	4,831,945.00

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

सारणी : '4' अचल सम्पत्तियां

क्रमांक	विवरण	01.04.2008 को लागत	वर्ष के दौरान योग	बिक्री / विलोप	31.03.2009 को	31.03.2008 को
1.	स्थिर और अस्थिर वस्तुएं	2,925,046.00	134,655.00	—	3,059,701.00	2,925,046.00
2.	आधारित संरचना	2,168,301.00	—	—	2,168,301.00	2,168,301.00
3.	उपकरण और औजार	8,408,613.00	786,323.00	6000	9,188,936.00	8,404,613.00
4.	पुस्तकालय	1,061,443.00	765,275.00	—	1,826,718.00	1,061,443.00
5.	जीआईएस प्रयोगशाला	2,161,310.00	—	—	2,161,310.00	2,161,310.00
कुल		16,724,713.00	1,686,253.00	6000	18,404,966.00	16,724,713.00

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

	31.03.2009 को राशि	31.03.2008 को राशि
सारणी : 5 निवेश		
युको बैंक में सवधि जमा (कर्मचारी योगदायी भविष्य निधि)	5,797,684.00	3,827,773.00
कुल	<u>5,797,684.00</u>	<u>3,827,773.00</u>

	वर्तमान वर्ष राशि	राशि रूपये पैसे गत वर्ष राशि
सारणी : 6 चल सम्पत्ति, ऋण और अग्रिम		
ए चल सम्पत्तियां		
शेष रोकड (पीएओ, एमएचए मे जमा रूपये 2638/-)		
बैंक शेष		2,638.00
युको बैंक खाता संख्या 1820020000924924	10,582,322.06	11,409,211.60
युको बैंक खाता संख्या (एफआईडीएमसी)	791,802.17	891,802.17
सिंडीकेट बैंक खाता संख्या 4980	3,605,412.19	3,444,823.19
युनियन बैंक आफ इंडिया	<u>15,572.00</u>	<u>15,572.00</u>
	14,995,108.42	<u>15,764,046.96</u>

बी ऋण, अग्रिम और अन्य सम्पत्तियां		
कर्मचारी अग्रिम	72,929.00	85,329.00
विविध देनदार	253,465.00	
सुरक्षा जमा	15,000.00	15,000.00
वासुली योग्य स्रोतों पर कर कटौती	180,717.65	140,211.65
सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	483,465.00	
प्राप्त करपे योग्य अनुदान	4,429,000.00	475,000.00
एसडीएमसी को अस्थायी अग्रिम	<u>—</u>	<u>5,434,576.65</u>
कुल	<u>20,429,685.07</u>	<u>16,479,587.60</u>

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

	31.03.2009 को राशि रुपये पैसे	31.03.2008 को राशि रुपये पैसे
सारणी : 7 एमएचए से प्राप्त अनुदान		
गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यक्रम के अर्न्तगत केन्द्रीय क्षेत्र योजना पर	74,429,000.00	20,400,000.00
कुल	<u>74,429,000.00</u>	<u>20,400,000.00</u>
सारणी : 8 एमएचए से एनपीसीईईबीईआरएम के लिए प्राप्त अनुदान		
एमएचए से एनपीसीईईबीईआरएम के लिए प्राप्त अनुदान	10,000,000.00	
कुल	<u>10,000,000.00</u>	
सारणी : 9 स्थापना व्यय (एमएचए अनुदान)		
वेतन और भत्ते	18,218,978.00	9,756,839.00
अवकाश यात्रा छुट/ईएल का नकदीकरण	427,658.00	374,530.00
अधिलाभ	92,410.00	41,282.00
अधि समय	11,464.00	40,518.00
भविष्य निधि में योगदान	858,346.00	283,340.00
भविष्य निधि में शेष पर अर्जित व्याज	405,754.00	286,404.00
चिकित्सा उपचार	214,545.00	257,829.00
शैक्षिक शुल्क	156,650.00	7,680.00
ईएल का नकदीकरण		17,968.00
कुल	<u>20,385,805.00</u>	<u>11,066,390.00</u>

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

	31.03.2009 को राशि	31.03.2008 को राशि
	रूपयेपैसे	रूपये पैसे
<u>सारणी : 12 अन्य प्रशासनिक व्यय</u>		
मरम्मत और रख रखाव	1,181,659.00	—
कर्मचारियों कि कारचलन का रख-रखाव	179,005.00	—
डाक व्यय	158,401.00	—
छपाई और लेखन सम्रागी	573,671.00	—
विधुत और जल प्रभार	710,523.00	—
किराया, दर और कर	—	—
विविध व्यय	740,494.00	—
समाचार पत्र और पत्रिकाएं	75,217.00	—
दूरभाष व्यय	756,459.00	—
वदी	6,605.00	—
घरेलु यात्रा	1,070,045.00	—
विदेशी यात्रा व्यय	—	—
व्यावसयिक शुल्क	44,532.00	—
किराया, दर और कर	7,733,010.00	—
बैंक प्रभार	5,676.82	1,202.00
कुल	13,235,297.82	1,202.00

सारणी : 13 (एमएचए अनुदान) प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं पर व्यय

प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं पर व्यय	7,672,970.00	—
कुल	7,672,970.00	—

सारणी : 13 केन्द्रीय क्षेत्र योजना का कार्यान्वयन

एटीआई को अनुदान	33,084,547.00	10,000,000.00
एनपीसीईबीईईआरएम को अनुदान	8,064,471.00	
कुल	41,149,018.00	10,000,000.00

सारणी : 13 अर्जित ब्याज

युको बैंक में सावधि जमा
सावधि जमा (सीपीएफ) पर अर्जित ब्याज

	31.03.2009 को राशि रुपये पैसे	31.03.2008 को राशि रुपये पैसे
	1,145.00	8,894.00
	483,465.00	
कुल	<u>484,610.00</u>	<u>8,894.00</u>

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

सारणी : 14 अन्य स्रोतों से आय और व्यय

क्रमांक	योजना नाम	गत वर्ष (31.03.2008)			वर्तमान वर्ष (31.03.2009)		
		आय	व्यय	शेष (शुद्ध)	आय	व्यय	शेष (शुद्ध)
1.	रासायनिक आपदा पर राष्ट्रीय कार्यशाला			—	343,200.00	227,409.00	115,791.00
2.	श्रीलंकान प्रतिनिधि मंडल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम			—	310,715.00	213,294.00	97,421.00
3.	सार्क बैठक के लिए एमईए	55,000.00		55,000.00			0.00
4.	जलवायु परिवर्तन पर आईसीआईएमओडी योजना रूपांतर			—	1,076,030.28	39,185.00	1,036,845.28
5.	आपदा प्रबंधन पर वित्त व्यवस्था पर अध्ययन-तेरहवीं वित्त आयोग			—	393,260.00	101,560.00	2,91,700.00
6.	आपदा पूर्व चौकसी को सुदृढ़ बनाने पर कार्यशाला - डब्लू एच ओ			—	702,600.00	265,739.00	436,807.00
7.	अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं	438,096.60		438,096.60	112,175.00	0.00	112,175.00
8.	ओन लाईन पाठ्यक्रम शुल्क	355,000.00		355,000.00	770,335.00		770,335.00
9.	प्रकाशन बिक्री	10,760.00		10,760.00	46,880.00		46,880.00
10.	विविध प्राप्ति	472,239.00		472,239.00	73,872.00		73,872.00
11.	जलवायु परिवर्तन पर युएनडीपी योजना	—	110121	(110,121.00)			0.00
12.	डीआरआर नीति उपकरण पर अन्तराष्ट्रीय कार्यशाला					114,917.00	—114,917.00
	कुल	1,331,095.60	110,121.00	1,220,974.60	3,829,067.28	962,158.00	2,866,909.28
		1,220,974.60			—		
		—			2,866,909.28		

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

सारणी : 15 खातों के लिए सार्थक लेखांकन और टिप्पनियां

1. सार्थक लेखांकन नीतियां
 - (क) वित्तिय विवरण ऐतिहासिक मुल्य परम्परां प्रोद्धवन आधार और समर्णता लेखांकन नीतियों में तालमेल को आधार कर, तैयार किये गये
 - (ख) मुल्यहास उपलब्ध न होने के कारण अचल सम्पति को अधिकरण/प्रतिपादन पर वर्णित किया गया।
 - (ग) विदेशी मुद्रा का लेन देन वर्णन मौजूदा विनिमय दर पर आलेखित किया गया।
 - (घ) लेखा नीतियों का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया अन्यथा उनका तालमेल स्वीकार्य लेखा प्रणाली से होता
2. आकस्मिक देनदारियां

संस्थान के विरुद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार्य नहीं किया।
3. प्रबंधन की राय में चालू सम्पतियों का मुल्यांकन, ऋण और अग्रिम, व्यवसाय के सामान्य तरीकों में किसी भी तरह तुलन पत्र मं लिखित से कम नहीं होगा, सभी सुचित देनदारियों के लिए लेखों में प्रावधान किया गया।

उपयोगीकरण प्रमाणपत्र

क्रम संख्यां	पत्र संख्या और तारीख	राशि(रुपये)	प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष 2008-2009 के दौरान रुपये
1.	45-5/2008 एनडीएम - IV तारीख 06.05.2008 को 1,24,00,000 रुपये	7,44,29,000	7,44,29,000/- की अनुदान राशि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के पक्ष में स्वीकार कि गयी जिनका कार्यालय आईआईपीए कैम्पस, आईपी इस्टेट, नई दिल्ली - 110002 में गृह मंत्रालय के अधिन स्थापित है संचय में दि गई पत्र संख्या और अनउपयुक्त रूपयें 96,42,417/- पिछले साल से स्थान्तरित किये गये रुपये 7,60,58,873/- को राष्ट्रीय प्रबंधन कार्यक्रम में केन्द्रीय क्षेत्र योजना पर जिसके लिए यह अर्बित था और वर्ष के अन्त शेष रुपये 80,12,544/- अगले वर्ष के लिए अनुदान के रूप में समायोजित कर दिये गये।
2.	45-5/2008 एनडीएम - IV तारीख 01.08.2008 को 2,00,00,000 रुपये		
3.	45-5/2008 एनडीएम - IV तारीख 16.10.2008 को 2,50,00,000 रुपये		
4.	45-5/2008 एनडीएम - IV तारीख 27.03.2009 को 1,26,00,000 रुपये		
5.	45-5/2008 एनडीएम - IV तारीख 31.03.2009 को 44,29,000 रुपये		
2.	प्रमाणित किया जाता है कि मैं अपने आप से सन्तुष्ट हूं कि जिन परिस्थितियों के लिए अनुदान स्वीकृत किया गया उन्हें परिपूर्ण किया गया। मैंने पुर्ण जांच कि तथा पाया कि जिस कार्य के लिए रुपये को स्वीकृत किया गया था पुर्ण किया गया।		

जांच प्रक्रिया के प्रकार

दस्तावेजी प्रमाण को जिनमें बिल, भुगतान पर्ची, बैंक विवरण तथा लेखा पुस्तके शामिल थी, सत्यापित किया गया

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए तुलन पत्र

सारणी	चालू वर्ष		गत वर्ष	
	रूपये	रूपये	रूपये	रूपये
	रूपये	पैसे	रूपये	पैसे
<u>कोष/चालू निधि और देनदारियां</u>				
आरक्षित और अधिशेष	‘1’	37,069,562.20	34,459,597.07	
निर्धारित निधि	‘2’	2,359,020.00	2,762,970.00	
चालू देनदारियां और प्रावधान	‘3’	10,969,285.00	7,409,768.00	
	कुल	<u>50,397,867.20</u>	<u>44,632,335.07</u>	
<u>सम्पतियां</u>				
अचल सम्पतियां	‘4’	20,295,265.00	18,404,966.00	
निवेश	‘5’	7,917,933.00	5,797,684.00	
चल सम्पतियां, ऋण और अग्रिम	‘6’	22,184,669.20	20,429,685.07	
	कुल	<u>50,397,867.20</u>	<u>44,632,335.07</u>	
अभिप्रायपूर्ण लेखांकन नितियां				
और खातों पर टिप्पणियां	‘15’			

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय और व्यय खाता

	सारणी	चालु वर्ष रूपये रूपये पैसे	गत वर्ष रूपये रूपये पैसे
<u>एमएचए द्वारा आय / अनुदान</u>			
एमएचए द्वारा अनुदान	‘7’	90,000,000.00	74,429,000.00
एनपीसीईईबीईआरएम को एमएचए द्वारा अनुदान	‘8’		10,000,000.00
	कुल	<u>90,000,000.00</u>	<u>84,429,000.00</u>
<u>एमएचए द्वारा अनुदान खर्च</u>			
स्थापना व्यय	‘9’	28,296,932.00	20,385,805.00
अन्य प्रशासनिक व्यय	‘10’	20,157,092.87	13,235,297.82
प्रशिक्षण कार्यक्रम / कार्यशालाओं पर व्यय	‘11’	10,487,448.00	7,672,970.00
केंद्रीय क्षेत्र योजना का कार्यान्वयन	‘12’	39,147,683.00	41,149,018.00
	कुल	<u>98,089,155.87</u>	<u>82,443,090.82</u>
एमएचए अनुदान का शेष अधिशेष (ए-बी)		<u>8,089,155.87</u>	<u>1,985,909.18</u>
<u>अन्य स्रोतों से आय / खर्च</u>			
अर्जित ब्याज (सीपीएफ)	‘13’	628,855.00	484,510.00
अन्य स्रोतों से आय / खर्च	‘14’	10,070,266.00	2,866,909.28
	कुल	<u>10,699,121.00</u>	<u>3,551,519.28</u>
शेष अधिशेष (घाटा) तुलन पत्र में स्थांतरित(ए-बी+सी)		<u>2,609,965.13</u>	<u>5,337,428.46</u>
अभिप्रायपूर्ण लेखांकन नितियां और खातों पर टिप्पणियां	‘15’		

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान खाता

	सारणी	चालु वर्ष रूपये पैसे	गत वर्ष रूपये पैसे
प्राप्तियां			
प्रारम्भिक शेष			
रोकड़ शेष			
बैंक शेष (चालु खाता)	—		2,638.00
बैंक शेष (सावधि जमा)	14,995,108.42		15,761,408.96
कर्मचारी अंशदायी निधि	5,797,684.00	20,792,792.42	3,827,773.00
प्राप्त अनुदान			
गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यक्रम के अर्न्तगत केन्द्रीय क्षेत्र योजना पर आईएसईटी से डीआरआर नीति कार्यक्रम के लिए प्राप्ति	94,429,000.00		70,000,000.00
एसआईडीएम से प्राप्ति	175,524.00		
आईडीकेएन योजना के लिए सार्क से प्राप्ति	6,779,630.00		
एनपीसीईबीईआरएम/एनपीसीबीएओआरएम योजना के लिए अनुउपयोगी निधि	410,550.00		
अहमदाबाद नगर निगम से प्राप्ति	7,930,498.00		
डब्लूबीआई—जोखिम विश्लेषण कार्यक्रम से प्राप्ति	474,085.00		
एनडीएमए से एनएचआरसीपी योजना तैयारी के लिए प्राप्ति	1,118,354.00		
	710,000.00	112,027,641.00	
रासयनिक आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय कार्यशाला के लिए प्राप्ति			
प्रथम भारतीय आपदा प्रबंधन सम्मेलन के लिए प्राप्ति	—		343,200.00
प्रकाशन बिक्री	24,300.00		46,880.00
विविध प्राप्ति	59,794.00		73,872.00
आपदा में बच्चों कि भुमिका पर कार्यशाला के लिए	—	84,094.00	—
बैंक ब्याज	14,570.00	—	—
प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाओं के लिए प्राप्ति			112,175.00
ओनलाईन पाठ्यक्रम से शुल्क	720,500.00	735,070.00	770,335.00
डब्लूएचओ से आपदा पुर्व रोग पर कार्यशाला एआरसी कार्यक्रम हेतु प्राप्ति	—		702,600.00
आईसीआईएमओडी से जलवायु परिवर्तन योजना अनुकुलन करने के लिए प्राप्ति			1,076,030.28
तेरहवीं वित्त आयोग	148,409.00		393,260.00
श्रीलंकान प्रतिनिधि मंडल के लिए अर्न्तराष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए प्राप्ति			310,715.00
गृहमंत्रालय से एनपीसीईबीईआरएम को अनुदान से प्राप्ति		148,409.00	10,000,000.00
कर्मचारी योगदायी भविष्य निधि (कर्मचारी अंशदान)	1362836		1,085,688.00
सार्क अग्रिम वापसी			475,000.00
सुरक्षा देय	48080		1,920.00
आर/ओ एनडीएमए व्यय प्राप्ति, चेक रद	0		59,361.00
कर और अग्रिम (शुद्ध)	0	1,410,916.00	—
कुल		135,198,922.42	105,042,856.24

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।

भुगतान

पुंजीगत व्यय

आधारिक संरचना			134,655.00
उपकरण और औजार	1,239,574.00		780,323.00
पुस्तकलय	378,869.00		765,275.00
जीआईएस प्रयोगशाला	—		—
चल सामग्री	271,856.00	1,890,299.00	—

निवेश

सवधि जमा (कर्मचारी योगदायी भविष्य निधि)			1,968,766.00
डीजल के लिए सुरक्षा राशि	—		—
एसडीएमसी को अस्थायी अग्रिम	—		—
कर और अग्रिम	17,780.00		2,146.00
ईएमडी की वापसी	—		—
गत वर्ष की देनदारियां वर्तमान वर्ष में देय		17,780.00	—

राजस्व व्यय

निधारित धनराशि			
सुखा राहत योजना	403,950.00		180,000.00
आपदा प्रबंधन योजना पर परामर्श (नोएडा)	—		—
एनडीएमए	—		—
प्रशासनिक सुधार आयोग			179,771.00
आपदा में बच्चों के भूमिका पर कार्यशाला		403,950.00	—

प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला			
एटीआई को दिया गया अनुदान	37,188,196.00		33,084,547.00
एनपीसीईबीईआईआरएम योजना के लिए अनुदान	1,959,487.00	39,147,683.00	8,064,471.00

स्थापना व्यय

वेतन और भत्ते	24,995,833.00		18,211,294.00
अवकाश यात्रा छुट	356,255.00		427,658.00
अभिलाभांश	78,356.00		92,410.00
एलएसपीसी	588,539.00		—
चिकित्सा उपचार	259,145.00		214,545.00
अधिसमय	2,146.00		11,464.00
शैक्षिक शुल्क	196,771.00		156,650.00
		26,477,045.00	—
भविष्य निधि से निकासी/अग्रिम	285,000.00	285,000.00	91,015.00
कर कटौती (वापसी)			40,506.00

अन्य प्रशासनिक व्यय

मरम्मत और रख रखाव	1,700,747.00		1,151,453.00
कर्मचारियों द्वारा कार चालान और रख-रखाव	95,807.00		174,718.00
डाक व्यय	257,440.00		158,401.00
छपाई और लेखन सामग्री	492,529.00		573,671.00
बिजली और जल प्रभार	934,093.00		764,833.00
किराया, दर और कर	14,378,177.00		7,733,010.00
विविध व्यय	491,415.00		740,494.00
समाचार पत्र और पत्रिकाएं	81,057.00		69,523.00
दुरभाष व्यय	627,808.50		691,435.00
वर्दी	—		6,605.00
घरेलु यात्रा	801,806.00		1,070,045.00
विदेशी यात्रा	—		—
व्यावसायिक शुल्क	—		44,532.00
बैंक प्रभार	40,290.37	19,901,169.87	5,676.82

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाओं पर व्यय

कार्यशाला व्यय	10,082,062.00		7,668,439.00
श्रीलंकान प्रतिनिधियों के लिए अन्तराष्ट्रीय कार्यक्रम	—		212,779.00
रासायनिक आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय कार्यशाला	92,680.00		227,409.00
एनआईडीएम-डब्ल्यूबीआई-एफआईडीएमसी कार्यक्रम व्यय	90,235.00		
ऑनलाईन कार्यक्रम व्यय	458,878.00		
एसएडीकेएन योजना व्यय	69,402.00		
द्वितीय भारत आपदा प्रबंधन सम्मेलन	6,119,361.00		
जोखिम विश्लेषण कार्यशाला- डब्ल्यूबीआई- एनआईडीएम	536,166.00		
वित्तपोषण डीएम पर अध्ययन (तेरहवीं वित्त आयोग)	—		101,560.00
आईसीआईएमओडी योजना	686,514.00		39,185.00
आपदा पूर्व रोग चौकसी पर कार्यशाला	440,491.00		265,793.00
डीआरआर रणनीति उपकरण पर अन्तराष्ट्रीय कार्यशाला	60,607.00	18,636,396.00	114,917.00

समापन शेष

रोकड़ शेष	—		—
बैंक शेष (सीपीएफ सावधि जमा)	6,820,183.00		3,827,773.00
बैंक शेष (चालु खाता)	21,619,416.55	28,439,599.55	14,995,108.42
	कुल	135,198,922.42	105,042,856.24

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

	31.03.2010 को राशि	31.03.2009 को राशि
सारणी : 1 आरक्षित और अधिशेष		
आय की व्यय पर अधिकता		
प्रारंभिक शेष	34,459,597.07	29,122,168.61
जमा/घटा : व्यय पर आय की अधिकता आय और व्यय खाते से स्थांतरित	2,609,965.13	5,337,428.46
कुल	<u>37,069,562.20</u>	<u>34,459,597.07</u>

सारणी : 2 निर्धारित निधि

1. कृषि मंत्रालय से सुखा राहत कार्यक्रम और सुखा राहत कार्यक्रम के असर और सुखा नियम पुस्तक बनने के लिए प्राप्त अनुदान			
प्रारंभिक शेष	304,122.00		484,122.00
जमा : वर्ष के दौरान प्राप्त	—		—
	<u>304,122.00</u>		<u>484,122.00</u>
घटा : वर्ष के दौरान उपयोग/व्यय	403,950.00		180,000.00
	<u>—</u>	(99,828.00)	<u>304,122.00</u>
2. नव ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आपदा प्रबंधन योजना के लिए अनुदान			
प्रारंभिक शेष	583,417.00		583,417.00
जमा : वर्ष के दौरान प्राप्त	—		—
	<u>583,417.00</u>		<u>583,417.00</u>
घटा : वर्ष के दौरान उपयोग/व्यय	—		—
	<u>—</u>	583,417.00	<u>583,417.00</u>
3. गृहमंत्रालय द्वारा एनडीएमए को अनुदान			
प्रारंभिक शेष	915,431.00		856,070.00
वर्ष के दौरान चैक रद्द	—		59,361.00
घटा : गत वर्ष में दौरान किये गये व्यय की वापसी	—		—
	<u>915,431.00</u>		<u>915,431.00</u>
घटा : वर्ष के दौरान उपयोग	—		—
	<u>—</u>	915,431.00	<u>—</u>

4. विदेश मंत्रालय द्वारा प्रशासकीय सुधार कार्यक्रम के लिए अनुदान

प्रारंभिक शेष	260,000.00		450,851.00
वर्ष के दौरान प्राप्त	—		—
घटा :	—		11,080.00
	—		—
	260,000.00		439,771.00
घटा : एआरसी को शेष रकम वापसी			179,771.00
		260,000.00	260,000.00

5. विदेश मंत्रालय द्वारा चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण के लिए अनुदान

प्रारंभिक शेष	700,000.00		700,000.00
वर्ष के दौरान प्राप्त	—		—
घटा : वर्ष के दौरान उपयोग/व्यय	—	700,000.00	—
			700,000.00

6. युनिसेफ द्वारा आपदा में बच्चों की भूमिका पर कार्यशाला

प्रारंभिक शेष	—		3,500.00
वर्ष के दौरान प्राप्त	—	—	—
घटा : वर्ष के दौरान उपयोग/व्यय	—	—	3,500.00
	कुल	2,359,020.00	2,762,970.00

सारणी : 3 चालू देनदारियां और प्रावधान

कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि

प्रारंभिक शेष	7,036,519.00		4,777,746.00
जमा : नियोक्ता योगदान	1,204,948.00		858,346.00
: कर्मचारी अंशदान	1,362,836.00		1,085,688.00
: ब्याज	590,732.00		405,754.00
	10,195,035.00		7,127,534.00
घटा : निकासी/अग्रिम	285,000.00	9,910,035.00	91,015.00
			7,036,519.00
अग्रिम धन जमा		70,000.00	21,920.00
सीजीएचएस, सीजीआईआईएस, अनुज्ञापत्र शुल्क आदि		65,884.00	41,883.00
पीएओ, एमएचए		5,080.00	5,080.00
देययोग्य व्यय	918,286.00	1,059,250.00	304,366.00
	कुल	10,969,285.00	7,409,768.00

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

सारणी : '4' अचल सम्पत्तियां

क्रमांक	विवरण	01.04.2009 को लागत	वर्ष के दौरान योग	बिक्री/विलोप	31.03.2010 को	31.03.2009 को
1.	स्थिर और अस्थिर वस्तुएं	3,059,701.00	271,856.00	—	3,331,557.00	3,059,701.00
2.	आधारित संरचना	2,168,301.00	—	—	2,168,301.00	2,168,301.00
3.	उपकरण और औजार	9,188,936.00	1,239,574.00		10,428,510.00	9,188,936.00
4.	पुस्तकालय	1,826,718.00	378,869.00	—	2,205,587.00	1,826,718.00
5.	जीआईएस प्रयोगशाला	2,161,310.00	—	—	2,161,310.00	2,161,310.00
कुल		18,404,966.00	1,890,299.00	0	20,295,265.00	18,404,966.00

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

	31.03.2010 को राशि	31.03.2009 को राशि
सारणी : 5 निवेश		
युको बैंक में सवधि जमा (कर्मचारी योगदायी भविष्य निधि)	7,917,933.00 —	5,797,684.00 —
कुल	<u>7,917,933.00</u>	<u>5,797,684.00</u>

सारणी : 6 चल सम्पत्ति, ऋण और अग्रिम

ए	चल सम्पत्तियां		
	रोकड़ शेष		
	बैंक शेष		
	युको बैंक खाता संख्या 1820020000924924	21,603,844.55	10,582,322.06
	युको बैंक खाता संख्या (एफआईडीएमसी)	—	791,802.17
	सिंडीकेट बैंक खाता संख्या 4980	—	3,605,412.19
	युनियन बैंक आफ इंडिया	15,572.00	15,572.00
			<u>14,995,108.42</u>
बी	ऋण, अग्रिम और अन्य सम्पत्तियां		
	कर्मचारी अग्रिम	90,709.00	72,929.00
	विविध देनदार	205,870.00	253,465.00
	सुरक्षा जमा	15,000.00	15,000.00
	वासुली योग्य स्रोतों पर कर कटौती	253,673.65	180,717.65
	प्राप्त करपे योग्य अनुदान (एमएचए)	—	4,429,000.00
	सावधि जमा पर अर्जित ब्याज (सीपीएफ)	—	483,465.00
		565,252.65	
	कुल	<u>22,184,669.20</u>	<u>20,429,685.07</u>

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

	31.03.2010 को राशि रूपये पैसे	31.03.2009 को राशि रूपये पैसे
सारणी : 7 एमएचए से प्राप्त अनुदान (डीएम विभाग)		
गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यक्रम के अर्न्तगत केन्द्रीय क्षेत्र योजना पर	90,000,000.00	74,429,000.00
कुल	90,000,000.00	74,429,000.00

सारणी : 8 एमएचए से एनपीसीईईबीईआरएम के लिए प्राप्त अनुदान		
एमएचए से एनपीसीईईबीईआरएम के लिए प्राप्त अनुदान		10,000,000.00
कुल		10,000,000.00

सारणी : 9 स्थापना व्यय (एमएचए अनुदान)		
वेतन और भत्ते	25,019,834.00	18,218,978.00
अवकाश यात्रा छुट/ईएल का नकदीकरण	356,461.00	427,658.00
अधिलाभ	78,356.00	92,410.00
अधि समय	2,146.00	11,464.00
भविष्य निधि में योगदान	1,204,948.00	858,346.00
कर्मचारी भविष्य निधि में शेष पर अर्जित व्याज	590,732.00	405,754.00
चिकित्सा उपचार	259,145.00	214,545.00
शैक्षिक शुल्क	196,771.00	156,650.00
ईएल का नकदीकरण	588,539.00	
कुल	28,296,932.00	20,385,805.00

सारणी : 10 अन्य प्रशासनिक व्यय	रूपयेपैसे	रूपये पैसे
मरम्मत और रख रखाव	1,792,714.00	1,181,659.00
कर्मचारियों कि कारचलन का रख-रखाव	91,520.00	179,005.00
डाक व्यय	257,440.00	158,401.00
छपाई और लेखन सप्लाई	492,529.00	573,671.00
विधुत और जल प्रभार	994,911.00	710,523.00
विविध व्यय	491,415.00	740,494.00
समाचार पत्र और पत्रिकाएं	75,363.00	75,217.00
दूरभाष व्यय	640,398.50	756,459.00
वदी	—	6,605.00
घरेलु यात्रा	902,335.00	1,070,045.00
विदेशी यात्रा व्यय	—	—
व्यावसयिक शुल्क	—	44,532.00
किराया, दर और कर	14,378,177.00	7,733,010.00
बैंक प्रभार	40,290.37	5,676.82
कुल	20,157,092.87	13,235,297.82

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

	31.03.2010 को राशि	31.03.2009 को राशि
<u>सारणी : 11 (एमएचए अनुदान) प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं पर व्यय</u>		
प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं पर व्यय	10,487,448.00	7,672,970.00
कुल	<u>10,487,448.00</u>	<u>7,672,970.00</u>
<u>सारणी : 12 केन्द्रीय क्षेत्र योजना का कार्यान्वयन</u>		
एटीआई को अनुदान	37,188,196.00	33,084,547.00
एनपीसीईबीईईआरएम को अनुदान	1,959,487.00	8,064,471.00
कुल	<u>39,147,683.00</u>	<u>41,149,018.00</u>
<u>सारणी : 13 अर्जित ब्याज</u>		
युको बैंक में सावधि जमा	628,855.00	1,145.00
सावधि जमा (सीपीएफ) पर अर्जित ब्याज		483,465.00
कुल	<u>628,855.00</u>	<u>484,610.00</u>

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

सारणी : 14 अन्य स्रोतों से आय और व्यय

क्रमांक	योजना नाम	गत वर्ष (31.03.2009)			शेष (शुद्ध)	वर्तमान वर्ष (31.03.2010)		
		आय	व्यय	शेष (शुद्ध)		आय	व्यय	शेष (शुद्ध)
1.	रासायनिक आपदा पर राष्ट्रीय कार्यशाला	343,200.00	227,409.00	115,791.00			92,680.00	-92,680.00
2.	श्रीलंकान प्रतिनिधि मंडल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	310,715.00	213,294.00	97,421.00		0.00	0.00	0.00
3.	सार्क बैठक के लिए एमईए			0.00				0.00
4.	जलवायु परिवर्तन पर आईसीआईएमओडी योजना रूपांतर	1,076,030.28	39,185.00	1,036,845.28			686,514.00	-686,514.00
5.	आपदा प्रबंधन पर वित्त व्यवस्था पर अध्ययन-तेरहवी वित्त आयोग	393,260.00	101,560.00	291,700.00		165,450.00	0.00	165,450.00
6.	आपदा पूर्व चौकसी को सुदृढ़ बनाने पर कार्यशाला - डब्लू एच ओ	702,600.00	265,793.00	436,807.00			440,491.00	-440,491.00
7.	अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम / कार्यशालाएं	112,175.00	0.00	112,175.00				0.00
8.	ओन लाईन पाठ्यक्रम शुल्क	770,335.00		770,335.00		720,500.00	458,878.00	261,622.00
9.	प्रकाशन बिक्री	46,880.00		46,880.00		24,300.00		24,300.00
10.	विविध प्राप्ति	73,872.00		73,872.00		59,794.00		59,794.00
11.	डीआरआर नीति उपकरण पर अन्तराष्ट्रीय कार्यशाला		114,917.00	-114,917.00		175,524.00	60,607.00	114,917.00
12.	डब्लूबीआई-जोखिम विश्लेषण कार्यक्रम					1,118,354.00	536,166.00	582,118.00
13.	अहमदाबाद नगर निगम (डीआरएम-योजना)					530,000.00		530,000.00
14.	एनडीएमए-युएनआईएसएआर-एफआईडीएमसी व्यय						90,235.00	-90,235.00
15.	एसएडीकेएन के लिए प्राप्ति					6,779,630.00	6,119,361.00	660,269.00
16.	एसएडीकेएन योजना व्यय					410,550.00	69,402.00	341,148.00
17.	एनडीएमए द्वारा एनएच और क्षमता विकास संयंत्र की तैयारी					710,000.00		710,000.00
18.	एनपीसीबीआईआरएम के लिए अनुपयोगी निधि					7,930,498.00		7,930,498.00
	कुल	3,829,067.28	962,158.00	2,866,909.28		18,624,600.00	8,554,334.00	10,070,266.00
		2,866,909.28		-		-	-	10,070,266.00

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

सारणी : 15 खातों के लिए सार्थक लेखांकन और टिप्पनियां

1. सार्थक लेखांकन नीतियां
 - (क) वित्तीय विवरण ऐतिहासिक मूल्य परम्परां प्रोद्घवन आधार और समर्पता लेखांकन नीतियों में तालमेल को आधार कर, तैयार किये गये
 - (ख) मूल्यहास उपलब्ध न होने के कारण अचल सम्पत्ति को अधिकरण/प्रतिपादन पर वर्णित किया गया।
 - (ग) विदेशी मुद्रा का लेन देन वर्णन मौजूदा विनिमय दर पर आलेखित किया गया।
 - (घ) लेखा नीतियों का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया अन्यथा उनका तालमेल स्वीकार्य लेखा प्रणाली से होता
2. आकस्मिक देनदारियां

संस्थान के विरुद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार्य नहीं किया।
3. प्रबंधन की राय में चालू सम्पत्तियों का मूल्यांकन, ऋण और अग्रिम, व्यवसाय के सामान्य तरीकों में किसी भी तरह तुलन पत्र में लिखित से कम नहीं होगा, सभी सुचित देनदारियों के लिए लेखों में प्रावधान किया गया।

उपयोगीकरण प्रमाणपत्र

क्रम संख्यां	पत्र संख्या और तारीख	राशि(रुपये)	प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष 2009-2010 के दौरान रुपये
1.	45-5/2008 एनडीएम - IV तारीख 24.07.2009 को 2,90,00,000 रुपये	9,00,00,000	9,00,00,000/- की अनुदान राशि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के पक्ष में स्वीकार कि गयी जिनका कार्यालय आईआईपीए कैम्पस, आईपी इस्टेट, नई दिल्ली - 110002 में गृह मंत्रालय के अधिन स्थापित है संचय में दि गई पत्र संख्या और अनउपयुक्त रूपयें 80,12,544/- पिछले साल से स्थान्तरित किये गये रुपये 9,80,19,968/- को राष्ट्रीय प्रबंधन कार्यक्रम में केन्द्रीय क्षेत्र योजना पर जिसके लिए यह अबंटित था और वर्ष के अन्त शेष रुपये (-7,424) अगले वर्ष के लिए अनुदान के रूप में समायोजित कर दिये गये।
2.	45-5/2008 एनडीएम - IV तारीख 16.11.2009 को 4,00,00,000 रुपये		
3.	45-5/2008 एनडीएम - IV तारीख 23.03.2010 को 2,10,00,000 रुपये		
2.	प्रमाणित किया जाता है कि मैं अपने आप से सन्तुष्ट हूं कि जिन परिस्थितियों के लिए अनुदान स्वीकृत किया गया उन्हें परिपूर्ण किया गया। मैंने पूर्ण जांच कि तथा पाया कि जिस कार्य के लिए रुपये को स्वीकृत किया गया था पूर्ण किया गया।		

जांच प्रक्रिया के प्रकार

दस्तावेजी प्रमाण को जिनमें बिल, भुगतान पर्ची, बैंक विवरण तथा लेखा पुस्तके शामिल थी, सत्यापित किया गया

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए तुलन पत्र

सारणी	चालु वर्ष		गत वर्ष	
	रूपये		रूपये	
	रूपये	पैसे	रूपये	पैसे
<u>कोष/चालू निधि और देनदारियां</u>				
आरक्षित और अधिशेष	'1'	39,701,640.78	37,069,562.20	
निर्धारित निधि	'2'	—	2,359,020.00	
चालू देनदारियां और प्रावधान	'3'	18,817,626.00	10,969,285.00	
कुल		<u>58,519,266.78</u>	<u>50,397,867.20</u>	
<u>सम्पतियां</u>				
अचल सम्पतियां	'4'	21,739,758.00	20,295,265.00	
निवेश	'5'	10,779,005.14	7,917,933.00	
चल सम्पतियां, ऋण और अग्रिम	'6'	26,000,503.64	22,184,669.20	
कुल		<u>58,519,266.78</u>	<u>50,397,867.20</u>	
अभिप्रायपूर्ण लेखांकन नितियां और खातों पर टिप्पणियां	'14'			

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय और व्यय खाता

	सारणी	चालु वर्ष		गत वर्ष	
		रुपये		रुपये	
		रुपये	पैसे	रुपये	पैसे
<u>एमएचए द्वारा आय / अनुदान</u>					
एमएचए द्वारा अनुदान	‘7’	124,000,000.00		90,000,000.00	
एनपीसीईईबीईआरएम को एमएचए द्वारा अनुदान	‘8’	—		—	
	कुल	124,000,000.00		90,000,000.00	
<u>एमएचए द्वारा अनुदान खर्च</u>					
स्थापना व्यय	‘9’	27,778,919.00		28,296,932.00	
अन्य प्रशासनिक व्यय	‘10’	18,688,907.28		20,157,092.87	
प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाओं पर व्यय	‘11’	11,766,516.00		10,487,448.00	
केंद्रीय क्षेत्र योजना का कार्यान्वयन	‘12’	47,015,366.00		39,147,683.00	
	कुल	105,249,708.28		98,089,155.87	
एमएचए अनुदान का शेष अधिशेष (ए-बी)		18,750,291.72		8,089,155.87	
<u>अन्य स्रोतों से आय / खर्च</u>					
अर्जित ब्याज (सीपीएफ)	‘13’	413,677.86		628,855.00	
अन्य स्रोतों से आय / खर्च		—		10,070,266.00	
	कुल	413,677.86		10,699,121.00	
शेष अधिशेष (घाटा) तुलन पत्र में स्थांतरित(ए-बी+सी)		19,163,969.58		2,609,965.13	
<u>अभिप्रायपूर्ण लेखांकन नितियां और खातों पर टिप्पणियां</u>					
	‘14’				

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान खाता

	सारणी	चालु वर्ष रुपये पैसे	गत वर्ष रुपये पैसे
प्राप्तियां			
प्रारम्भिक शेष			
रोकड़ शेष	—	—	—
बैंक शेष (चालु खाता)	21,619,416.55		14,995,108.42
बैंक शेष (सावधि जमा)	7,917,933.00	29,537,349.55	5,797,684.00
प्राप्त अनुदान			
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यक्रम के अर्न्तगत	100,000,000.00		94,429,000.00
आईएसईटी से डीआरआर नीति कार्यक्रम के लिए प्राप्ति	—		175,524.00
एसआईडीएम से प्राप्ति	464,718.00		6,779,630.00
आईडीकेएन योजना के लिए सार्क से प्राप्ति	—		410,550.00
एनपीसीईबीईआरएम/एनपीसीबीएओआरएम योजना के लिए अनउपयोगी निधि	2,417,155.00		7,930,498.00
अहमदाबाद नगर निगम से प्राप्ति	—		474,085.00
डब्लूबीआई—जोखिम विश्लेषण कार्यक्रम से प्राप्ति	—		1,118,354.00
दक्षिण एशिया कार्यक्रम के लिए युएनआईएसडीआर से प्राप्ति	2,987,049.00		
जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम के लिए आईसीआईएमओडी से प्राप्ति	260,666.72		
एनडीएमए से एनएचआरसीपी योजना तैयारी के लिए प्राप्ति	—	106,129,588.72	710,000.00
प्रकाशन बिक्री	2,750.00		24,300.00
विविध प्राप्ति	—		59,794.00
वाहन अग्रिम पर अर्जित ब्याज	2,400.00	5,150.00	—
बैंक ब्याज	285,626.00	—	14,570.00
ऑनलाईन पाठ्यक्रम से शुल्क	149,259.00	434,885.00	720,500.00
तेरहवीं वित्त आयोग			148,409.00
कर्मचारी योगदायी भविष्य निधि (कर्मचारी अंशदान)	1,288,970.00		136,283.00
एसएएआरसी/आईएचडी द्वारा विधुत/जल बिल प्राप्त	205,870.00		
सुरक्षा देय	6,500.00		48,080.00
कर और अग्रिम (शुद्ध)	1,343.00	1,502,683.00	0.00
कुल		137,609,656.27	135,198,922.42

भुगतान

पुंजीगत व्यय

उपकरण और औजार	767,260.00		1,239,574.00
पुस्तकलय	370,743.00		378,869.00
स्थिर वस्तुएं	201,490.00	1,339,493.00	271,856.00

निवेश

कर और अग्रिम (शुद्ध)	—		17,780.00
----------------------	---	--	-----------

राजस्व व्यय

निधारित धनराशि			
सुखा राहत योजना	—	—	403,950.00
निधारित निधि पीएलए खाते में हस्तांतरित	10,225,170.00	10,225,170.00	—
प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला	11,865,429.00	—	
एटीआई को दिया गया अनुदान	44,215,366.00		37,188,196.00
एनपीसीईबीईआईआरएम योजना के लिए अनुदान	—	56,080,795.00	1,959,487.00

स्थापना व्यय

वेतन और भत्तें	22,006,242.00		24,995,833.00
अवकाश यात्रा छुट/एलटीए	1,580,846.00		356,255.00
अभिलाभांश	84,976.00		78,356.00
एलएसपीसी	570,018.00		588,539.00
चिकित्सा उपचार	1,217,865.00		259,145.00
अधिसमय	—		2,146.00
शैक्षिक शुल्क	311,363.00		196,771.00
विशेष भता	10,358.00		
		25,781,668.00	—

भविष्य निधि से निकासी/अग्रिम	420,000.00		285,000.00
पुर्व भुगतान व्यय	20,484.00	440,484.00	—

अन्य प्रशासनिक व्यय

मरम्मत और रख रखाव	1,298,062.00		1,700,747.00
कर्मचारियों द्वारा कार चालान और रख-रखाव	18,190.00		95,807.00
डाक व्यय	169,489.00		257,440.00
छपाई और लेखन सम्रागी	660,445.00		492,529.00
बिजली और जल प्रभार	1,344,880.00		934,093.00
किराया, दर और कर	10,791,019.00		14,378,177.00
विविध व्यय	324,849.00		491,415.00
समाचार पत्र और पत्रिकाएं	63,448.00		81,057.00
दुरभाष व्यय	764,725.00		627,808.50
वर्दी	3,343.00		—
घरेलु यात्रा	894,280.00		801,806.00
विदेशी यात्रा	99,221.00		—
व्यावसायिक शुल्क	41,914.00		—
प्रकाशन	225,472.00		
बैंक प्रभार	15,375.00	16,714,712.00	40,290.37

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाओं पर व्यय

कार्यशाला व्यय	—		10,082,062.00
रासायनिक आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय कार्यशाला	—		92,680.00
एनआईडीएम-डब्ल्यूबीआई-एफआईडीएमसी कार्यक्रम व्यय	—		90,235.00
ओनलाईन कार्यक्रम व्यय	—		458,878.00
एसएडीकेएन योजना व्यय	—		69,402.00
दृतीय भारत आपदा प्रबंधन सम्मेलन	10,329.00		6,119,361.00
जोखिम विश्लेषण कार्यशाला- डब्ल्यूबीआई- एनआईडीएम	—		536,166.00
आधा दिन युनिसेफ कार्यक्रम व्यय	11568.00		—
आईसीआईएमओडी योजना	—		686,514.00
आपदा पुर्व रोग चौकसी पर कार्यशाला	—		440,491.00
डीआरआर रणनीति उपकरण पर अन्तराष्ट्रीय कार्यशाला	—		60,607.00
दक्षिण एशिया कार्यक्रम व्यय	9,650.00		
एनपीसीईबीईआईआरएम व्यय	150,000.00		
वैश्विक अभियान कार्यक्रम का प्रमोचन	1,865,006.00		
सरकारी खजाने में विविध/अन्य प्राप्तियां और बचत जमा	3,051,380.00		
एनपीसीईबीईआईआरएम का अनुपयोगी निधि एमएचए को वापिस	10,459,321.00	15,557,254.00	

समापन शेष

रोकड़ शेष	—		—
बैंक शेष (सीपीएफ सावधि जमा)	10,779,005.14		6,820,183.00
बैंक शेष (चालु खाता)	691,075.13	11,470,080.27	21,619,416.55
कुल		<u>137,609,656.27</u>	<u>135,198,922.42</u>

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

	31.03.2011 को राशि	31.03.2010 को राशि
सारणी : 1 आरक्षित और अधिशेष		
आय की व्यय पर अधिकता		
प्रारंभिक शेष	37,069,562.20	34,459,597.07
घटा : गत वर्ष अन्य परियोजनाओं की आय पीएलए खातों में स्थांतरित	16,531,891.00	
जमा : व्यय(आय) की आय(व्यय) पर अधिकता आय और व्यय खाते से स्थांतरित	19,163,969.58	2,609,965.13
कुल	39,701,640.78	37,069,562.20
सारणी : 2 निर्धारित निधि		
1. कृषि मंत्रालय से सुखा राहत कार्यक्रम और सुखा राहत कार्यक्रम के असर और सुखा नियम पुस्तक बनने के लिए प्राप्त अनुदान		
प्रारंभिक शेष	99,828.00	304,122.00
जमा : वर्ष के दौरान प्राप्त	239,661.00	—
	339,489.00	304,122.00
घटा : पीएलए खातों में स्थांतरित	339,489.00	403,950.00
	—	(99,828.00)
2. नव ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आपदा प्रबंधन योजना के लिए अनुदान		
प्रारंभिक शेष	583,417.00	583,417.00
जमा : वर्ष के दौरान प्राप्त	—	—
	583,417.00	583,417.00
घटा : पीएलए खातों में स्थांतरित	583,417.00	—
	—	583,417.00
3. गृहमंत्रालय द्वारा एनडीएमए को अनुदान		
प्रारंभिक शेष	915,431.00	915,431.00
	—	—
घटा : पीएओ एमएचए खातों में राशि जमा	915,431.00	—
	—	—
		915,431.00

4. विदेश मंत्रालय द्वारा प्रशासकीय सुधार कार्यक्रम के लिए अनुदान

प्रारंभिक शेष	260,000.00		260,000.00
वर्ष के दौरान प्राप्त	—		—
घटा : पीएलए खातों में स्थांतरित	260,000.00		—
	—		—
	—	—	260,000.00
घटा : एआरसी को शेष रकम वापसी			—

5. विदेश मंत्रालय द्वारा चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण के लिए अनुदान

प्रारंभिक शेष	700,000.00		700,000.00
वर्ष के दौरान प्राप्त	—		—
घटा : पीएलए खातों में स्थांतरित	700,000.00	—	—
			700,000.00

कुल — 2,359,020.00

सारणी : 3 चालू देनदारियां और प्रावधान

	31.03.2011 को राशि	31.03.2010 को राशि
कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि		
प्रारंभिक शेष		
जमा : नियोक्ता योगदान	9,910,035.00	7,036,519.00
: कर्मचारी अंशदान	1,129,270.00	1,204,948.00
: ब्याज	1,288,970.00	1,362,836.00
	789,111.00	590,732.00
	13,117,386.00	10,195,035.00
घटा : निकासी/अग्रिम	420,000.00	285,000.00
		9,910,035.00
अग्रिम धन जमा	76,500.00	70,000.00
सीजीएचएस, सीजीईआईएस, अनुज्ञापत्र शुल्क आदि	74,744.00	65,884.00
पीएओ, एमएचए	—	5,080.00
देययोग्य व्यय	5,968,996.00	6,12,240.00
	6,12,240.00	918,286.00
कुल	18,817,626.00	10,969,285.00

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

सारणी : '4' अचल सम्पत्तियां

क्रमांक	विवरण	01.04.2010 को लागत	वर्ष के दौरान योग	बिक्री / विलोप	31.03.2011 को	31.03.2010 को
1.	स्थिर और अस्थिर वस्तुएं	3,331,557.00	201,490.00	—	3,533,047.00	3,331,557.00
2.	आधारित संरचना	2,168,301.00	—	—	2,168,301.00	2,168,301.00
3.	उपकरण और औजार	10,428,510.00	767,260.00		11,195,770.00	10,428,510.00
4.	पुस्तकालय	2,205,587.00	475,743.00	—	2,681,330.00	2,205,587.00
5.	जीआईएस प्रयोगशाला	2,161,310.00	—	—	2,161,310.00	2,161,310.00
कुल		20,295,265.00	1,444,493.00	0	21,739,758.00	20,295,265.00

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

	31.03.2010 को राशि	31.03.2009 को राशि
सारणी : 5 निवेश		
युको बैंक में सवधि जमा (कर्मचारी योगदायी भविष्य निधि)	10,779,005.14 —	7,917,933.00 —
कुल	10,779,005.14	7,917,933.00
सारणी : 6 चल सम्पत्ति, ऋण और अग्रिम		
ए चल सम्पत्तियां		
रोकड़ शेष		
बैंक शेष		
युको बैंक खाता संख्या 1820020000924924	691,075.13	21,603,844.55
युनियन बैंक आफ इंडिया	—	15,572.00
		21,619,416.55
बी ऋण, अग्रिम और अन्य सम्पत्तियां		
कर्मचारी अग्रिम	89,366.00	90,709.00
विविध देनदार	195,338.00	205,870.00
सुरक्षा जमा	15,000.00	15,000.00
वासुली योग्य स्रोतों पर कर कटौती	253,673.65	253,673.65
प्राप्त करपे योग्य अनुदान (एमएचए)	24,000,000.00	—
सावधि जमा पर अर्जित ब्याज (सीपीएफ)	411,277.86	—
पीएलए खाता (विविध प्राप्तियां)	324,289.00	—
पुर्व भुगतान व्यय	20,484.00	—
	25,309,428.51	
कुल	26,000,503.64	22,184,669.20

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

	31.03.2011 को राशि रूपये पैसे	31.03.2010 को राशि रूपये पैसे
सारणी : 7 एमएचए से प्राप्त अनुदान (डीएम विभाग)		
गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यक्रम के अर्न्तगत केन्द्रीय क्षेत्र योजना पर	124,000,000.00	90,000,000.00
कुल	124,000,000.00	90,000,000.00
सारणी : 8 एमएचए से एनपीसीईईबीईआरएम के लिए प्राप्त अनुदान		
एमएचए से एनपीसीईईबीईआरएम के लिए प्राप्त अनुदान	—	—
कुल	—	—
सारणी : 9 स्थापना व्यय (एमएचए अनुदान)		
वेतन और भत्ते	22,010,022.00	25,019,834.00
अवकाश यात्रा छुट/एलटीए	1,587,616.00	356,461.00
अधिलाभ	84,976.00	78,356.00
अधि समय	—	2,146.00
भविष्य निधि में योगदान	1,129,270.00	1,204,948.00
कर्मचारी भविष्य निधि में शेष पर अर्जित व्याज	789,111.00	590,732.00
चिकित्सा उपचार	1,217,865.00	259,145.00
शैक्षिक शुल्क	311,363.00	196,771.00
एलएसपीसी	638,338.00	588,539.00
विशेष भता	10,358.00	—
कुल	27,778,919.00	28,296,932.00
सारणी : 10 अन्य प्रशासनिक व्यय	रूपये पैसे	रूपये पैसे
मरम्मत और रख रखाव	1,345,468.00	1,792,714.00
कर्मचारियों कि कारचलन का रख-रखाव	18,190.00	91,520.00
डाक व्यय	177,518.00	257,440.00
छपाई और लेखन सप्लाई	660,445.00	492,529.00
विधुत और जल प्रभार	1,082,931.00	994,911.00
विविध व्यय	332,124.28	491,415.00
समाचार पत्र और पत्रिकाएं	69,084.00	75,363.00
दूरभाष व्यय	732,609.00	640,398.50
वदी	3,343.00	—
घरेलु यात्रा	1,079,291.00	902,335.00
विदेशी यात्रा व्यय	99,221.00	—
व्यावसयिक शुल्क	41,914.00	—
किराया, दर और कर	12,805,922.00	14,378,177.00
बैंक प्रभार	15,375.00	40,290.37
प्रकाशन	225,472.00	—
कुल	18,688,907.28	20,157,092.87

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

	31.03.2010 को राशि	31.03.2010 को राशि
<u>सारणी : 11 (एमएचए अनुदान) प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं पर व्यय</u>		
प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं पर व्यय	11,766,516.00	10,487,448.00
कुल	<u>11,766,516.00</u>	<u>10,487,448.00</u>

सारणी : 12 केन्द्रीय क्षेत्र योजना का कार्यान्वयन

एटीआई को अनुदान	47,015,366.00	37,188,196.00
एनपीसीईबीईईआरएम को अनुदान	—	1,959,487.00
कुल	<u>47,015,366.00</u>	<u>39,147,683.00</u>

सारणी : 13 अर्जित ब्याज

युको बैंक में सावधि जमा	—	628,855.00
सावधि जमा (सीपीएफ) पर अर्जित ब्याज	411,277.86	483,465.00
वाहन ब्याज	2,400.00	
कुल	<u>413,677.86</u>	<u>628,855.00</u>

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

सारणी : 14 खातों के लिए सार्थक लेखांकन और टिप्पनियां

1. सार्थक लेखांकन नीतियां
 - (क) वित्तिय विवरण ऐतिहासिक मुल्य परम्परां प्रोद्धवन आधार और समर्णता लेखांकन नीतियों में तालमेल को आधार कर, तैयार किये गये
 - (ख) मुल्यहास उपलब्ध न होने के कारण अचल सम्पत्ति को अधिकरण/प्रतिपादन पर वर्णित किया गया।
 - (ग) विदेशी मुद्रा का लेन देन वर्णन मौजुदा विनिमय दर पर आलेखित किया गया।
 - (घ) लेखा नीतियों का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया अन्यथा उनका तालमेल स्वीकार्य लेखा प्रणाली से होता
2. आकस्मिक देनदारियां

संस्थान के विरुद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार्य नहीं किया।
3. प्रबंधन की राय में चालू सम्पत्तियों का मुल्यांकन, ऋण और अग्रिम, व्यवसाय के सामान्य तरीकों में किसी भी तरह तुलन पत्र में लिखित से कम नहीं होगा, सभी सुचित देनदारियों के लिए लेखों में प्रावधान किया गया।
4. गृह मंत्रालय(डी एम विभाग), भारत सरकार के निदेशानुसार पत्र संख्या 45-5/2008-एनडीएम-IV/III तारिख 23 मार्च, 2010 के अनुसार एक सार्वजनिक बही खाता बनाया जाये और योजनाओं से प्राप्त शुद्ध बचत तथा जमा रकम से अर्जित ब्याज को भारत सरकार के संगठित निधि में जमा किया जाये। वित्तिय वर्ष 2010-11 के लिए पीएलए खाते के लिए वित्तिय विवरण अलग से तैयार किये गये।

उपयोगीकरण प्रमाणपत्र

क्रम संख्यां	पत्र संख्या और तारीख	राशि(रुपये)	प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष 2010-2011 के दौरान रुपये
1.	45-5/2008 एनडीएम - IV/II तारीख 10.05.2010 को 1,66,00,000 रुपये	12,40,00,000	12,40,00,000/- की अनुदान राशि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के पक्ष में स्वीकार कि गयी जिनका कार्यालय आईआईपीए कैम्पस, आईपी इस्टेट, नई दिल्ली - 110002 में गृह मंत्रालय के अधिन स्थापित है संचय में दि गई पत्र संख्या और अनुपयुक्त रूपये (-7,424) पिछले साल से स्थान्तरित किये गये रुपये 10,66,94,201/- को राष्ट्रीय प्रबंधन कार्यक्रम में केन्द्रीय क्षेत्र योजना पर जिसके लिए यह अर्बित था और वर्ष के अन्त शेष रुपये 1,72,98,375/- अगले वर्ष के लिए अनुदान के रूप में समायोजित कर दिये गये।
2.	45-5/2008 एनडीएम - IV/II तारीख 06.07.2010 को 6,00,00,000 रुपये		
3.	45-5/2008 एनडीएम -IV/II तारीख 24.01.2011 को 2,34,00,000 रुपये		
4.	45-5/2008 एनडीएम -IV/II तारीख 31.03.2011 को 2,40,00,000 रुपये		
2.	प्रमाणित किया जाता है कि मैं अपने आप से सन्तुष्ट हूं कि जिन परिस्थितियों के लिए अनुदान स्वीकृत किया गया उन्हें परिपूर्ण किया गया। मैंने पुर्ण जांच कि तथा पाया कि जिस कार्य के लिए रुपये को स्वीकृत किया गया था पुर्ण किया गया।		

जांच प्रक्रिया के प्रकार

दस्तावेजी प्रमाण को जिनमें बिल, भुगतान पर्ची, बैंक विवरण तथा लेखा पुस्तके शामिल थी, सत्यापित किया गया

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

(गृह मंत्रालय)

सार्वजनिक बही खाता (पीएलए)

31 मार्च, 2011 को तुलन पत्र

चालु वर्ष
राशि
रूपये पैसे

कोष / चालू निधि और देनदारियां

आरक्षित और अधिशेष	(34,122.00)
निर्धारित निधि	6,363,018.00
चालू देनदारियां और प्रावधान	4,764,160.00
कुल	<u>11,093,056.00</u>

सम्पतियां

चल सम्पतियां, ऋण और अग्रिम	11,093,056.00
कुल	<u>11,093,056.00</u>

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

(गृह मंत्रालय)

सार्वजनिक बही खाता (पीएलए)

31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय और व्यय खाता

	चालु वर्ष
	राशि
	रूपये पैसे
<u>आय</u>	
प्रकाशन से आय	2,750.00
	2,750.00
कुल	2,750.00
<u>व्यय</u>	
बैंक प्रभार	3,443.00
कुल	3,443.00
अधिशेष/घाटा संतुलित किया गया(ए-बी)	(693.00)
शेष अधिशेष (घाटा) तुलन पत्र में स्थांतरित(ए-बी+सी)	(693.00)

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान खाता

चालु वर्ष

रूपये पैसे

प्राप्तियां

योजना शेष निधि एनआईडीएमह मुख्य खाते से पीएलए खातों में स्थांतरित

1. युएनडीपी द्वारा जलवायु परिवर्तन पर निर्माण क्षमता परियोजना का विवरण	345342	
2. तृतीय प्रशासनिक आयोग संकट प्रबंधन पर एआरसी-परामर्श कार्य	260000	
3. गैटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण पर नोयडा परामर्श योजना	583417	
4. जलवायु परिवर्तन रूपांतरण पर आईसीआईएमओडी योजना	610998	
5. आपदा वित्त प्रबंधन भारत अध्ययन पर तेरहवीं वित्त आयोग	440109	
6. आपदा प्रबंधन सम्मेलन भारत पर कार्यक्रम	1114658	
7. सार्क-एसएडीकेएन योजना	341148	
8. दीवार नगर अहमदाबाद पर अहमदाबाद नगर निगम की योजना	474085	
9. एनएच और सीडी योजना पर एनडीएमए की तैयारी	710000	
10. ओनलाईन पाठ्यक्रम कार्यक्रम शुल्क शेष	2522066	
11. राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण योजना - एनडीएमए	700000	
12. दक्षिण एशिया प्रमोचन कार्यक्रम - युएनआईएसडीआर	881068	
13. प्रकाशन बिक्री	2750	
14. गत वर्ष ब्याज 2003-2004 पीएलए में स्थांतरित	1662642	
कुल	10648283	
घटा : 20% परामर्श राशि सरकारी खाते में जमा	411545	
आधा दिन युनिसेफ कार्यक्रम व्यय मुख्य खाते से अर्जित	11568	10,225,170
वर्ष के दौरान प्राप्ति		
1. एमसीडी-न्ययिक जांच योजना से प्राप्ति	535000	
2. ओनलाईन पाठ्यक्रम के शुल्क से प्राप्ति	674245	
3. युएनडीपी-जीओआई डीआरआर कार्यक्रम से प्राप्ति	2360000	
4. आपदा में बच्चों के जरूरतों पर कार्यशाला के लिए युनिसेफ से प्राप्ति	925000	
5. दक्षिण अफ्रिकन अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए एमएचए से प्राप्ति	1839500	
6. सुखा कार्यक्रम के लिए एमओए से प्राप्ति	239661	
7. जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम के लिए एमओएसटी से प्राप्ति	400000	
8. आधा दिन कार्यक्रम के लिए युनिसेफ से प्राप्ति	11568	6,984,974
अन्य प्राप्ति		
1. विविध प्राप्ति	14642	
2. प्रकाशन बिक्री	10200	
3. सुरक्षा अग्रिम प्राप्ति	25000	
4. अर्जित ब्याज	162642	212484
कुल		17,422,628

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान खाता

चालु वर्ष
रुपये पैसे

भुगतान

योजना व्यय

1. दीवार नगर अहमदाबाद पर अहमदाबाद डीआरएम की योजना	311433	
2. एमसीडी-न्ययिक जांच योजना पर व्यय	9799	
3. नोयडा परामर्श योजना व्यय	277796	
4. राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण योजना व्यय – एनडीएमए	331768	
5. ऑनलाईन पाठ्यक्रम कार्यक्रम व्यय	1521076	
6. दक्षिण अफ्रिकन अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	1502282	
7. युएनडीपी-जीओआई डीआरआर कार्यक्रम व्यय	550000	
8. आपदा में बच्चों के जरूरतों पर कार्यशाला पर व्यय	1455975	
9. परामर्श शुल्क	656000	6,616,129

अन्य व्यय

1. बैंक प्रभार	3443	3,443.00
----------------	------	----------

समापन शेष

युको बैंक (बचत खाता) 10803056	10803056	10803056
----------------------------------	----------	----------

कुल

17,422,628

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

31.03.2011 को
राशि

सारणी : 1 कोष/पुंजीगत निधि

आरक्षित और अधिशेष मुख्य खाते से स्थान्तरित	(885,652.00)	
घटा : संस्थागत परामर्श (20% हिस्सा)	852,223.00	
जमा : व्यय(आय) की आय(व्यय) पर अधिकता	693.00	(34,122.00)
कुल		(34,122.00)

सारणी : 2 निर्धारित निधि

1. कृषि मंत्रालय से सुखा राहत कार्यक्रम और सुखा राहत कार्यक्रम के असर और सुखा नियम पुस्तक बनने के लिए प्राप्त अनुदान

प्रारम्भिक शेष	(99,828.00)
जमा : वर्ष के दौरान प्राप्त	239,661.00
	139,833.00
घटा : सरकारी खाते में बचत जमा	139,833.00

2. नव ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आपदा प्रबंधन योजना के लिए अनुदान

प्रारंभिक शेष	583,417.00	
जमा : वर्ष के दौरान प्राप्त	—	—
	583,417.00	
घटा : वर्ष के दौरान उपयोग	277,796.00	305,621.00

3. गृहमंत्रालय द्वारा एनडीएमए को प्राप्त निधि

प्रारंभिक शेष	915,431.00
घटा : सरकारी खाते में बचत जमा	915,431.00

4. विदेश मंत्रालय से प्रशासनिक सुधार कार्यक्रम के लिए प्राप्त निधि

प्रारम्भिक शेष	260,000.00
जमा : वर्ष के दौरान प्राप्त	—
घटा : परामर्श राशि विवरित	260,000.00

5. विदेश मंत्रालय/एनडीएमए से चक्रवात न्युनीकरण कार्यक्रम के लिए प्राप्त निधि

प्रारंभिक शेष	700,000.00	
जमा : वर्ष के दौरान प्राप्त	—	—
घटा : वर्ष के दौरान उपयोग	331,768.00	368,232.00

6. अहमदाबाद नगर निगम से दिवार नगर अहमदाबाद के लिए डीआरएम योजना के लिए प्राप्तिनिधि

प्रारंभिक शेष	474,085.00
जमा : वर्ष के दौरान प्राप्त	
घटा : परामर्श राशि विवरित	

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

31.03.2011 को
राशि

7.	एमओएसटी द्वारा जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम पर विचार-मंथन के लिए प्राप्त निधि		
	प्रारंभिक शेष	400,000.00	
	जमा : वर्ष के दौरान प्राप्त	—	
	घटा : वर्ष के दौरान उपयोग/व्यय	—	400,000.00
8.	एनडीएमए द्वारा एनएच और सीडी योजना के लिए प्राप्त निधि		
	प्रारंभिक शेष	710,000.00	
	जमा : वर्ष के दौरान प्राप्त	—	—
	घटा : वर्ष के दौरान उपयोग/व्यय	—	710,000.00
9.	युएनडीपी द्वारा जलवायु परिवर्तन पर निर्माण क्षमता परियोजना की तैयारी के लिए प्राप्त निधि		
	प्रारंभिक शेष	345,342.00	
	जमा : वर्ष के दौरान प्राप्त	—	
	घटा : परामर्श राशि वितरित	345,205.00	
	घटा : सरकारी खाते में बचत जमा	137.00	
10.	आईसीआईएमओडी योजना द्वारा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए प्राप्त निधि		
	प्रारंभिक शेष	350,331.00	
	जमा : वर्ष के दौरान प्राप्त	260,667.00	
	घटा : परामर्श राशि वितरित	610,998.00	
	घटा : सरकारी खाते में बचत जमा	604,599.00	
		6,399.00	
11.	भारत आपदा प्रबंधन सम्मेलन से प्राप्त निधि		
	प्रारंभिक शेष	660,269.00	
	जमा : वर्ष के दौरान प्राप्त	464,718.00	
		1,124,987.00	
	घटा : सरकारी खाते में बचत जमा	54,570.00	1,070,417.00
12.	एमसीडी द्वारा न्याय संबंधि योजना के लिए प्राप्त निधि		
	प्रारंभिक शेष	—	
	जमा : वर्ष के दौरान प्राप्त	535,000.00	
		535,000.00	
	घटा : सरकारी खाते में बचत जमा	9,799.00	525,201.00
13.	ऑनलाईन वेब पाठ्यक्रम द्वारा प्राप्त निधि		
	प्रारंभिक शेष	2,372,807.00	
	जमा : वर्ष के दौरान प्राप्त	823,504.00	
		3,196,311.00	
	घटा : वर्ष के दौरान उपयोग/व्यय	1,521,076.00	
	घटा : सरकारी खाते में बचत जमा	664,340.00	1,010,895.00

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

31.03.2011 को
राशि

14.	युएनआईएसडीआर द्वारा सार्वजनिक और नीजी भागीदारी के लिए प्राप्त निधि		
	प्रारंभिक शेष	474,107.00	
	वर्ष के दौरान प्राप्त	—	
		474,107.00	
	घटा : परामर्श राशि वितरित	474,107.00	
15.	सार्क द्वारा एसएडीकेएन योजना के लिए प्राप्त निधि		
	प्रारंभिक शेष	341,148.00	
	वर्ष के दौरान प्राप्त	—	
		341,148.00	
	घटा : सरकारी खाते में बचत जमा	341,148.00	
16.	एमएचए द्वारा दक्षिण आफ्रिकन अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए प्राप्त निधि		
	प्रारंभिक शेष		
	जमा : वर्ष के दौरान प्राप्त	1,839,500.00	
		1,839,500.00	
	घटा : वर्ष के दौरान प्राप्त उपयोग/व्यय	1,511,932.00	
	घटा : सरकारी खाते में बचत जमा	327,568.00	
17.	युएनआईएसडीआर दक्षिण एशिया द्वारा शहारी को तैयार रखने के लिए वैश्विक अभियान के लिए प्राप्त निधि		
	प्रारंभिक शेष	—	
	जमा : वर्ष के दौरान प्राप्त	2,987,049.00	
	घटा : वर्ष के दौरान प्राप्त उपयोग/व्यय	2,105,981.00	
	घटा : सरकारी खाते में बचत जमा	881,068.00	
18.	तेरंहवी वित्त आयोग से प्राप्त निधि		
	प्रारंभिक शेष	440,109.00	
	जमा : वर्ष के दौरान प्राप्त	—	
		440,109.00	
	घटा : परामर्श राशि वितरित	440,066.00	
	घटा : सरकारी खाते में बचत जमा	43.00	
19.	युनिसेफ द्वारा आपदा में बच्चों की जरूरतों पर कार्यशाला के लिए प्राप्त निधि		
	प्रारंभिक शेष	—	
	वर्ष के दौरान प्राप्त	925,000.00	
	जमा : सार्क से प्राप्त	290,000.00	
	जमा : मुख्य खाते से मिले व्यय	240,975.00	
		1,455,975.00	
	घटा : वर्ष के दौरान प्राप्त उपयोग/व्यय	1,455,975.00	
20.	युएनडीपी-जीओआई डीआरआर कार्यक्रम के लिए प्राप्त निधि		
	प्रारंभिक शेष	—	
	वर्ष के दौरान प्राप्त	2,360,000.00	
		2,360,000.00	
	घटा : वर्ष के दौरान प्राप्त उपयोग/व्यय	550,000.00	1,810,000.00
			6,363,018.00

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।

सारणी : 3 चालू देनदारियां और प्रावधान

		31.03.2011 को राशि
परामर्श शुल्क देय	189,643.00	
सरकारी खाते में 20% परामर्श शुल्क देय	14,566.00	
एमएचए को देय योजना बचत	4,210,662.00	
एनआईडीएम मुख्या खाता	324,289.00	
अग्रिम धन सुरक्षा जमा	25,000.00	
कुल		<u>4,764,160.00</u>

सारणी : 4 चल सम्पत्ति, ऋण और अग्रिम

ए	चल सम्पत्तियां		
	रोकड़ शेष		
	बैंक शेष		
	युको बैंक खाता संख्या 6139	10,803,056.00	10,803,056.00
बी	ऋण, अग्रिम और अन्य सम्पत्तियां		
	विविध ऋणदाता	290,000.00	<u>290,000.00</u>
			<u>11,093,056.00</u>

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

(गृह मंत्रालय के अन्तर्गत सवैधानिक निकाय)

31 मार्च, 2012 को तुलन पत्र

	सारणी	31.03.2012	31.03.2011 राशि रूपये पैसे
<u>कोष/चालू निधि और देनदारियां</u>			
आरक्षित और अधिशेष	'1'	49,645,316.14	39,701,640.78
निर्धारित निधि	'2'	—	—
चालू देनदारियां और प्रावधान	'3'	30,184,627.00	18,817,626.00
कुल		<u>79,829,943.14</u>	<u>58,519,266.78</u>
<u>सम्पतियां</u>			
अचल सम्पतियां	'4'	22,627,985.00	21,739,758.00
निवेश	'5'	55,590,550.78	10,779,005.14
चल सम्पतियां, ऋण और अग्रिम	'6'	1,611,407.36	26,000,503.64
कुल		<u>79,829,943.14</u>	<u>58,519,266.78</u>

अभिप्रायपूर्ण लेखांकन नितियां और खातों पर टिप्पणियां '13'

सत्यापन के लिए हमारे समक्ष प्रस्तुत किये गये खाते जाँचे गये तथा सही पाये गये।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय और व्यय खाता

	सारणी	31.03.2012 रूपये	31.03.2011 रूपये
<u>एमएचए द्वारा आय/ अनुदान</u>			
एमएचए द्वारा अनुदान	'7'	122,700,000.00	124,000,000.00
	कुल	<u>122,700,000.00</u>	<u>124,000,000.00</u>
<u>एमएचए द्वारा अनुदान खर्च</u>			
स्थापना व्यय	'8'	27,519,362.00	27,778,919.00
अन्य प्रशासनिक व्यय	'9'	26,331,069.00	18,688,907.28
प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाओं पर व्यय	'10'	10,662,111.00	11,766,516.00
केंद्रीय क्षेत्र योजना का कार्यान्वयन	'11'	48,557,412.00	47,015,366.00
खाते का घाटा		19,613.00	—
	कुल	<u>113,089,567.00</u>	<u>105,249,708.28</u>
एमएचए अनुदान का शेष अधिशेष (ए-बी)		9,610,433.00	18,750,291.72
<u>अन्य स्रोतों से आय/ खर्च</u>			
अर्जित ब्याज (सीपीएफ)	'12'	310,742.36	413,677.86
अन्य स्रोतों से आय/ खर्च		22,500.00	—
	कुल	<u>333,242.36</u>	<u>413,617.86</u>
शेष अधिशेष (घाटा) तुलन पत्र में स्थांतरित(ए-बी+सी)		9,943,675.36	19,163,969.58
अभिप्रायपूर्ण लेखांकन नितियां और खातों पर टिप्पणियां	'13'		

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान खाता

	सारणी	चालु वर्ष		गत वर्ष	
		रूपये	पैसे	रूपये	पैसे
प्राप्तियां					
प्रारम्भिक शेष					
रोकड़ शेष	—	—	—	—	—
बैंक शेष (चालु खाता)	691,075.13			21,619,416.55	
बैंक शेष (सावधि जमा)	10,779,005.14	11,470,080.27		7,917,933.00	29,537,349.55
प्राप्त अनुदान					
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यक्रम के अर्न्तगत	146,700,000.00			100,000,000.00	
एसआईडीएम से प्राप्ति	—			464,718.00	
एनपीसीईबीईआरएम/एनपीसीबीएओआरएम योजना के लिए अनुसूचित निधि	—			2,417,155.00	
दक्षिण एशिया कार्यक्रम के लिए युएनआईएसडीआर से प्राप्ति	—			2,987,049.00	
जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम के लिए आईसीआईएमओडी से प्राप्ति	—			260,666.72	
एनपीसीडीआरआर कार्यक्रम के लिए प्राप्ति	21,500.00			—	
		146,721,500.00			106,129,588.72
प्रकाशन बिक्री	—			2,750.00	
वाहन अग्रिम पर अर्जित ब्याज	4,800.00			2,400.00	
बैंक ब्याज	732,398.00			285,626.00	
ऑनलाईन पाठ्यक्रम से शुल्क	1,000.00			149,259.00	
सीपीएफ	1,413,179.00			—	
सुरक्षा धन जमा	46,500.00	2,197,877.00		—	440,035.00
कर्मचारी योगदायी भविष्य निधि (कर्मचारी अंशदान)	—			1,288,970.00	
एसएएआरसी/आईएचडी द्वारा विधुत/जल बिल प्राप्त	195,261.00			205,870.00	
सुरक्षा धन देय	—			6,500.00	
कर और अग्रिम (शुद्ध)	9,199.00	204,460.00		1,343.00	1,502,683.00
कुल		160,593,917.27		137,609,656.27	

भुगतान

पूँजीगत व्यय

उपकरण और औजार	201,001.00		767,260.00	
पुस्तकालय	137,515.00		370,743.00	
स्थिर और अस्थिर वस्तुएं	486,612.00		201,490.00	
आधारित संरचना	39,847.00	864,975.00	—	1,339,493.00

राजस्व व्यय

निधारित धनराशि पीएलए खातों में स्थांतरित	—		10,225,170.00	
प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला	10,516,665.00		11,865,429.00	
एटीआई को दिया गया अनुदान	48,557,412.00		44,215,366.00	
		59,074,077.00		66,305,965.00

स्थापना व्यय

वेतन और भत्ते	21,906,156.00		22,006,242.00	
अवकाश यात्रा छुट/एलटीए	387,850.00		1,580,846.00	
अभिलाभांश	89,902.00		84,976.00	
एलएसपीसी	20,799.00		570,018.00	
चिकित्सा उपचार	143,200.00		1,217,865.00	
शैक्षिक शुल्क	468,753.00		311,363.00	
विशेष भता	—		10,358.00	
		23,016,660.00	—	25,781,668.00

भविष्य निधि से निकासी/अग्रिम	110,000.00		420,000.00	
सुरक्षा धन देय	36,500.00	—	—	—
देय भुगतान	5,968,996.00		—	
पुर्व भुगतान व्यय	—	6,115,496.00	20,484.00	440,484.00

अन्य प्रशासनिक व्यय

मरम्मत और रख रखाव	1,722,757.00		1,298,062.00	
कर्मचारियों द्वारा कार चालान और रख-रखाव	—		18,190.00	
डाक व्यय	141,135.00		169,489.00	
छपाई और लेखन सम्रागी	813,046.00		660,445.00	
बिजली और जल प्रभार	1,746,542.00		1,344,880.00	
किराया, दर और कर	8,059,613.00		10,791,019.00	
विविध व्यय	1,229,160.00		324,849.00	
समाचार पत्र और पत्रिकाएं	78,661.00		63,448.00	
दुरभाष व्यय	612,651.00		764,725.00	
वर्दी	—		3,343.00	
घरेलु यात्रा	994,616.00		894,280.00	
विदेशी यात्रा	566,082.00		99,221.00	
व्यावसायिक शुल्क	26,864.00		41,914.00	
प्रकाशन	468,232.00		225,452.00	
बैंक प्रभार	1,359.00		15,375.00	
ऑनलाईन कार्यक्रम व्यय	4,873.00		—	
		16,465,591.00		16,714,712.00

प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला पर व्यय				
द्वितीय भारत आपदा प्रबंधन सम्मेलन			10,329.00	
आधा दिन युनिसेफ कार्यक्रम व्यय			11,568.00	
दक्षिण एशिया कार्यक्रम व्यय			9,650.00	
एनपीसीईबीईआरएम व्यय			150,000.00	
वैश्विक अभियान कार्यक्रम का विमोचन			1,865,006.00	
सरकारी खाते में अन्य/विविध प्राप्तियां और बचत			3,051,380.00	
एनपीसीईबीईआरएम का अनुपयोगी निधि एमएचए को वापिस			10,459,321.00	15,557,254.00

समापन शेष

रोकड़ शेष			—	
बैंक शेष (सीपीएफ सावधि जमा)	13,090,550.78		10,779,005.14	
बैंक शेष (अन्य सावधि जमा)	42,500,000.00		—	
बैंक शेष (चालु खाता)	(533,432.52)	55,057,118.27	691,075.13	11,470,080.27

कुल		160,593,917.27		137,609,656.27
-----	--	----------------	--	----------------

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

	31.03.2012 को राशि	31.03.2011 को राशि
सारणी : 1		
आय की व्यय पर अधिकता		
प्रारंभिक शेष	39,701,640.78	37,069,562.20
घटा : गत वर्ष की अन्य योजनाओं से आय पीएलए खातों में स्थांतरित	—	16,531,891.00
जमा : व्यय(आय) की आय(व्यय) पर अधिकता आय और व्यय खातों में स्थांतरित	9,943,675.36	19,163,969.58
कुल	49,645,316.14	39,701,640.78
सारणी : 2		
1. कृषि मंत्रालय से सुखा राहत कार्यक्रम और सुखा राहत कार्यक्रम के असर और सुखा नियम पुस्तक बनने के लिए प्राप्त अनुदान		
प्रारंभिक शेष	—	99,828.00
जमा : वर्ष के दौरान प्राप्त	—	239,661.00
घटा : पीएलए खातों में स्थांतरित	—	339,489.00
		—
2. नव ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आपदा प्रबंधन योजना के लिए अनुदान		
प्रारंभिक शेष	—	583,417.00
जमा : वर्ष के दौरान प्राप्त	—	—
घटा : पीएलए खातों में स्थांतरित	—	583,417.00
		—
3. गृहमंत्रालय द्वारा एनडीएमए को प्राप्त निधि		
प्रारंभिक शेष	—	915,431.00
घटा : पीएओ, एमएचए खातों में जमा	—	915,431.00
		—
4. विदेश मंत्रालय से प्रशासनिक सुधार कार्यक्रम के लिए प्राप्त निधि		
प्रारंभिक शेष	—	260,000.00
जमा : वर्ष के दौरान प्राप्त	—	—
घटा : पीएलए खातों में स्थांतरित	—	260,000.00
घटा : शेष राशि एआरसी में वापिस	—	—
		—
5. विदेश मंत्रालय/एनडीएमए से चक्रवात न्यूनीकरण कार्यक्रम के लिए प्राप्त निधि		
प्रारंभिक शेष	—	700,000.00
वर्ष के दौरान प्राप्त	—	—
घटा : पीएलए खातों में स्थांतरित	—	700,000.00

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

सारणी : '4' अचल सम्पतियां

क्रमांक	विवरण	01.04.2011 को लागत	वर्ष के दौरान योग	बिक्री / विलोप	31.03.2012 को	31.03.2011 को
1.	स्थिर और अस्थिर वस्तुएं	3,533,047.00	486,612.00	—	4,019,659.00	3,533,047.00
2.	आधारित संरचना	2,168,301.00	39,847.00	—	2,208,148.00	2,168,301.00
3.	उपकरण और औजार	11,195,770.00	201,001.00		11,396,771	11,195,770.00
4.	पुस्तकालय	2,681,330.00	180,380.00	19,613.00	2,842,097.00	2,681,330.00
5.	जीआईएस प्रयोगशाला	2,161,310.00	—	—	2,161,310.00	2,161,310.00
कुल		21,739,758.00	907,840.00	19,613.00	22,627,985.00	21,739,758.00

सारणी : 3 चालू देनदारियां और प्रावधान

	31.03.2012 को राशि	31.03.2011 को राशि
कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि		
प्रारंभिक शेष	21,697,386.00	9,910,035.00
जमा : नियोक्ता योगदान	1,274,999.00	1,29,270.00
: कर्मचारी अंशदान	1,413,179.00	1,288,970.00
: ब्याज	1,067,784.00	789,111.00
	16,453,348.00	13,117,386.00
घटा : निकासी/अग्रिम	110,000.00	420,000.00
	16,343,348.00	12,697,386.00
अग्रिम धन जमा	86,500.00	76,500.00
सीजीएचएस, सीजीईआईएस, अनुज्ञापत्र शुल्क आदि	133,544.00	74,744.00
पीएओ, एमएचए	732,398.00	-
देययोग्य व्यय	2,684,544.00	5,968,996.00
देययोग्य किराया	10,204,293.00	-
कुल	30,184,627.00	18,817,626.00

सारणी : 5

	31.03.2012 को	31.03.2011 को
युको बैंक में सवधि जमा (कर्मचारी योगदायी भविष्य निधि)	13,090,550.78	10,779,005.14
सावधि जमा	42,500,000.00	-
कुल	55,590,550.78	10,779,005.14

सारणी : 6

	31.03.2012 को	31.03.2011 को
ए चल समप्तियां		
रोकड़ शेष	-	-
युको बैंक खाता संख्या 1820020000924924	(533,432.51)	691,075.13
बी ऋण, अग्रिम और अन्य समप्तियां		
कर्मचारी अग्रिम	1,648.00	89,366.00
विविध देनदार	705,283.00	195,338.00
सुरक्षा जमा	15,000.00	15,000.00
वासुली योग्य स्रोतों पर कर कटौती	253,673.65	253,673.65
प्राप्त करपे योग्य अनुदान (एमएचए)	-	24,000,000.00
सावधि जमा पर अर्जित ब्याज (सीपीएफ)	717,220.22	411,277.86
पीएलए (विविध प्रप्तियां) खातें	366,884.00	324,289.00
पूर्व देय व्यय	-	20,484.00
आकस्मिक व्यय के लिए अग्रिम	5,391.00	-
वहान व्यय	46,482.00	-
त्योहार अग्रिम	27,498.00	-
एलटीसी अग्रिम	5,760.00	-
कुल	1,611,407.36	26,000,503.64

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

सारणी : 7 एमएचए से प्राप्त अनुदान (डीएम विभाग)

गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय क्षेत्र योजना पर

कुल

31.03.2012 को राशि रुपये	31.03.2011 को राशि रुपये
122,700,000.00	124,000,000.00
122,700,000.00	124,000,000.00

सारणी : 9 स्थापना व्यय (एमएचए अनुदान)

वेतन और भत्ते
अवकाश यात्रा छुट/ईएल का नकदीकरण
अधिलाभ
अधि समय
भविष्य निधि में योगदान
कर्मचारी भविष्य निधि में शेष पर अर्जित ब्याज
चिकित्सा उपचार
शैक्षिक शुल्क
एलएसपीसी
विशेष भता

कुल

31.03.2012 को	31.03.2011 को
23,747,663.00	22,010,022.00
394,163.00	1,587,616.00
89,902.00	84,976.0
—	—
1,274,999.00	1,129,270.00
1,067,784.00	789,111.00
143,200.00	1,217,865.00
468,753.00	311,363.00
332,898.00	638,338.00
—	10,358.00
27,519,362.00	27,778,919.00

सारणी : 10 अन्य प्रशासनिक व्यय (एमएचए अनुदान)

मरम्मत और रख रखाव
कर्मचारियों कि कारचलन का रख-रखाव
डाक व्यय
छपाई और लेखन सम्रागी
विधुत और जल प्रभार
विविध व्यय
समाचार पत्र और पत्रिकाएं
दूरभाष व्यय
वदी
ओन लाईन कार्यक्रम व्यय
घरेलु यात्रा
विदेशी यात्रा व्यय
व्यावसयिक शुल्क
किराया, दर और कर
बैंक प्रभार
प्रकाशन

कुल

31.03.2012 को	31.03.2011 को
1,726,811.00	1,345,468.00
—	18,190.00
159,906.00	177,518.00
813,046.00	660,445.00
1,219,162.00	1,082,931.00
1,259,119.00	332,124.28
84,885.00	69,084.00
630,613.00	732,609.00
—	3,343.00
4,873.00	—
1,098,211.00	1,079,291.00
556,082.00	99,221.00
34,864.00	41,914.00
18,263,906.00	12,805,922.00
1,359.00	15,375.00
468,232.00	225,472.00
26,331,069.00	18,688,907.28

सारणी : 10 केन्द्रीय क्षेत्रिय योजना का कार्यान्वयन

प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला व्यय

कुल

31.03.2012 को	31.03.2011 को
10,662,111.00	11,766,516.00
10,662,111.00	11,766,516.00

सारणी : 11 केन्द्रीय क्षेत्रिय योजना का कार्यान्वयन

एटीआई को अनुदान सहायता

कुल

31.03.2012 को	31.03.2011 को
48,557,412.00	47,015,366.00
48,557,412.00	47,015,366.00

सारणी : 12 अर्जित ब्याज

सावधि पर ब्याज (सीपीएफ)
वहान ब्याज
एनपीसीडीआरआर कार्यक्रम पर शुल्क
आनलाईन कोर्स से प्राप्त शुल्क

कुल

31.03.2012 को	31.03.2011 को
305,942.36	411,277.86
4,800.00	2,400.00
21,500.00	—
1,000.00	—
333,242.36	413,677.86

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

सारणी : 13 खातों के लिए सार्थक लेखांकन और टिप्पनियां

1. सार्थक लेखांकन नीतियां
 - (क) वित्तिय विवरण ऐतिहासिक मुल्य परम्परां प्रोद्धवन आधार और समर्णता लेखांकन नीतियों में तालमेल को आधार कर, तैयार किये गये
 - (ख) मुल्यहास उपलब्ध न होने के कारण अचल सम्पति को अधिकरण/प्रतिपादन पर वर्णित किया गया।
 - (ग) विदेशी मुद्रा का लेन देन वर्णन मौजुदा विनिमय दर पर आलेखित किया गया।
 - (घ) लेखा नीतियों का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया अन्यथा उनका तालमेल स्वीकार्य लेखा प्रणाली से होता
2. आकस्मिक देनदारियां

संस्थान के विरुद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार्य नहीं किया।
3. प्रबंधन की राय में चालू सम्पतियों का मुल्यांकन, ऋण और अग्रिम, व्यवसाय के सामान्य तरीकों में किसी भी तरह तुलन पत्र में लिखित से कम नहीं होगा, सभी सुचित देनदारियों के लिए लेखों में प्रावधान किया गया।
4. गृह मंत्रालय(डी एम विभाग), भारत सरकार के निदेशानुसार पत्र संख्या 45-5/2008-एनडीएम-IV/III तारिख 23 मार्च, 2010 के अनुसार एक सार्वजनिक बही खाता बनाया जाये और योजनाओं से प्राप्त शुद्ध बचत तथा जमा रकम से अर्जित ब्याज को भारत सरकार के संगठित निधि में जमा किया जाये। वित्तिय वर्ष 2011-12 के लिए पीएलए खाते के लिए वित्तिय विवरण अलग से तैयार किये गये।



nidm

आपदा मुक्त भारत की ओर.....

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

(गृह मंत्रालय, भारत सरकार)

5-बी, आई.आई.पी.ए. कैपस, आई.पी. एस्टेट, महात्मा गांधी रोड, नई दिल्ली – 110002

फैक्स : 011-2370 2446, फोन : 011-2370 2445

वेबसाइट : www.nidm.gov.in